राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का तेईसवां दिवस [संख्या: 10

गुरुवार,

04 मार्च 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री ज्ञानचंद पारख।

रामगंज मण्डी में संचालित कोटा स्टोन कटिंग की इकाइयां

166. श्री ज्ञानचंद पारख (पाली) (श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी) के स्थान पर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि रामगंज मण्डी नगरपालिका क्षेत्र में कोटा स्टोन कटिंग की संचालित चार औद्योगिक इकाइयों को किसी भी विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है? यदि हां, तो उक्त औद्योगिक इकाइयों का संचालन किसके निर्देश से हो रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कोई व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा शिकायत करने पर ही उक्त औद्योगिक इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है? यदि नहीं, तो उक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने की जिम्मेदारी किस अधिकारी या कर्मचारी की है? सरकार अब उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त इकाइयों को कब तक बंद कर यहां से स्थानांतरित करवा दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) उक्त नगरपालिका क्षेत्र में राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र नियम, 1959 के तहत उक्त क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं होने के उपरान्त भी उक्त इकाइयां किस-किस अधिकारी के आदेशों से संचालित की जा रही हैं? आदेशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) कोटा जिले की रामगंज मण्डी नगरपालिका क्षेत्र में क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, कोटा; उपखण्ड अधिकारी, रामगंज मण्डी एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, रामगंज मण्डी द्वारा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, कोटा को उपलब्ध करायी गयी जानकारी के अनुसार कोटा जिले के रामगंज मण्डी नगरपालिका क्षेत्र में निम्नलिखित चार औद्योगिक इकाइयां हैं:-

1. मैसर्स पारख स्टोन इण्डस्ट्रीज, रसोली रोड, ग्राम रसोली, तह. रामगंज मण्डी, कोटा।
2. मैसर्स रेखा स्टोन इण्डस्ट्रीज, रसोली रोड, ग्राम रसोली, तह. रामगंज मण्डी, कोटा।
3. मैसर्स प्रखर एन्टरप्राइजेज, रसोली रोड, ग्राम रसोली, तह. रामगंज मण्डी, कोटा।
4. मैसर्स जिन कुशल इण्डस्ट्रीज, रसोली रोड, ग्राम रसोली, तह. रामगंज मण्डी, कोटा।

इनमें से एक इकाई मैसर्स जिन कुशल इण्डस्ट्रीज वर्ष 2017 से बंद है।

उक्त चार औद्योगिक इकाइयां उद्योग विभाग में स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं हैं और न ही उद्योग हेतु भू-आबंटन इस विभाग द्वारा किया गया है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार मैसर्स पारख स्टोन इण्डस्ट्रीज एवं मैसर्स रेखा स्टोन इण्डस्ट्रीज नगरपालिका क्षेत्र रामगंज मण्डी में खसरा नम्बर 152 पर जिला कलेक्टर, कोटा द्वारा निष्पादित लीज डीड के आधार पर संचालित हैं, जिनका पंजीयन उप पंजीयन अधिकारी, रामगंज मण्डी, कोटा द्वारा दिनांक 07.01.1989 द्वारा किया गया। मैसर्स प्रखर एंटरप्राइजेज नगरपालिका क्षेत्र रामगंज मण्डी के खसरा नम्बर 153/313 पर संचालित है। उक्त खसरा नम्बर 153/313 की 17 बिस्वा बीड़ किस्म काश्त जरिये विक्रय पत्र दिनांक 10.12.2008 को उप पंजीयक अधिकारी, रामगंज मण्डी द्वारा पंजीकृत किया गया।

नगरपालिका रामगंज मण्डी एवं उप खण्ड अधिकारी, रामगंज मण्डी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार इन इकाइयों का पट्टा आबंटन नगरीय निकाय से नहीं हुआ है।

(उद्योग मंत्री)

इन इकाइयों को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा समय-समय पर पूर्व में स्थापना/संचालन सम्मति दी गयी थी, जिसका विस्तृत विवरण खण्ड-2 में वर्णित है।

(2) चूंकि इकाइयां नगरपालिका क्षेत्र में संचालित हैं। इन इकाइयों पर कार्यवाही नगरपालिका रामगंज मण्डी/राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल/जिला प्रशासन के स्तर से की जानी अपेक्षित है।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा इन इकाइयों के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है:-

1. मैसर्स पारख स्टोन कम्पनी को प्रथम बार स्थापना/संचालन सम्मति दिनांक 15.10.2001 को जारी की गयी थी, जो कि दिनांक 29.07.2003 तक वैध थी। उसके पश्चात् संचालन सम्मति का दिनांक 29.07.2008 तक नवीनीकरण किया गया। उक्त इकाई को दिनांक 13.06.2013, 09.02.2018 तथा 24.07.2020 को संचालन सम्मति नवीनीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। वर्तमान में इकाई का स्थापना/संचालन सम्मति का प्रकरण क्षेत्रीय अधिकारी के स्तर पर विचाराधीन है तथा इकाई को कारण बताओ नोटिस पत्र दिनांक 26.02.2021 द्वारा रुपये 9,750/- की राशि जमा कराने हेतु सूचित किया गया है।
2. मैसर्स रेखा स्टोन इण्डस्ट्रीज, रामगंज मण्डी को प्रथम बार स्थापना/संचालन सम्मति दिनांक 28.02.2005 को जारी की गयी थी, जो कि दिनांक 31.12.2008 तक वैध थी। उक्त इकाई को दिनांक 14.06.2013, 12.02.2018 तथा 24.07.2020 को संचालन सम्मति नवीनीकरण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। वर्तमान में इकाई का स्थापना/संचालन सम्मति का प्रकरण क्षेत्रीय अधिकारी के स्तर पर विचाराधीन है तथा इकाई को कारण बताओ नोटिस पत्र दिनांक 26.02.2021 द्वारा रुपये 15,200/- की राशि जमा कराने हेतु सूचित किया गया है।

मैसर्स प्रखर एंटरप्राइजेज द्वारा स्थापना/संचालन सम्मति हेतु आवेदन दिनांक 25.06.2013 को प्रस्तुत किया गया था, जो कि दस्तावेजों में कमी की वजह से दिनांक 30.04.2015 को निरस्त कर दिया गया। उक्त इकाई को संचालन सम्मति लेने हेतु दिनांक 12.02.2018 तथा 24.07.2020 को कारण

(उद्योग मंत्री)

बताओ नोटिस जारी किये गये। वर्तमान में इकाई की स्थापना/संचालन सम्मति का प्रकरण क्षेत्रीय अधिकारी के स्तर पर विचाराधीन है तथा इकाई को कारण बताओ नोटिस पत्र दिनांक 26.02.2021 द्वारा रुपये 6500/- की राशि जमा कराने हेतु सूचित किया गया है।

(3) चूंकि इकाइयां नगरपालिका क्षेत्र में संचालित हैं अत: स्थानांतरित करने की कार्यवाही नगरपालिका रामगंज मण्डी/राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल/जिला प्रशासन के स्तर से की जानी अपेक्षित है। उद्योग विभाग के स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(4) खण्ड 2 के अनुसार 2 इकाइयों को पूर्व में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी स्थापना/संचालन सम्मति प्राप्त थी, जिसके नवीनीकरण हेतु नोटिस दिया जाकर कार्यवाही की जा रही है। शेष तीसरी इकाई को स्थापना/संचालन सम्मति अभी जारी नहीं हुई है। उक्त तीनों इकाइयों को वर्तमान में स्थापना/संचालन सम्मति प्राप्त नहीं है।

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय मंत्री महोदय के जवाब में है, ये इकाइयां आपके विभाग में पंजीकृत नहीं हैं, यह आप स्वयं मान रहे हैं। साथ ही ये सारी इकाइयां आपकी कृषि भूमि पर चल रही हैं। जब आपके यहां पंजीकृत भी नहीं हैं और एग्रीकल्चर में ये इकाइयां चल रही हैं तो आपने स्पष्ट कह दिया कि ये नगरपालिका करेगी या राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल करेगा, परन्तु उद्योग विभाग की कोई जिम्मेवारी बनती है कि जो इकाइयां बिना पंजीकृत चल रही हैं, उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही करें? यदि आप कार्यवाही नहीं कर सकते हैं तो सम्बन्धित जिला कलेक्टर या प्रदूषण मंडल को तो आप लिख सकते हैं। आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बता दें?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल उठाया, यह सही है कि ये बिना कन्वर्जन के इकाइयां चल रही हैं। मैंने विभाग के अधिकारियों को बुलाया था, प्रदूषण कंट्रोल वालों को भी और नगरपालिका को, ये पट्टा भी जारी नहीं हुआ है, ये इल्लीगल चल रही हैं। मैंने कह दिया है कि लीगल नोटिस देकर इनको 15 दिन में बंद कराने की कार्यवाही की जाए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डा. राजकुमार शर्मा।

नवलगढ़ के राजकीय चिकित्सालय में ब्लड बैंक की स्थापना

167. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ के राजकीय चिकित्सालय, नवलगढ़ में रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वर्तमान शय्या संख्या में बढ़ोतरी कर 200 करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कितनी तथा नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में मातृ, शिशु व गहन चिकित्सा इकाई स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में ब्लड बैंक स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) कस्बा नवलगढ़, जिला झुंझुनूं में वर्तमान में 100 शय्यायुक्त राजकीय चिकित्सालय स्वीकृत है। स्वीकृत शय्याओं की उपयोगिता दर (बी.ओ.आर.) 2019 में 22.68 एवं 2020 में 53.58 प्रतिशत रही है। आगामी वित्तीय वर्षों में गुणावगुण एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर राजकीय चिकित्सालय, नवलगढ़ में शय्याओं में वृद्धि करने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) राजकीय चिकित्सालय, नवलगढ़ की वर्ष 2020 में मैटरनिटी बैड आक्यूपेंसी रेट 11.56 प्रतिशत है। भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार मातृ एवं शिशु विंग के लिए मैटरनिटी बैड आक्यूपेंसी रेट 70 प्रतिशत होना आवश्यक है।

उक्त संस्थान में मातृ एवं शिशु इकाई बनाया जाना विचाराधीन नहीं है।

राज्य में आई.सी.यू. विंग के नोर्म्स निर्धारण का कार्य प्रक्रियाधीन है। नोर्म्स निर्धारण के पश्चात् वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़ में आई.सी.यू. स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) जी हां। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजनान्तर्गत राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़ में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध करवाये जाने हेतु एन.एच.एम. पीआईपी 2021 में प्रस्तावित किया गया है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(4) राजकीय चिकित्सालय नवलगढ़ में ब्लड की आपूर्ति हेतु ब्लड स्टोरेज यूनिट संचालित है। ब्लड स्टोरेज यूनिट 2013 से 18 जनवरी, 2021 तक उपकरणों के अभाव में बंद थी। अब नवीन उपकरण उपलब्ध करवाकर इसे 19 जनवरी, 2021 से प्रारम्भ कर दिया गया है तथा दिनांक 01 मार्च, 2021 तक कुल 52 यूनिट ब्लड रोगियों को दिया जा चुका है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अनुसार बी.एस.यू. में वार्षिक खपत 2000 यूनिट होने पर ब्लड बैंक की स्थापना की जाती है।

आगामी वर्षों में ब्लड स्टोरेज यूनिट में खपत, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर ब्लड बैंक स्थापित करने पर विचार किया जा सकेगा।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मेरा नवलगढ़ राजकीय चिकित्सालय 100 बैड का है। माननीय मंत्री जी ने खुद ने माना है कि 53.58 प्रतिशत रही है, अभी 2020 में जो आक्यूपेंसी थी। पूरे जिले में सबसे ज्यादा बैड मेरे नवलगढ़ में फुल रहते हैं। आस पास के सभी क्षेत्रों के लोग वहां पर इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि वहां पर मंत्री जी ने चिकित्सकों की खूब नियुक्ति कर दी। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक तो इसके बैड बढ़ाए जाएं। दूसरा, आपसे मेरा प्रश्न है, मातृ शिशु व गहन चिकित्सा इकाई का कार्य, अब नोर्म्स नहीं है, लेकिन कोरोना काल के बाद तो आपको पता है कि काफी रिलेक्सेशन दिया गया, मैं सरकार से उम्मीद रखता हूं कि मेरे नवलगढ़ के अन्दर..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। माननीय सदस्य, प्रश्न।

डॉ. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अभी स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति हो गयी है, तो अब खोलने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तीसरा सवाल, ब्लड बैंक की स्थापना। अध्यक्ष महोदय, अभी मात्र स्टोरेज यूनिट है।

श्री अध्यक्ष: आप खाली प्रश्न नहीं पूछ रहे हो, सभी वह बात कर रहे हो। प्रश्न पूछिए।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): मैं कह रहा हूं कि 52 यूनिट स्टोरेज में आ गया, लेकिन सबसे ज्यादा ब्लड डोनेशन नवलगढ़ में होता है।

श्री अध्यक्ष: आप तो प्रश्न पूछो न।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, ब्लड बैंक की स्थापना करवा दीजिए, यही प्रश्न है हमारा तो, और क्या है।

श्री अध्यक्ष: सब बात मान ली आपकी।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय वर्ष के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक हजार बैड की घोषणा की है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आपस में चर्चा करके, उपयोगिता के हिसाब से जितने आवश्यक होंगे, वहां बैड भी बढ़ाएंगे।

सैकण्ड चीज, आपने सोनोग्राफी मशीन के बारे में बात की। हमने यह पी.आई.पी. में भेज दिया है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सोनोग्राफी मशीन भी हम नवलगढ़ में स्थापित करेंगे।

इसके अलावा, आपने एम.सी.एच. विंग की बात की है, इसके नोर्म्स भी बने हुए हैं। पूरे राजस्थान में अभी 41 एम.सी.एच. यूनिट संचालित हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय तक मैं माननीय सदस्य की भावना पहुंचाऊंगा। हम प्रयास करेंगे कि वहां एम.सी.एच. विंग भी जल्दी काम करना शुरू कर दे। जहां तक ब्लड बैंक की बात है, ब्लड बैंक, जो स्टोरेज के रूप में वहां काम कर रहा है, वह तो पूर्ववर्ती सरकार के समय बंद हो गया था। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपने विधायक कोष से पैसा दिया, इक्विपमेंट खरीदे और उसको चालू करवाया। राज्य सरकार ने भी दो लाख से ज्यादा की राशि, वहां डी.जी. सैट वगैरह के लिए दी है, वह अब कार्यरत हो गया है। शनै: शनै: वहां कैसे ब्लड बैंक बने, इस पर भी राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। नरेन्द्र नागर।

झालावाड़ में सहकारी समितियों का गठन

168. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला झालावाड़ में कितनी नई सहकारी समितियां गठित की जा रही हैं? वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है एवं उक्त का गठन कब तक होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2019 के पश्चात् से प्रदेश में कितनी ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भंडारण के लिए गोदाम बनाये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) झालावाड़ जिले में 6 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां क्रमश: खेडला, नसीराबाद, कामखेड़ा, आकोदिया, कोलाना व आंकखेड़ी के गठन की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(सहकारिता मंत्री)

उक्त समितियों में से आंकखेड़ी व कामखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पंजीयन से सम्बन्धित पत्रादि पूर्ण हो चुके हैं तथा समितियों द्वारा हिस्सा राशि जमा करवाये जाने पर पंजीयन कर दिया जाएगा।

नसीराबाद, खेड़ला, आकोदिया व कोलाना ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आम सभा बुलाई जाकर पंजीयन से सम्बन्धित पत्रादि पूर्ण करवाये जा रहे हैं। पंजीयन का कार्य अंशदान व पंजीयन सम्बन्धी पत्रादि पूर्ण करने पर कर दिया जाएगा।

(2) वर्ष 2019 के बाद राज्य में बजट घोषणा 2019-20 में 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं 20 क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2019-20 में 200 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी है। बजट घोषणा वर्ष 2020-21 में 81 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में निर्माण की स्वीकृति जारी की गयी है। सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जिन समितियों की आपने स्वीकृति जारी की है, क्या उनमें इस वित्तीय वर्ष में भण्डारण के लिए गोदाम बनाने का विचार रखते हैं? पहला प्रश्न।

दूसरा, जिन सहकारी समितियों के पंजीयन सम्बन्धित पत्रादि पूर्ण हो चुके हैं, वे कब पूर्ण हुए? कब उनकी हिस्सा राशि जमा कराकर, कब उनका पंजीयन कर दिया जाएगा?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जैसा आपने प्रश्न बताया, पत्रादि पूर्ण कर, मुख्य रूप से इसमें अंशदान के पांच लाख जमा कराने होते हैं, वे किसी भी समिति के जमा नहीं हुए हैं। वे जिस दिन जमा हो जाएंगे, उसके दूसरे-तीसरे दिन ही आपकी समिति चालू कर दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री हरीश चन्द्र मीना।

मदरसा पैराटीचर्स के स्थानान्तरण की नीति

169. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

(1) प्रदेश में मदरसा पैराटीचर्स के स्थानांतरण अथवा समायोजन की क्या कोई नीति बनायी गयी है? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त का स्थानांतरण अथवा समायोजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में पैराटीचर्स का पद नियमित राज्य कर्मचारी का पद न होकर संविदा आधारित पद होने के कारण वर्तमान में प्रदेश में मदरसा पैराटीचर्स के स्थानान्तरण की कोई नीति नहीं बनाई गयी है। कतिपय परिस्थितियों (गम्भीर रोग से पीड़ित होने, विधवा, परित्यक्ता व विवाहित महिलाओं के प्रकरण में तथा शून्य नामांकन एवं डी-रजिस्टर्ड मदरसों में कार्यरत पैराटीचर्स) में मानवीय आधार पर पैराटीचर्स की स्वयं की प्रार्थना व सहमति के आधार पर समायोजन अन्य पंजीकृत मदरसों में किया जाता है।

(2) राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में कार्यरत पैराटीचर्स के स्वयं के प्रार्थना पत्र पर गम्भीर रोग से पीड़ित होने, विधवा, परित्यक्ता व विवाहित महिलाओं के प्रकरण में तथा शून्य नामांकन एवं डी-रजिस्टर्ड मदरसों में कार्यरत पैराटीचर्स का समायोजन किया जाता है। राज्य के पंजीकृत मदरसों में कार्यरत ऐसे शिक्षा सहयोगियों की सूचना जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों के माध्यम से मांगी गयी है, जिसका परीक्षण करवाकर गुणावगुण के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न है, जैसा इन्होंने खुद ने कबूल किया कि मानवीय आधार पर जो कोई इनको आकर मिलता है, उनका यह समायोजन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। इसका मतलब ट्रांसफर नीति के अभाव में भी ट्रांसफर हो रहे हैं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे जो रिक्त पद हैं, ये लड़के 2001 में सबसे पहले भर्ती हुए थे, आठ हजार रुपये में हुए थे, बाड़मेर में पोस्टेड हैं, कोई जैसलमेर में पोस्टेड है। अब इनके बच्चे भी हो गये, इनका परिवार हो गया।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): मेरा प्रश्न यह है कि मेरे जो रिक्त पद हैं उनको आप समायोजित क्यों नहीं करते? उसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को पहले ही मेरे मूल प्रश्न में कहा है कि जो संविदा कर्मी हैं, इनका स्थानान्तरण तब ही कर सकते हैं, जब वे खुद अपना प्रार्थना पत्र देते हैं। इसमें भी जहां हमारे मदरसे शून्य, जहां पर बिलकुल नामांकन नहीं हो या मदरसा डी-रजिस्टर्ड हो गया हो, तो जरूर उनके जो पैराटीचर्स संविदाकर्मी हैं, उनका हम स्थानान्तरण करते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जिला स्तर पर जो हमारे अल्पसंख्यक अधिकारी हैं, उनको हमने यह कहा है, निर्देश दिये हैं कि ज़िले के अन्दर जहां-जहां ऐसे मदरसे हैं, जहां शून्य नामांकन है, डी-रजिस्टर्ड हो गये हैं, उनकी आप लिस्टिंग करके, उनका हम जरूर जिले के अन्दर समायोजन करेंगे।

श्री अमीन खां (शिव): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अलाउ नहीं। अमीन साहब, बैठें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): मेरे यहां से 45 आदमियों ने थ्रू प्रोपर चैनल एप्लाई किया हुआ है। वे पात्र हैं वहां वेकेन्सी भी है, एप्लाई भी हुआ है, तो उनका निस्तारण कब तक करेंगे? मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में मुख्य मंत्री जी ने बजट घोषणा, बिन्दु संख्या 247 में कहा है कि जो संविदा कर्मी हैं, उनकी समस्याओं के समाधान एवं उनके हितों की रक्षा करने के लिए, अलग से सेवा नियम बनाने की घोषणा की है। जैसे ही संविदा कर्मियों के बजट के बाद सेवा नियम बन जाएंगे, उसके आधार पर हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, उनका सीधा प्रश्न है कि उनकी वेकेन्सी है, एप्लीकेशन दे रखी है, आपके क्राइटेरिया में आते हैं तो उनको वहां कर दो, क्राइटेरिया में नहीं आते हैं तो यह बात करो, उनका सीधा प्रश्न है। पैराटीचर्स बेसिकली उस पंचायत के लिए होते हैं। आपका प्रश्न है, जब पैराटीचर्स में आपका कैडर नहीं है, आप मानवीय आधार पर ट्रांसफर करते हैं, इनके यहां से एप्लीकेशन दे रखी है, मानवीय आधार पर आपके कंसीडरेशन में आती हैं, उतना ट्रांसफर करके, उनकी जगह भरने का काम करें।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दिये हैं, इस पर हम जरूर सहानुभूति से कार्य करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। हमीर सिंह भायल।

सिवाना के नवसृजित राजस्व गांवों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना

170. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के खण्ड सिणधरी को दो खण्डों में तथा सिवाना को एक ही खण्ड में विभाजित करने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से परेशानियों का सामना करना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार समदड़ी खण्ड को पृथक करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या सरकार पंचायत समितिवार महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी का कार्यालय खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान में उक्त क्षेत्र में आवश्यकता के अनुसार नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलना प्रस्तावित है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सिवाना मे कितने एवं कहां-कहां खोले जाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार नवसृजित सभी राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) खण्ड विभाजन/सृजन का कार्य इस विभाग द्वारा नहीं किया जाकर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग स्तर से किया जाता है।

ग्राम पंचायत एवं पंचायत समितियों के पुनर्गठन व नव सृजन हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति के निर्णयानुसार पंचायत समिति गुढ़ामालानी व सिणधरी का पुनर्गठन कर नई पंचायत समिति आडेल व पायलाकलां का गठन किया गया है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग स्तर से वर्तमान में पंचायत समिति समदड़ी का पुनर्गठन किये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(2) भारत सरकार के स्तर से ही बाल विकास परियोजना की स्वीकृति

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

जारी की जाती है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009-10 के बाद कोई नवीन बाल विकास परियोजना की स्वीकृति जारी नहीं की गयी है। भारत सरकार के स्तर पर नवीन बाल विकास परियोजनाओं के स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने की स्थिति में ही इस हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही की जा सकती है।

(3) भारत सरकार के स्तर पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्थिति में भारत सरकार के निर्देशानुसार नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक है।

भारत सरकार स्तर से नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्थिति में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों के क्रम में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति के बाबत अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है।

(4) नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र प्रस्तावित आंगनबाड़ी केन्द्र की जनसंख्या के मानकों के आधार पर खोले जाते हैं, न कि राजस्व ग्राम के आधार पर।

भारत सरकार के स्तर पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्थिति में निर्धारित मापदण्डों के दृष्टिगत नवसृजित राजस्व ग्रामों में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकती है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि आपके विभाग, खण्ड एक के जो खण्डों के विभाजन के लिए ग्रामीण विकास पंचायती राज द्वारा किया जाना बताया है, तो इसका मापदण्ड क्या है, क्योंकि आपका विभाग और पंचायत विभाग अलग -अलग हैं तो इसमें क्या विभाग पंचायती राज ही मानेंगे?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप आई.सी.डी.एस. का प्रश्न पूछ रहे हैं और पंचायती राज पर जा रहे हैं। इन्होंने तो कलेक्ट करके आपको इन्फोर्मेशन दी है। यह मंत्रीजी के उसमें नहीं है।

अगला प्रश्न। श्री रामलाल मीणा।

जनजाति क्षेत्र में स्वच्छ परियोजना के तहत स्वीकृत कार्य

171. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(श्री रामलाल मीणा)

सरकार द्वारा जनजाति क्षेत्र में स्वच्छ परियोजना के किस-किस कार्य के पेटे कितनी-कितनी राशि वर्ष 2019 से अब तक स्वीकृत की गयी? उक्त सभी कार्यों के निर्माण में किस प्रक्रिया को अपनाया गया है? उक्त परियोजना के तहत अब तक कितने कार्यों की निविदा की गयी? उक्त निविदा में कितनी फर्मों ने भाग लिया और किस-किस कार्य की क्या-क्या दर व किस-किस फर्म के नाम उक्त कार्यों के कार्यदेश जारी हुए? उक्त में अपनाई गई प्रक्रिया से सम्बन्धित प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): सरकार द्वारा स्वच्छ परियोजना को वर्ष 2019 से अब तक दी गयी राशि का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

निर्माण के कार्यों में ई-टेंडर प्रक्रिया अपनाई गयी है। परियोजना के तहत अभी तक टर्नकी बेसिस के आधार पर उदयपुर/डूंगरपुर/बांसवाड़ा/प्रतापगढ़/ आबूरोड क्षेत्र के निर्माण कार्यों एवं आधारभूत संरचनाओं हेतु ई-टेंडर 09/2019-20 की प्रक्रिया अपनाई गयी है। जयपुर/दौसा/टोंक/सवाई माधोपुर/कोटा/बारां जिलों के निर्माण कार्यों हेतु ई-टेंडर 11/2019-20 द्वारा उक्त टेंडर प्रक्रिया अपनाकर कार्य करवाया जा रहा है। सौर ऊर्जा आधारित सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना हेतु ई-निविदा संख्या 01/2020-21 जारी की गयी है। ई-निविदा में भाग लेने वाले फर्म एवं कार्यादेश की प्रति एवं अन्य सम्बन्धित का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): यह टर्नकी बेसिस किस विभाग की बी.एस.आर. दर से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। मंत्रीजी बैठें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): टर्नकी बेसिस पर जो विभाग द्वारा टेंडरिंग की गयी है, वह किस विभाग की बी.एस.आर. दर से की गयी है? संस्थान ने टेंडर किये तथा इसकी सीलिंग दर क्या थी और ये टेंडर 9.61 और 7.61 अबव रेट पर गये तो क्या विभाग द्वारा इस पर नेगोशिएशन की कार्यवाही की गयी?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये ई-टेंडरिंग रेट कांट्रेक्ट दो साल के लिए की गयी

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

है। नेगोसिएशन के लिए भी माननीय सदस्य को इसमें पत्रावली पेश की गयी है। उसमें भी दो साल तक उस कम्पनी को, इसी रेट पर इसके सारे काम करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से निविदा की गयी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कोई प्रश्न?

अगला प्रश्न। श्री संदीप कुमार।

तिजारा की औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय को रोजगार हेतु कमेटी का गठन

172. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र तिजारा के औद्योगिक क्षेत्र चौपानकी, खुशखेड़ा व भिवाड़ी से आये दिन स्थानीय कामगारों को बिना किसी प्रकार की सूचना दिये इकाइयों से निकाल दिया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी इकाइयों पर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने ऐसी किसी कमेटी का गठन कर रखा है, जो स्थानीय लोगों को औद्योगिक इकाइयों में रोजगार देने का कार्य करती हो? यदि हां, तो प्रदेश भर में ऐसी कितनी कमेटियां कहां-कहां संचालित हैं एवं कितने कार्यकर्ता कार्यरत हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त कमेटी गठित करने का विचार रखती है जो स्थानीय लोगों को रोजगार देने का कार्य करे? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री टीकाराम जूली): (1) श्रम कानूनों में बिना किसी प्रकार की सूचना दिये औद्योगिक इकाइयों से निकाले जाने का कोई प्रावधान नहीं है। तथापि किसी कर्मकार को निकाले जाने की शिकायत प्राप्त होने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अनुसार दोनों पक्षों के मध्य वार्ता आयोजित की जाती है। वार्ता असफल घोषित होने पर प्राप्त शिकायत को विवाद घोषित कर प्रावधानों के अनुसार वाद को न्यायिक प्रक्रिया हेतु श्रम न्यायालय को प्रेषित किया जाता है।

उक्त अधिनियम के तहत तिजारा विधान सभा क्षेत्र में की गयी कार्यवाहियों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, श्रम)

(2) जी नहीं। श्रम अधिनियमों में प्रावधान नहीं होने के कारण इस प्रकार की कोई कमेटी का गठन नहीं किया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संदीप कुमार (तिजारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि खण्ड एक में आपने जो सूची दी है, इसमें सभी में है, वार्ता जारी है तो इसमें निस्तारण की कोई समय-सीमा होती है या नहीं होती है और इनको सुनने के लिए कौन लोग होते हैं, जो इनके बारे में, जो शिकायतकर्ता की बात को सुनते हैं, उसमें कौन-कौन लोग शामिल होते हैं?

दूसरा, खण्ड दो में आपने कहा है कि कमेटी का गठन नहीं होता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब साढ़े चार हजार इंडस्ट्रीज हैं। उनमें बार-बार शिकायतें आती हैं। श्रीराम पिस्टन, डाइकोन और होंडा में काफी बड़ी संख्या में मजदूरों को निकाला गया था। माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि वहां पर साढ़े चार हजार फैक्ट्रियां हैं, वहां पर भी कोई ऐसी कमेटी का गठन करें, अधिकारी बैठें जो उनकी बात को सुन सकें और उनका त्वरित निस्तारण हो सके। जिला हैड क्वार्टर से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): मेरा प्रश्न यही है, साहब, कि एक तो इसमें समय अवधि कितनी होती है? इसमें सभी में है कि वार्ता जारी है, तो कितनी समयावधि में उसका निस्तारण कर दिया जाता है? दूसरा, मेरा निवेदन था कि वहां पर कौन-कौन लोग उसमें शामिल होते हैं, कौन-कौन लोग बैठते हैं और क्या ब्लाक स्तर पर भी इस तरह की कोई समिति या बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से कोई समिति या अधिकारी बैठाने का विचार है?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि वार्ता जारी है, क्योंकि ये सारे प्रकरण इसी वर्ष के हैं। दूसरा, मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर किसी कम्पनी के अन्दर विवाद होता है तो हमारा विभाग कम्पनी और मजदूरों के बीच में वार्ता कराता है। इसके अन्दर 45 दिन का समय मिनिमम रहता है। 45 दिन के बाद में अगर मजदूर चाहे तो हमारे विभाग में एप्लीकेशन देकर वह उस केस को श्रम न्यायालय के अन्दर ट्रांसफर करा सकता है। 45 दिन की उसके अन्दर समय सीमा है। विभाग के श्रम निरीक्षक से लेकर श्रम आयुक्त स्तर तक सभी अधिकारी इसकी सुनवाई कर सकते हैं, आपका जो पहला क्वेश्चन था।

(श्री टीकाराम जूली)

दूसरा आपने कहा कि ब्लाक स्तर पर इस प्रकार की कोई कमेटी अधिकारियों की, तो वह निश्चित तौर पर भिवाड़ी बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, और अभी वहां पर कारखाना एवं बायलर्स विभाग का आफिस जरूर है, लेकिन श्रम विभाग का वहां पर कार्यालय नहीं है। मैं आने वाले समय में पूरा प्रयास करूंगा कि भिवाड़ी के अन्दर एक लेबर आफिस हमारा खुले। जब तक नहीं खुलता है, तब तक व्यवस्था के रूप में मेरे विभाग का एक इंस्पेक्टर लगातार वहां भिवाड़ी में बैठेगा और श्रमिकों की समस्याएं सुनेगा। यह मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती इन्द्रा।

सवाई माधोपुर के संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

173. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सवाई माधोपुर में संस्कृत शिक्षा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त रिक्त पदों को अब तक नहीं भरने के क्या कारण हैं और अब कब तक उक्त रिक्त पदों को भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिले में संस्कृत शिक्षा के ऐसे कौन-कौनसे राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जो बिना शिक्षक अथवा एकल शिक्षक के सहारे चल रहे हैं? विधान सभा क्षेत्रवार पृथक-पृथक सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त विद्यालय बंद होने के कगार पर हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) सवाई माधोपुर जिले में संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत राजकीय मिडल विद्यालयों में शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट “1” पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

(2) अध्यापक लेवल-II (गणित, विज्ञान, अंग्रेजी) के 571 पद विज्ञापित किये गये थे। इन पदों पर दी गयी नियुक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

	गणित - विज्ञान		अंग्रेजी	
	NON TSP	TSP	NON TSP	TSP
विज्ञापित पद	429	51	75	16
आमंत्रित डेढ़ गुना	643	77	114	26
उपस्थित	446	19	15	03
नियुक्त	408	16	10	02
अपात्र अथवा वर्ग विशेष में आर्थिक आमंत्रित	38	03	05	01

(3) उक्त जिले में संस्कृत शिक्षा का कोई भी विद्यालय बिना शिक्षक अथवा एकल शिक्षक के सहारे नहीं चल रहा है।

(4) उक्त जिले में बिना शिक्षक अथवा एकल शिक्षक के अभाव में कोई भी विद्यालय बंद होने के कगार पर नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहेंगे कि क्रम संख्या 2, जो पाइंट हमने पूछा है कि जिले के अन्दर रिक्त पद हैं, वे कब तक भरे जाएंगे और इनके नहीं भरने का, खाली रहने का कारण क्या है? जबकि आपने यह जो सारणी दी है, यह हमारे प्रश्न का जवाब नहीं है। इसमें गणित और विज्ञान की जो आपने लिस्ट दी है, इसमें पूरे के पूरे जिले के पद, सारे सम्पूर्ण खाली हैं। इनको कब तक भरेंगे? मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पूरी सारणी आपको दी गयी है। हालांकि इनके विज्ञान-गणित में कुछ पद खाली हैं। अभी भी भर्ती की गयी है। आपका क्षेत्र सबसे भाग्यशाली क्षेत्र है, जिसमें टोटल पद जो शिक्षकों के खाली हैं, 82 हैं, पूरे सवाई माधोपुर जिले की बात कर रहा हूं, जिसमें से 75 कार्य कर रहे हैं, और केवल रिक्त 7 पद हैं।

(डा. सुभाष गर्ग)

मैं बामनवास का बताना चाहूंगा। सर, कुछ स्वीकृत पद, रिवाली में जैसे 5 हैं, कार्यरत 5 हैं; बामनवास, धौलादाता में 5 पद स्वीकृत हैं, 3 कार्यरत हैं, 2 खाली हैं; नडरी में 5 स्वीकृत हैं, 5 काम कर रहे हैं; ढाणी धेरा में 6 स्वीकृत हैं, 5 काम कर रहे हैं; बौंली में 6 स्वीकृत हैं, 6 काम कर रहे हैं; रेगरों की ढाणी, कोलाड़ा में 6 स्वीकृत हैं और 4 काम कर रहे हैं। फिर भी निश्चित रूप से वह प्रक्रिया चल रही है और उसके तहत जैसे ही आएंगे, आपके पद उसमें भर दिये जाएंगे।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने यह पूछा है कि गणित के पूरे के पूरे पद खाली हैं, पूरे जिले के अन्दर एक भी भरा हुआ नहीं है। विज्ञान के भी कुछ पद खाली हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण सब्जैक्ट्स हैं, इन पदों को भरा जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बिलकुल निश्चित रूप से इस समस्या से हम भी, पूरा संस्कृत विभाग पीड़ित है। उसका कारण यह है कि जब सामान्य शिक्षा में भर्ती होती है और संस्कृत शिक्षा में भर्ती होती है तो ज्यादातर लोग, हमारे संस्कृत शिक्षा में चयनित वाले लोग सामान्य शिक्षा में चले जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे गणित और विज्ञान का बता रहा हूं, 429 नोन टी.एस.पी. में विज्ञापित किये गये थे और डेढ़ गुना एप्लीकेशन हमने आमंत्रित भी की हैं, उसके बाद भी केवल 408 लोगों ने ही ज्वाइन किया, जिनको दिया गया। इसी तरह से अंग्रेजी में 75 पद विज्ञापित किये थे, केवल 10 लोग आये, नियुक्त हुए हैं तो आपकी भावना से हम बिलकुल अवगत हैं। इसके तहत मैंने यह चर्चा भी की है कि किस तरह से इस समस्या का समाधान किया जाए, जिससे कि सामान्य शिक्षा में जैसे ही चयन होता है तो वह संस्कृत शिक्षा में भी चयन होने पर सामान्य शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, यह प्रोब्लम है, सर।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मदन प्रजापत।

पाली, जोधपुर व बालोतरा के अपशिष्ट पानी को कच्छ के रण में छोड़ने की योजना

174. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री मदन प्रजापत)

क्या यह सही है कि बालोतरा सहित पश्चिमी राजस्थान के कपड़ा उद्योगों की इकाइयों से निकलने वाले रसायनयुक्त अपशिष्ट पानी पर सरकार या सम्बन्धित ट्रीटमेन्ट प्लांट मैनेजमेंट द्वारा प्रतिवर्ष अत्यधिक राशि व्यय करनी पड़ रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार पाली, जोधपुर, बालोतरा के रसायनयुक्त अपशिष्ट पानी को पाइप लाइन के माध्यम से कच्छ के रण में प्रवाहित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): जी हां। बालोतरा जल प्रदूषण नियंत्रण उपचार एवं अनुसंधान फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2018-19 के दौरान 27.57 करोड़, वर्ष 2019-20 के दौरान 27.35 करोड़ एवं 2020-21 (माह जनवरी तक) 19.82 करोड़ की राशि व्यय की गयी है।

पाली, जोधपुर एवं बालोतरा के रसायनयुक्त अपशिष्ट पानी के उपचारोपरांत कच्छ के रण में पाइप लाइन के माध्यम से प्रवाहित करने सम्बन्धित कोई प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल में विचाराधीन नहीं है। अपितु, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का प्रयास है कि उपचारित उच्छिष्ट का R.O. प्लांट में अग्रिम उपचार के पश्चात्, उद्योगों द्वारा ही प्रक्रिया में पुन:चक्रण किया जाये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सिम्पल-सा एक ही सवाल है कि अभी फिलहाल आर.ओ. के माध्यम से पानी साफ करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें इतनी कोस्ट आती है कि करोड़ों रुपये लगते हैं और गुजरात से मुकाबला अपन नहीं कर सकते। मेरा यह सुझाव है कि पाली, बालोतरा और जोधपुर, इनका पाइप लाइन के द्वारा प्लान बनाकर, हमारा कपड़े का व्यापार तीन गुना बढ़ जाएगा और मुकाबला भी हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): इसका प्लान है या नहीं है? और मरु-गंगा भी साफ हो जाएगी, एन.जी.टी. की पालना भी हो जाएगी। पाइप लाइन के लिए प्लान बनाने का मन है या नहीं है? यह बताएं।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह का, मैंने यह पहले भी बताया कि कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। पाली, बालोतरा, जालौर में यहां पर जो समस्या है, उसके लिए अभी नई RIPS पालिसी लाये हैं, उसमें ZLD, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज करके उस पानी को पुन:

(श्री परसादी लाल)

फिल्टर करके उसी इंडस्ट्रीज में काम लिया जाए तो बाहर भेजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 2019 की जो RIPS पालिसी है, उसमें इसको समायोजित कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नारायण बेनीवाल।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): मेरा यह कहना है कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। आपका अच्छा विचार है, प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, भाषण दें, जब देना।

इलेक्ट्रोपेथी बोर्ड का गठन

175. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड के गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो, कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या उक्त बोर्ड के गठन के लिए अध्यक्ष व सदस्यों का चुनाव करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो उक्त समिति के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इलेक्ट्रोपैथी एक्ट बनने से पूर्व प्रदेश में कितने इलेक्ट्रोपैथी संस्थानों द्वारा इलेक्ट्रोपैथी पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त बोर्ड के गठन में हो रहे विलम्ब के कारण से प्रदेश में इलेक्ट्रोपैथी पाठ्यक्रम बंद है? यदि हां, तो कब से?

आयुर्वेद मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) Rajasthan Electropathy System of Medicine Act, 2018 के अन्तर्गत राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा बोर्ड के प्रथम गठन हेतु अध्यक्ष एवं सदस्यों के मनोनयन के सम्बन्ध में (वर्तमान में प्रासंगिकता, उपादेयता, विधि मान्य संबद्ध विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों की विद्यमानता, लाभार्थी समूह, औषधियों की उपलब्धता, विधिक राय आदि का गुणावगुण के आधार पर) समालोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करने हेतु निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन विभागीय आदेश क्रमांक प.2(15) आयु/2005 पार्ट, दिनांक 03.06.2020 द्वारा किया गया है। उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त अग्रिम निर्णय लिया जा सकेगा।

(आयुर्वेद मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) Rajasthan Electropathy System of Medicine Act, 2018, दिनांक 11 अप्रैल 2018 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। अत इस एक्ट के पारित होने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा उक्त सूचना संधारित नहीं की गयी।

(4) वर्तमान में Rajasthan Electropathy System of Medicine Act, 2018 के अन्तर्गत इलेक्ट्रोपैथी पाठ्यक्रम संचालन हेतु कोई संस्था अधिसूचित/संबद्धता प्राप्त नहीं है।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगा कि क्या यह समिति अध्यक्ष एवं सदस्यों के मनोनयन की प्रासंगिकता एवं उपादेयता की जांच कर सकती है? जैसा कि आदेश से परिलक्षित हो रहा है कि यहां विधान सभा में सर्व-सम्मति से पारित एक्ट के प्रावधान पर ही प्रश्न खड़ा किया जाना सर्वथा अनुचित और सदन का अपमान नहीं है? क्या इस विभागीय समिति का यह कार्य क्षेत्र हो सकता है?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने अपने अंतिम वर्ष में 11 अप्रैल, 2018 को इस विधान सभा में यह एक्ट पारित किया। एक्ट पारित होने के बाद जब यह चुनाव की अधिसूचना जारी हुई 06 अक्टूबर, 2018 को तो इन्होंने बैक डेट में 05 अक्टूबर, 2018 को सिर्फ नोटशीट पर अध्यक्ष और छह सदस्यों के मनोनयन का प्रोसेस शुरू किया। गठन ये भी नहीं कर पाए। अगर इनकी भावना थी कि इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड बनाया जाए तो फिर अप्रैल में जो एक्ट पारित हो गया, यह अक्टूबर में जब अधिसूचना जारी हुई, तब तक ये खामोश क्यों बैठे रहे? माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात यह है कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बात तो सुन लें, तकलीफ क्या है?

यह सिस्टम, इलेक्ट्रोपैथी का सिस्टम, यह अभी भारत सरकार के द्वारा भी रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। पूरे हिन्दुस्तान में किसी राज्य में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। भारत सरकार ने वर्ष 2016 में एक कमेटी बनाई, यह उसका आर्डर है। उसके सदस्य भी बने और उसका परपज था - Constitution of an

(श्री रघु शर्मा)

Inter-Departmental Committee (IDC) for identifying viable new systems of medicine/therapy. अब यह जो कमेटी बनी है, इस कमेटी की पांच बैठकें तो इलेक्ट्रोपैथी के बारे में अब तक हो चुकी हैं। 09.01.2018 को हो गयी, 27.05.2019 को हो गयी, 16.12.2019 को हो गयी, 07.11.2020 को हो गयी और 11.01.2021 को हो गयी। यह जो इलेक्ट्रोपैथी के बारे में इन्होंने जो मीटिंग्स की हैं, भारत सरकार के स्तर पर उसमें viability, authentic and scientific information और डाटा के बारे में इन्होंने बात की है। इन्होंने properly compiled - detailed clinical data to establish the efficacy, efficiency or electropathy treatment और एक common standard pharmacopoeia of manufacture of medicine of publication in reputed scientific national or international journal's. तमाम चीजों पर ये विचार कर रहे हैं। अभी तो कोई चीज फाइनल नहीं हुई है और माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है कि जब इस पैथी के बारे में जानकारी ही नहीं है, ये खुद बता दें कि यह पैथी है क्या और क्यों इस बोर्ड का गठन किया गया है? हमने फिर भी डाइरेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी दो मीटिंग्स हो चुकी हैं और रिपोर्ट का हम इंतजार कर रहे हैं, रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद में बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष: कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं मंत्री महोदय से केवल यह जानकारी करना चाहता हूं कि यह इलेक्ट्रोपैथी एक्ट जो बनाया है, वह अप्रैल, 2018 में बना और सरकार का जो चुनाव था वह दिसम्बर में जाकर पूरा हुआ और आठवें महीने में इसका रजिस्ट्रार जो है, वह भी एक ललित कुमार दाधीच को बना दिया गया था। आप तो केवल इतना ही बता दो कि इस पद्धति को, इस एक्ट को बनाने के बाद राजस्थान में कितनी संस्थाएं कार्यरत होना शुरू हो गयीं, जहां पर यह क्लासेज चल रही हैं, प्रशिक्षण चल रहा है? आपके एक्ट बनने के बाद और आपका रजिस्ट्रार लग जाने के बाद अब उन बच्चों का क्या होगा अगर आप इस पर आगे नहीं बढ़ेंगे तो?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने मूल प्रश्न के जवाब में भी यह कहा था कि इस एक्ट के पारित होने के पूर्व में भी राज्य सरकार द्वारा कोई सूचना संधारित नहीं की गयी थी और

(श्री रघु शर्मा)

इसके बनने के बाद भी आज तक इस सम्बद्धता के प्राप्त चाहे कोई कोर्स हो या चाहे कालेज हो, कोई सूचना संधारित नहीं है। जहां तक प्राइवेट सैक्टर की बात कर रहे हो, मैंने यह नैट से निकाला है। ये करीब छह संस्थान काम कर हैं जिनको किसी ने भी मान्यता नहीं दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मान्यता ही नहीं दी है तो हम किस आधार पर आगे बढ़ें, यह हमारे लिए एक प्रश्न चिन्ह है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुमित गोदारा।

कंवरसेन लिफ्ट परियोजना के पम्पिंग स्टेशनों का संचालन

176. श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): क्या इंदिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कंवरसेन लिफ्ट परियोजना में कितने स्थानों पर पम्पिंग स्टेशन है?

(2) उक्त पम्पिंग स्टेशनों पर कितनी मोटर व पम्प कब से लगे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि लम्बे समय से मोटर व पम्प में निरन्तर तकनीकी खराबी आती रहती है जिसके कारण क्षेत्र के किसानों को समय पर पानी उपलब्ध नहीं होता है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार निजी कम्पनी से पम्पिंग स्टेशन का संचालन करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

इन्दिरा गांधी नहर मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) कंवरसेन लिफ्ट नहर परियोजना पर निम्न चार स्थानों पर पम्पिंग स्टेशन हैं:-

क्रम संख्या	**स्थान**	**बुर्जी**
1	राजियासर	63
2	मलकीसर	227
3	खारा	459.1
4	हुसनसर	481.6

(2) 1. राजियासर पम्पिंग स्टेशन पर कुल 10 पम्पिंग यूनिट हैं।

2. मलकीसर पम्पिंग स्टेशन पर कुल 8 पम्पिंग यूनिट हैं।

3. खारा पम्पिंग स्टेशन पर 6 पम्पिंग यूनिट हैं।

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

4. हुसनसर पम्पिंग स्टेशन पर 5 पम्पिंग यूनिट हैं।

उपरोक्त सभी पम्पिंग स्टेशनों में मोटर पम्पों की स्थापना तिथि दर्शाते हुए सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) मोटर-पम्प यांत्रिक मशीनें हैं, जिनके पुराने होने व निरन्तर चलने के कारण इनमें खराबी आने पर उपलब्ध संसाधनों से आवश्यकतानुसार तकनीकी खराबी को दुरुस्त किया जाता है। यांत्रिक उपकरणों की खराबी तथा विद्युत आपूर्ति में होने वाले व्यवधानों से पानी की पम्पिंग बाधित हो जाती है। वर्ष 2021-22 में कंवरसेन लिफ्ट नहर में मशीनरी और साज-सामान/ औजार एवं संयंत्र बजट मद में कुल रुपये 656 लाख का प्रावधान रखा गया है, जिससे पम्प मोटरों की मरम्मत का कार्य करवाया जाएगा।

(4) ESCO Model के आधार पर पम्पिंग स्टेशनों के रख-रखाव व संचालन हेतु निविदा प्रपत्र तैयार किया गया है, जिसमें विद्युत खर्च में बचत कर संवेदक उक्त पम्पिंग स्टेशनों का संचालन एवं रखरखाव करेगा। निविदा प्रपत्र को अन्य राज्यों में इस प्रकार की प्रणाली से तुलना कर अंतिम रूप दिया जाएगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जब आप खुद ही जवाब दे रहे हैं कि मोटर पम्प पुरानी है, तकनीकी खराबी होने के कारण पानी की सप्लाई बाधित होती है और आपने जवाब में बताया कि मोटर और पम्प ज्यादातर 1975-76 के लगे हुए हैं। जब हम जन्मे थे, तब के मोटर और पम्प काम कर रहे हैं। आज टैक्नोलोजी बदल चुकी, समय बदल चुका और आपका विभाग खुद मानता है कि 15 प्रतिशत पानी का लोस इसकी वजह से है। नहर से किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा है और पानी की आपूर्ति बाधित हो रही है। वहां जो सारे पम्प गले हुए हैं, जंग लग चुके हैं, क्या आप उनको इसी साल में बदलने का विचार रखते हैं? आप यह जवाब दीजिए कि क्या आप मोटर-पम्प सारे नये लगाने का विचार रखते हैं? दूसरा, मेरा प्रश्न यह है कि Esco मॉडल एनर्जी सेविंग कम्पनी के द्वारा यह प्रस्ताव दो साल से मुख्य मंत्री कार्यालय में पड़ा हुआ है कि प्राइवेट कम्पनी, जो संवेदक है, वह खुद कह रहा है कि इसका बिजली का बिल साल का 40 करोड़ का आता है, वह 35-36 करोड़ में

(श्री सुमित गोदारा)

सारे नये मोटर-पम्प लगाकर लाइट 24 घंटे दें, जिससे किसानों को सुविधा मिले।(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछिए।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): मेरा प्रश्न यह है कि आप Esco माडल को इम्प्लीमेंट करोगे? जो टेंडर पहले आपने काल किया, फिर उसको कैंसिल किया? दूसरा प्रश्न यह है कि सारे नये मोटर-पम्प लगाकर आप किसान हितैषी होने की जो बात करते हो, उसको साकार करोगे?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): किसान हितैषी तो हैं और बात भी करेंगे, क्योंकि किसान हैं, लेकिन जहां तक पम्पों को बदलने का काम है, अभी तक पम्प ज्यादा खराब नहीं हुए हैं और 6 करोड़ का प्रावधान इस साल कर दिया है। जब भी मोटर खराब होगी, तुरन्त बदल दी जाएगी और उस मॉडल पर काम किया जा रहा है, पी.एच.ई.डी. में जो मॉडल है, उसके आधार पर विवेचन किया जा रहा है और अन्य राज्यों से तुलना करके उसको भी लागू किया जाएगा, लेकिन पानी बाधित नहीं होने दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। जगसी राम।

जवाबदेही कानून बनाने की कार्ययोजना

177. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या जन अभाव अभियोग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में जवाबदेही कानून के अभाव में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों की निरंकुशता, लापरवाही, भ्रष्टाचार की मंशा से राजकार्य जानबूझकर लम्बित रखने की प्रवृत्ति का खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्मिकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर आम आदमी को राहत देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि जवाबदेही कानून बनाने में जानबूझकर विलम्ब किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन दोषी है? सरकार विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या सरकार प्रदेश में जवाबदेही कानून बनाकर लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

जन अभाव अभियोग मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जी नहीं। राज्य

(जन अभाव अभियोग मंत्री)

सरकार द्वारा राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 एवं राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 के तहत आमजन को अधिसूचित लोक सेवाएं निर्धारित समयावधि में समयबद्ध रूप से उपलब्ध करवायी जाती हैं। अधिसूचित समय सीमा में सेवा उपलब्ध न होने पर अधिनियम के तहत प्रथम एवं द्वितीय अपील तथा शास्ति अधिरोपण का प्रावधान है।

(2) जी नहीं। वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा संख्या 180 के क्रम में प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग द्वारा श्री रामलुभाया, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा राजस्थान पारदर्शिता एवं जवाबदेही बिल का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है। इसके व्यावहारिक क्रियान्वयन की रूपरेखा पर विचार हेतु अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की कन्वीनरशिप में दिनांक 28-02-2020 को समिति गठित की गयी है। समिति द्वारा कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) यह नीतिगत विषय होने से विभाग द्वारा प्रकरण का परीक्षण करवाया जा रहा है।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, पहली बात तो यह कि जवाबदेही कानून बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपने कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की तो क्या सरकार ने संविदाकर्मियों का नियमितीकरण कर दिया? कर्मचारियों के वेतन-विसंगतियों का समाधान हो गया क्या? तीसरा प्रश्न यह है कि गरीब छात्राओं को मैरिट के आधार पर राजस्थान में जो स्कूटी का वितरण किया गया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी कमेटी काम कर रही है, यह प्रश्न कहां से पूछ रहे हैं? कमेटी अभी तो बनी, कमेटी आगे काम कर रही है।

श्री जगसी राम (रेवदर): इन्होंने सब कानून बनाये हैं, इसीलिए मैं पूछना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: अभी कानून बने ही कहां हैं? कानून नहीं बना है। कानून बनेगा, तब प्रश्न उठेगा।

श्री जगसी राम (रेवदर): माननीय मंत्रीजी से यही जानना चाहूंगा कि यह कानून कब तक बनाएंगे? यह आप जवाब दें।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य को, जो मेरा मूल जवाब है, उसमें कहा है कि इस कानून के लिए हमने हमारे रामलुभाया जी, जो सेवानिवृत्त आई.ए.एस. हैं, उनकी अध्यक्षता में समिति गठित की है। उन्होंने लगभग अपना प्रारूप बना दिया है। इस कानून की व्यावहारिक रूपरेखा तैयार करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास पंचायती राज की कन्वीनरशिप में एक कमेटी है, वह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद बनाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्री विजयनगर ब्लाक में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय की स्थापना

178. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के श्री विजयनगर ब्लाक में बाल विकास परियोजना अधिकारी का कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व आशा सहयोगिनियों को नियमित रूप से मानदेय का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त पोषाहार वितरण के उपरान्त कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों व किशोरियों की पहचान की गयी है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की कौन-कौन सी ग्राम पंचायत में कितने-कितने किशोरी व बच्चे चिन्हित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) ब्लाक विजयनगर क्षेत्र बाल विकास परियोजना अनूपगढ़-विजयनगर (मुख्यालय अनूपगढ़) में समाहित है।

(2) जी हां। मानदेयकर्मियों को नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। नियमित भुगतान हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया जाता रहा है। निर्देशों/आदेशों की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

(3) विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर की ग्राम पंचायत में 597 कुपोषित, 3 अति कुपोषित बच्चों व शून्य किशोरी बालिकाएं चिन्हित की गयी हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार विजयनगर ब्लाक में नवीन परियोजना कार्यालय खोलने का विचार रखती है या नहीं? नहीं, तो नवीन कार्यालय खोलने के क्या मापदण्ड है?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में कुल 552 पंचायत समितियां हैं। पूर्व में 295 थीं, वर्ष 2018-19 में 57 नई सृजित की गयीं। आई.सी.डी.एस. की कुल परियोजनाएं 304 हैं। परियोजना एक लाख की आबादी पर खोली जाती है, लेकिन उसके अन्दर नियम हैं। नियम इस प्रकार हैं कि एक लाख की आबादी में 17 प्रतिशत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे होने चाहिए, 3 प्रतिशत एक वर्ष से कम आयु के होने चाहिए, 6 प्रतिशत एक से दो वर्ष की आयु के एवं 8 प्रतिशत 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे होने चाहिए। प्रथम तो यह है।

दूसरा इसके अन्दर है कि 15 से 45 वर्ष की बालिकाओं की व महिलाओं की संख्या 20 हजार अनुमानित हो तथा गर्भवती एवं धात्री माताओं की संख्या 4 हजार अनुमानित हो, तब नई परियोजनाएं खोली जाती हैं। ग्रामीण परियोजना में गांवों की संख्या 100 मानी जाती है। परियोजना खोलने की प्राथमिकता अगर वहां पर जनजाति बहुल क्षेत्र हो या अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र हो, या सूखाग्रस्त क्षेत्र हो, पिछड़ा क्षेत्र हो, पोषक तत्वों की कमी वाले क्षेत्र हों, या सामाजिक सेवाओं के विकास में कमी वाले क्षेत्र हों, प्रतिकूल पुरुष-महिला अनुपात अगर हो या बाल श्रम करने वाले जिले हों, सभी शहरी क्षेत्रों के वार्ड के चयन में इन क्षेत्रों को नई परियोजनाएं खोलने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। अगर मलीन बस्तियां होंगी या फिर अनुसूचित बहुल क्षेत्र होगा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदया से यही पूछना चाहूंगा कि विजयनगर ब्लाक में नया कार्यालय खोलने का विचार है या नहीं?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, 2009-10 के बाद में राजस्थान में नई परियोजनाएं नहीं

(श्रीमती ममता भूपेश)

खुली हैं। भारत सरकार ने नई परियोजनाओं की अनुमति नहीं दी है। फिर भी अगर माननीय सदस्य को लगता है तो हम प्रस्ताव बनाकर भेज देंगे। अगर भारत सरकार अनुमति देगी तो निश्चित तौर पर नई परियोजना खोली जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री नारायण सिंह देवल।

मौखातरा व तावीदर (रानीवाड़ा) में आवासीय विद्यालय खोलने की कार्ययोजना

179. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की अनुसूचित जनजाति बहुल नव सृजित ग्राम पंचायत मौखातरा एवं तावीदर में शिक्षा दर न्यून है एवं भील जनजाति की जनसंख्या ज्यादा है? यदि हां, तो क्या सरकार भील जनजाति के बालक व बालिकाओं को शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उक्त ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जालौर जिले के तहसील रानीवाड़ा की कुल जनसंख्या 2,06,831 है जिसमें से अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 31,937 है, जो कि कुल जनसंख्या का 15.44 प्रतिशत है। ग्राम पंचायत मौखातरा की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना) 3,643 हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1,502 है। मौखातरा ग्राम पंचायत की कुल साक्षरता दर 58.33 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 72.73 प्रतिशत व महिला साक्षरता दर 42.11 प्रतिशत है।

ग्राम पंचायत तावीदर की कुल जनसंख्या (वर्ष 2011 की जनगणना) 5,243 है जिसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1,613 है। तावीदर ग्राम पंचायत की कुल साक्षरता दर 43.01 प्रतिशत है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर 58.73 प्रतिशत व महिला साक्षरता दर 25.61 प्रतिशत है।

वर्तमान में रानीवाड़ा के मौखातरा एवं तावीदर में अनुसूचित जनजाति का आवासीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार परीक्षण कर बजट की उपलब्धता, कार्य की उपादेयता व क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्राथमिकता का निर्धारण कर उचित कार्यवाही की जाएगी।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया कि रानीवाड़ा तहसील की कुल जनसंख्या का 15.44 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति का है। विशेष बात यह है कि हमारे यहां अनुसूचित जनजाति में एक मात्र भील समाज रहता है, उसकी साक्षरता दर बहुत कम है। इस तथ्य को देखते हुए सरकार रानीवाड़ा तहसील में एसटी. के बालकों के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का विचार रखती है या नहीं?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, आवासीय विद्यालय के लिए भारत सरकार द्वारा नोर्म्स बने हुए हैं, उस ब्लाक में या तो 50 परसेंट की आबादी एस.टी. हो या 20 हजार से अधिक की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या हो। उसके बाद में ही भारत सरकार को प्रस्ताव जाएंगे, उसके बाद में खुलेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूंगा कि मेरे द्वारा जालौर का दौरा किया गया था, उसमें ट्रायबल के जितने भी जन प्रतिनिधि थे, प्रधान थे, सरपंच थे और आपके जिला प्रमुख जी भी थे, हमने आहोर के अन्दर 50 बच्चियों का हास्टल खोला है, वर्क आर्डर दे दिये है। हमने पैसा ट्रांसफर कर दिया है और वहां भवन निर्माण के पहले ही छात्रावास खोलने के लिए निर्देशित कर दिया है। उसमें अगर 50 बच्चियां हमको समय पर उपलब्ध हो जाएं तो उसके बारे में आगे भी हम सोचेंगे और शिक्षा के प्रति हम जागरूकता व्यक्त करते हुए जनजाति के लिए उसमें और जो भी स्टेप उठाने पड़ें, वे उठाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शोभारानी। नहीं, प्लीज, माननीय सदस्य। मैंने अगला माननीय सदस्य बुला लिया। (व्यवधान) Please, I'll not allow it.

प्रश्न संख्या 180

श्रीमती शोभारानी कुशवाह।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा।

पदमपुरा (बसेड़ी) में नवीन प्राथमिक संस्कृत विद्यालय की स्थापना

181. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जाटव बस्ती पदमपुरा में नया प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): वर्तमान में जाटव बस्ती पदमपुरा में नया प्राथमिक संस्कृत विद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी परमिशन से पूछना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में संस्कृत महाविद्यालय है, उसमें करीब 80 प्रतिशत पद रिक्त हैं, क्या उनको भरने का विचार रखते हैं?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि संस्कृत कालेज शिक्षा के नियम प्रक्रियाधीन चल रहे हैं। जैसे ही नियम तैयार हो जाएंगे, एप्रूव हो जाएंगे, उसकी रिक्त पदों की अर्थना आर.पी.एस.सी. को भिजवा दी जाएगी और चयनित होने पर वहां पद भर दिये जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप लाल भील।

गोगुन्दा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की कार्ययोजना

182. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के उप खण्ड मुख्यालय गोगुन्दा तथा अन्य बड़े कस्बों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 में पैरा संख्या 94 के तहत औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने से वंचित 147 उप खण्डों में चरणबद्ध रूप से औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाएंगे, जिनमें गोगुन्दा उप खण्ड भी सम्मिलित है। राज्य सरकार की घोषणा अनुसार प्रथम चरण में 64 उप खण्डों में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाने हैं, जिनमें गोगुन्दा उप खण्ड सम्मिलित नहीं है।

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगून्दा): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि आपने 64 उप खण्ड में प्रथम चरण में बताया, तो गोगुन्दा को कब तक सम्मिलित किया जाएगा और इसके लिए बजट का क्या प्रावधान रहेगा?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगले चरण में, अगली बजट घोषणा में गोगुन्दा को शामिल कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना

183. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला मुख्यालय बाड़मेर पर अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं हेतु सुपर स्पेशलिटी अस्पताल स्वीकृत करने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अस्पताल हेतु 100 बीघा जमीन भी आबंटित कर दी गयी है? यदि हां तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिला मुख्यालय पर चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ीकरण करने हेतु सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निर्माण हेतु बजट स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) माननीय मुख्य मंत्री महोदय के दिनांक 29.08.2019 को जिला बाड़मेर के भ्रमण के दौरान राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के निकट सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हेतु यू.आई.टी. की भूमि आरक्षित करने की घोषणा की गयी। प्रति परिशिष्ट “1” पर संलग्न है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट “2” पर संलग्न है।

(3) जिला चिकित्सालय, बाड़मेर में 126 करोड़ रुपये की लागत से 360 बैड क्षमता के चिकित्सालय भवन के निर्माण की इस वर्ष के बजट में घोषणा की गयी है। इस चिकित्सालय का निर्माण शीघ्र प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है। उक्त चिकित्सालय में ही सुपर स्पेशलिटी की आवश्यक आधारभूत सुविधाएं यथा ओ.टी. इत्यादि स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में ही कहा कि मेडिकल कालेज के लोकार्पण के समय 100 बीघा भूमि आबंटन करने के लिए, वह आबंटन भी हो चुका है, नामान्तरण भर चुका है और आपने उसमें कहा था कि सुपर स्पेशलिटी हास्पिटल खोलेंगे। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, मेरा प्रश्न है कि जब आपने 360 बैड्स के लिए 126 करोड़ सैंक्शन किये, उसमें ही आप कार्डियोलॉजी और...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, धन्यवाद दो, आपका सब काम हो गया, अब क्या बचा है, बैठो आप। अगला प्रश्न। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): साहब, धन्यवाद तो दे रहा हूं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। आप समझ ही नहीं रहे हैं, आपका सब काम हो गया, फिर भी धन्यवाद नहीं दे रहे। अगला प्रश्न। श्री रामस्वरूप लाम्बा।

अवधिपार ऋणी किसानों को फसली ऋण देने की कार्ययोजना

184. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की सहकारी समितियों में विगत दो वर्षों से किसानों को अवधिपार ऋणी बताकर फसली ऋण नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो जिला अजमेर में किस-किस सहकारी समिति में कितने किसानों को अवधिपार ऋणी घोषित किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों का फसली ऋण माफ करने के बाद जब किसानों पर किसी तरह का ऋण बकाया ही नहीं रहा है, तो फिर किसानों पर अवधिपार ऋणी की शर्त को क्यों लगाया जा रहा है? सरकार उक्त किसानों को पुन: फसली ऋण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी नहीं। राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिनांक 16.04.2020 से ऐसे अवधिपार ऋणियों को नियमानुसार पुनः ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिनकी अवधिपार राशि रुपये 5000.00 से कम थी तथा उनकी यह राशि ऋण माफी योजना,

(सहकारिता मंत्री)

2018 तथा 2019 में माफ हो चुकी है एवं वर्तमान में अब कोई राशि बकाया नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा ऋण माफियों की राशि सहकारी बैंकों को किश्तों में उपलब्ध करवाये जाने के फलस्वरूप सहकारी बैंकों के स्तर पर तरलता की कमी के दृष्टिगत बैंकों के पास उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों के मद्देनजर प्रथम चरण में अनावधिपार व नये कृषकों को ही ऋण वितरण किया गया था।

माह अगस्त, 2020 से ऐसे ऋणी, जो वर्तमान में अवधिपार श्रेणी में हैं तथा जिनका ऋण माफी योजना के अन्तर्गत ऋण माफ नहीं हुआ है, के सम्बन्ध में अवधिपार मूल राशि एवं ब्याज चुकारे की स्थिति में उक्त ऋणी को मूल राशि या अधिकतम साख सीमा, दोनों में से जो कम है, के बराबर ऋण दिया जा रहा है।

अजमेर जिले में अजमेर केन्द्रीय सहकारी बैंक से सम्बन्धित 13,889 अवधिपार कृषकों को पिछले दो सालों से अल्पकालीन फसली ऋण नहीं दिया गया, जिसकी समितिवार विगत परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) अल्पकालीन फसली ऋण चुकाने में बार-बार डिफाल्टर होने वाले किसानों के स्थान पर ऐसे नये किसान, जो अभी तक सहकारी ऋण प्रक्रिया से बाहर थे, को ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु उक्तानुसार व्यवस्था की गयी है। वित्त वर्ष 2019-20 में 9,71,507 नये किसानों को 2,026.58 करोड रुपये तथा वित्त वर्ष 2020-21 में अभी तक 3,64,982 नये किसानों को 646.86 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किये जा चुके हैं।

राज्य में लगातार दो ऋण माफियों के फलस्वरूप सहकारी बैंकों के स्तर पर उत्पन्न तरलता कमी के मद्देनजर प्रथम चरण में अनावधिपार व नये कृषकों को ऋण वितरण किया गया।

जी हां। सरकार अवधिपार ऋणी कृषकों को फिर से फसली ऋण देने का विचार रखती है। राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिनांक 16.04.2020 से ऐसे अवधिपार ऋणियों को नियमानुसार पुनः ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है, जिनकी अवधिपार राशि रुपये 5,000.00 से कम थी तथा उनकी यह राशि ऋण माफी योजना, 2018 अथवा 2019 में माफ हो चुकी है एवं वर्तमान में अब कोई राशि बकाया नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): अजमेर जिले में जो 13,889 अवधिपार कृषक हैं, क्या सरकार इनके लिए जमा करने की कोई योजना लेकर आ सकती है, जिससे इनको भी जो दो साल से ऋण उपलब्ध नहीं हो रहा है वह दुबारा ऋण चालू हो और इस योजना का ये भी फायदा उठाएं?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): सरकार इस मामले में विचार कर रही है और तरलता की उपलब्धता होने पर उन किसानों को, जो वंचित रह रहे हैं, उनको भी ऋण दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से आहोर में शंखवाली गांव के निवासी की हत्या करने वाले अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय मंत्री जी, प्लीज। मैं एक बार कह चुका हूं। रोज-रोज कहना मेरे लिए ठीक नहीं लगता है।

(2) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से राजस्थान से मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों में जाने वाले पशुपालकों की सुरक्षा व संरक्षण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री गोपीचन्द मीणा एवं 03 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की पदोन्नति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री सुभाष पूनिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ की जनता को शुद्ध पेयजल नहीं मिलने से आम जन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(5) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से बीकानेर में जिला कलेक्टर द्वारा डी.एल.सी. दरों का पुनर्निर्धारण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा डिस्ट्रिक्ट सेंटर हेतु अवाप्त की गई भूमि पर अवैध रूप से किये गये पक्के निर्माणों को नहीं हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना की पंचायत समिति अकलेरा व मनोहर थाना में महानरेगा में कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रक्रियाधीन भर्तियों में EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत के पश्चिमी गांवों में नियमित रूप से शुद्ध पेयजल की सप्लाई नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री नारायण बेनीवाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में पटवारियों के हड़ताल पर होने से किसानों को समर्थन मूल्य पर फसल बेचने में आ रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से प्रदेश में स्थानीय निवासियों को नौकरियों में हरियाणा सरकार की भांति 75 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिये जाने से प्रदेश के युवाओं में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(12) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से भोपाल सागर, कपासन, धमामा तथा डिण्डोली तालाब को भरने वाली बनास नदी की फीडर को मिट्टी से भर दिये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से प्रदेश में पटवारियों द्वारा अतिरिक्त चार्ज वाली ग्राम पंचायतों में कार्य नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा कोटा शहर में डाली जा रही सीवरेज पाइपलाइन सुरक्षा मापदंड और गुणवत्ता की नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश में नवीन नगरपालिकाओं के गठन के प्रस्ताव पर लगाई गई रोक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(16) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से जैतारण की ग्राम पंचायत झाला की चौकी में भूमाफियाओं द्वारा प्रशासन की मिलीभगत से राजकीय चिकित्सालय की जमीन पर अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री रामप्रताप कासनियां एवं 05 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की पंचायत समिति एवं नगरपालिका में वारिस प्रमाण पत्र नहीं बनने से आम जन को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(18) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से प्रदेश में केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अधिकारियों द्वारा बैंक से लिये गये ऋणों को जमा नहीं करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(19) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से पाली जिले के दयालपुरा गांव के निवासी की जघन्य हत्या करने वाले अपराधी को गिरफ्तार नहीं किये जाने से ग्रामीणों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(20) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से जालौर पुलिस थानान्तर्गत दलित युवती के साथ पुलिसकर्मी द्वारा बलात्कार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री अविनाश, श्री रामप्रताप कासनियां, श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, श्री ज्ञानचंद पारख एवं श्री संयम लोढ़ा को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती मनीषा पंवार, सदस्य की ओर से रावणा राजपूत जाति को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में राजस्व रिकार्ड में दर्ज असम्मानजनक शब्दों के स्थान पर रावणा राजपूत दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में।

 नि. 295 के अन्त. प्राप्त-04 मार्च 2021-विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(श्री अध्यक्ष)

(2) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले के महाविद्यालयों के व्याख्याताओं का नियम विरुद्ध अन्य जिलों में पदस्थापन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय नहीं होने से छात्राओं को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(4) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से राजकीय शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचशील नगर, अजमेर में विशेषज्ञ चिकित्सक, लैब टेक्निशियन आदि की नियुक्ति नहीं किये जाने से आम जन को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(5) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण पूर्ण होने के बावजूद इनका लाभ आम जन को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से नसीराबाद के श्रीनगर से अजमेर तक प्रस्तावित सड़क का नवीनीकरण एवं चौड़ाई बढ़ाये जाने का कार्य पूर्ण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से कृषि विभाग के 'राज किसान साथी' पोर्टल पर पंजीकृत आवेदनों पर किसानों को कृषि यंत्र/ उपकरण की खरीद हेतु प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से रोहट से जालौर वाया आहोर तक सड़क खराब होने के बावजूद तीन-तीन जगह टोल वसूलने से आम जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(9) श्री अमृत लाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में सड़कों का निर्माण कार्य कराए जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री बलजीत यादव, सदस्य की ओर से राजकीय चिकित्सालय बहरोड़ को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(12) श्री ओम प्रकाश हुड़ला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महुवा की ग्राम पंचायत गगवाना, बालाहेड़ी एवं टुडियान को पंचायत समिति महुवा में नहीं जोड़े जाने से स्थानीय निवासियों में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(13) श्री सतीश पूनियां, सदस्य की ओर से नगर निगम हैरिटेज क्षेत्र के जाजोलाई की तलाई के आसपास की ढाणियों में सड़कों का निर्माण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री कन्हैया लाल चौधरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में शामिल जातियों में समान रूप से आरक्षण का विभाजन किये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्रीमती सफिया जुबेर, सदस्य की ओर से अलवर जिले में महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री पदमाराम, सदस्य की ओर से प्रदेश में कार्यरत संविदा कर्मियों की वेतन वृद्धि एवं स्थायीकरण के नियम नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा होगी और माननीय मुख्य मंत्री जी व लीडर आफ अपोजिशन बोलेंगे, इसलिए माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना को पढ़ा हुआ माना जाएगा।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयीं विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट देखें)

एक सैकण्ड। माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि 5 बजे मुख्य मंत्री जी जवाब देंगे और 4 बजे प्रतिपक्ष के नेता अपनी बात कहेंगे। बाकी जो सदस्य हैं पक्ष और विपक्ष के, वह टाइम फ्रेम में जितने सदस्यों को बोलने का है, उनको ही बोलने का अवसर मिलेगा।

श्री अविनाश।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

झाला की चौकी (जैतारण) में भूमाफियाओं द्वारा राजकीय चिकित्सालय की जमीन पर अतिक्रमण

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत झाला की चौकी में बने उप स्वास्थ्य केन्द्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2017 में इसी झाला की चौकी में उप स्वास्थ्य केन्द्र को सरकार द्वारा अलाटमेंट किया गया जिसका खसरा नम्बर 1227/2, 2 बीघा जमीन, जो उस उप स्वास्थ्य केन्द्र को अलाट की गयी थी। एक भूमाफिया द्वारा आसपास की जमीन को खरीदा गया। उसके बाद में जो यह उप स्वास्थ्य केन्द्र बनाया गया, उसकी कुल 2 बीघा जमीन और उसके आसपास में, पूर्व में उस पर सी.सी. ब्लाक भी लगे हुए थे, लेकिन उसने निजी हित के लिए वहां डामरीकरण भी कर दिया।

कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का माननीय एम.पी. और अन्य अधिकारियों के साथ हमने वहां लोकार्पण का कार्यक्रम भी किया था। जिस जगह पर हमारा लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ, उसी सरकारी जमीन पर जो उप स्वास्थ्य केन्द्र की जमीन है, वहां पर उसके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। रोज-रोज याद दिलाना पड़ेगा?

श्री अविनाश (जैतारण): इसकी शिकायत वहां के स्थानीय सरपंच, उप सरपंच, रायपुर पंचायत समिति के प्रधान ने अभी कुछ दिनों पहले उप खण्ड अधिकारी, रायपुर को दी है, तहसीलदार को दी है। उसकी एक प्रतिलिपि मुझे भी दी। उसके आसपास में दलित लोगों की जमीनें हैं। वहां से उनको हटाया जा रहा है। जिन लोगों का नाम है, उनको हटाया जा रहा है। पूर्व में यहां की गलत तरीके से तरमीम भी कर दी गयी। चूंकि झाला की चौकी एनएच-162 पर स्थित है, यहां भूमाफिया द्वारा कम रेट पर आसपास की जमीनों को खरीदा जाता है। उसके बाद में धीरे-धीरे जो सरकारी जमीन उसके पास में होती है, उस पर अतिक्रमण किया जाता है। फिर भ्रष्ट अधिकारी मिलकर उस सरकारी जमीन का भूमाफियाओं के नाम पर आबंटन कर देते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि झाला की

(श्री अविनाश)

चौकी के खसरा नम्बर 1915, 1319, 1948, 1613, 1552, 38 यह सभी 91 के तहत इनमें जो भी आबंटन हुआ है, माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसके लिए एक विस्तृत टीम बनाकर उसकी जांच कराई जाए। इसके तहत जो गलत आबंटन हुआ है, उस आबंटन को रद्द करें। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त जांच कराएं, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार का कोई गलत काम नहीं हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो राजकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र है, वहां पर किये जा रहे अतिक्रमण को, क्योंकि उसमें 3 बिस्वा जो जमीन है, वह रास्ते के लिए छोड़ी हुई है, उसमें एक बीघा 5 बिस्वा जमीन पटवार घर के लिए है, 2 बीघा उप स्वास्थ्य केन्द्र के लिए है, कुल मिलाकर यह जितनी जमीन है, उसको अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए और वहां उनको सुपुर्द की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामप्रताप कासनियां।

सूरतगढ़ में वारिस प्रमाण पत्र बनवाने में परेशानी

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि वारिस प्रमाण-पत्र, कुर्सीनामा कह दो, वारिस प्रमाण-पत्र कह दो, पूरे राजस्थान के अन्दर हाहाकार मचा हुआ है। कोई विरासतन इंतकाल नहीं हो रहा है। मजिस्ट्रेट के पास किसान जाकर वारिस प्रमाण पत्र जारी नहीं करवा सकता, बड़ा कठिन काम है। मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए वकील करना पड़ेगा और वकील बिना पैसे होता नहीं। ढाई बीघा जमीन है, दस हिस्सेदार हैं, कैसे करवा लेंगे, क्यों आप लुहार का काम सुनार से करवाना चाहते हो? बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसमें काश्तकार हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, अगर कोई स्कालरशिप लेना चाहे, आय प्रमाण पत्र जारी करवाना चाहे तो सरकार के इसमें कहां कठिनाई आ गयी, कौनसा आपका बजट खर्च होता है। अगर नियम नहीं है तो हम किसलिए बैठे हैं, नियम बनाने के लिए बैठे हैं, जिसमें जनता को राहत मिले, इस तरह का नियम बनाना चाहिए, हम इसलिए बैठे हैं। आज लोग दर-दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सूरतगढ़ की बात है, राजस्थान पर कहां चले गये? सूरतगढ़ का बोला है आपने।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब जगह ही लागू है।

श्री अध्यक्ष: यह स्थगन है, डिमांड नहीं है, आप सूरतगढ़ तक सीमित रहें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, धाबळियो भेळो बूंदियो रंगीज ज्यासी सागही।

श्री अध्यक्ष: आप लुहार का काम सुनार से करवा रहे हो, खतम करो न, अब क्या बात रह गयी?

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): मैं लुहार का काम बताऊं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज। आपने सूरतगढ़ का लिखा है।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सूरतगढ़ में कठिनाई आ रही है।

श्री अध्यक्ष: वही बोलो आप।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): उसी पर बोल रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरपालिका के अन्दर आपके ई.ओ. बैठा है, सरकारी अफसर है। ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत का सचिव बैठा है। सरपंच, पार्षद और चेयरमैन हो सकता है कि राजनीतिक आदमी हों, वे गड़बड कर दें, यही संदेह होगा, पर सरकारी व्यक्ति से यह काम करवाने के आदेश सरकार जारी करे, ताकि लोगों का भला हो। यह नहीं चलेगा, नो को नारो, सौ को खायगो चारो, वकीलां सूं लारो छुटा द्यो। सरकार से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री चन्द्रभान सिंह आक्या।

केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधिकारियों का बकाया ऋण

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में केन्द्रीय सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक व अन्य संस्थाओं में सहकारिता विभाग से डेपुटेशन पर अधिकारी लगते हैं, कर्मचारी लगते हैं। ऐसे ही पूरे राजस्थान में केन्द्रीय सहकारी बैंक में अधिकारी लग रहे हैं, कर्मचारी लग रहे हैं। उन्होंने केन्द्रीय सहकारी बैंक से लोन ले लिये हैं। डी.आर. आफिस में लग रहे थे या ए.आर. आफिस में लग

(श्री चन्द्रभान सिंह आक्या)

रहे थे, वहां जब से लगे हैं, पूरे राजस्थान में जैसे 29 बैंक हैं, इन सभी में रिद्धि सिद्धि योजना के तहत या उन्होंने सी.सी. लिमिट बनाकर लोन लिये हैं। उन लोन को आज दिन तक उन्होंने जमा नहीं करवाया है। उनमें से कई तो रिटायर हो गये, कई घर चले गये। करोड़ों रुपयों का ऋण का पैसा उनमें बाकी है। उनसे कोई वसूली भी नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्रीजी यहां बैठे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप सरकार की तरफ से एक ऐसा आदेश निकालें कि जितने भी ऐसे ऋण बाकी हैं, चाहे डी.आर. हों, ए.आर. हों, या वहां का एम.डी. रहा हो, चाहे भूमि विकास बैंक का रहा हो, चाहे को-आपरेटिव बैंक का रहा हो, उन सबका ऋण कैसे अपन वसूल कर सकते हैं, ऐसा करवा लें, क्योंकि लाखों, करोड़ों रुपये बाकी हैं। मैं चित्तौड़गढ़ बैंक की बात करूं, तो वहां भी तीन-चार अधिकारी हैं, जैसे +++ के रिद्धि सिद्धि लोन में पांच लाख रुपये बाकी हैं, +++ का दस लाख रुपये बाकी है।

श्री अध्यक्ष: नाम नहीं, बाइनेम नहीं, माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने को-आपरेटिव का काफी काम किया है। इस तरह के पैसे अपन कैसे वसूल कर सकते हैं, इसका एक आदेश निकालें और पूरे राजस्थान में ऋण वसूल करें। चित्तौड़गढ़ में पैसा बाकी है। भले ही उनको पेंशन मिल रही है, उनसे वसूल करें। आप कैसे भी वसूल करके इन डूबते हुए बैंकों को तैराने की कोशिश करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद पारख।

दयालपुरा (पाली) निवासी की जघन्य हत्या

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, बढ़ते अपराध हम सबके लिए चिंता का विषय हैं। अपराध भी ऐसे जघन्य अपराध, एक साथ दो घटनाओं का पाली जिले में होना और दोनों मामलों में हमारी पुलिस का नाकाम रहना, यह जनता के मन में भय उत्पन्न करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 फरवरी, 2021 को पाली के सदर थाना क्षेत्र का गांव दयालपुरा, 55 साल का मांगीलाल भाट अपने घर पर यह कहकर निकलता है कि मैं खेत की चौकीदारी करने जा रहा हूं और जब दूसरे दिन दोपहर तक भी वह घर नहीं आता है तो घर वाले चिंतित हो जाते हैं कि क्या बात हो गयी, रोज सुबह वापस आ जाता है। घरवाले खेत में जाते हैं और वहां

(श्री ज्ञानचंद पारख)

दृश्य देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वहां उसकी लगभग जली हुई लाश एक पेड़ के नीचे मिलती है। पुलिस सक्रिय होती है, इसमें कोई शक नहीं, प्रयास भी करती है, लेकिन 16 फरवरी से लेकर आज 4 मार्च तक, अपराधी का कोई पता नहीं। यह घटना ऐसी जगह पर हुई है, जहां पर आवाजाही लगातार रहती है। मांगीलाल की किसी से दुश्मनी भी नहीं थी, सीधा-सादा आदमी था, खेती करता था, कोई लूट का अंदेशा भी नहीं था कि खेत में कुछ लूट कर ले जाए। उसके बाद में हत्या हो जाना और हत्यारा नहीं पकड़ा जाना, कहीं न कहीं इसको हमको गम्भीरता से लेना होगा। पूरा भाट समाज आंदोलित है। पांच दिन पहले भाट समाज ने आंदोलन करके अल्टीमेटम भी दिया है कि यदि सरकार हत्यारों को पकड़ने में नाकाम रहेगी तो फिर वे चैन से बैठने वाले नहीं हैं। सरकार के सिरदर्द करेंगे तो पुलिस को आप थोड़ा कहें कि अपनी सक्रियता और बढ़ाएं और हत्यारा जल्दी पकड़ में आ जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी घटना 16 फरवरी की है। कंटालिया गांव की 21 वर्षीय लड़की रेखा मौर्य किसी काम से घर से बाहर जाती है। शाम तक जब वह घर पर नहीं लौटती तो घरवाले चिंतित होते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन मिलती नहीं है। 17 तारीख को कंटालिया चौकी में जाकर घरवाले इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारी बेटी गायब है। पुलिस वाले जवाब देते हैं कि रिपोर्ट लिखाने आपको बगड़ी थाने जाना पड़ेगा, यह चौकी है। बगड़ी थाने में जाकर वे गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवा देते हैं। 20 तारीख को उसकी बुआ की इत्तिला मिलती है कि मैंने सोजत हाईवे पर सिंगारिया नगर के जोगियों के बेरे के पास मारूति वैन में देखा है। ज्यों ही इत्तिला मिलती है, चौकी से भागते हैं कि पुलिस की मदद लेकर वहां पहुंच जाएं और लड़की को बरामद कर लें। वहां चौकी में जाते हैं। पुलिस वाले उनसे लम्बी पूछताछ करते हैं कि कहां देखा, किसने देखा, कितने बजे देखा और एक लम्बा समय गुजार देते हैं। वे नाराजगी व्यक्त करते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि आप गाड़ी लेकर आओ, हम साथ चलते हैं। वह गरीब आदमी गाड़ी भी लेकर आता है और पुलिस के साथ जाता है जोगियों के बेरे में तो जोगी और वे दोनों आमने सामने हो जाते हैं। वहां से पुलिस बिना बच्ची को बरामद किये बैरंग लौट जाती है। 20 की यह घटना और 21 तारीख को कंटालिया गांव के तालाब में इस रेखा की तैरती हुई लाश किसी को दिखाई देती है। घरवालों को कोई इत्तिला करता हैं कि कोई लाश तैर रही है। घरवाले जाकर जब शिनाख्त करते हैं तो देखते ही पहचान लेते हैं कि अपनी बेटी है।

(श्री ज्ञानचंद पारख)

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये दोनों घटनाएं बहुत ज्यादा दुखदायी हैं, हम सबको पीड़ा देती हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से आग्रह रहेगा कि थोड़ी और सक्रियता दिखाएं और जो दोनों हत्याएं हुई हैं, उनका खुलासा होकर हत्यारे पकड़ में आ जाएं, इतना ही मुझे कहना है।

श्री अध्यक्ष: महिला दिवस आज थोड़े है? माननीय सदस्याएं एक साथ बैठी हैं, अलग-अलग बैठाना पड़ेगा।

श्री संयम लोढ़ा।

जालौर में दलित युवती के साथ पुलिसकर्मी द्वारा बलात्कार

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, "अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास", यह मंत्र हमारी सरकार ने पुलिस के लिए दिया है लेकिन कई बार हम चौराहे पर देखते हैं कि एक साइकिल वाले की पुलिस वाले ने हवा निकाल दी। हम यह भी देखते हैं, आए दिन वीडियो हमको देखने को मिलते हैं कि पुलिस थाने में किस बेरहमी से किसी नागरिक को पीटा गया। हम यह भी देखते हैं कि अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया और उसमें से आधा माल पुलिस ने बाजार में बेच दिया। हम यह भी देखते हैं कि पोस्त डोडे का ट्रक पकड़ा गया और अंधेरे का फायदा उठाकर ड्राइवर व खलासी भाग गये। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस घटना का जिक्र आपके माध्यम से करने जा रहा हूं, वह उससे भी कहीं आगे की है। इस तरह की घटनाओं के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस मुल्ला को अपने एक फैसले में टिप्पणी करनी पड़ी कि "Police is an organized gang of criminals", मतलब पुलिस अपराधियों का एक संगठित गिरोह है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जालौर के पुलिस थाने में तीन दिन पहले एक दलित युवती ने मुकदमा दर्ज कराया है कि जालौर थाने में काम करने वाले पुलिस के एक कान्स्टेबल मेवाराम ने, जो उसका क्षेत्र था, उसी क्षेत्र की यह महिला रहने वाली है, वह उसके घर पर गया, परिचय पहले किया था और मिठाई के अन्दर नशे का पदार्थ मिलाकर उसके साथ रेप किया, उसके फोटो खींच लिए, वीडियो बना दिया और उस फोटो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उस लड़की ने अपने पति के साथ जाकर जालौर के उस पुलिस थाने में उस पुलिस कान्स्टेबल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। घटना चार-पांच दिन पुरानी है। तीन दिन पहले मुकदमा दर्ज हुआ है,

(श्री संयम लोढ़ा)

लेकिन इस तरह का दबाव उस लड़की पर बनाया जा रहा है कि उस लड़की ने कल मेडिकल भी नहीं करवाया और पुलिस ने अभी तक उस लड़की के 164 में बयान भी नहीं करवाये। हमारे मुख्य मंत्री जी ने अनेक निर्णय महिला सुरक्षा के लिए किये हैं। आपने हर जिले में अलग से डीवाई.एस.पी. बैठाया है, लेकिन आप देखिए कि आप ही की पुलिस हमारे नागरिकों के साथ, हमारी बहू-बेटियों के साथ क्या सलूक कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बैठे हुए हैं मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि वे बताएं कि कितने घंटे में उस पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया जाएगा और कब आप उसे नौकरी से बाहर निकालेंगे?

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। श्री महेन्द्र चौधरी जी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्र.सं. 22)

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के बाईसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 03 मार्च, 2021 को मध्याह्न पश्चात् 3:00 बजे माननीय अध्यक्ष के वेशम (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि शुक्रवार, दिनांक 05 मार्च 2021 से गुरुवार, दिनांक 18 मार्च 2021 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

शुक्रवार, दिनांक 05 मार्च, 2021	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान।
शनिवार, दिनांक 06 मार्च, 2021 रविवार, दिनांक 07 मार्च, 2021	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 08 मार्च, 2021 मंगलवार, दिनांक 09 मार्च, 2021 बुधवार, दिनांक 10 मार्च, 2021	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(श्री महेन्द्र चौधरी)

गुरुवार, दिनांक 11 मार्च, 2021	बैठक नहीं होगी।
शुक्रवार, दिनांक 12 मार्च, 2021	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित अनुदान की मांग पर विचार एवं मतदान।
शनिवार, दिनांक 13 मार्च, 2021 रविवार, दिनांक 14 मार्च, 2021	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 15 मार्च, 2021 मंगलवार, दिनांक 16 मार्च, 2021 बुधवार, दिनांक 17 मार्च, 2021	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 17 मार्च, 2021 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी)

गुरुवार, दिनांक 18 मार्च, 2021	राजस्थान वित्त विधेयक, 2021 एवं राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2021 पर विचार एवं पारण

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बाईसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बाईसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा कार्य सलाहकार समिति के बाईसवें प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

माननीय सदस्य, कल मांग पर चर्चा होगी। कल 11:00 बजे तक कट मोशन दे सकेंगे, क्योंकि एक दिन का समय है, इसलिए कल 11:00 बजे तक कट मोशन दिये जाएंगे।

(श्री अध्यक्ष)

आय-व्ययक पर चर्चा में मेरा निवेदन है कि टाइम का ध्यान रखें, क्योंकि 4:00 बजे लीडर आफ अपोजिशन और 5:00 बजे मुख्य मंत्री बोलेंगे। श्री जे.पी. चन्देलिया।

(12.25 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 24 फरवरी को जो बजट भाषण दिया गया, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और उसके समर्थन और सराहना में अपनी बात प्रारम्भ करता हूं। सभापति महोदय, जो बजट भाषण माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिया, वह मानवता से, संवेदनशीलता से परिपूर्ण था और प्राथमिकताएं बिलकुल स्पष्ट थीं कि अंतिम पंक्ति का व्यक्ति इस राज्य सरकार की प्राथमिकता में आता है और उसी को ध्यान में रखकर सभी बिन्दु निर्धारित किये गये हैं, सभी प्रोविजंस किये गये हैं।

इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट की बात भी कही गयी है और किसी डिस-इनवेस्टमेंट की बात नहीं कही गयी है जैसा कि केन्द्र सरकार की प्राथमिकता में डिस-इनवेस्टमेंट पहले है और इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने का कहीं उनके यहां नाम नहीं है। रोजगार सृजन की अगर बात करें तो 50 हजार नयी नौकरियां देने का जिक्र जो इस भाषण में किया गया है, वह बिलकुल सराहनीय है। हमारे जो युवक-युवतियां बेरोजगार हैं, उनके लिए अच्छा संदेश है।

एक बात मेरे साथी विधायक श्री मुरारी लाल जी मीणा ने कल लेटरल एंट्री पर बोली। उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लेटरल एंट्री जो गवर्नमेंट आफ इण्डिया कर रही है, वह बिलकुल अच्छी बात नहीं है। ज्वाइंट सैक्रेटरी लेवल पर कोई भी आई.ए.एस. अधिकारी या सेन्ट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी नियुक्त होता है, उसके पहले कई विभागों का काम वह कर चुका होता है, कई आफिसेज वह देख चुका होता है, घाट-घाट का पानी पीया हो चुका होता है, तब जाकर वह ज्वाइंट सैक्रेटरी लेवल पर नियुक्त होता है। यह

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

नियुक्ति जो की जा रही है, इसका कैडर क्या है, उसका क्या इन्होंने निर्माण किया है और आगे भविष्य में क्या होगा, मैं इसमें एक प्रश्नवाचक चिह्न प्रस्तुत करता हूं कि क्या हमारे प्रधान मंत्री जी को आईए.एस. का जो कैडर है या सेन्ट्रल सर्विसेज के जो अलग-अलग कैडर हैं, उनमें कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं मिले जो कि ज्वाइंट सैक्रेटरी का काम करने के काबिल न हों? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है, इसलिए इस सदन में भी मैं इस बात को प्रस्तुत करता हूं और मेरे साथी विधायक श्री मुरारी लाल जी मीणा ने जो बात कल इस सदन में रखी, उसका मैं समर्थन करता हूं।

अगर बजट को विहंगम दृष्टि से देखें तो मेडिकल एण्ड हैल्थ, एग्रीकल्चर, ड्रिंकिंग वाटर, चाहे कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल की बात हो या जल जीवन मिशन की बात हो और चाहे ईस्टर्न रीजन के कैनाल प्रोजेक्ट की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे एम्प्लायमेंट की बात हो, चाहे इण्डस्ट्रीज की बात हो, चाहे इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट की बात हो, चाहे सोशल जस्टिस की बात हो और चाहे राज्य को सुशासन देने की बात हो, ये सारी की सारी बातें इसमें समाविष्ट करके एक बहुत जोरदार डाकूमेंट हमारे राज्य के लिए हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय श्री अशोक गहलोत जी ने प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

हमारा गत एक वर्ष कोरोनाकाल का बीता। महामारी की दशा में राज्य को जो परेशानी भुगतनी पड़ी है, उसका सामना मुख्य मंत्री जी ने बहुत मुस्तैदी से किया है, बहुत जोरदार ढंग से किया है। हमारा भीलवाड़ा माडल न केवल राजस्थान, बल्कि पूरे इण्डिया और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हुआ है, मशहूर हुआ है और उसकी प्रशंसा की गयी है। यह माननीय मुख्य मंत्री महोदय के सुशासन का ही एक उदाहरण है। अगर हम कोरोना की बात करें तो हमारे मुख्य मंत्री महोदय और हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से मैनेज्ड किया, एडमिनिस्टर्ड किया और सारे दबाव, परेशानियां होने के बावजूद राजस्थान में इस महामारी का सामना किया और जनता को सुरक्षित किया, उसके लिए ये दोनों और इनकी पूरी की पूरी टीम सराहना के काबिल हैं।

इसी क्रम में मैं निवेदन करता हूं कि आरटी.पी.सी.आर. और बाकी सभी जांचें जो सभी जिलों में नि:शुल्क की गयीं, वह एक बहुत बड़ा कदम था।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

इसी प्रकार से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से घंटों-घंटों बैठकर समाज के हर वर्ग, हर व्यक्ति से, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, चाहे विधायक हों, चाहे धर्म गुरु हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे मीडिया के आदमी हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, चाहे पुलिस के अधिकारी हों, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने सीधी वर्चुअल बात की है और बात करके उनकी राय को बहुत ज्यादा तरजीह भी दी है।

इसी प्रकार से कोई भी भूखा नहीं सोये, यह एक थीम लेकर चले थे और इस थीम पर हमारा जो शासन है, हमारा जो मुख्य मंत्री है, हमारा जो राज्य है वह बिलकुल खरा उतरा है और किसी को भी भूखा नहीं सोने दिया, यह एक बहुत बड़ी बात है। विशेष पैकेज भी दिये और 33 लाख असहाय और निराश्रित मजदूरों को 3,500 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से 1,155 करोड़ रुपये का पैकेज दिया। आगे भी इस बजट में एक हजार रुपये प्रति परिवार के जो अंतिम किश्त देने की बात कही गयी है, वह बहुत सराहनीय है। स्ट्रीट वेंडर्स और सर्विस सेक्टर युवाओं को, बेरोजगारों के लिए जो राजीव गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड जारी करने की बात कही गयी है और 5 हजार रुपये ब्याज मुक्त ऋण देने की बात कही गयी है, उसकी भी मैं बहुत-बहुत सराहना करता हूं।

मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र पर आता हूं। मेरे पिलानी विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट में एक पोलीटेक्निक कालेज दिया है उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। इसी प्रकार से पिलानी और विद्या विहार दोनों नगरपालिकाओं में सीवरेज योजना लागू करने की घोषणा की है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। इसी प्रकार से जो गत बजट में उन्होंने पंचायत समिति और कृषि उपज मण्डी समिति हमको दी थी, चिड़ावा में गवर्नमेंट कालेज दिया था, इन तीनों संस्थाओं के लिए आभार प्रकट करते हुए निवेदन करता हूं कि इन तीनों के भवन निर्माण के लिए, संचालन के लिए और भी जो वित्तीय प्रावधान है, वह करने का कष्ट करें। वैसे सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि चिड़ावा में पिछले बजट में जो उन्होंने घोषणा की थी, वह कालेज चालू भी हो गया और एडमिशन फुल स्विंग में है, अच्छी तरह कालेज चल रहा है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या ड्रिंकिंग वाटर की है, पानी की है। पानी के लिए गर्मियों में त्राहि-त्राहि होने वाली है। इसलिए मैं इस सदन के मार्फत राज्य सरकार से, माननीय

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

मुख्य मंत्री महोदय से और हमारे जलदाय मंत्री महोदय हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिलानी का सर्वे हो चुका है कि वहां का अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है, इसलिए पिलानी और पिलानी विधान सभा क्षेत्र के लिए ड्रिंकिंग वाटर की विशेष तौर से व्यवस्था की जाए, अन्यथा जो आने वाली गर्मी है, उसमें स्थिति बहुत विकट हो जाएगी। जल जीवन मिशन के माध्यम से हमको जोड़ा गया है। कुम्भाराम लिफ्ट कैनाल के माध्यम से जो हमारे 7 हजार 700 करोड़ की योजना बनाई गयी है, जिसमें चिड़ावा कस्बा, अन्य कस्बे और गांव हैं, वे लाभान्वित होंगे। उसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि इस योजना को जल्दी से जल्दी चालू किया जाए और क्रियान्वित किया जाए, ताकि हमारी पेयजल की समस्या है, उसका समाधान हो सके।

इसी प्रकार से सीवरेज प्लांट के लिए जो मंजूरी दी है, उसका भी जल्दी से जल्दी काम चालू किया जाए, ताकि पिलानी जो एक इंटरनेशनल हब आफ एजुकेशन है, वहां किसी प्रकार की गन्दगी न रहे।

हमारे यहां एक नरहड़ शरीफ की दरगाह है, जो बहुत मशहूर दरगाह है, इंटरनेशनल दरगाह है और जगह-जगह के लोग आते हैं। उसका धार्मिक पर्यटन सर्किट से जोड़ने का तो मैं स्वागत करता हूं, लेकिन साथ ही यह भी निवेदन करता हूं कि इस ओर शीघ्रातिशीघ्र ऐसे काम किये जाएं जिससे कि अधिक से अधिक लोग वहां जाएं।

माननीय सभापति महोदय, यहां हमारे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री बैठे हैं। मैंने पहले भी उनको निवेदन किया है और सदन में भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पिलानी विधान सभा क्षेत्र में घुमनसर कला और लाम्बा में पी.एच.सी. की अत्यंत आवश्यकता है, इसलिए वहां के लिए निवेदन करता हूं कि वहां पी.एच.सी. शीघ्रातिशीघ्र खोलने की घोषणा करें। चिड़ावा, पिलानी तथा मण्ड्रेला सी.एच.सी. में जो बैड्स की संख्या है, उसे बढ़ाएं। मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछली बार सी.एच.सी., चिड़ावा में मैंने बैड्स की संख्या बढ़ाने के लिए उनसे निवेदन किया था और उम्मीद करता हूं कि इस बार वहां बैड्स बढेंगे व सुविधाएं और आएंगी।

राइट टू हैल्थ और अन्य अच्छी-अच्छी योजनाएं माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट में दी हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जो 11 हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और शहरी प्राथमिक केन्द्रों व सब-सेंटर्स के

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

अन्दर वैलनैस सेंटर खोलने का इस बजट में प्रावधान दिया है, वह बिलकुल सराहनीय है। मैं उम्मीद करता हूं कि वे वैलनैस सेंटर शीघ्रातिशीघ्र हमारे राज्य में खुलेंगे। आधारभूत संरचना, ढांचागत विकास की जो बात बजट में कही गयी हैं वे सारी की सारी बातें सराहना करने योग्य हैं।

मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की दो-तीन बातें करना चाहता हूं। एक तो पिलानी पिछली बार पंचायत समिति हो गयी है और वहां सब-तहसील की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए सब-तहसील वहां बनाई जाए और जब तक सब-तहसील नहीं बनती है, तब तक चिड़ावा तहसील से उसके कार्यक्रम संचालित हों। इसके लिए आवश्यक आदेश निकालने की जरूरत है।

इसी प्रकार जो पिलानी का एस.डी.ओ का काम है वह एस.डी.ओ सूरजगढ़ के बजाय एस.डी.ओ. चिड़ावा से लिंक किया जाए, क्योंकि सूरजगढ़ से चिड़ावा नजदीक पड़ता है और पिलानी से सीधा पड़ता है इसलिए पिलानी पंचायत समिति के जितने भी गांव हैं, उन सबका एस.डी.ओ. चिड़ावा लगाया जाए। सी.बी.ई.ओ. जो एजुकेशन का है, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि सीबी.ई.ओ., सूरजगढ़ के बजाय पिलानी पंचायत समिति के लिए सी.बी.ई.ओ. चिड़ावा का क्षेत्राधिकार किया जाए। मण्ड्रेला में ए.ईएन., विद्युत का पद किया जाए और वहां पर जो सब-तहसील है उसको तहसील में क्रमोन्नत किया जाए।

साथ ही पिलानी बार की बहुत दिनों से मांग रही है कि पिलानी में ए.डी.जे. कोर्ट खोला जाए। मैं भी इस बात की अभिशंषा पहले कर चुका हूं और सभापति महोदय, दुबारा आपके माध्यम से राज्य सरकार से, लॉ डिपार्टमेंट के हमारे मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि पिलानी में ए.डी.जे. कोर्ट खोला जाए। साथ ही चिड़ावा में ए.सी.एम. कोर्ट में किसी न किसी अधिकारी को लगाया जाए, ताकि राजस्व मुकदमे जो बहुत सालों से पैण्डिंग हैं, और गांव के लोगों का जो हरैसमेंट होता है, वह हरैसमेंट शीघ्रातिशीघ्र रुक जाए।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करता हूं कि विशेष तौर से रीको के इण्डस्ट्रियल एरियाज डवलप हुए हैं, उसमें पहले अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था थी। अभी जो लेटेस्ट इण्डस्ट्रियल एरियाज डवलप होते हुए उसके डाक्यूमेंटेशन हो रहे हैं, उसके लैण्ड अलाटमेंट के लिए जो वैकेंसी निकाली जा रही है, उसमें पांच प्रतिशत का प्रावधान किया गया है,

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

जबकि पहले पूरा प्रावधान था। उस पांच प्रतिशत में भी एस.सी., एस.टी. और सामान्य महिला का प्रावधान किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे उद्योग मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, वे इसको देखेंगे, यह एनोमली है और इसको दूर करना चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखें तो मुख्य मंत्री महोदय की अनुप्रति कोचिंग योजना, इसी प्रकार डी.बी.टी. वाउचर योजना, एक लाख माडल रेजिडेंशल स्कूल देने की योजना, अल्पसंख्यक क्षेत्रों में अल्पसंख्यक छात्र -छात्राओं के लिए छात्रावास बनाने की योजना, एस.सी., एस.टी. के सर्वांगीण विकास के लिए दस करोड़ राशि के उत्थान कोष की स्थापना, आंगनबाड़ी की दशा सुधारने के लिए नन्दघर की योजना और महिलाओं की समस्याओं के लिए इन्दिरा महिला शक्ति केन्द्रों की स्थापना करना, ये बहुत अच्छी-अच्छी बातें इस बजट में मेंशन की गयी हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें जब क्रियान्वित होंगी तो समाज का हर वर्ग इससे लाभान्वित होगा।

दूसरा, एक निवेदन मैं आपके माध्यम से और करता हूं। सभापति महोदय, मैं जब राजस्थान का पंचायती राज कमिशनर था और सैक्रेटरी टू गवर्नमेंट था, तब राजस्थान रूरल डवलपमेंट सर्विस की संरचना की गयी थी और यह सोचा गया था कि अलग से इसका एक कैडर बनाया जाए। राजस्थान रूरल डवलपमेंट सर्विस के अधिकारी आर.पी.एस.सी. के माध्यम से नियुक्त किये जाएं और उनको प्रमोशन के एवेन्यूज भी मिलें। बड़े विस्मय की बात है कि 8 फरवरी, 2021 को राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद् के अधिकारियों ने, जो आज विकास अधिकारी लगे हुए हैं, उन्होंने बड़े भारी दिल से अपना ज्ञापन सरकार को दिया है और निवेदन किया है कि उनका ढंग से कैडर डवलप किया जाए, कैडर की संरचना की जाए और उनके प्रमोशन एवेन्यूज खोले जाएं क्योंकि बहुत युवा अधिकारी आर.पी.एस.सी. के माध्यम से आते हैं, अगर खाली आप उनको बी.डी.ओ. नियुक्त करो और बी.डी.ओ. ही रिटायर कर दोगे तो मेरे विचार से यह ठीक नहीं है। जब इस नियुक्ति का प्रस्ताव हमने आर.पी.एस.सी. को दिया था तो उसके पीछे शायद फाइलों में कहीं न कहीं मिलेगा और यह हमारी अवधारणा थी कि इनको दो-तीन प्रमोशन तो कम से कम मिलने चाहिए। इनके साथ के जो अधिकारी हैं, जो दूसरी सर्विसेज में आए हैं उनको दो-दो, तीन-तीन प्रमोशन मिल चुके हैं।

इसी प्रकार से, कुछ दिनों पहले 2013 के नर्सिंग कर्मचारी, एल.डी.सी.,

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

लैब टेक्निशियन, एकीकृत बेरोजगार संघ के द्वारा जो ज्ञापन दिये गये हैं, पटवारियों की जो समस्या है, उन समस्याओं की ओर भी ध्यान देकर जो सरकार सुशासन देती है, मेरे विचार से उसका कर्तव्य भी बनता है कि इनकी समस्याओं की ओर संवेदनशीलता के साथ देखा जाए। एक अच्छी सरकार हम दे रहे हैं तो ये भी हमारे ही अंग हैं और इनकी समस्याओं का निदान किया जाए।

अन्त में, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा 2021-22 के लिए जो बजट दिया गया है, वह एक शानदार बजट है। यह भी अच्छा है कि पहला पेपरलैस बजट है। समाज के हर वर्ग को इसमें देखा गया है, हर वर्ग के सुधार के लिए इसमें बिन्दु दिये गये हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह बजट पूरी तरह से क्रियान्वित होगा और माननीय मुख्य मंत्री महोदय के नेतृत्व में राज्य की हमारी कांग्रेस की जो सरकार है, एक अच्छा सुशासन इस बजट के माध्यम से दे पाएगी, हमारा अच्छी तरह विकास होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): धन्यवाद। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2021 का बजट पेश किया, खड़े रहने, भाषण देने, पानी पीने सहित 2 घंटे 46 मिनट का रिकार्ड बनाया। सरकार मुस्कुरा रही थी और इस मुस्कुराहट के पीछे सदन और राजस्थान की जनता देख रही थी कि सूर्यागढ़ में भी एक कव्वाली का दौर चला, बेवफा तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं। फिर सरकार 27 तारीख को हैलीकाप्टर में मुस्कुराई। राजस्थान की जनता को जो बजट पेश किया, उम्मीद थी कि जुगाड़ की सरकार, जुगाड़ का बजट पेश करेगी, लेकिन इसके पैसे का जुगाड़ कैसे होगा, इस पेपरलैस बजट में इस चीज का कहीं उल्लेख नहीं था।

माननीय सभापति महोदय, बजट एक गोपनीय दस्तावेज होता है और भारत की संसदीय परम्परा के इतिहास में कदाचित ही कोई ऐसे अवसर आए होंगे, या तो मुख्य मंत्री जी अति-उत्साहित थे या उनको भूलने की आदत है। इस 24 फरवरी, 2021 को थोथी घोषणाओं को, असत्य के पुलिन्दे को पढ़ते-पढ़ते पन्ना नम्बर 10 भूल गये। अब यह मानवीय भूल भी हो सकती है, लेकिन भारत की संसदीय परम्परा के इतिहास में मुख्य मंत्री संसदीय

(श्री सतीश पूनियां)
परम्पराओं को और गोपनीयता को भंग करने के दोषी हैं। 24 घंटे तक उस बजट की गोपनीयता भंग हुई। दूसरे दिन आपने वह 10 नम्बर का पेज पढ़ा, यदि बजट उनके संज्ञान में होता तो शायद इतनी गलती नहीं करते। क्योंकि, चिकित्सा सेवाओं के साथ-साथ में, 11 नम्बर का पन्ना जब आपने पढ़ा तो उसका आशय आयुर्वेद डिपार्टमेंट से था।

सभापति महोदय, इस बजट की शक्ल तो ठीक है, लेकिन नीयत ठीक नहीं है और इसलिए कास्मेटिक किस्म का बजट है, सिर्फ चेहरा लिपा-पुता है। यह बजट कट, कापी, पेस्ट है। इसका उल्लेख मैं आगे करूंगा कि किस तरीके से जुगाड़ किया गया। बजट के बाद मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कर्जा लेने की गुंजाइश है, वित्तीय प्रबंधन बेहतर करेंगे, लीकेज को रोकेंगे, राजस्व का अर्जन बढ़ाएंगे और घोषणाओं को पूरा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, जो पिछला बजट था, उसमें 28 जिलों की 61 घोषणाएं ऐसी हैं, जो अभी तक पूरी नहीं हुई। मैं यहां खड़ा हूं और यहां से लगभग डेढ़ किलोमीटर दूरी पर ही सिविल लाइन्स का फाटक है, जिसमें आर.ओ.बी. की घोषणा आपने की थी। केवल यही नहीं, राजस्थान के अनेक जिलों की अनेकों ऐसी बातें थीं, जो आपने कहीं और जो अभी कागजों से जमीन पर उतरी नहीं हैं।

मैं 9 साल पहले चला जाऊं, इसी सरकार ने, इन्हीं मुख्य मंत्री जी की एक बानगी आपको दिखा रहा हूं। 2012-13 में आपने 9 साल पहले जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर में दवा जांच के लिए ड्रग टेस्टिंग लैब की घोषणा की थी। अभी सैम्पल जयपुर लाने पड़ते हैं। अभी तक 9 साल पुरानी घोषणा भी रेंग रही है, उस पर कोई अभी प्रगति नहीं हुई है।

माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के बजट की नकल तो जरूर हुई है, पर कहा जाता है कि नकल में भी अक्ल चाहिए। उन प्रदेशों ने केवल घोषणा ही नहीं की है, उन्होंने एक रोडमैप पेश किया है। इस बजट में किसी किस्म का रोडमैप...। इस बजट में जितनी घोषणाएं कीं, 90 प्रतिशत तो घोषणाएं हैं, केवल 10 प्रतिशत सोर्सेज पर बात हुई है, यानी इम्बैलेंस इस बजट का सबसे कमजोर पार्ट है, इसलिए government is pushing state towards financial emergency. जब भी बजट इस किस्म से असंतुलित होता है तो प्रदेश में आपातकाल की स्थिति बनती है। इस बजट का पहला असत्य यह है कि एफ.आर.बी.एम. एक्ट का सीधे-सीधे

(श्री सतीश पूनियां)

उल्लंघन किया गया। एफ.आर.बी.एम. एक्ट के अन्तर्गत राजकोषीय घाटे के जी.एस.डी.पी. का तीन प्रतिशत होना चाहिए, जो पूर्व निर्धारित था और जो 2020-21 में होता 2.99 और इसका रिवाइज एस्टीमेट हुआ सरकार की तरफ से 6.12, यानी दुगुना। राजकोषीय घाटे की मर्यादा, यदि कोरोना के कारण 4 प्रतिशत हुई तो सरकार का मानना है कि 3.98 प्रतिशत होगा, यानी आंकड़ा देखिए 47 हजार 653 करोड़ और यदि इसको दुगुना करेंगे तो राजकोषीय घाटे की लिमिट क्या होगी, आप अंदाज लगा सकते हैं। आपातकाल इसलिए भी होगा, यह बजट बता रहा है कि 8 प्रतिशत खर्चा बढ़ा और संशोधित अनुमानों के अनुसार 15 प्रतिशत प्राप्तियां कम होंगी और उधारियां होंगी 102 प्रतिशत, तो बजट की घोषणाएं पूरी कैसी होंगी। ये शंका भी है और प्रश्नचिह्न भी है।

सभापति महोदय, इस बजट की देश के प्रमुख 30 राज्यों से तुलना करें, तो 2021-22 के कृषि बजट के लिए बजट का 5.1 प्रतिशत हिस्सा आबंटित किया है। अन्य 30 राज्यों से इसको यदि कम्पीट करें तो औसत आबंटन से 6.3 प्रतिशत कृषि का बजट कम है। ग्रामीण विकास के लिए आपने 5.4 प्रतिशत किया है, जो दूसरे राज्यों से 6.1 प्रतिशत कम है। सड़क और पुल, जो प्रदेश की एक बुनियादी व्यवस्थाओं की जरूरत होती है, इन्फ्रास्ट्रक्चर डन्वलपमेंट के लिए आप जोर देते हैं, लेकिन राजस्थान में उसका हिस्सा 3.4 प्रतिशत है और दूसरे प्रदेशों में 4.3 प्रतिशत, उनसे कम है।

माननीय सभापति महोदय, उदाहरण के तौर पर, आपने एक विधान सभा क्षेत्र में 10 ट्यूबवैल और 40 हैंडपम्प, यहां सारे सदस्य बैठे हैं, इसकी पूर्ति हो सकती है तो बता दीजिए।

वैट के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। निष्क्रिय सम्पत्तियां, जो राजस्व का हिस्सा हो सकती हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। इस पूरे कालखण्ड में शोध और वैज्ञानिक अनुसंधान में अनेक प्रदेशों की सरकार, केन्द्र की सरकारें इस पर फोकस करती हैं कि जब तक रिसर्च नहीं होगा तो हम लोग किस तरीके से तरक्की के दौर में जाएंगे। आपके बजट में प्रावधान 0.01 प्रतिशत है। विरोधाभास यह है कि आपने टू-व्हीलर पर वन टाइम टैक्स की रिबेट 50 प्रतिशत की है। अब आप समझ सकते हैं कि यह ई-व्हीकल का जमाना है और पेरिस एग्रीमेंट के मुताबिक देश और अन्य प्रदेश इस पूरे वातावरण के लिए, ई-व्हीकल को चलाने के लिए उसको प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन इसमें उसका प्रावधान आपने कुछ नहीं किया है।

(श्री सतीश पूनियां)

माननीय सभापति महोदय, मुझे लगता है कि मुख्य मंत्री जी को मोदी फोबिया है। उनकी गुड मार्निंग व गुड नाइट यहीं से शुरू होती है और बड़ी चतुराई से सियासी बयानबाजी करके राज्य की जनता की सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं लेकिन, माननीय मुख्य मंत्री महोदय असत्य के पांव नहीं होते, जन-धन, उज्ज्वला, पीएम आवास, पीएम किसान फसल बीमा जैसी बुनियादी योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिलता है, पूरे कोरोना के कालखण्ड में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राशन सहित अनेक योजनाओं से प्रदेश की जनता को ताकत और सम्बल मिला है। केन्द्र के पैसे का रोना रोने वाले माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में रहे कि राजस्व प्राप्तियों का 42 प्रतिशत अर्थात् 76 हजार 582 करोड़ रुपये केवल केन्द्रीय हस्तान्तरण से राज्य सरकार को प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त भारतमाला प्रोजेक्ट में 39 हजार 600 करोड़ रुपये, नेशनल हाईवे अथोरिटी के अनेक प्रोजेक्ट्स के लिए 15 हजार 880 करोड़ रुपये और रेलवे के लिए 4 हजार 686 करोड़ रुपये, ये 2009 से 2014 की यू.पी.ए. सरकार का, 587 प्रतिशत ज्यादा है। माननीय सभापति महोदय, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए 8 हजार 715 करोड़ रुपये और 2020-21 के लिए जन जीवन मिशन के लिए 2 हजार 523 करोड़ रुपये मोदी जी ने दे दिये। आपने क्या दिया, भाषण, वादा और घोषणा, तो मुझे लगता है कि आप जादूगर के साथ-साथ घोषणाजीवी भी हो गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपके ही 2018 के जन घोषणा पत्र में सम्पूर्ण कर्जे माफी की बात अनेक मंचों पर कही गयी। राजस्थान के दर्जनों किसानों ने आत्महत्याएं कीं, मैं बार-बार उसका उल्लेख नहीं करना चाहता। राजस्थान का बेरोजगार सड़कों पर है। संविदाकर्मी आंदोलन कर रहे हैं। कानून-व्यवस्था चौपट है। 6,14,000 मुकदमे राज्य सरकार की बानगी है और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने एफ.आई.आर. को और एक तरीके से प्रोत्साहित किया, लेकिन ये वे एफ.आई.आर. हैं, जिनमें गैंगरेप, हत्याएं, डकैती, दुष्कर्म, इस किस्म के मसले हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने जिन चीजों का जिक्र किया, राजस्थान के बेरोजगारों को आपने 2018 के जन घोषणा पत्र में भी बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही और आपने अभी तक दिया है, एक सवाल के आपके जवाब में जो हमें जवाब मिला है, 12 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं, आपने 2 लाख 49 हजार 433 लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया है

(श्री सतीश पूनियां)

और 2 लाख 15 हजार 390 बेरोजगार अभी भी इंतजार में हैं कि कब उनको भत्ता मिलेगा। आपने नौजवानों के लिए 88 कालेज खोले, धरातल पर 33 आये और 27 की आपने अब घोषणा कर दी।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से, आपने पैट्रोल और डीजल के लिए इस पूरे बजट में कहीं उल्लेख नहीं किया। दो प्रतिशत कम करके आपने अपना चेहरा छुपाने की कोशिश जरूर की है। इसी तरीके से शिक्षक भर्ती के सत्रह मामले अभी न्यायालय में चल रहे हैं। आर.पी.एस.सी., कर्मचारी चयन बोर्ड स्थगन, परीक्षाओं के रद्द होने और पेपर लीक होने की जद्दोजहद से जूझ रहा है। इसलिए राजस्थान के नौजवान कहते हैं कि पर्चा लीक और सरकार वीक। पटवारी, ए.सी.एफ., रैंजर, स्टेनोग्राफर, फार्मासिस्ट, रीट, डाक्टर, नर्सेज, संविदाकर्मी, ये सभी आंदोलनरत हैं।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में आपने कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया और मैं जिन बातों का आपसे जिक्र कर रहा था, कई बातें, इन 28 जिलों की 61 घोषणाओं में दुबारा इसी बजट में दोहरा दी गयी हैं। उदाहरण के तौर पर राजसमन्द में चुनाव हैं। पिछली बार भी आपने औद्योगिक क्षेत्र की घोषणा की, अमल नहीं हुआ, फिर घोषणा कर दी। यहां माननीय चिकित्सा मंत्री जी विराजे हुए हैं, एस.एम.एस. में प्रत्यारोपण और न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग की घोषणा की, अमल में नहीं आयी। पुरानी विधान सभा में विश्वस्तरीय म्यूजियम के लिए आपने कहा, गोविन्द मार्ग पर एलिवेटेड रोड के लिए कहा। सिविल लाइन्स का मैंने जिक्र किया। अनेकों ऐसे जिले हैं, जिनके बारे में कल टेलीफोन करके मैंने पता किया तो अजमेर में डी.एन.ए. टैस्ट की आपने कही, सम्भाग मुख्यालय पर हाफ डे होम की व्यवस्था आपने कही। इसी तरीके से जयपुर के प्रतापनगर में कोचिंग हब की बात आपने की। अनेकों इस तरीके के जिले हैं, माननीय सभापति महोदय, जिनका उल्लेख करूंगा तो यह भाषणा लम्बा होगा, लेकिन मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि किस तरीके से इस सरकार ने बेरोजगारों के साथ मजाक किया। आपने घोषणा की कि हम किसानों को पूरी बिजली देंगे, लेकिन दिसम्बर के महीने में केशोरायपाटन के किसान की सिंचाई करते हुए, गुडली के केशोरायपाटन के रामलाल धोबी की मौत हुई। इसी तरीके से चांदनहेली के पूरण मल मीणा, 32 साल, की गेहूं की सिंचाई करते समय मौत हुई और यशवंतपुरा, सुनेल के हरीश धाकड़ की बिजली की कमी के कारण रात को सिंचाई करते समय मौत हुई।

(श्री सतीश पूनियां)

अब ये अनेकों ऐसी भर्तियां जो अभी लम्बित हैं, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, कि इस सरकार ने वादे जरूर किये और इसलिए यह सरकार वादाखिलाफी के लिए याद की जाएगी। मुख्य मंत्री जी ने कई बातों का उल्लेख किया, लेकिन मुझे लगता है कि प्रदेश के अस्पताल बीमार हैं, युवाओं में नशे का कारोबार है, स्कूल कालेज बिना बजट बेकार हैं। लगता है कि सरकार लचर और लाचार है। मुख्य मंत्री जी ने कहा, 'निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर सम्भलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आंधियों में जलते रहे।' पर मुझे लग रहा है कि दीये टिमटिमा रहे हैं और इस बजट से लग रहा है कि कोई मध्यावधि चुनाव का बजट पेश कर रहे हो, इस किस्म की सी कवायद लगती है। आपने कहा, स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा कि सम्भव की सीमा तक जाने का एक ही तरीका है कि असम्भव की सीमा से भी आगे निकल जाना है। माननीय सभापति महोदय, स्वामी विवेकानन्द जी ने ही कहा है कि जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय उसे समय पर करना चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। यह आपके लिए कहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अनेक बार अनेक मंचों पर कई किस्म की बातें की जाती हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि यहां पर किसानों के कल्याण की बात हुई लेकिन आजादी से लेकर आज तक इस देश और प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड देने का कोई दावा कर सकता है और उस पर भरोसा कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले इस पूरे प्रदेश और देश में किसान क्रेडिट कार्ड दिये। जीरो प्रतिशत पर किसानों को लोन किसने दिया, भारतीय जनता पार्टी ने। फसल बीमा कौन लेकर आया, भारतीय जनता पार्टी। भावांतर की योजना कौन लाया, बी.जे.पी.। किसान सम्मान निधि किसने दी, बी.जे.पी.। एम.एस.पी. की राशि किसने बढ़ाई, बी.जे.पी.। कहीं भी फसल बेचने की आजादी किसने दी, ...(व्यवधान)

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): पूनियां जी, एक मिनट। ये जीरो परसेंट वाली बात गलत कह रहे हैं आप। जीरो परसेंट वाली बात गलत कह रहे हैं। जीरो परसेंट पर अगर लोन दिया है तो अशोक गहलोत सरकार ने दिया।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): गलत कह रहे हैं। गलतबयानी नहीं यहां पर। जीरो परसेंट पर लोन देने का काम अशोक गहलोत सरकार ने किया है। (व्यवधान) गलत नहीं बोल सकते।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, सुनना पड़ेगा गलत किया तो।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय। प्लीज। बीच में क्यों इंटरवीन कर रहे हो अभी। टाइम की पाबंदी है। प्लीज सहयोग करें। आप उत्तेजना क्यों पैदा कर रहे हो। वे अपनी बात कहने में सक्षम हैं।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): इंडिया में जब भी कोरोना की त्रासदी का जिक्र होगा, कांग्रेस पार्टी के असहयोग और भारतवर्ष को नीचा दिखाने का उनका चरित्र हमेशा याद रहेगा। कांग्रेस ने लॉकडाउन पर लोगों को डराने की कोशिश की। मास्क और पी.पी.ई. किट एक्सपोर्ट पर असत्य फैलाया।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): माननीय सभापति महोदय, यह +++, पाखंड बंद करो।

श्री सभापति: वह नहीं लिखा जा रहा है +++ की जगह असत्य लिखा गया है।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): कांग्रेस ने थाली और दीया इवेंट का मजाक उड़ाया। लेबर माइग्रेशन पर घटिया राजनीति की।

श्री सभापति: माननीय पूनियां साहब, +++ शब्द असंसदीय है, आप +++ की जगह असत्य का इस्तेमाल करें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): जी।

कांग्रेस ने ताली, थाली और दीया इवेंट का मजाक उड़ाया। लेबर माइग्रेशन पर घटिया राजनीति की। आई.सी.एम.आर. और एम्स के प्रति भ्रम पैदा किया। मिनिस्ट्री आफ होम एंड फैमिली वैलफेयर के आंकड़ों पर संदेह पैदा किया। पी.एम. केयर्स को बिना तथ्य के कठघरे में खड़ा किया। आत्मनिर्भर पैकेज पर जबरन सवाल उठाये। इकोनोमी के सलेक्टिव आंकड़ों पर भ्रम फैलाया। वैक्सीन डिप्लोमेसी पर डाउन प्ले किया। इस पर मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, इस देश में इस तरीके से असत्य फैलाने की कोशिश हुई। आज मैं बदलते भारत की, ...(व्यवधान) आपके तकलीफ हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से इस देश का दृश्य बदला।

श्री सभापति: बीच में मत बोलिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): यही भारत था। आज आपको फख्र होना चाहिए कि यही भारत था कि जिस भारत के...(व्यवधान)

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, जिस भारत को स्वाभिमान के साथ खड़ा होना है, आज उसी पंक्ति में भारत खड़ा है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि अमेरिका से कर्जा लेने वाला देश भारत था। आज अमेरिका को 15 लाख करोड़ कर्जा देने वाला देश बन गया। विदेश से टीका लेने वाला भारत आज पूरी दुनिया को कोरोना की वैक्सीन देने वाला भारत है। विदेश से हथियार खरीदने वाला देश भारत आज 83 देशों में मेड इन इंडिया हथियारों की सप्लाई कर रहा है। (व्यवधान) जिस भारत में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। प्लीज सहयोग करें। विराजिये आप। क्या हो रहा है यह? मैं बैठा रहा हूं न उनको। प्लीज। कोई अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। एक वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं। उनको बोलने दें। सदन की गरिमा है। प्लीज सहयोग करें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: प्लीज। क्या हो रहा है यह? आप बेवजह उत्तेजना पैदा कर रहे हो। क्या वे सक्षम नहीं हैं? वे अपनी बात कहने में सक्षम हैं। मिस्टर सतीश पूनियां अपनी बात कहने में सक्षम हैं। आपको बीच में खड़े होने की जरूरत नहीं है। प्लीज सहयोग करें। बीच में इंटरवीन मत करें। प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य, अपने स्थान पर जाइये। माननीय सदस्य, प्लीज अपने स्थान पर जाइये। प्लीज सहयोग करिये। मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। गम्भीरता रखिये। माननीय सदस्य, विराजिये आप। आपको पूरा राजस्थान देख रहा है, आपकी गम्भीरता को देख रहा है। किस तरह का आचरण कर रहे हैं। माननीय श्री सतीश पूनियां।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, उनका एतराज यह था कि अगर पढ़कर ही बोलना है तो ले कर दो।

श्री सभापति: नहीं, वे पढ़कर नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ पाइंट्स देख रहे हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपकी तरफ नजर उठा कर एक बार आपसे बात करें और बोलें, कोई एतराज नहीं है।

श्री सभापति: वो पढ़कर नहीं बोल रहे हैं, अपने पाइंट्स देख रहे हैं। बोलने दें आप उनको। प्लीज सहयोग करें। आपके बहुत-से माननीय सदस्य बिना बोले रह जाएंगे। अधिकतर लोग पढ़ करके बोल रहे हैं, फिर अलाउ नहीं

(श्री सभापति)

करूंगा मैं और अधिकतर बिना बोले रह जाएंगे। प्लीज सहयोग करें। मैं बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): वे तो सदस्य हैं, ये तो पार्टी के अध्यक्ष हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): 000

(13.00 बजे)

श्री सभापति: मंत्री महोदय, प्लीज सहयोग करें। विराजिये। माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, विराजिये। सदन में आज माननीय सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता महोदय बोलेंगे, इसके बावजूद भी आप गम्भीरता नहीं बरत रहे हैं। प्लीज, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं ...(व्यवधान) प्लीज, आज इस तरह से मत कीजिए। (व्यवधान) प्लीज, माननीय सदस्य, आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं गम्भीरता रखेंगे, सदन की गरिमा बनी रहेगी। आसन को बार बार आपको टोकना पड़ रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, प्लीज सहयोग करें आप। माननीय सदस्य, मुझे आपको वार्न करना पड़ेगा।

श्री सतीश पूनियां। माननीय सदस्य, प्लीज। यह बिलकुल बर्दाश्त नहीं होगा। इस तरह की उद्दंडता बिलकुल बर्दाश्त के बाहर है। (व्यवधान) प्लीज, आसन की गरिमा रखिए। आसन की मर्यादा है। आसन पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है। आसन की गरिमा है और आप स्वयं उसको तार-तार कर रहे हैं। पूरे राजस्थान को क्या मैसेज दे रहे हैं कि आसन बार-बार टोकता रहता है और माननीय सदस्य उसका पालन नहीं करते। मैं इसलिए महसूस करता हूं कि मैं भी वहां बैठता हूं और बैठने के बाद मैं स्वयं महसूस करता हूं कि आसन की गरिमा कितनी महत्वपूर्ण है। प्लीज सहयोग करें। माननीय मंत्री महोदय, आप अपने स्थान पर पधारें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। प्लीज आप सहयोग करें। विराजिए, विराजिए।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। प्लीज, माननीय सदस्य, सहयोग करें, सहयोग करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: मैं व्यवस्था दे रहा हूं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, ट्रेजरी बैंचेज के सभी माननीय सदस्यों से मैं अपेक्षा रखता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

श्री सभापति: पहले मैं बोल लूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं विवाद की बात नहीं बोल रहा हूं।

श्री सभापति: हां, फरमाएं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि जब आप इस आसन पर विराजते हैं तो सदन के 200 के 200 सदस्य हर्षित रहते हैं, खुश रहते हैं। लेकिन जो आज आपका विकराल रूप देखा तो देखकर मुझे पीड़ा हुई। मैं हमेशा यह चाहता हूं कि आप जिस तरीके से मुस्कुराते हुए अपना आदेश प्रसारित करते हैं, वह करते रहें क्योंकि प्राब्लम क्या है...

श्री सभापति: सभी माननीय सदस्यों को पूरी विनम्रता से, पूरी मुस्कुराहट के साथ मेरा निवेदन है कि कृपया सहयोग करें, प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): प्राब्लम क्या है कि जब मैं भाषण दूं तो मैं सत्य बोलूं। अगर सत्य नहीं बोलूंगा तो निश्चित तौर पर बाकी के अधिकारों को मैं कुचल दूंगा। हर आदमी को अधिकार है कि अगर असत्य वाचन है तो उस पर टोकें।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, यह निर्णय हम नहीं करेंगे कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। आदमी को स्वयं अपने विवेक से निर्णय करने दें कि वह क्या बोल रहा है। उसको निर्णय करने का अपना अधिकार है। प्लीज सहयोग करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: प्लीज, एक मिनट विराजिए आप। विराजिए, आप विराजिए। एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें, विराजिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: मैं अपनी बात आप सबको मुस्कुराता हुआ कह रहा हूं कि प्लीज सहयोग करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, मंत्री महोदय, प्लीज सहयोग करें, प्लीज, प्लीज।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य, यदि गम्भीरता नहीं रखनी है तो मैं घंटे, दो घंटे, पांच घंटे जितनी देर आप कहें, मैं हाउस एडजोर्न कर दूं। थोड़ी-बहुत गम्भीरता रखिए, प्लीज सहयोग करें। मुस्कुरा कर कह रहा हूं, प्लीज सहयोग करें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, अब तो अपने लोगों को निर्देश दें। प्लीज सहयोग करें, विराजिए।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। मैं आपसे पुन: आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, प्लीज सहयोग कीजिए। माननीय सदस्य, अब आप बड़े वरिष्ठ हो गये हैं। आपको अपनी वरिष्ठता का अंदाज नहीं है क्या। अपनी हाइट को भी देखिए, अपनी वरिष्ठता देखिए, प्लीज सहयोग करें। माननीय सतीश पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, अब एक पन्ना मैं पढ़कर बोल रहा हूं। मैं थोड़ा इतिहास की तरफ जाऊंगा। 1960 में भारत की साक्षरता 28 प्रतिशत थी।

श्री सभापति: वर्तमान को आप संयत कर लें, उसके बाद आप इतिहास में पधारें। वर्तमान को एक बार थोड़ा सा कूल डाउन कीजिए और उसके बाद आप इतिहास की बात फरमाएं।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): चलिए, मैं पन्ना छोड़ देता हूं।

श्री सभापति: पहले आप अपने इन सभी मित्रों को अपने साथ जोड़िए, कनेक्ट कीजिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

श्री सतीश पूनियां (आमेर): लेकिन वैट तो कम करने के लिए आपने किया था।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

श्री सभापति: मंत्री महोदय, प्लीज।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्योंकि इसमें आपकी पोल खुलने वाली थी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: ...(व्यवधान) प्लीज सहयोग कीजिए। प्लीज, प्लीज ...(व्यवधान) मैं किसी को भी अलाउ नहीं कर रहा हूं। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं होगा, किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं होगा। प्लीज, प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज, आज टाइम की पाबंदी है। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): 000

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, विराजिए, ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजिए, प्लीज सहयोग करें, विराजिए, विराजिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: ...(व्यवधान) प्लीज सहयोग करें। माननीय नेता महोदय और माननीय नेता महोदय प्रतिपक्ष का अभी स्पीच होना है। आप समय बरबाद कर रहे हैं। जिन माननीय सदस्यों का आपने नाम दिया है, या तो अपन यह मान लें कि इतना टाइम अपन को जाया करना है और सीधे-सीधे

(श्री सभापति)

नेता, प्रतिपक्ष को और इनको बुलाना है। ये लोग, जो बिना बोले रह जायेंगे, किसको दोष देंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: प्लीज आप विराजिए। मैं आप दोनों ही मित्रों से आग्रह करूंगा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें। श्री पूनियां साहब, अपनी बात रखें आप।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज सहयोग कीजिए। इतना कहने के बावजूद भी यदि आप सदन की गरिमा को नहीं पहचान रहे हैं, मुझे इस बात का खेद है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 000

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज सहयोग कीजिए। विराजिए, विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: प्लीज, माननीय राठौड़ साहब।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं होगा। प्लीज, प्लीज, मंत्री महोदय, विराजिए, विराजिए। प्लीज शांति रखें। एक वरिष्ठ सदस्य बोल रहे हैं ...(व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज विराजिए, विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए, अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए, विराजिए, अंकित नहीं हो रहा है। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? यही कि हमको आसन की अवहेलना करनी है। सबको यही मैसेज देना है तो मैं इस पर नोट करवा दूं कि पूरा सदन यह चाहता है कि आज तो आसन की अवहेलना की जाए। आसन का मजाक मत बनाइए, अच्छा नहीं लग रहा है। सदन की गरिमा रखना आसन की अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, आप सबकी जिम्मेदारी है। मैं पुन: आपसे विनम्रतापूर्वक, आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं कि कृपया आसन की गरिमा रखें, सदन को गम्भीरता से चलने दें। एक वरिष्ठ माननीय सदस्य बोल रहे हैं। उनको अपनी बात कहने दें। आज माननीय नेता महोदय और माननीय नेता, प्रतिपक्ष, दोनों का स्पीच होना है, समय की भी पाबंदी है।

(श्री सभापति)

(व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज। आप गरिमा नहीं रख रहे हैं तो मुझे कोई असुविधा नहीं है, लेकिन राजस्थान आपको देख रहा है कि आप बार-बार आसन की अवहेलना किस तरह से कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री सभापति: ...(व्यवधान) आपको पहले निकालना होगा। उनसे कम उद्दंड आप भी नहीं हैं। श्री सतीश पूनियां। प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य, आसन को मजबूर मत करिये, आसन की क्षमता है। आसन को इस बात का पता है कि वह सदन को किस तरह से गवर्न करे। मजबूर मत करिये। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आप अपने सदस्य को कहिये कि वे बार-बार बीच में इंटरवीन नहीं करे।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: मुझे महत्वपूर्ण बात नहीं सुननी है। पहले इन्हें अपनी बात कहने दें। उसके बाद यदि मुझे लगेगा कि महत्वपूर्ण बोल रहे हैं, तो मैं आपको अलाउ करूंगा। प्लीज।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अभी शोध चल रहा था कि राजा हरिश्चन्द्र की पीढ़ियों की संतानें कहां पर हैं। पता लगा कि माननीय +++ के रूप में यहां विराजमान हैं, जिन्होंने कभी असत्य नहीं बोला। मैं सब बातों का जवाब दे सकता हूं। मुझे लगता है कि यह सदन की मर्यादा नहीं है।

श्री सभापति: माननीय पूनियां साहब, एक मिनट आप विराजें। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। बैठिए, माननीय सदस्य, विराजिए।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री सभापति: राठौड़ साहब, आप अपने लोगों से कहें कि वे बैठें। प्लीज सहयोग करें। विराजिए। विराजिए, प्लीज सहयोग करें। माननीय पूनियां साहब, एक मिनट, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप प्रोवोक मत करिये। किसी का नाम नहीं लें, प्रोवोक मत करिये। आपका भी महत्वपूर्ण उद्बोधन होना है। आप भी सहयोग करें, किसी का नाम अंकित नहीं होगा। नाम यदि लिखा है तो विलोपित कर दें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, केवल इशारों-इशारों में ही करूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सतीश पूनियां (आमेर): आपको बचाने की कोशिश करनी चाहिए।

श्री सभापति: यदि आपकी बात समाप्त हो गयी है तो मैं दूसरा नाम पुकारूं? आप अपनी बात बोलिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इतनी सारी लोक लुभावन घोषणाएं, इतना लम्बा बजट, जन घोषणा-पत्र, बजट-1, बजट-2, जिसमें सारी बातें कही गयीं, लेकिन राजस्थान के 59 लाख किसान 99 हजार करोड़ के कर्जे की माफी का इंतजार आज भी कर रहे हैं। राजस्थान के 27 लाख बेरोजगार आज सड़कों पर खड़े हैं। वे न्याय मांग रहे हैं। ढाई लाख संविदाकर्मी इस सरकार से न्याय मांग रहे हैं। रायसिंहनगर के किसान सोहनलाल कड़ेला ने एक लाइव वीडियो जारी किया और डाइंग डिक्लेरेशन में कहा कि मैं कर्जे के कारण आत्महत्या कर रहा हूं। सरकार इसकी दोषी है। सरकार को जवाब देना चाहिए। इस पूरे ढाई साल के काल खण्ड में राजस्थान और हिन्दुस्तान की जनता ने कोटा का जे.के. लोन अस्पताल भी देखा, जिसमें 100 से ज्यादा नवजातों की मौतें हुईं। उसका भी दृश्य आपने देखा।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये बच्चों की मौत पर घृणित राजनीति कर रहे हैं। मैं इनको इनवाइट कर रहा हूं, एक बार जाकर देखो।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, एक बार विराजिये। एक बार विराजिये तो सही। यदि आपको कुछ बात कहनी है तो आप अपनी बात कह दें। उनको तो अपनी बात पूरी कहने दीजिए।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय सभापति महोदय, बात वह करनी चाहिए, जिसमें कोई तर्क हो। बच्चों की मौत पर राजनीति करेंगे, हम खामोश नहीं बैठेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: ...(व्यवधान) इस तरह बार-बार इंटरवीन करेंगे तो पूरा सदन बाधित होगा। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): 000

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): 000

श्री सभापति: विराजिए, उनको बात कहने दें। प्लीज सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): 000

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): 000

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: पूरा हिन्दुस्तान यू-ट्यूब पर देख रहा है। आपका आचरण देख रहा है। पूरा हिन्दुस्तान देख रहा है कि आप सब सदन की गरिमा कैसे तार-तार कर रहे हैं। विराजिये। श्री सतीश पूनियां।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, यह पूरा राजस्थान जानता है कि कोटा में बच्चों की मौतें हुई थीं। किसकी गलती थी क्यों गलती थी, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूं। किसान ने आत्महत्या की, यह भी रिकार्ड पर है। बच्चों की मौत हुई यह भी रिकार्ड पर है। राजस्थान के इतिहास में 6 लाख 13 हजार मुकदमे दर्ज हुए। दुष्कर्म की, बलात्कार की, गैंगरेप की घटनाएं हुई, यह भी सत्य है। इस पूरे बजट में राजस्थान के लिए रोड मैप क्या है? किस तरह से कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी? बजरी का अवैध खनन किस तरीके से रुकेगा? बच्चों को कौशल का विकास कैसे दिया जाएगा? नौकरियों का रोड मैप क्या होगा, क्योंकि आपने दो लाख की घोषणा की थी, पूरी नहीं की, आपने 16 हजार..। पूरे राजस्थान का बेरोजगार नौजवान, राजस्थान का किसान, राजस्थान का अवाम, इस बात का इंतजार कर रहा है कि यह गांधीवादी सरकार, जो विकासपरक सरकार बतायी जाती है, जो जादूगर बताये जाते हैं, लेकिन इन ढाई सालों में यह कहीं नजर नहीं आया और राजस्थान की जनता ने फैसला किया, आपके दर्द हो सकता है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। राजस्थान के इतिहास में पहली बार पंचायती राज के चुनाव हुए। ऐसे पहली बार हुए जिसमें सत्ताधारी दल को शिकस्त खानी पड़ी और 21 में से 14 जिला परिषदों पर भारतीय जनता पार्टी, यह एक मेंडेट था, साढ़े चार करोड़...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पालिकाओं में क्या हुआ?

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, यह असत्य नहीं है। साढ़े चार करोड़ मतदाताओं में से 2 करोड़ 41 लाख मतदाताओं ने फैसला किया था। राजस्थान की जनता ने किया था। आम तौर पर यह तकलीफ इसलिए हो रही है कि किसी सरकार के खिलाफ एंटी-इनकम्बेंसी चार-पांच साल बाद शुरू होती है। राजस्थान की जनता ने दो साल में पंचायती राज में इस कांग्रेस पार्टी की सरकार को आईना दिखा दिया। इसलिए तकलीफ होगी, तकलीफ होना वाजिब है, पर उसका इलाज हमारे पास नहीं है।

अब मैं आपको कह रहा हूं। आप हम लोगों को टोकते थे कि किस तरीके से आंदोलन होगा। 6 तारीख से 14 तारीख तक राजस्थान के हर उप खण्ड पर आप जनता का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाइये। अप्रैल एवं मई में दो लाख लोग आपकी छाती पर खड़े होंगे, तब आपको यह जवाब देना पड़ेगा। सभापति महोदय, यह सदन है और यह आपका बजट है और यह आपकी विदाई की तैयारी है।

श्री सभापति: विराजिए। श्री मुकेश भाकर।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री सभापति: विराजिए, प्लीज सहयोग करें। सबकी छाती 56 इंच की है, यहां पर 56 इंच से कम कोई नहीं है। आप विराजिए।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): 000

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, धारीवाल साहब, सदन को नहीं चलाना है? एडजोर्न करूं? फिर यह क्या तरीका है? कोई सहयोग नहीं कर रहा है। आप गम्भीरता से नहीं समझ रहे हैं। आपने यह तय कर लिया। आसन के पास अधिकार हैं। कैसे गवर्न करना है, मैं इस बात को जानता हूं। मुझे बाध्य मत करिए आप। माननीय उप नेता महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी, दोनों से यह अपेक्षा करता हूं, अपील करता हूं, आग्रह करता हूं कि सदन गरिमापूर्ण चले, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। बार-बार आग्रह के बावजूद यदि सदन इसी

(श्री सभापति)

तरह से चलता रहा तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज का दिन महत्वपूर्ण है, आप भी जानते हैं। समय की अपनी सीमा है। नेता महोदय को और नेता, प्रतिपक्ष दोनों को बोलना हैं, अपनी बात कहनी हैं। अब जो हो गया, कम से कम आगे का सदन गरिमापूर्ण चले, मैं सभी से अपेक्षा करता हूं और आपसे सहयोग की अपील करता हूं। प्लीज मुझे सहयोग कीजिए। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय, अपने माननीय सदस्य से आप, प्लीज, बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। किस बात पर बोलना चाहते हैं आप? माननीय सदस्य, फरमाइए, किस बात पर बोलना चाह रहे हैं।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): सदन में जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन सबको बाहर कर दीजिए, सबसे बड़ी बाधा वे ही हैं। उनमें सतीश जी भी हैं।

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चले, इसके लिए जो भी आपके आदेश हैं, उसको मानने के लिए हम बाध्य हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ऐसे क्षण भी आते हैं, जब असत्य वाचन होता है तो निश्चित तौर पर मुंह खुलता है। दूसरों का भी खुलता है। मुझे अभी बताया गया कि जे.के. लोन में इतने आदमियों की डैथ हो गयी। मैं आपको इनवाइट करता हूं, इनवाइट करता हूं कि अगर उस जैसा अस्पताल ...(व्यवधान) उस जैसा अस्पताल अगर आपको राजस्थान में कहीं मिल जाए, मैं इनवाइट करता हूं आपको ...(व्यवधान)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं। उस समय जब आपकी सरकार थी पहले, मैं खुद जाकर आया हूं। एक महीने तक नहीं आये थे मौत के बाद। मैं खुद जाकर आया हूं वहां पर ...(व्यवधान) सब मेरे सामने हुआ है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप चलिए, ...(व्यवधान) गलत-गलत बातें कहने से क्या होता है? बिलकुल गलत बातें कह रहे हैं। (व्यवधान) मेरा आपसे निवेदन है कि ...(व्यवधान)...

श्री सतीश पूनियां (आमेर): कैसी बात कर रहे हैं आप? (व्यवधान)

(श्री सतीश पूनियां)

कोई सच बोलने का ठेका इन्होंने ले रखा है क्या? मुख्य मंत्री जी बोलेंगे, उस समय देखेंगे।

श्री सभापति: सभी विराजिए प्लीज। सहयोग कीजिए। श्री मुकेश भाकर।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 250 किसानों की मौत के लिए माफी मांगनी चाहिए, जबकि ये आंदोलन की धमकी दे रहे हैं। (व्यवधान) माफी मांगनी चाहिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, 2 लाख 95 हजार किसान ...(व्यवधान) हिन्दुस्तान में आत्महत्याएं की हैं। यह कोई तरीका नहीं है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में आगमन एवं नारे)

श्री सभापति: पधारिए आप। कोई नहीं बोलेगा। प्लीज आप सहयोग कीजिए। राजेन्द्र जी, प्लीज सहयोग कीजिए। कोई इंटरवीन नहीं करेगा। विराजिए आप। लेकर जाइए। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग कीजिए। कोई बीच में नहीं बोलेगा, मैं करूंगा। विराजिए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

प्लीज सहयोग कीजिए। आप सब विराजिए। मैं कह रहा हूं, आगे से नहीं होगा। प्लीज सहयोग कीजिए। माननीय सदस्य, विराजिए। राजेन्द्र जी, माननीय उपनेता महोदय, सहयोग कीजिए। अब कोई इंटरवीन नहीं करेगा। मैं सभी से आग्रह करूंगा, कोई इंटरवीन नहीं करेगा। नेता जी को बोलना है, इनको भी बोलना है। प्लीज सहयोग कीजिए। आपको मैं बुला रहा हूं, आप चलिए। एक बार आप अपने स्थान पर तो जाइए। प्लीज सहयोग कीजिए। आप अपने स्थान पर तो जाइए। माननीय सदस्य, प्लीज। राजेन्द्र जी, अपने स्थान पर जाइए, मैं व्यवस्था दे रहा हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

आप अपने स्थान पर तो जाइए। एक बार आप लोग अपने स्थान पर जाइए। मैं अपनी व्यवस्था तो दूं। प्लीज सहयोग कीजिए।

सदन की कार्यवाही आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13.27 बजे, 13.57 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(13.57 बजे)

पुन: समवेत होने पर

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

माननीय सदस्य के भाषण पर अन्य माननीय सदस्य द्वारा आपत्ति के अधिकार का आसन द्वारा नियमन

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मेरी आपसे विनती है, आप अपने स्थान पर जाएं। आप मेरी बात सुन लें, उसके बाद आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं और मेरा दल आपकी भावना का हमेशा सम्मान करता है। आप और हम, सब लोग चाहते हैं कि राजस्थान की जनता ने चुनकर भेजा है, उनकी समस्याओं को ठीक प्रकार से, सदन के माध्यम से, सरकार पर दबाव बनाएं कि उसमें जनता को राहत मिले, उनकी समस्या का निदान हो। मैं सोचता हूं कि हम लोगों ने इसको करने का प्रयत्न किया लेकिन आज जिस प्रकार की घटना, आपने स्वयं ने भी देखी होगी, मैं सोचता हूं कि हमारी पार्टी का अध्यक्ष, अगर अपनी बात रख रहा है और मंत्री स्तर के लोग, वह भी संसदीय कार्य मंत्री, अगर उसमें सम्मिलित हो जाएं तो आप सदन को कैसे चला पाओगे और आप हमसे कैसे उम्मीद करोगे कि हम उसमें सहयोग करेंगे।

मैं सोचता हूं कि इससे ज्यादा दुखद घटना, आज जो कुछ भी देखी है, एक पार्टी का अध्यक्ष अपनी बात रख रहा है, मैं सोचता हूं, मेरी भावना, मेरी उनसे सहमति नहीं हो सकती है, मैं इसको मानने को तैयार हूं, लेकिन आपमें से कोई भी दो लोग अपनी स्लिप लिखकर दे दें कि अध्यक्ष ने जो बातें कहीं, उनका जवाब देने के लिए हमको भी दस मिनट का समय आसन से दिया जाए। यह स्लिप यहां पहुंचा दो, आप उसका जवाब दे देना, कोई दिक्कत नहीं थी पर एक बैठे, दूसरा खड़ा हो। दूसरा बैठे, तीसरा खड़ा हो और आसन से बराबर टोकाटोकी होने के बाद भी उसकी अवहेलना हो, आसन अपने आपको असहाय की स्थिति में महसूस करे, इससे ज्यादा दु:खद नहीं हो सकता।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अध्यक्ष जी, कोई जरूरी नहीं है, हमारा भी कोई जरूरी नहीं है कि सदन चले। यह सदन चले, हमसे ज्यादा सरकार की जिम्मेदारी है। अगर वह इसी बात पर अड़े रहते हैं, पूरे तीन साल भी निकल जाएं, तो यह सदन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या समझते हो? आपको इतना भी अभिमान करने की जरूरत नहीं है। मैं सोचता हूं, जिस प्रकार का व्यवहार आज आपने किया, आपके इतने ऊंचे स्तर के लोग, मंत्री जाकर उसमें सम्मिलित हो जाएं। अगर उन्होंने कोई बात गलत कही, तो मैं इस बात को मानने को तैयार हूं। आपको अधिकार है उस बात को काउंटर करने का, लेकिन उनके बीच में इस प्रकार टोकाटोकी करके इस प्रकार का व्यवहार करना, मैं सोचता हूं कि अशोभनीय है। आज जो भी मंत्री, विशेषकर संसदीय मंत्री ने, क्षमा मांगे हाउस से, इस प्रकार चलेगा क्या हाउस?

(14.00 बजे)

हम तो हर बात पर आपको एडजस्ट करते हैं, आपकी हर बात मानते हैं। हम चाहते हैं कि सदन चले। कारण क्या है कि जनता ने हमको यहां चुन कर भेजा है। ये 25 या 30 दिन चलता है। उसने हमसे उम्मीद की होगी कि हम यहां आ करके कुछ उसके हक के लिए बात करें। उस पर आप इस प्रकार का कुठाराघात करो, यह तो सम्भव नहीं है। मैं आसन से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप इसकी स्थाई व्यवस्था करें। बाकी यह कोई हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। हाउस चले, न चले, +++, जो है, मैं इतना दम रखता हूं और मेरा दल इतना दम रखता है कि एक दिन नहीं चलने दूं हाउस, यह गारंटी करता हूं, अगर कोई हो तो आ जाओ मैदान में।

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के माननीय नेता, मैं आपकी भावना से सहमत हूं। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सदन में डिबेट करें, डिस्कशन करें और डिसेंट करें। इसके लिए नियम-कानून बने हुए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा। कोई भी सदस्य, ये तो पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं, कोई भी सदस्य जब बोले, जब तक वह अपनी जगह नहीं दे, अंग्रेजी में वर्ड है 'yield' नहीं करे, तब तक कोई सदस्य इंटरवीन नहीं करे। Parliamentary democracy की किताब उठाकर देख लें। इसमें सीधा लिखा हुआ है, जिस माननीय सदस्य को अध्यक्ष ने बोलने का अवसर दिया है, जब तक वह नहीं बैठे, तब तक कोई भी सदस्य उसको इंटरवीन नहीं करे। मैं फिर दुबारा निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया इन रूल्स और रेगुलेशंस को डिटेल में पढ़

(श्री अध्यक्ष)

लें। इसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि डिबेट का तरीका यह है। मेरे पास कोई हथियार तो नहीं है, मैं थानेदार तो नहीं हूं, एस.पी. नहीं हूं। नियम और कानून के अन्तर्गत ही मुझे अध्यक्ष के पद की गरिमा को बनाकर काम चलाना है। स्पष्ट लिखा हुआ है, कोई भी सदस्य, जिसको अध्यक्ष महोदय ने परमिशन दे दी है, वह यदि बोल रहा है तो उसको बीच में कोई इंटरवीन नहीं करेगा, जब तक कि वह स्वयं बैठकर किसी बात को सुनने का अवसर नहीं दे। यह प्रैक्टिस है बिलकुल। माननीय सदस्य को लगता है कि कोई बात असत्य कही गयी है, तो सदन के अध्यक्ष का पार्ट,..... कुछ कर्तव्य मेरा भी है। उसको डिलीट करने का, यह करने का, यह अधिकार मेरा है। आपको लगता है, उसके बाद बोलना है, तो आपके मंत्री को अधिकार है, यदि डिबेट में भाग लेना चाहता है तो लिखकर दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। यह भी एक परम्परा है कि मंत्री को डिबेट में भाग लेने का अधिकार है। चीफ व्हिप नाम लिखकर भेज दे कि यह बोला है, पार्टी में मंत्री यह बोलना चाहता है। वह भी उसमें बोल सकता है लेकिन बिना लिस्ट दिये हुए मंत्री खड़े होकर बोलने लगेंगे तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी, हाउस नहीं चलेगा।

संसदीय मंत्री को बोलने का पूरा अधिकार है पर संसदीय मंत्री तभी बोलेगा, जब सामने वाला सदस्य बैठ जाएगा और उसको बोलने का अवसर मिलेगा, पर बीच में इंटरवीन करने के लिए, न मेरा अधिकार है कि हम बीच में इंटरवीन करें। यह परम्पराओं का निर्वहन होना चाहिए।

संसदीय मंत्रीजी, मैं आज किसी को अलाउ नहीं करूंगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं। इस नियम और कानून के अन्तर्गत हाउस को चलाने की जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। मेरा कर्तव्य बन जाता है कि नियम और कानून के अन्तर्गत मैं नियम की बातों पर चलूं। हो सकता है कि जो सदस्य बोल रहा है, वह कथन आपको पसंद नहीं हो, उसमें सत्यता नहीं हो। फिर भी आप उसको वन-टू-वन इंटरवीन नहीं कर सकते। डिबेट ही नहीं होगी। डिबेट का मतलब यही है कि जिसको अध्यक्ष ने अवसर दिया है, वह पूरा टाइम एग्जास्ट करेगा। जब तक वह बैठेगा नहीं, तब तक उसे कोई इंटरवीन नहीं करेगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं बैठूंगा तभी तो आप खड़े होंगे। मैं बैठूंगा नहीं तो कैसे खड़े होंगे। ऐसे तो नहीं खड़े हो पाएंगे। मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं। प्लीज, सदन नहीं चलाना है, कोई तकलीफ नहीं है। सदन को मुझे चलाना है तो मैं तो नियम और कानून के अन्तर्गत चलाऊंगा।

(श्री अध्यक्ष)

मैं सत्ता पक्ष के सभी सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं, डेमोक्रेसी में क्या है। सत्ता पक्ष राज करता है, अपोजिशन तो खाली बोलता है। राज करने वालों को बोलने वालों की बात सुननी पड़ेगी। यदि लोकतंत्र में हम इस बात से नहीं चलेंगे, हम तो राज कर रहे हैं, राज तो आप कर रहे हैं। आपका नियम, कानून, अधिकार है। आपके राज के कलम से चलते हैं, आपके अधिकारी हैं। इनको तो जो तकलीफ है, जनता की तकलीफ है, जो नियम और कानून का पालन नहीं हो रहा, रीति-नीति का पालन, उसी को तो वे हाउस में लाते हैं। हाउस तो 30 दिन चलता है। 30 दिन में ही हम एक-दूसरे को नहीं सुनना चाहते हैं तो फिर लोकतंत्र से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। यह सदन की परम्परा रही है। हिन्दुस्तान में राजस्थान के सदन की परम्परा को कोट किया जाता है और राजस्थान की संसदीय परम्परा को कोट करने का हमारा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, जब आज हिन्दुस्तान में सब जगह संसदीय लोकतंत्र के बारे में लोग चिंतित हैं, तब संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मैं आपसे सानुरोध अपील करूंगा, मेहरबानी करके नियम और कानून का पालन करें। अन्यथा जो कठिन और कड़वा काम अध्यक्ष को करना पड़ता है, वह कठिन और कड़वा काम मुझे करना पड़ेगा।

मैंने स्वयं ने, आपने देखा होगा, मैंने आज स्थगन प्रस्ताव भी कम लगाये हैं। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी नहीं लगाये। 295 के प्रस्तावों को भी पढ़ा हुआ माना गया है। इसके पीछे उद्देश्य था कि एक दिन किसी कारण हम डिबेट नहीं कर पाये तो हम ज्यादा से ज्यादा सदस्यों को डिबेट में भाग देने का मौका दें। उसी में हम इंटरवीन करके डिबेट करेंगे तो मैं समझता हूं कि बजट पर माननीय मुख्य मंत्रीजी की रिप्लाई और प्रतिपक्ष के माननीय नेता के प्रश्न, उसमें यदि जनता को जानकारी नहीं मिलेगी तो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, मेहरबानी करके आप सब सदस्य सदन में जो नियम हैं, उनका पालन करें। सत्तापक्ष से ज्यादा अपेक्षा करूंगा, क्योंकि सत्तापक्ष ही राज चला रहा है। विपक्ष का काम राज चलाने का नहीं है। विपक्ष का काम अपनी बात को कहने का है। उस कहने के अधिकार का सबसे बड़ा प्लेटफार्म यह असेम्बली है। इसलिए मेहरबानी करके आप इतने सहृदय बनें कि जब विपक्ष का कोई नेता बोल रहा है, पार्टी का अध्यक्ष तो बहुत बड़ी बात होती है कोई भी सदस्य बोल रहा है तो कम से कम उसे सुनने का आप पूरा माद्दा रखें, बीच में इंटरवीन नहीं करें। यह डिबेट का पार्ट नहीं है।

(श्री अध्यक्ष)

मैं भविष्य में भी आपसे निवेदन करूंगा कि यह स्टेंडिंग निर्देश हैं कि बीच में कोई भी बोलेगा, किसी का भी अंकित नहीं होगा। ये मेरे स्टैंडिंग आर्डर हैं। कोई भी सदस्य को बोलने का स्पीकर ने अलाउ कर दिया, जब तक वह अपना भाषण खतम नहीं करे, या अपना जो एक सिस्टम होता है यील्ड करने का कि नीचे बैठ जाये, तब तक उसको कोई इंटरवीन नहीं करेगा। मंत्रियों को पूरा अधिकार है, कोई गलत बात आयी है, डिबेट में भाग लेना है, कृपया आप लिखकर भेजिए, डिबेट में भाग लेने का आपको पूरा अधिकार है। आज मेरे पास जो लिस्ट आयी है उसमें मंत्रियों का कोई नाम नहीं है तो मैं अपेक्षा करूंगा कि कोई मंत्री बोलेगा ही नहीं। यही अपेक्षा की जानी चाहिए। फिर मंत्रियों को यह अधिकार नहीं है कि डिबेट में हम एक-दूसरे के बीच में इंटरवीन करें। It is not desirable. इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बजट की गरिमा को समझते हुए मुख्य मंत्रीजी का आज रिप्लाई होना है। अब डिबेट शुरू करते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, माननीय, आपको बोलना है, आप बोलें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मोटे तौर पर जब विपक्ष के साथी बोलते हैं और कोई बात इस तरीके की आ जाती है तो उत्तेजनावश सत्तापक्ष का आदमी भी अपनी सफाई देने के लिए या उस बात को दुरुस्त करने के लिए उस 'असत्य' का 'सत्य' बताने के लिए खड़े होते हैं। मैं आज आपके माध्यम से, चूंकि आज आपने बता दिया है, रूलिंग, एक तरह से इस बात का आदेश दे दिया है, तो मैं मेरे साथियों से भी कहूंगा कि वे कृपया, विपक्ष का जब भी कोई साथी बात यहां पर कहे और आपके द्वारा उनको इजाजत दे दी गयी हो तो उसके बीच में न बोलें। लेकिन यह बात विपक्ष के ऊपर भी निर्भर करेगी। अगर विपक्ष वाले भी किसी मंत्री को टोकाटाकी करेंगे या मंत्री के अलावा भी किसी और सदस्य को टोकाटाकी करेंगे तो फिर बात वह की वह बनेगी। बेहतर, प्रतिपक्ष के नेता ने एक सुझाव दिया कि साहब, मान लीजिए किसी बात से आप डिसएग्री करते हो, मैं मानने को तैयार हूं, आपके सुझाव को कि अगर डिसएग्री करते हो तो आप लिख करके दे दीजिए कि इसके बाद मुझे बोलने का अवसर दिया जाए पर वह अवसर मिलना चाहिए। अवसर अगर नहीं मिला तो फिर बात बिगड़ती है। (व्यवधान) क्योंकि उसको चाहे दो लाइन ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। आप बैठिए, प्लीज, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्य, उनको पूरी बात बोलने दें।

माननीय सदस्य, मैं आपकी राय से गाइड नहीं होऊंगा, मैं बिलकुल सिम्पल गाइड होऊंगा। मंत्री को बोलने का अवसर हरदम नहीं है। मंत्री डिमांड पर अपनी बात कह सकता है, मंत्री जब कोई डिमांड डिस्कस हो रही है, कोई इश्यू डिस्कस हो रहा है, उसमें आपको लगता है कि यह बात यह है तो आपको पूरा अधिकार है। आप मुझे लिखकर दें। मैं उस समय मौका नहीं, मैं पूरा अध्ययन करूंगा कि आपको बोलने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इसमें नियम लिखा हुआ है। नियम लिखा हुआ है उसी के अन्तर्गत मैं किसी को परमिशन दूंगा। पर यह परम्परा बन जाए कि, साहब, नहीं, मंत्री के बीच में बोला है, इसलिए मंत्री जवाब देगा, नहीं। मंत्री भी सदस्य है। Please understand it. इस हाउस में मेरे लिए सब सदस्य हैं। चाहे आप मंत्री हों, चाहे नहीं हों। सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, दोनों हैं। खाली मेरी भूमिका यह है कि सत्तापक्ष का जो विधायक है उनमें से कुछ लोग मंत्री हैं, जिनको सरकार चलाने का उत्तरदायित्व है। उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि विपक्ष की बात को गम्भीरता से सुनकर राज चलाएं।

आप सत्तापक्ष में बैठते हैं, आपको बड़ा हृदय रखना पड़ेगा। आप भी खड़े होकर जवाब देना शुरू कर देंगे तो सरकार ऐसे नहीं चलेगी। आपको पूरा अधिकार है कि मंत्री को जब लग रहा है कि सदस्य गलत बोल रहा है तो आपको बोलने का अधिकार है। मैंने विपक्ष के सदस्यों को भी कहा है, इधर सत्तापक्ष का सदस्य बोल रहा है, सब पर लागू होता है। मंत्री तो बड़ी चीज है। सत्ता पक्ष का कोई सामान्य सदस्य भी बोल रहा है तब भी मैं अपेक्षा करूंगा कि विपक्ष का आदमी उसको इंटरवीन नहीं करेगा। यह दोनों के लिए है। कोई अलग-अलग स्थिति नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि यह नहीं हो सकता है कि कोई एक के लिए हो। मैं संसदीय मंत्री को ही केवल, संसदीय मंत्री को ही केवल, आपको लगता है कि कोई मंत्री बोलना चाहता है, तो संसदीय मंत्री आपके चीफ व्हिप से मुझे कागज लिखकर दें कि इसके सम्बन्ध में कुछ बात करना चाहता हूं। मैं नियम और कानून के अन्तर्गत उसको अलाउ करूंगा, लेकिन बीच में मंत्री किसी को इंटरवीन करेगा तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है।

मैं आशा करता हूं कि आज अपन कैसे बिहेव करते हैं पता पड़ जाएगा क्योंकि अभी तो विपक्ष के नेता को भी भाषण देना है, मुख्य मंत्रीजी

(श्री अध्यक्ष)

को भाषण देना है, सदस्यों को भाषण देना है। मैंने जितनी बात कही, आपने जितनी बात कही, let us see कि प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है। जब हो जाएगा, उसके बाद आगे की बात अपन प्रारम्भ करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक सत्ता पक्ष का सवाल है, निश्चित तौर पर यह तय है कि सत्ता पक्ष को सदन चलाने की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, लेकिन जिम्मेदारी का मतलब यह भी नहीं कि विपक्ष मर्जी आये, जो कुछ बोलता रहे या मर्जी आये जो कुछ करता रहे और सत्ता पक्ष बिलकुल गूंगे की तरह यहां पर बैठा रहे, एक बात।

दूसरी बात यह है, आप मेरी सुन लो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह गलत परम्परा है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वे फिर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप संसदीय मंत्री को संसदीय मंत्री नहीं रखना चाहते हैं? आप उनको सुनो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरा निवेदन मेरा यह है कि जहां तक सत्ता पक्ष के सदस्यों का सवाल है, वहां तक तो ठीक है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरा इस सदन को सुचारु रूप से चलाने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करें, लेकिन विपक्ष के साथियों के ऊपर भी यह निर्भर करता है। यह नहीं होता है कि केवल सत्ता पक्ष ही जिम्मेदार हो और विपक्ष बिलकुल ही गैर-जिम्मेदारी की बात करे, यह भी नहीं होता है।

दूसरी बात यह है कि सत्ता पक्ष के सदस्यों की तो जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन ये जो निर्दलीय बैठे हुए हैं और ये जो दूसरे विभिन्न प्रकार के दलों के माननीय सदस्य बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उनकी जिम्मेदारी नाम देने वाला ले। उनकी जिम्मेदारी नाम देने वाला ले। ठीक है? दुबारा रिपीट करूं मैं? उनकी जिम्मेदारी नाम देने वाला ले, क्योंकि वह नाम देने के लिए, जब समय बढ़ाते हैं, तब हम अपने दल में नहीं मानें, उनको दूसरे दल में मानने के बाद में मैं कर लूंगा। ठीक बात है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह सोचता हूं कि जो बात आपने कही, मैं अपने दल की तरफ से आपको यह आश्वस्त करता हूं कि डिबेट डिबेट के ढंग से हो, अच्छे ढंग से हो, तर्क के साथ हो। लोग वास्तव में यह सोचें कि हमने जो विषय बोला है, वह वास्तव में ठीक है या नहीं? अगर हमारे में से कोई गलत भी बोलेगा न तो जनता कोई हमको आशीर्वाद नहीं देगी, धन्यवाद नहीं देगी। हमारी बात को भी वह टोकती है। बाद में जब कभी भी, कोई भी बोलता है तो उसमें से वह शब्द निकला हुआ, उसको भी टोकते हैं, एक नहीं पचास लोग टोकते हैं। अच्छी कही हुई को हर आदमी जानता है।

मैं यह सोचता हूं कि अगर अपन इस सदन की गरिमा और इसको बनाएंगे तो पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, सबको उन नियमों की पालना करनी ही पड़ती है, जिसकी करने के लिए सदन हम सबको यहां पर एक तरह से पाबंद करता है, मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं।

मैं इतना यह जरूर चाहता हूं कि आज इस डिबेट में एक घंटा व्यर्थ का बरबाद हुआ। मैं यह सोचता हूं कि इसको आप आज के जवाब, चाहे रिप्लाई मेरी हो या चाहे उनकी हो, एक घंटा आगे बढ़ाकर इस सदन को व्यवस्थित रूप से अपनी-अपनी बात कहने का उनको अधिकार दें।

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता और माननीय संसदीय मंत्री को यह कहूंगा कि हम यह परिवर्तन कर दें, मुख्य मंत्रीजी का जवाब छह बजे हो और लीडर आफ अपोजिशन का पांच बजे होगा। बाकी सब समय पर अपनी बात कह देंगे।

मैं एक बार पुन: आप सबको धन्यवाद देता हूं और मैं यह आशा करता हूं कि जो विचार आपने अभिव्यक्त किये हैं, उन विचारों के संदर्भ में आप अपना बिहैवियर करेंगे। आप में से बहुत से वकील हैं। अदालत में जज बैठता है। वकील एक दूसरे के सामने बहस करते हैं क्या? एक वकील अपनी पूरी बहस कर लेता है, फिर दूसरा वकील बहस करता है और फिर जज फैसला करता है। एक वकील के बीच में कोई दूसरा वकील थोड़े ही इंटरवीन करता है? पहला वकील अपनी पूरी बात की दलील दे देता है, फिर दूसरे वकील को मौका देता है, वह अपनी दलील देता है, फिर जज अपना फैसला करता है। ऐसा तो मैंने कोर्ट में नहीं देखा कि एक वकील बोले और दूसरा वकील उसके बीच में बोल जाए और फिर फैसला हो। जब कोर्ट में ही हम यह बात जानते हैं तो हम तो कोर्ट से बहुत बड़े हैं। हम सब इस परम्परा का पालन करें कि जो भी

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य हैं, चाहे सत्ता पक्ष के या चाहे विपक्ष के, जब वे बोलें तो उनको बोलने का पूरा मौका दें और बीच में इंटरवीन नहीं करें।

मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से भी यह कहूंगा कि कोई बात हम कहें तो तथ्यपूर्ण कहें, वह बात कहें, जिससे सार्थक डिबेट हो। डिबेट, तर्क के आधार पर ही हम दूसरे को स्कोर कर सकते हैं। बाकी हम दूसरे पर लांछन लगाकर स्कोर करें तो उससे कोई जनता में मैसेज नहीं जाता है। जो डिबेट की ताकत है, वह तर्क के आधार पर अपनी बात रखें और उस तर्क के आधार पर ही अपनी बात को रखने का जो अवसर अपने पास इस असैम्बली में मिलता है, उसका पूरा उपयोग करें। मैं यह आशा करता हूं। मुझे कल भी देवनानीजी के सम्बन्ध में कोई कठोर निर्णय लेना पड़ा तो मुझे खुद दुःख होता है। हम और आप सब मिलकर यदि सदन की गरिमा को नहीं बना सकते हैं तो यह हम सबके लिए दु:खद होगा और मेरे लिए खास दु:खद होगा कि मैं खुद अध्यक्ष हूं और मैं खुद इन परम्पराओं का निर्वहन नहीं कर सका।

मैं आपसे यह अपेक्षा करूंगा कि आपने जिस तरह से मुझे यूनानीमस अध्यक्ष बनाया है तो यूनानीमस अध्यक्ष बनाने का मतलब कि मेरी जिम्मेदारियां ज्यादा बन जाती हैं तो मैं आप सबकी भावनाओं को ध्यान में रखकर सदन को चलाने का काम करूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सहयोग इस सदन को चलाने में रहेगा।

आज जो बजट की गरिमा है, जिस बजट की गरिमा में प्रतिपक्ष के नेता और माननीय मुख्य मंत्रीजी जवाब देंगे, हम एक अच्छी डिबेट को सुनें। यह डिबेट यूट्यूब के माध्यम से जनता तक जा रही है। उस तरह से हम अपने आपका बिहैवियर करें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा।

मुझे पूर्ण आशा है कि आप इन सब बातों को समझेंगे और हम सदन की एक अच्छी परम्परा को बनाने का आगे काम करेंगे। सतीशजी पूनियां के सम्बन्ध में मैं खुद भी, ये पार्टी के अध्यक्ष हैं, इंटरवीन होता है तो मैं खुद भी पसंद नहीं करता क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष हो, मंत्री हो, लीडर आफ अपोजिशन हो, इनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि इनकी बात पर हम ज्यादा गौर करें। उनकी बात पर गौर करने से मतलब यह है मंत्री अपने विचार प्रकट करता है तो सरकार का व्यू जाता है। प्रतिपक्ष का नेता बोलता है तो डैमोक्रेसी में उनका व्यू जाता है। डैमोक्रेसी की ताकत ही यह है कि हम दूसरे के विचारों को सुनें, समझें और डिबेट के आधार पर उनको निगेट करने की कोशिश करें,

(श्री अध्यक्ष)

तब ही यह डिबेट सार्थक होगी। यही एक डैमोक्रेसी की ताकत है। इसलिए डिबेट करें, डिसेंट करें, डिस्कस करें और रिजाल्व करें। What is duty of the democracy, उस डैमोक्रेसी की ताकत को आप रखें।

हम सौभाग्यशाली हैं कि यहां पर बी.जे.पी. के अध्यक्ष भी हैं और कांग्रेस के भी अध्यक्ष यहां पर हैं। दोनों पार्टी के अध्यक्ष यहां पर हाउस में हैं तो उससे बड़ा और प्लेटफार्म क्या हो सकता है कि दोनों पार्टी के विचार आपको यहां इस सदन में सुनने का मौका मिल सके। इससे बड़ी परम्परा तो और कोई हो ही नहीं सकती। मैं यह समझता हूं कि उनकी उपस्थिति का भी लाभ, अच्छी डिबेट करने पर संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने में अपने को लाभ मिलेगा, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं।

एक बार पुन: आप सबको धन्यवाद देता हूं। अब मिस्टर मुकेश भाकर अपनी बात कहेंगे।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मुकेश कुमार भाकर (लाडनूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट 2021-22 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

पिछला एक साल विपरीत परिस्थितियों के बावजूद और कोरोना काल की वजह से पूरे विश्व ने, पूरे देश ने, पूरे राजस्थान ने जो परेशानियां झेलीं, उसके बावजूद यह बजट, मैं यह कहूंगा कि हर वर्ग को, हर क्षेत्र को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने बनाया है और बहुत अच्छा बजट राजस्थान की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी ने, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, राजस्थान की सरकार ने पेश किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षजी बोल रहे थे। उन्होंने इस बजट की, पूरे देश की, सब चीजों का जिक्र किया। मैं यह समझता हूं कि अगर वे जिक्र करते कि जो देश में बढ़ रही महंगाई है वह कैसे कण्ट्रोल होगी, उस पर अगर वे बात करते तो ज्यादा अच्छा होता। पैट्रोल-डीजल की जो दरें बढ़ी हैं, पूरा देश, आम आदमी जिसको झेल रहा है, वे अगर उस पर बोलते तो अच्छा होता। जो दिल्ली के आस-पास बोर्डर पर बैठे सौ से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गये, वे उस पर बोलते तो बहुत अच्छा होता।

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

उसके साथ, जो तीन महीनों से चल रहा किसान आंदोलन, जिसमें जातियों के नाम पर उसको बांटने का काम भारत सरकार ने किया, उस आंदोलन को बांटने का काम भारत सरकार ने किया, उस पर बोलते तो बहुत अच्छा होता। देश की बेरोजगारी पर बोलते और जो पूरे देश में फैल रही सांप्रदायिकता है, उस पर बोलते तो मैं समझता हूं कि उनका भाषण पूरा माना जाता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिक्र हुआ कि हमारे नेताओं ने आपातकाल पर माफी मांगी तो हमारे नेताओं ने तो राजीव गांधीजी के हत्यारों को भी माफ किया है। मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हमारे देश के नेता, जो वर्तमान में सत्ता में हैं, वे अगर माफी मांगें जो असत्य वादे हमारे देश की जनता से किये गये, माफी मांगते। जो दंगों की राजनीति इस देश पर हुई, माफी मांगते। जो मजदूरों को कोरोना काल में परेशानी हुई, माफी मांगते। जो 15 लाख रोजगार का वादा हम लोगों से किया, माफी मांगते। जो काला धन का वादा हम लोगों से किया गया। मैं यह समझता हूं कि माफी मांगी जाती, जो गुर्जर आंदोलन हुआ, जिसमें 70 से ज्यादा हमारे भाई शहीद हुए, माफी मांगी जाती, जो रावला घड़साना में किसानों पर गोलियां चलाई गयीं, उसके ऊपर माफी मांगी जाती, जो महलों के ताले खुले और बंद हुए, उस पर माफी मांगी जाती और सुराज के नाम पर जो कुराज पांच साल राजस्थान की जनता ने झेला, उस पर माफी मांगी जाती।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बजट हमारी सरकार लेकर आयी है, उसमें विशेष तौर पर स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मजबूत इस राजस्थान में हो सकती हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को और हमारे प्रत्येक मंत्रीजी को, विशेष तौर से हमारे शिक्षा मंत्रीजी और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्रीजी हैं, जिन्होंने मुख्य तौर पर, जो समस्याएं स्वास्थ्य और शिक्षा की थीं कि हर जिले पर जांच सुविधा हो, उसको लेकर जांच केन्द्र खोले गये। इलाज की सुविधा हो, इसको लेकर डाक्टर्स और जो ए.एन.एम. और जे.एन.एम. की भर्ती करके उनको लगाया गया और उसके अलावा हर जिले पर कोई भूखा न सोए, हर ब्लाक पर कोई भूखा न सोए, उसकी व्यवस्था हमारी सरकार ने की।

मैं शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक धरातल से जो आवाज निकलकर आती है, हम बजट में यहां पर घोषणाएं करते हैं, लेकिन जो जमीन पर कभी लागू नहीं हो पातीं, कई बार यह होता है कि वह जो आम

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

जनता है, आम नागरिक है, उसे रिलेट नहीं कर पाती है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी को कि जिन्होंने अंग्रेजी माध्यम की सुविधा ब्लाक स्तर पर की। कृषि संकाय, जिसमें लोगों को ज्यादा रोजगार मिल सकता है, उन स्कूलों की व्यवस्था की। अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले गये। इसके अलावा, बजट में मुख्य तौर पर मेजर ध्यानचंद के नाम पर हर ब्लाक पर एक स्टेडियम बनाने की घोषणा सरकार ने की है, उसका मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर यह योजना धरातल पर हम लागू करने में सक्षम हो गये तो आने वाले समय में युवाओं को और छात्रों को शारीरिक विकास के लिए खेलकूद के लिए हम बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे।

(14.19 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि लाडनूं की मुख्य तौर पर कई वर्षों से समस्याएं थीं जिनका जिक्र इस बजट में हुआ। मुख्य तौर पर ट्रोमा सेंटर की मांग थी, कृषि उपज मंडी की मांग थी, कन्या महाविद्यालय की मांग थी, ए.डी.जे. कोर्ट की मांग थी, रीको की मांग थी, बस स्टैण्ड की मांग थी। इन सब मांगों को इस बजट में शामिल किया गया है।

इसके अलावा, मैं कुछ बातें, जो हमारे लाडनूं में रह गयीं, उनकी मांग मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा कि पीएच.सी. और सी.एच.सी. सेंटर्स की काफी कमी है, उनको ध्यान में रखते हुए अगर वे नये खोले जाएंगे तो लाडनूंवासियों को ज्यादा सुविधाएं मिल पाएंगी।

इसके अलावा, मीठड़ी, जो लाडनूं से दूर कस्बा है, वहां पर अगर उप तहसील खोली जाएगी तो लोगों को और सुविधाएं मिल पाएंगी। डी.वाई.एस.पी. आफिस की मांग काफी समय से वहां रही है। इसके अलावा, गरड़वा चौकी, जो आजादी के बाद एक थाने के रूप में थी, जिसको चौकी में कन्वर्ट कर दिया गया, उसमें वापस थाने की व्यवस्था की जाए।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों की मांगें सरकार को हमने भेजी हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। बिजली के लिए नये जी.एस.एस. और पानी की पूर्ति के लिए नई सुविधाएं अगर हम दे पाएंगे तो जनता के लिए काफी अच्छा होगा।

(श्री मुकेश कुमार भाकर)

इसके अलावा, मैं मांग करना चाहूंगा कि जो बेरोजगार संघ हैं, सरपंच हैं और जो पटवार संघ हैं, जो कई दिनों से आंदोलनरत हैं, उनकी बातों को भी सरकार सुने। कमेटियां बनी हैं, उनकी मांगों पर भी अगर हम ध्यान देंगे तो मैं समझूंगा कि यह बजट जिस तौर पर लाया गया, उससे हम और ज्यादा लोगों को सुविधा दे पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुन: मुख्य मंत्रीजी का, राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छा बजट हर वर्ग को, हर सैक्टर को और जो मांगें मुख्य तौर पर विधायकों की होती हैं, जन-प्रतिनिधियों की होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अच्छा बजट राजस्थान सरकार लेकर आयी। जय हिन्द। जय जवान, जय किसान।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत 2021-22 के बजट पर गत तीन दिनों से चर्चा चल रही है। पक्ष उसकी सराहना कर रहा है और हम उनकी बातों का एक विश्लेषण कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो बजट की पवित्रता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है, उसकी पालना व क्रियान्विति तो करनी ही नहीं है। गत दो वर्षों में बजट की केवल 33 प्रतिशत घोषणाएं पूरी हुई हैं, 35 प्रतिशत प्रक्रिया में हैं और 32 प्रतिशत की तो कोई प्रक्रिया प्रारम्भ ही नहीं हुई है, तो ऐसा बजट प्रस्तुत करने का कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन संविधान की बाध्यता है। इसलिए मुख्य मंत्रीजी ने एक अनिवार्यता के कारण बजट प्रस्तुत किया है। यह शुद्ध रूप से कागजों में +++ है, धरातल और सत्यता से परे है। वे स्वयं और उनके समर्थक उन्हें जादूगर कहते हैं और हैं भी, मैं भी उनको मानता हूं। मुझे बचपन का ध्यान है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था। एक जादूगर हमारा मन बहलाने के लिए जादू दिखाता था। हम लोग भी तालियां पीटते थे और खाली कागज से नोट बनाकर वह हमको दिखाता था पर वे नकली होते थे। उन्हें जब भी घर ले जाते थे या बाजार ले जाते थे तो नकली साबित हुए। वैसा ही इस बजट में प्रस्तुत हो रहा है। कहा गया कि ताली बजाओ, हम समझदार हैं, मुख्य मंत्रीजी, हम आपके कहने से इस प्रकार +++ बजट पर ताली नहीं बजाने वाले हैं। यह जादू ही तो है जो आपको सत्ता में लाये, उनको आप नाकारा, निकम्मा कह दो और सत्ता में लाने वाले को उसके बाद साथ में हैलिकाप्टर में बैठा लो। कभी मंच से नीचे, कभी मंच पर साथ, यह जादू

(श्री वासुदेव देवनानी)

ज्यादा दिन तक नहीं चलता। यह गुजरात के चुनावों ने अभी दर्शा दिया। आप गुजरात गये थे, आपने 80 विधान सभा सीटें जितायीं, लेकिन दो वर्षों में ही सूपड़ा साफ हो गया और वहां पर आज नगर निगमों की छहों पर भाजपा विजयी हुई है। सूरत में तो आपके जीरो आया है। इसके साथ ही जो निकाय के चुनाव हुए 31 जिला पंचायतें, सारी बी.जे.पी. की आयीं।

शायद मुझे लगता है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी की मजबूरी रही कि सब विधायकों को बांधे रखना है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि सम्भवत यह सरकार का अंतिम बजट है, शायद मध्यावधि चुनाव की आहट आ चुकी है। इसलिए बजट में इस प्रकार की बात कहना, जिससे हमको लग रहा हो कि मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं, तो सबको केवल खुश करने वाला बजट ही आता है और वास्तविक धरातल पर कुछ नहीं, जिसकी मैं आगे चर्चा करूंगा। मैं कह सकता हूं कि इस बजट में युवाओं के साथ पूरी तरह धोखा किया गया है। मेरे पास सी.एम.आई. की रिपोर्ट है, जिसमें बेरोजगारी की दर देश में तो 6.9 प्रतिशत है और राजस्थान के अन्दर 17.7 प्रतिशत है। सरकार ने बेरोजगारी में इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में ला दी है। पिछले दिनों बेरोजगारों ने धरना दिया। हमारे यहां के तीन तीन मंत्री गये, उनको आश्वासन दिये, लेकिन परिणाम ढाक के तीन पात। क्या किया, आगामी दो वर्षों में आपने 50 हजार पद, इस वर्ष का बजट नहीं, पर दो वर्षों में 50 हजार पद हम भरेंगे और इसमें पहले बजट में आपने 75 हजार पोस्टें कीं, दूसरे बजट में 53 हजार, तीसरा और चौथा मिलाकर 50 हजार, एक लाख 78 हजार पद आपने विज्ञापित किये और नौकरी कितनों को दी? अभी तक एक को भी नौकरी नहीं मिली। यहां तक कि केवल 16 हजार और अभी 31 हजार मिलाकर 48 हजार की आपने प्रक्रिया शुरू की है।

आपने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। राजस्थान में 27 लाख से अधिक बेरोजगार हैं। आप भत्ता केवल 2 लाख को दे पा रहे हो। और तो और, आपने घोषणा की थी कि हम राजस्थान के युवाओं को प्राथमिकता देंगे। क्या हुआ, 13 राज्यों की स्टडी हो रही है, लेकिन आज तक राजस्थानियों को नौकरी में प्रायोरिटी मिले, इसके लिए कहीं कोई नियम और सोच नहीं है। ई.डब्ल्यू.एस. 2019 में मोदीजी ने लागू किया। उसके बाद आपने राज्यों में भी लागू किया। लेकिन किया क्या? आज ई.डब्ल्यू.एस. को आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जा रही है, जबकि एस.सी. को पांच वर्ष है, एस.टी. को पांच वर्ष

(श्री वासुदेव देवनानी)

है, ओ.बी.सी. को तीन वर्ष की छूट दी जाती है। मेरी मांग है कि आप प्रदेश में भी ई.डब्ल्यू.एस. को भी अन्य वर्गों की भांति आरक्षण का पूरा न्यायोचित लाभ दें। आयु सीमा में अन्य वर्गों की भांति छूट दें और साथ में परीक्षा आवेदन शुल्क, वह गरीब है, इसलिए आपने दिया है, अच्छा किया है, लेकिन ई.डब्ल्यू.एस. और जो गरीब लोग हैं, उनको भी आप आवेदन शुल्क में अन्य वर्गों की तरह छूट दें। उनकी दोनों मांगें न्यायसंगत हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन मांगों को आप स्वीकार करें।

इसके साथ, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। इस बजट सत्र के दौरान सरकार के द्वारा युवाओं पर आज डंडे बरस रहे हैं। वे धरने पर बैठे हैं और डण्डे से उनको पिटवाओ, आवाज उठाने वाले को संख्या के बहुमत के बल पर बाहर निकलवाओ, यह आवाज दबेगी नहीं, एक दिन जनता आपको बाहर का दरवाजा दिखा देगी, यह जरा आप नोट कर लेना, क्योंकि यह जनता शांत रहने वाली नहीं है।

हमारे शिक्षा मंत्रीजी यहां बैठे हैं। बजट में मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि यह बजट शिक्षा को समर्पित है। कहां हुआ शिक्षा को समर्पित? आपने घोषणा की कि हम अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल रहे हैं, एक भी खोला क्या? खोला होता तो स्वामी विवेकानन्द माडल स्कूल के रूप में खोलते। केवल हिन्दी मीडियम के स्कूल में एक माध्यम बदलने से अंग्रेजी स्कूल नहीं खुलते। इस प्रकार का कृत्य किया है तो मैं समझता हूं कि यह जनता को और विद्यार्थियों को धोखा देने के बराबर है। जब आप यहां पर सचेतक थे, मुझे वह दिन याद हैं, जब आपने कहा था कि 22 हजार स्कूल बंद किये हैं, हम सरकार में आते ही खोलेंगे। आज यह तीसरा बजट आ गया, आपने क्या किया, कितने स्कूल खोले? इस बजट के अन्दर भी केवल आपने कहा कि 50 नये राजकीय विद्यालय खुलेंगे और 100 क्रमोन्नत होंगे। यह शिक्षा को समर्पित हो गया। आपने कहा कि केवल 15 नवीन भवन बनेंगे, 70 भवनों की मरम्मत करवाएंगे। इस प्रकार से कोई शिक्षा चलती है। जो 3,500 क्लास रूम्स के लिए कहा है, यह भी भारत सरकार से बजट आया हुआ है, उसमें आप तो राज्यांश भी नहीं दे पा रहे हो।

और तो और, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, जब आपका मौका आये तो जवाब देना। इस बार नवीं की बच्चियों को साइकिलें भी यह सरकार उपलब्ध नहीं करा पायी है। 220 करोड़ की सरकार ने इसमें बचत कर ली है। मेरी

(श्री वासुदेव देवनानी)

बच्चियों की साइकिलें नहीं और आप घोषणा कर रहे हो कि हम बच्चियों की शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। 100 करोड़ रुपये के लगभग हम छात्रों को लैपटाप देते थे। आपने इस बार एक को भी नहीं दिया है। इस प्रकार से युवाओं के साथ जो धोखाधड़ी हुई है, शिक्षा के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, वह चिंता की बात है।

शिक्षा के बारे में तो मैं निश्चित रूप से अभी बाद में कहूंगा। आपने आंगनबाड़ी की बात की, आशा सहयोगिनियों के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने एक शब्द नहीं कहा। 2,700 रुपये प्रतिमाह मिल रहा है, लेकिन कोई उनकी आवाज सुनने वाला ही नहीं है। वह न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। दूर बैठे किसानों की तो यहां बार-बार चर्चा करेंगे, लेकिन ठंड में बैठी हुई बहनों की कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार की असंवेदनशील सरकार नहीं चल सकती।

एक घोषणा और की कि लघु उद्योगों को हम सहयोग करेंगे। 10 हजार लघु उद्यमी हैं, जिसमें प्रावधान केवल 50 करोड़ का रखा है अर्थात् एक को केवल पांच हजार रुपये। केवल धोखा ही धोखा। इस प्रकार की परिस्थितियां डवलप हुई हैं। कानून व्यवस्था का तो मैं जिक्र नहीं करता, काफी मौके आएंगे, फिर और डिमांड्स पर भी करेंगे लेकिन कहीं भी उसमें आपने नफरी का, भर्ती का कोई उसमें प्रावधान नहीं रखा है कि हम नफरी कैसे बढ़ाएं, चौकियों पर पुलिस वाले कितने हों, थानों पर कैसे हों, कैसे अपराध रोकेंगे, इस प्रकार के कहीं कोई विचार नहीं हैं।

अब जरा बजट पर आ जाइये। सी.एम. साहब ने दो बजट पर लगातार, मैं पढ़ रहा था, मेरे पास दोनों बजट हैं, पिछली भा.ज.पा. सरकार पर कि कर्जा लेते रहे, उस पर खूब कटाक्ष किया और स्वयं क्या कर रहे हैं? 2014-15 में कर्जा था 1 लाख 47 हजार 608, 2018-19 हम छोड़ गये 3 लाख 11 हजार 373, अर्थात् हमने प्रतिवर्ष 32 हजार 380 का कर्जा लिया और आपने क्या किया, 2018-19 के अन्दर जो एक्चुअल एस्टीमेट 3 लाख 11 हजार 373, 2019-20 में 3 लाख 52 हजार, 2020-21 में 4 लाख 9 हजार और 2021-22 के बजट में 4 लाख 57 हजार 129 करोड़, अर्थात् आपने 3 वर्षों में 145 हजार 756 करोड़ का कर्जा ले लिया। यदि यही कर्जे की स्थिति रही तो पांच साल के अन्दर यह राजस्थान बिल्कुल दिवालिया हो जाएगा, यहां पर आर्थिक इमरजेंसी हो जाएगी। इस प्रकार से प्रदेश में किसी प्रकार की उन्नति का कोई अवसर प्रतीत नहीं होता।

(श्री वासुदेव देवनानी)

फिर बहुत बड़ी घोषणाएं होती हैं कि, साहब, केन्द्र सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। केन्द्र सरकार का अनुदान व सहायता लगातार बढ़ रही है। 2018-19 के अन्दर ए.ई. 20 हजार 37 करोड़ था, 2019-20 के अन्दर 26 हजार 676 करोड़ हुआ। उसके एक्चुअल एस्टीमेट 29 हजार 105 करोड़, 2020-21 में 29 हजार 892 करोड़ और 2021-22 की बी.ई. में 36 हजार 475 करोड़ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि केन्द्र की सहायता और अनुदान पहले की तुलना में 109 परसेंट बढ़ा है। इस प्रकार का कहना कि केन्द्र सहयोग नहीं कर रहा है, यह बिल्कुल असत्य है, ये जो आंकड़े हैं वे सामने कह रहे हैं। फिर आप कह रहे हो कि हमारा शासन अच्छा चल रहा है, आर्थिक प्रबंधन अच्छा चल रहा है।

रेवेन्यू कलेक्शन 2019-20 में बी.ई. है 73 हजार 742 करोड़ और एक्चुअल एस्टीमेट कितना है, 59 हजार 244 करोड़। क्या आपका रेवेन्यू कलेक्शन है? 2020-21 में आपने प्रावधान रखा 77 हजार 29 करोड़, आर.ई. में ही आपने घटा दिया 68 और एक्चुअल तो पता नहीं कितना आयेगा? 2021-22 में बड़े गर्व के साथ रख रहे हो कि हम 90 हजार 49 करोड़ करेंगे, यह जादू है क्या, कहां से आएंगे 90 हजार करोड़? आपकी कोई कलेक्शन करने की, कोई रेवेन्यू करने की कोई कैपेसिटी नहीं। यह राजस्व घाटा 134.6 परसेंट हो गया है। राज्य सरकार की राजस्व आय में 14.7 परसेंट गिरावट का अनुमान आया है। नतीजतन क्या हो रहा है, राजकोषीय घाटा 33 हजार 922 करोड़ से 58 हजार 608 करोड़ हो गया है अर्थात् सकल घरेलू उत्पाद का यह 6.12 परसेंट हो रहा है जो कि आपको 3 परसेंट और फिर नई परिस्थितियों के अन्दर 4 परसेंट रखना है। सभापति महोदय, हम केवल आर्थिक दिवालियापन की ओर बढ़ रहे हैं।

मैं इसमें आपसे केवल एक आग्रह करूंगा कि आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है, उसके अन्दर हमारी स्थिति बिलकुल डांवांडोल है। मैं राजस्व प्राप्तियों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। 2019-20 में 1 लाख 40 हजार 113.81 करोड़ लाये, 2020-21 में आर.ई. आया 1 लाख 47 हजार और इस बार आपने क्या किया, 1 लाख 84 हजार 330 करोड़ लाएंगे। कहां से राजस्व लाओगे? इस प्रकार का कहीं कोई प्रबंधन नहीं, कहां से पैसा आएगा, क्या होगा? केवल घोषणा किये जाओ, ताली बजवाये जाओ और गाड़ी आगे चलाते जाओ, केवल जनता को बेवकूफ बनाते जाओ। इस प्रकार का जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

मैं वर्तमान घोषणाओं का थोड़ा जिक्र करूं। गत घोषणाओं का जो हश्र हुआ है, आप पूछो। गौ माता के लिए उस दिन कह रहे थे, आप ताली बजाओ। आपने एक भी नन्दी शाला खोली जो गत बजट में था? सारी पंचायतों में खोलने वाले थे, आपने कुछ कहा नहीं। जयपुर के भी विधायक बैठे हैं, जयपुर में परकोटे के पेयजल तंत्र की मजबूती के लिए 165 करोड़ आपको रखने थे, क्या हुआ, एक पैसा नहीं। गांधी अध्ययन केन्द्र, खादी प्लाजा का क्या हुआ, कुछ नहीं। स्वयं उनके गृह जिले जोधपुर में लिफ्ट कैनाल के अन्दर 1,454 करोड़ का प्रोजेक्ट पूरा होना था, पता नहीं है। मेरे अजमेर के अन्दर डी.एन.ए. टैस्ट की सुविधा होनी थी, हाफ डे होम बनना था, पुष्कर -खरेकड़ी सड़क बननी थी, कहीं कुछ नहीं। राजसमन्द जिले में रीको का नया औद्योगिक क्षेत्र बनना था, अभी आपने दोबारा कहा है कि हम बनाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना भी आपकी पूरी नहीं हो रही है। आपने उनको फरवरी और मार्च का दिया कि 8 हजार बनाइये, एक हजार से ज्यादा नहीं बन रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, 2016-17 के अन्दर आपको 13.33 लाख मकान बनाने थे और आपने 2020-21 तक 10.15 लाख बनाये हैं।

मेडिकल कॉलेज है, चिकित्सा मंत्री जी चले गये, केन्द्र ने कहा है मेडिकल कॉलेज खोलो, वाहवाही खूब लूट रहे हैं, लेकिन बूंदी, चित्तौड़, जैसलमेर, गंगानगर में आज तक जमीन तक के भी अलॉटमेंट की बात आगे नहीं बढ़ी है। बड़ी-बड़ी घोषणाएं तो कीं, लेकिन आपने व्यय कितना किया है? मैं 31 दिसम्बर तक आंकड़े बता रहा हूं। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच, बहुत वाहवाही हुई, होनी चाहिए, गरीब जनता की नि:शुल्क जांच होनी चाहिए, लेकिन आपने बजट में कितना खर्चा किया है? आपके यहां 22 हजार 25 करोड़ का बजट और 31 दिसम्बर तक खर्चा किया है 1,157 करोड़ अर्थात् 50 परसेंट भी पूरा खर्चा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री निशुल्क योजना के तहत भी आप गम्भीर नहीं हो। भामाशाह स्वास्थ्य योजना, उसमें 1 लाख 24 हजार 150 करोड़ का प्रावधान और अब तक आपने खर्चा केवल 35 हजार करोड़ किया है। बाकी दो महीने के अन्दर आप क्या कमाल कर दोगे, जो सारा पैसा खर्च हो जाएगा? इसका मतलब आप कहीं भी बजट के प्रति गम्भीर नहीं हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

फिर बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की खूब बातें चलती हैं। आपके उसके अन्दर 0.807 करोड़ का प्रावधान और 31 जनवरी का कह रहा हूं, आपने 31 जनवरी तक खर्चा 0.115 करोड़ किया है अर्थात् केवल 15 परसेंट, यह है बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ की स्थिति। आप बेटियों को पढ़ाना नहीं चाह रहे हो, बेटी को बचाना नहीं चाह रहे हो। यह स्कीम एडोलेसेंट गर्ल्स की थी। उसमें 15 करोड़ का प्रोजेक्ट और आपने 31 जनवरी तक खर्च 4.69 करोड़ किया। यानी सरकार की कहीं कोई इसके प्रति जवाबदेही नहीं है।

उसके साथ बहुत बड़ी घोषणा होती है कि हम एस.सी. का कल्याण कर रहे हैं, एस.टी. का कल्याण कर रहे हैं। एस.सी. का बजट प्री-मैट्रिक स्कालरशिप के लिए 97.8 करोड़ था और 31 जनवरी तक खर्चा हुआ है 29.39 करोड़। आपका एस.टी. का हुआ है 85.89 करोड़ बजट और खर्चा किया है 17.4 करोड़। यह मेरी नहीं, आई.एफ.एम.एस. की वेबसाइट कह रही है। टोटल बजट 6 लाख 40 हजार 374 करोड़ और व्यय कितना किया है, 3 लाख 62 हजार 51 करोड़, अर्थात् 55 परसेंट, शेष कब करोगे भाई? क्या दो महीने के अन्दर बहार आ जाएगी, तब करोगे? इसका मतलब बजट प्रस्तुत करना, खर्चा नहीं करना, लोगों की सुविधाएं नहीं देखना। आपने पूंजीगत व्यय भी नहीं किया। 1 लाख 85 हजार 22 करोड़ था और आपने खर्च 6,723 करोड़ किया है। केवल लूटा।

अब कोरोना की बहुत बड़ी सराहना हो रही थी। विश्व ने हमारी सराहना की, विश्व के किसी देश का नाम तो बताते, जिसने आपकी सराहना की हो। केवल खुद ही पीठ पर थपथपा रहे हो, जबकि कोरोना काल के अन्दर सरकार ने तीन बार वैट बढ़ा करके, 2,500 करोड़ गरीब जनता से लूटा है, उन पर टैक्स लगाया है। इसका जवाब कौन देगा, यह तो आपके हाथ में था। आप मोदी जी की तो सारी आलोचना करते रहो, मोदी जी की आलोचना करो, आर.एस.एस. की आलोचना करो, यह तो केवल आपका रात-दिन माला जपने के बराबर हो गया, लेकिन वास्तव में उस कोरोना में, जो गरीब जनता है उससे आपने 2500 करोड़ लूटे हैं, इसके लिए आपको जवाब देना होगा कि आखिर हमने क्यों बढ़ाया। अभी यहां पर मेरे साथी कह रहे थे कि, साहब, पैट्रोल डीजल के भाव बढ़ गये और विपक्ष वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ये 2,500 करोड़ रुपये तो आपके हाथ में हैं, लेकिन आपने उसको क्यों लूटा, इसका आपके पास कोई जवाब है क्या?

(श्री वासुदेव देवनानी)

इसके साथ आपने कहा था जीरो डिस्क्रिमिनेशन, जीरो करप्शन, जीरो हरेसमेंट, क्या करप्शन जीरो हो गया? रोज कलेक्टर से लेकर के एस.पी. तक घूस ही घूस। इस प्रकार का जो वातावरण राजस्थान में बना है, चाहे वह पटवारी हो, चाहे कॉन्स्टेबल हो, चाहे कोई हो, चारों ओर केवल करप्शन ही करप्शन है। अब जाकर के आपने लोकायुक्त की घोषणा की है।

मैं बाकी चीजों को रिपीट नहीं करना चाहता। कृषक कल्याण योजना के हजार करोड़ में से आपने एक पैसा खर्च नहीं किया। राजस्थान के किसानों को अपने उत्पाद का मूल्य नहीं दिया। आपने इंदिरा गांधी के नाम पर वोट तो लिये, आपने हजार करोड़ की जो महिला शक्ति निधि बनाई, उस पर खर्चा नहीं किया। और तो और नेहरू बाल संरक्षण को सौ करोड़ का बनाया। केवल इंदिरा गांधी, नेहरू, गांधी, सोनिया गांधी आप केवल वोट लेने के लिए उनका इस्तेमाल करते हो, बाकी इसके अलावा आपके पास किसी प्रकार की कोई योजना नहीं।

आप कितने गम्भीर हो, नि:शुल्क योजना की मैंने चर्चा की। उसमें 2020-21 की बी.ई. में 318.2 करोड़ थे और आपने 2021-22 में क्या बजट रखा है, 242 करोड़। कम कर दिया, उधर तो कह रहे हो हम जांचें बढ़ा रहे हैं और इधर आप बजट कम कर रहे हो तो यही क्लियर है कि आप कहीं गम्भीर नहीं हो। आज सत्य सामने साबित हो रहा है। इस प्रकार की स्थिति है।

फिर आपने कहा कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देंगे। एग्रीकल्चर की 2020-21 की आर.ई. में 13 हजार 782 करोड़ और आपने 2021-22 मैं बी.ई. में कितना रखा, 11 हजार 809 करोड़। मतलब कृषि के प्रति भी गम्भीर नहीं हैं। किसानों की बातें करोगे, किसानों के आंदोलन की चर्चा करोगे, लेकिन किसानों का जो भला एग्रीकल्चर से हो सकता है, एग्रीकल्चर का बजट घटाओगे। यह जनता नहीं देख रही है कि आप क्या बजट रख रहे हो। रूरल डवलपमेंट की बड़ी-बड़ी बातें होंगी। 2020-21 का 15,425 करोड़ था और आपने अब 15,920 करोड़ कर दिया। क्या 500 करोड़ से रूरल डवलपमेंट बढ़ेगा? ग्रामीण विकास ही नहीं, एग्रीकल्चर, शिक्षा, युवा, रोजगार, यह क्यों रट लगाते रहते हो? यह कहीं भी आपका नहीं है।

2020-21 में शुभ लक्ष्मी में 71 करोड़ का बजट था और आपने अभी

(श्री वासुदेव देवनानी)

60 करोड़ रखा है। स्वच्छ भारत मिशन, जो कि हमारे लिए आदर्श था कि हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे, राजस्थान को स्वच्छ बनाएंगे, आपने उसमें 1,200 करोड़ से घटाकर के 795 करोड़ रख दिया। वाटर सैनिटेशन होना चाहिए, उसमें 3,891 करोड़ से घटाकर के आपने 3,709 करोड़ कर दिया। आपने जिसमें बढ़ाना चाहिए था, उसमें घटाया।

माननीय सभापति महोदय, एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. वैलफेयर की आप बहुत डींगें हांकते हो। उसमें पिछले बजट में 1,997 करोड़ था और आज 1,934 करोड़ हो गया। इसका मतलब आप केवल बातें करने के लिए हो। बातें करने से कोई समाधान नहीं होता है। उससे गरीब की गरीबी नहीं मिटती है, महंगाई नहीं हटती है, विकास नहीं होता है, कोई सामुदायिक भवन नहीं बनता है, कोई सड़कें नहीं बनती हैं।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों की बात आई तो आपके पिछले 2 सालों से ठेकेदारों के 13 हजार करोड़ बाकी हैं। ठेकेदारों ने काम करना बंद कर दिया है। सड़कें टूटी हुई हैं। विकास के काम ठप हैं। केवल यहां तालियां बजवाने से कुछ नहीं होगा। ताली तो यह आपके पक्ष के लोग बजा देंगे लेकिन ताली से सड़कें नहीं बनती हैं। ताली से ठेकेदारों का पेमेंट नहीं होता। उसके लिए तो आपको रेवेन्यू रिसीट बढ़ानी पड़ेगी। रेवेन्यू रिसीट कितनी है? वह 50.85 परसेंट है। रेवेन्यू एक्सपैंडिचर कितना है? वह 64.71 परसेंट है। टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, 51.8 परसेंट और कैपिटल एक्सपैंडिचर 37.89 परसेंट है। क्या कर रहे हो? इतना आर्थिक कुप्रबंधन।

बिजली मंत्री अभी नहीं हैं। बिजली कम्पनियों का हमारे समय में 80 हजार करोड़ का कर्जा था। हमने उदय योजना के तहत उसमें 60 हजार करोड़ का आपको सहयोग दिलाया। बाकी उस समय 20 हजार करोड़ बचे थे और आज वह कितना हो गया? वापस 80 हजार करोड़। क्या आपका प्रबंधन है? राजस्थान आर्थिक कुप्रबंधन से जूझ रहा है। पता नहीं कौनसे अधिकारियों की राय से बजट बना है। मैं इसलिए कहता हूं कि केवल बड़ी-बड़ी डींगें हांकना बंद करो। वैट घटाओ। बिजली की दरें कम करो। आखिर उद्योग कैसे आएंगे? उद्योग मंत्री बैठे हैं। उद्योग तब आएंगे जब आप बिजली सस्ती दोगे। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में बिजली की दर आपसे लगभग आधी है। गुजरात में प्रति यूनिट 6 रुपये समथिंग है और राजस्थान में कितनी है?

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 2 मिनट में करता हूं।

13 रुपये 70 पैसे है। स्थायी शुल्क, सब मिलाकर के कह रहा हूं। मैं आपको प्रमाण दूंगा। मैं जो कुछ बोल रहा हूं वह डाकूमेंट्स के आधार पर कह रहा हूं। आप बिजली कम्पनियों के घाटे की तरफ ध्यान दो।

माननीय सभापति महोदय, जनता क्लिनिक की बात हुई। मुझे तो जनता क्लिनिक अजमेर में भी नहीं दिखाई दिया। राजस्थान में केवल जयपुर के 12 खुल गये हों, वाहवाही लूटने और ताली बजाने के लिए कर दो। अजमेर में ट्रोमा सेंटर खोल रहे हैं। जो पुराना ट्रोमा सेंटर है, वहां एक भी नहीं है। अजमेर में सी.एच.सी. हमारे यहां खोल रखी है। वहां एक डाक्टर नहीं है। इस तरह से जो स्थिति बनी है, इस कारण से मैं मांग करूंगा कि जितनी भी केन्द्र की योजनाएं हैं, वे पूरी हों। आप सरकार चला रहे हो। आपके पास तो वेतन देने के भी पैसे नहीं हैं। आप इसलिए राजस्व कलेक्शन करो। आर्थिक प्रबंधन ठीक करो। बिजली कम्पनियों का घाटा समाप्त करो। यह व्यवस्था ठीक करो। वैट घटाओ। युवाओं को रोजगार दो। तब जाकर लगेगा कि राजस्थान में आर्थिक स्थिति सम्भल रही है।

माननीय सभापति महोदय, लास्ट में जो आंगनबाड़ी केन्द्रों की आशा सहयोगिनियां हैं, जरा उनकी भी सुनो। केन्द्र की योजनाएं जितनी आ रही हैं, उनका पैसा टाइम से आ रहा है लेकिन आपके पास राज्यांश देने के लिए पैसा नहीं है। आप राज्यांश तो दो।

जल जीवन मिशन का मैं पानी की डिमांड पर बोलूंगा। जल मिशन के लिए आपके पास पैसा नहीं है। कह रहे हैं कि हमको 90 परसेंट दे दो। सारे राज्य तो 50:50 परसेंट में काम कर रहे हैं। राजस्थान को जब 50:50 में कहा जाता है कि यहां की गरीब जनता को घर पर नल का पानी मिले तो केन्द्र की योजनाएं आएं, ऐसा आप नहीं चाह रहे हो। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस प्रकार की बात यदि चलेगी तो दूर तलक तक जाएगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक मिनट में खतम कर रहा हूं। यह स्थिति बनी है कि हमारा जो आयुर्वेद विभाग है उसके अन्दर दवाइयां खरीदी जाती हैं लेकिन लैब में मशीनें ही नहीं हैं। उनकी जांचें पूरी करके अधिकारी भेज देते हैं। वे दवाइयां मार्केट में आ जाती हैं। 25.52 करोड़ का सारा मामला है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार है। इसमें मैं चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्री जी जवाब दें तो इन बिन्दुओं पर प्रकाश डालेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता जाग्रत होगी, इसको सुनेगी भी और कहीं न कहीं राजस्थान का विकास होगा।

(श्री वासुदेव देवनानी)

यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, यह थोथा, केवल कागजी पुलिंदा है। इस तरह से जनता का भला नहीं होने वाला है। केवल सत्ता पक्ष से तालियां बजवा लें। हम लोग इस भ्रम में नहीं आएंगे। हम आपकी पोल लगातार खोलते रहेंगे। आप चाहे हमें कितना ही बाहर निकालो। चाहे कुछ भी करो, उसके परिणाम भुगतने को मैं तैयार हूं। इतना ही कहते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री अमीनुद्दीन कागजी।

श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी कुछ देर पहले आमेर से आने वाले विधायक जी ने एक बात कही कि इस बजट की शक्ल और नीयत पर शक है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि लम्बी-लम्बी, बड़ी-बड़ी बातें करने वाले लोग, जो पिछले डेढ़ साल से दाढ़ी और बाल बढ़ाकर रविन्द्रनाथ टैगोर बनना चाह रहे हैं, उनकी भी नीयत और शक्ल में फर्क है। उनकी भी नीयत ठीक नहीं है। पूरे देश को एक सर्वधर्म समभाव के रूप में साथ लेकर के चलने की उनकी नीयत सारा देश देख रहा है।

अभी कुछ देर पहले जब बात हो रही थी तो बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी दिनों में जयपुर में 2 लाख लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी की इंटरनल फाइट है। एक तरफ धार्मिक यात्रा निकाली जा रही है, दूसरी तरफ जोर-आजमाइश करने के लिए लोगों को जयपुर में बुलाया जा रहा है। इनकी यह लड़ाई देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक बजट की बात है, इस बजट में हमारी सरकार ने, हमारे दयालु मुख्य मंत्री जी ने किसी भी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ा है। चाहे एस.सी., एस.टी. हो, चाहे माइनोरिटी हो, सबको कुछ न कुछ, कहीं न कहीं मिला है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक औद्योगिक वातावरण की बात है, हिन्दुस्तान में राजस्थान एक प्रदेश ऐसा है जिसमें रिप्स, जो 19 पालिसीज लागू की थीं, उसमें अब तक 69 हजार लोगों को रोजगार का अवसर मिला है। जहां तक सरकारी भर्तियों की बात करते हैं, चाहे ग्राम सेवक, पटवारी और

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्ति की बात हो, उसके लिए सरकार ने जो कामन एलिजिबिलिटी टैस्ट लागू किया जाना प्रस्तावित किया है, उससे लगता है कि जो डाकूमेंटेशन का वन टाइम वैरीफिकेशन होगा, उससे भी लोगों को रोजगार और नियुक्ति के अवसर मिलेंगे।

माननीय सभापति महोदय, 7 राजकीय अम्बेडकर छात्रावासों की घोषणा, जिसमें 18 करोड़ 50 लाख के तकरीबन खर्च होंगे, मैं यह समझता हूं कि यह एक सराहनीय कदम है। इन छात्रावासों में रहकर जो बच्चे पढ़ाई करेंगे, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उसी तर्ज पर राजस्थान में अल्पसंख्यकों के लिए 8 बालक छात्रावास खोले जाएंगे। उसके लिए जयपुर की ओर से और प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय की तरफ से मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह भी उनका एक सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक सारे विधान सभा क्षेत्रों का सवाल है, एक हजार करोड़ रुपये, प्रत्येक विधान सभा में जो 5 करोड़ की घोषणा की है, उसके लिए भी मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो 1,900 करोड़ रुपये की घोषणा की है, जिसमें प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र की सड़कों का निर्माण किया जाएगा, उसी की तर्ज पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरीके से आने वाले दिनों में हर विधान सभा क्षेत्र में 40 नलकूप और बोरिंग की घोषणा की है, यह उनका एक दूरगामी कदम है। इसी तर्ज पर पिछले साल भी कंटिन्जेंसी फंड की बात हुई थी और पानी के लिए प्लान बनाया था।

मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों की परेशानियां सरकार भांपती है और उसकी पहले से तैयारी करते हुए हमें एक सराहनीय बजट मिला है। 700 करोड़ रुपये से पारम्परिक कला और संस्कृति के प्रदर्शन स्थलों का सौन्दर्यीकरण किया जाएगा। जयपुर में हैरिटेज को लेकर एक वातावरण है, पिछले दो-तीन महीनों से यहां पर बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं। उसको देखते हुए जयपुर में जिस तरीके से चारदीवारी को यूनेस्को ने एक अवार्ड दिया और हमारे इस जयपुर का जिस तरीके से सौन्दर्यीकरण हुआ, इससे यहां के लोगों को एक आर्थिक सम्बल मिलेगा, इस तरह यह एक विजनरी बजट है।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से राज्य में सर्वधर्म समभाव को लेते हुए कई धर्मस्थलों को सौ करोड़ रुपये से डवलप किया जाएगा, उसमें

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)
चाहे हिन्दू तीर्थ स्थल हैं, माइनोरिटी के हैं, सिख समुदाय के हैं, सभी को लेकर जो सौ करोड़ रुपये की लागत आएगी, मैं समझता हूं कि सब लोगों को साथ लेकर चलने की यह मंशा है।

माननीय सभापति महोदय, अभी बात हो रही थी कि कोरोना में खूब तालियां बजीं। थालियां बजीं। मैं कहना चाहता हूं कि वही लोग, जिन्होंने तालियां बजवाईं, थालियां बजवाईं, नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे और एक तरफ सरकारें गिराने की बातें कर रहे थे। अभी मेरे से पूर्व एक वक्ता बोल रहे थे कि राजस्थान में कोरोना का भयानक रूप देखने को मिला। यूपी में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ? दिल्ली में क्या हुआ? राजस्थान में तो कुछ भी नहीं हुआ। चाहे भीलवाड़ा माडल हो, चाहे रामगंज माडल हो, उसकी तारीफ और मुख्य मंत्रीजी की तारीफ इस देश के प्रधान मंत्री ने की है। यह बात समझने की जरूरत है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता है। 21-21 घंटे सारे पक्ष और विपक्ष के लोगों के साथ कोरोना का प्रबंध हुआ। उसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि ऐसे दयालु व्यक्ति हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं। इससे बेहतरीन बजट नहीं हो सकता था। खासतौर से यह बताना चाहता हूं कि इसमें किसी भी फील्ड को छोड़ा नहीं गया है। चाहे रियल एस्टेट को लेकर स्टैम्प ड्यूटी की बात हो, उनको राहत दी गयी। चाहे कोविड-19 को लेकर जो लैंड टैक्स का मसला था, उसको रिजाल्व किया गया। औद्योगिक वातावरण को लेकर रीको द्वारा 64 नये औद्योगिक सेंटर बनाये गये। इसी तरह से ई-व्हीकल को लेकर, पूरे देश में आज डीजल और पैट्रोल के दामों में आग लगी हुई है और इस सरकार में पिछले एक हफ्ते में चार रुपये के बराबर भारतीय करेंसी डिमोलिश हुई है, डॉलर स्ट्रांग हुआ है। चाहे डीजल की बात हो, चाहे पैट्रोल की बात हो, सब चीजें खास तौर से ये उज्ज्वला गैस की बात करने वाले, इनको मैं पूछना चाहता हूं कि इनके 25-25 सांसद होकर, क्या इन्होंने, भारतीय संसद में एक ने भी आवाज उठाई कि देश और प्रदेश की गृहणियों का बजट बिगड़ गया, 30 दिन के अन्दर सवा दो सौ रुपये इन्क्रीज हो गये। जहां तक कामर्शियल सिलेण्डर की बात है, जो सब जगह, चाहे रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल हो, सब जगह और उद्योगों में जहां कामर्शियल सिलेण्डर काम आते हैं उनके अन्दर पांच-पांच सौ, छह-छह सौ रुपये की वृद्धि हो गयी, इससे हर चीज महंगाई की शिकार हो गयी। क्या लोगों को यह नहीं पता, इनके 25 सांसदों को यह नहीं पता, न तो एक चिट्ठी इन्होंने

(श्री अमीनुद्दीन कागजी)

भारत सरकार को लिखी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपने सारे सांसदों को बुलाएं और कहें कि भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद मिलकर सरकार पर दबाव बनाएं कि चाहे डीजल हो, चाहे पैट्रोल हो या चाहे रसोई गैस हो, उनके दाम किस तरह से कम कराये जा सकते हैं, यह इनका नैतिक दायित्व बनता है।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक किशनपोल विधान सभा क्षेत्र का सवाल है, बहुत सारी चीजें माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हमको दी हैं मैं उसका विवरण देना चाहता हूं। चाहे यहां के मंदिरों की बात हो, चाहे यहां के धार्मिक स्थलों की बात हो, तकरीबन 10 करोड़ रुपये पूरे विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्मार्ट सिटी के द्वारा उनका सारा रिस्टोरेशन के लिए दिया। सारे स्कूल, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पिछले पन्द्रह साल से कई स्कूलों के दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह कमरे बंद थे। उनकी पट्टियां टूट गयीं, उनका फर्श खराब हो गया, लेकिन तत्कालीन विधायक ने कोई ध्यान नहीं दिया। हमने इसको टेकअप किया और 10 करोड़ रुपये से सारे विद्यालयों का पुनर्निर्माण करवा रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, मंत्रिमंडल और तमाम साथियों को पुन: धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में जब पूरा देश और प्रदेश आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहा है, इससे बढ़िया और बेहतरीन बजट जो आपने दिया है, और नहीं हो सकता था। बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय कांग्रेस।

श्री सभापति: श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और जिस बजट पर हम चर्चा कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, इस सदन की पुरानी बातों और पुराने लोगों के शब्द कहे गये हैं, वे ही शब्द आज मैं सब लोगों को, पक्ष और विपक्ष को एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि यह जो बजट रखा गया है, इस बजट के बारे में कहा जाता है कि यह केवल लेखा-जोखा या आय-व्यय का खाता नहीं है। यह जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जन कल्याण के लिए एक अर्थ संकल्प है। इस संकल्प के लिए हम पक्ष और विपक्ष के लोग कटिबद्ध भी हैं। माननीय सभापति महोदय, जब हम इस संकल्प से कटिबद्ध हैं तो यह एक गम्भीर बात मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहता हूं कि 1952 में जब बजट बनना शुरू हुआ अंग्रेजों के बाद से, जिस तरीके से अंग्रेजों ने जो बजट बनाया, आज

(श्री अशोक लाहोटी)

भी हमारे अधिकारी उसी सैट प्रोसेस में बजट बनाकर हमको ये किताबें देते हैं। इस साल मुख्य मंत्रीजी ने डिजिटल फोर्मेट में दिया है। अगर हम ईमानदारी से आत्मावलोकन करें कि जिस फोर्मेट में बजट है, जो हजारों मदें चली आ रही हैं, उन मदों पर हम बजट का सही विश्लेषण कर पा रहे हैं क्या? आज हो क्या रहा है कि जो बजट की कापी दी है, उसमें आंकड़े हैं लाखों में, जो एप्रोप्रिएशन बिल है, उसमें आंकड़े हैं हजारों में और जो आडिट आ रही है, उसमें आंकड़े आ रहे हैं करोड़ों में। पहले साल जब बजट पेश करते हैं तो उसका सही आकलन करने के लिए तीन साल पीछे जाना पड़ता है। मैं धन्यवाद इस बात का दूंगा कि इस साल का बजट इसलिए महत्वपूर्ण है, सत्ता पक्ष के लोग तो यह कह रहे हैं कि घोषणाओं के हिसाब से महत्वपूर्ण है, हमारे लोग भी कह रहे हैं कि यह बजट थोथी घोषणाओं के लिए मशहूर रहेगा, लेकिन मैं इस बजट को इसलिए महत्वपूर्ण मान रहा हूं कि यह बजट, पिछले 2019-20 में जब सरकार बजट लाई थी, उस बजट के वास्तविक आंकड़े इस साल सरकार लेकर आयी है। मैं आज उन पर भी आपके बीच में चर्चा करना चाहूंगा कि जो बजट पहले सरकार लेकर आयी थी, उस बजट की वास्तविक स्थिति क्या थी, क्योंकि उसके वास्तविक आंकड़े आज हमारे सामने आ गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, इससे पहले मैं आपको एक बात और याद दिलाना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री का यह 13वां बजट है। आज तक मुख्य मंत्रीजी ने 988 पन्ने पढ़े हैं बजट के, 3,122 बिन्दु पढ़ दिये, 30 प्रतिशत भी कार्य इनमें पूरा नहीं हुआ। मैं ज्यादा डिटेल, जब डिमांड पर बात करूंगा तब करूंगा कि 1999 का जो पहला बजट था, स्वर्गीय चंदनमलजी बैद साहब ने पढ़ा था, मैं मुख्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से इतनी जरूर मांग करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उस बजट की तो सारी घोषणाओं को पूरा करवा दें, बाकी बातें तो बाद में कर लें। 1999 के बजट की घोषणाएं बाकी पड़ी हैं। कल पानी की डिमांड पर उन पर विस्तार से चर्चा करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, जोड़-तोड़ के आंकड़ों और थोथी घोषणाओं के इस बजट पर कहां से चर्चा शुरू करूं। बढ़ाकर बजट पेश करने का एक फैशन बन गया। चाहे हमारी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो। हर साल बजट का आंकड़ा बढ़ाकर दिया जाता है। दो लाख पच्चीस हजार करोड़, दो लाख बत्तीस हजार करोड़, इस साल दो लाख पचास हजार करोड़ का बजट। जनता इस बात को ढूंढ रही है कि दो लाख पचास हजार करोड़ रुपये

(श्री अशोक लाहोटी)

इस राजस्थान में कहां जा रहे हैं? माननीय सभापति महोदय, एक्चुअल आ गया। अगर मैं इस एक्चुअल की बात करूं तो इसी सदन में आपने कहा था कि रेवेन्यू रिसीट एक लाख चौसठ हजार करोड़ रुपये आएगी, 2019-20 की बात कर रहा हूं, इस पर तो बाद में आऊंगा। आयी कितनी, एक लाख 40 हजार करोड़ रुपये। उसमें भी सेन्ट्रल का 65 हजार करोड़ रुपया शामिल है, यानी हमने अपनी रिसीट्स में से केवल 14 प्रतिशत प्राप्त किये हैं, खर्च करने की बात तो छोड़ें। यह तो प्राप्त करना था। यह तो सरकार का राजकोष था। इसे लाने का तो सरकार का धर्म था। आपने 2020-21 में कहा, 1 लाख 73 हजार 404 करोड़ लाएंगे, आप दिसम्बर तक मात्र 79089.27 करोड़ लाये हैं, जो कि आपकी घोषणा का मात्र 48.83 प्रतिशत है। अब मैं आपके माध्यम से सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूं कि दिसम्बर तक आप 48 परसेंट लाये हैं तो मार्च तक आप ऐसा क्या कर देंगे कि आप 100 परसेंट पूरा कर लेंगे और आपने इस बार कितना रखा है, 1 लाख 84 हजार करोड़। अच्छा ख्वाब है गालिब, देखते रहो।

(15.00 बजे)

सभापति महोदय, इसके बाद में 2019 के आंकड़ों की बात करूंगा, जो आपने कहा था कि स्वयं का राजस्व हम 73 हजार करोड़ लाएंगे, अब तो कोई बहाना भी नहीं है, 2019 के एक्चुअल्स आ गये। आप लाये 59 हजार करोड़ रुपये, यानी 20 प्रतिशत कम। इस बार आप कह रहे हैं कि हम 90 हजार करोड़ लाएंगे। आपका जी.एस.टी. 29 हजार करोड़ आपको लाना था। इसमें तो मोदी जी ने नहीं रोका था। जी.एस.टी. आया 21 हजार करोड़ रुपये, 28 प्रतिशत कम। सभापति महोदय, यह मैं एक्चुअल्स की बात कर रहा हूं। आपका लैण्ड रेवेन्यू आना था 426 करोड़, आप लाये हैं 364 करोड़ रुपये, 15 प्रतिशत कम। इस बार आप कह रहे हैं कि हम 524 करोड़ रुपये ले आएंगे। उस साल तो कोरोना भी नहीं था। यह 2019-20 का है। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आप इस पर जरूर गौर फरमाएं।

स्टाम्प पंजीयन 5,350 करोड़ रुपये, आपने कहा था लाएंगे, लाये आप 4,230 करोड़ रुपये, 21 प्रतिशत कम। इस बार आपने आंकड़े लिख दिये 6,100 करोड़, क्योंकि एक्चुअल आएगा, तब तक आपकी सरकार चली जाएगी। तीन साल बाद आना है। आपको तो केवल घोषणा ही करनी है। एक्साइज में आपने कहा 10,500 करोड़, आया 9,500 करोड़, 6 प्रतिशत कम। इस बार तो

(श्री अशोक लाहोटी)

आपकी यह स्थिति हो रही है कि नयी एक्साइज पालिसी के बाद आपकी दुकानें नहीं बिक रही हैं और आपने लिख दिया कि 13,250 करोड़ लाएंगे। मुख्य मंत्री जी, इन अधिकारियों से अभी भी पूछ लें कि इतने लाएंगे क्या? सेल्स टैक्स में आपने लिखा 20 हजार करोड़, आप लाये हैं 15,842 करोड़, 21 प्रतिशत कम। वाहन टैक्स में आपने लिखा 5,600 करोड़, आप लाये हैं 4,900 करोड़, साढ़े 12 प्रतिशत कम। विद्युत पर शुल्क आपने लिखा 2,800 करोड़, यह तो बढ़ाने के बाद भी आप लाये हैं मात्र 2,262 करोड़ रुपये, 19.32 प्रतिशत कम। सभापति महोदय, ये एक्चुअल्स हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि हम घोषणाएं कर देते हैं। बी.ई. के बाद आर.ई. ले आएंगे, आर.ई. के बाद एक्चुअल्स लाएंगे, एक्चुअल्स लाने तक हम बी.ई. और एक्चुअल्स को कभी मिलाएंगे नहीं तो राजस्थान की जनता को जवाब कैसे देंगे?

महोदय, बजट के आंकड़े बड़े करने से आम जनता को कोई फायदा नहीं हो रहा है। आपने सैलेरी कितनी बांटी, ब्याज कितना दिया, आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं है। वह ढूंढ़ रही है कि आपने सड़कें कितनी बनायीं, बिजली कितनी लाये, पानी, सीवरेज, नौकरियां, इन्फ्रास्ट्रक्चर क्या बनाया, उसको ढूंढ़ रही है। 2019-20 में पूरा बजट आपने 2 लाख 32 हजार करोड़ का दिया। उदय योजना सहित उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने दिया मात्र 19,472.32 करोड़ रुपये। आपने कहा हम जनता की सुविधा के लिए खर्च करेंगे, यानी 2 लाख 32 हजार करोड़ के भारी-भरकम बजट में आपने कहा, 19 हजार करोड़ रुपये जनता के लिए और उसमें से भी आपने खर्च कितना किया है, 14,718 करोड़ रुपये, यानी मैं आपके कुल बजट का परसेंटेज निकालूं तो this is only 6.31%, यानी कुल बजट का केवल 6.31 प्रतिशत हमने जनता के विकास के लिए खर्च किया है। यह हमारी वास्तविकता है। यानी आपकी जो घोषणा थी, उससे भी 24.41 प्रतिशत कम। जो आपने मोडिफाई करने के बाद में घोषणा दी, यह वह बजट था, जो आपने मोडिफाई भी किया था। सभापति महोदय, मैं अब आपको सबसे बड़ा आंकड़ा बता रहा हूं। ये पूर्ववर्ती भा.ज.पा. सरकार के बारे में अभी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, जुमले कह रहे थे, उदाहरण दे रहे थे। वसुन्धरा जी के समय में 2018-19 में आपके उसके बाद के खर्चे से भी 4,920 करोड़ रुपया हमने ज्यादा किया। हमने 19,638 करोड़ रुपये भा.ज.पा. की सरकार में, वसुन्धरा जी की सरकार में जनता के लिए खर्च किया, जो कि आपके खर्चे से 34 प्रतिशत ज्यादा है।

(श्री अशोक लाहोटी)

इसका जवाब दीजिएगा आप। 2018-19 का खर्चा 2019-20 से 34 प्रतिशत से ज्यादा है, कैपिटल एक्सपैंडिचर।

सभापति महोदय, इसी प्रकार 2020-21 में आपने 21,619 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपैंडिचर रखा, अब आप बहाना बनाएंगे कोरोना का, लेकिन आपदा में भी अवसर ढूंढ़ना सरकार का काम है, जैसा कि केन्द्र सरकार ने ढूंढ़ा है, वह भी मैं आगे बताऊंगा। आपका खर्च हुआ मात्र 8,192 करोड़ रुपये, यानी आपके खुद के बताये हुए खर्च के टारगेट का केवल 38 परसेंट। सभापति महोदय, इनके भारी-भरकम बजट का मात्र 3.64 परसेंट दिसम्बर तक का, एक्चुअल भी आ जाएगा अगले साल, तब दोबारा बात कर लेंगे। तीन माह में कितने असत्य आंकड़े बनाएंगे, यह समय बताएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि इन्होंने पिछले साल जो बजट का कैपिटल एक्सपैंडिचर दिया था, मैं एक बार उसे भी आपके सामने रखता हूं। आपने हैल्थ और फैमिली वैलफेयर पर 14,700 करोड़ रुपये दिये, उसमें से कैपिटल था मात्र 1,400 करोड़ रुपये, उसमें से भी आपने कोरोनाकाल में कितना खर्च किया है? 1,400 करोड़ में से केवल 164 करोड़ रुपया खर्च किया है, यानी दिसम्बर तक आपका कैपिटल एक्सपैंडिचर 12 परसेंट हुआ है।

एजुकेशन और स्पोर्ट्स में आपने 40 हजार करोड़ का भारी-भरकम बजट रखा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी का डिपार्टमेंट है। उसमें से 1,413 करोड़ आपका कैपिटल एक्सपैंडिचर था, खर्च हुआ है मात्र 853 करोड़ रुपया, केवल 60 प्रतिशत और इस बार आप कह रहे हैं, 44,309 करोड़ का बजट दिया है और उसमें कैपिटल एक्सपैंडिचर रखा है आपने 1,667 करोड़ रुपया, केवल 3.76 परसेंट। सभापति महोदय, यू.डी.एच. और हाउसिंग आपका बड़ा डिपार्टमेंट है। उससे माननीय संसदीय मंत्री जी भी आते हैं। 16,225 करोड़ रुपये का बजट रखा था। कैपिटल एक्सपैंडिचर मात्र 6,120 करोड़ रुपये था। उसमें आपका दिसम्बर तक खर्च हुआ केवल 45 प्रतिशत, 2,756 करोड़ रुपये और आपने आंकड़े बढ़ाकर फिर दे दिया 18,865 करोड़ रुपया और वह पिछली बार से भी कम, केवल 4 प्रतिशत कैपिटल एक्सपैंडिचर रखा है।

सभापति महोदय, वैलफेयर और एस.सी.-एस.टी., जिसके लिए हर सदस्य ने अपने-अपने तरीके से बातें कहीं कि हमने कितना वैलफेयर किया है, मात्र 1,914 करोड़ रुपये आपका बजट था, आपको करना था 247 करोड़, आपने 141 करोड़ किया और इस बार आपने लिख दिया कि हम 255 करोड़

(श्री अशोक लाहोटी)

करेंगे, क्योंकि एक्चुअल जब आएगा, तब तक सरकार चली जाएगी। सोशल वैलफेयर, सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट, इसमें लिखा है कि 11,231 करोड़ रुपये, उसमें से कैपिटल था मात्र 39 करोड़ रुपये और उसमें से भी खर्च मात्र 12 करोड़ रुपये हुए, यानी केवल 30 परसेंट और इस बार आपने रखा है केवल 46 करोड़ रुपये कैपिटल एक्सपैंडिचर, आपने अपने खुद के बजट का 0.29 प्रतिशत सोशल वैलफेयर पर खर्च किया है।

एग्रीकल्चर, आपने 11,441 करोड़ रखा, खर्च किया 47 प्रतिशत। इस बार आप लिख रहे हैं कि 521 करोड़ खर्च करेंगे, जो कि पूरे देश में सबसे कम 4.41 परसेंट है। एनर्जी पर आपने कहा कि 18,736 करोड़ खर्च करेंगे, आपने खर्च किये केवल 4 प्रतिशत, यानी 99 करोड़। उसमें आपने इस साल 1,467 करोड़ लिख दिया। सभापति महोदय, इण्डस्ट्रीज का, अभी उद्योग मंत्री जी बैठे हैं, आपने घोषणा की कि एक हजार करोड़ रुपये हम इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट पर खर्च करेंगे। उद्योग मंत्री जी, इस लेखे को पढ़ें, इसमें आपके केवल 4.66 करोड़ रुपये लिखे हुए हैं, बजट के प्रावधान में। ये आपके आंकड़े हैं, आपकी घोषणा का 0.59 परसेंट, एक हजार करोड़ रुपया खर्च करने की आपकी मंशा है, आपने घोषणा की है, पर बजट के लेखे में तो कहीं देते कि एक हजार करोड़ खर्च करेंगे। घोषणा में तो कर रहे हैं एक हजार करोड़ खर्च, पर बजट में आपके खाते में केवल 4.99 करोड़ ही लिखा है। कैपिटल एक्सपैंडिचर देखें आप।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): रीको करता है खर्च।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): चलें, रीको से करवा लीजिएगा। अगले साल हम उस पर भी चर्चा कर लेंगे। आपने रूरल डवलपमेंट की बात कही, 13,328 करोड़ रुपये, खर्च हुआ 230 करोड़ रुपये, केवल 50 प्रतिशत। फिर आपने पुलिस डिपार्टमेंट में केवल 55 परसेंट और साइंस और एनवायर्नमेंट में टैक्नोलोजी की बात, डिजिटल युग की बात, केवल 1.58 परसेंट। जैसा अभी पहले एक माननीय सदस्य ने कहा, प्री-मैट्रिक स्कालरशिप, यह आपको करना था 97.80 करोड़ रुपये, आपका खर्च हुआ मात्र 29.39 करोड़ रुपये। यह एस.सी. के स्टूडेंट्स का है। एस.टी. के स्टूडेंट्स पर आपको खर्च करना था 85.89 करोड़ रुपया, खर्च हुआ है मात्र 17.4 करोड़ रुपया। सभापति महोदय, यह पुराने बजट की सेहत थी। इस बार भी आपके 2021-22 के बजट की सेहत ऐसी ही है। मैं आपको आगे के आंकड़े बता रहा हूं। आपका अब तक का

(श्री अशोक लाहोटी)

कर्जा 3 लाख 79 हजार करोड़ रुपये आपने पहुंचा दिया। यदि मैं पिछले साल की बात करूं तो केवल पिछले साल में आपने 91 हजार 262 करोड़ रुपये कर्जा लिया है। इस साल आपने लिखा है कि इस साल हम 61 हजार 904 करोड़ का कर्जा लेंगे, तो कुल कर्जा कहां जाएगा? आज के दिन राजस्थान के प्रत्येक नागरिक पर 50 हजार रुपये का कर्ज है जो आज तक का सबसे ज्यादा है। यह आपके बजट की सेहत है। सभापति महोदय, सरकार को उधार लेकर घी पीने की आदत पड़ गयी है और घी की हालत यह है कि केवल ब्याज-ब्याज आप 28 हजार 360 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष दे रहे हो, जो हर साल ग्रेजुअली बढ़ रहा है और इसमें मूल का एक पैसा नहीं है। आप मूल एक पैसा नहीं चुका पा रहे हो और केवल ब्याज-ब्याज आप 28 हजार 360 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष दे रहे हो, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकार्ड है। राज्य सरकार की आय ग्रेजुअली 18.88 प्रतिशत की दर से घटती जा रही है।

सभापति महोदय, यह पक्ष और विपक्ष जिस बजट को लेकर संकल्पबद्ध है, इस पर मनन करने की आवश्यकता है कि क्या हम वाकई में राजस्थान को आर्थिक दिवालियापन की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम अपने खर्चे कहां तक रोकेंगे? हम अपनी ग्रोथ कैसे बढ़ाएंगे? आप पेट्रोलियम की बात कर रहे हो, राजस्थान में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा, राजस्थान में वैट सबसे ज्यादा और उसके बाद भी आपके राजस्व में माइनस 58 प्रतिशत पेट्रोल का राजस्व है। यह इस बात की तरफ इंडिकेट करता है कि पड़ोस के राज्यों से पेट्रोल की तस्करी भारी-भरकम मात्रा में शुरू हो चुकी है। मैं इस सदन में आरोप लगा रहा हूं कि सरकार के संरक्षण में पुलिस के माफियाओं में राजस्थान में आयल और पेट्रोल की तस्करी शुरू हो गयी है, जो आने वाले दिनों में इस बजरी माफिया से बड़ा तंत्र यहां विकसित होता जा रहा है। इस राजस्थान के लिए बड़ा सिरदर्द होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें, सभापति जी की व्यवस्था दी हुई है।

आप पूरे बजट पर केन्द्र सरकार को एक बार तो धन्यवाद देते। आप बड़ी सीनियर सदस्या हैं, आप दिल पर पत्थर रखकर बोल रही हैं, यह मुझे पता है। आप मंत्रिमण्डल विस्तार का इंतजार करो। आप पूरे बजट पर केन्द्र सरकार को एक शब्द तो धन्यवाद का देते। आपने खुद ने लिखा है कि आपको 76 हजार 588 करोड़ रुपये केन्द्र की सहायता मिल रही है और उसमें आपने यह लिखा है कि हम वैट कलेक्ट करेंगे, तभी तो आपको अपना हिस्सा

(श्री अशोक लाहोटी)

मिलेगा। 2020-21 में आपको वैट कलेक्ट करना था, आपको केन्द्र से जो मिलना था वह मिलना था 46 हजार 886 करोड़ रुपये। आप बताओ आपका 40 हजार करोड़ ही हिस्सा क्यों बन रहा है? ग्रांट आपको बढ़कर मिल रही है। ग्रांट आपको मिलनी थी 29 हजार करोड़ रुपये, पिछले वर्ष मिली 30 हजार करोड़ रुपये, इस बार मिल रही है 36 हजार 475 करोड़ रुपये। यह आपने आंकड़ों में लिखा है जबकि आपका खुद का हिस्सा है, वह कम हो रहा है, क्योंकि आप अपना राजस्व इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, आप सेंट्रल टैक्सेज भी इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, आपका राजस्व कम होता जा रहा है, आपको अपना शेयर कम मिल रहा है। उसका दोष आप केन्द्र सरकार पर मढ़ रहे हो, जबकि फिफ्टींथ फाइनेंस कमीशन में आपको 0.29 परसेंट बढ़कर मिल रहा है। आपको ग्रांट बढ़कर मिल रही है। उसके बाद में भी केन्द्र सरकार से 24 प्रतिशत ग्रांट आपको मिल रही है आपके बजट की और वह बढ़कर मिल रही है।

सभापति महोदय, जैसे मैंने कहा था कि कोरोना में, आपदा में अवसर ढूंढने की बात थी। यह कोरोना केवल राजस्थान में नहीं था, पूरी दुनिया में था और ऐसी स्थिति में पिछले वर्ष केन्द्र सरकार ने जी.एस.टी. का रिकार्ड कलेक्शन किया, हमेशा से 12 प्रतिशत जी.एस.टी. का कलेक्शन ज्यादा किया है, जो पिछले महीने में 27 प्रतिशत ज्यादा है और आज तक का हाईएस्ट एक लाख 15 हजार करोड़ का जी.एस.टी. कलेक्शन केन्द्र सरकार ने किया है तो राजस्थान सरकार क्यों पंगु हो रही है? अधिकारियों से मिलीभगत कम होगी, सांठ-गांठ कम होगी, लीकेज कम होगी, बजरी माफिया, तेल माफिया रुकेंगे, तब ये टैक्सेज बढ़ेगे।

सभापति महोदय, जनवरी में उत्पादन देश में, एक्सपोर्ट ग्रोथ, भारत की मैन्युफैक्चरिंग पी.एम.आई. आज तक के हाईएस्ट स्तर पर 57.07 परसेंट पहुंची है, उभरते बाजार में भारत सबसे बेहतर है। हम यदि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करें तो 6.2 प्रतिशत बढ़ा है, जो जनवरी में 27.45 अरब डालर रहा है। स्टाक मार्केट एण्ड कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 6 फीसदी बढ़ा है, जो दुनिया में तीसरे नम्बर पर है। हम यदि खाने-पीने की चीजों की, महंगाई की बात करें तो खाने-पाने की चीजों पर महंगाई 1.9 प्रतिशत व कुल महंगाई चार प्रतिशत कम हुई है, यह देश के आंकड़े बोल रहे हैं। इमर्जिंग मार्केट की सूची में हम तीसरे पायदान पर आ गये हैं सभापति महोदय।

सभापति महोदय, अभी जो सदस्य बोल रहे थे और पिछले बजट और

(श्री अशोक लाहोटी)

इस बजट की तुलना बता रहे थे, ज्यादा तो सारे सदस्य कह चुके हैं। यह मेरा ही प्रश्न था, नन्दीशाला का जवाब आया कि एक भी नहीं खुली। मेरा ही प्रश्न था, जनता क्लिनिक का एक हजार खुलनी थी और केवल 12 खुली तथा वे भी केवल जयपुर में। मेरा ही प्रश्न था कालेज का कि 88 कालेज में जीरो प्रतिशत आबंटन, एक-एक कमरे में कालेज चल रही है, राजस्थान के नौजवानों के साथ धोखा हुआ। आज जगह-जगह धरने लग रहे हैं। हरेक विधायक को ज्ञापन दिये हुए हैं। ये अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं। बेरोजगारों का धरना चल रहा है। कहां गया वह बेरोजगारी भत्ता? ये जो बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, इस सदन की रिकार्डिंग करके जनता चुनाव में देगी और आप क्षेत्र में नहीं जा पाओगे, लोग कुर्ता फाड़ेंगे। सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सदन में कही हुई बात तो कम से कम हम सच्चाई से बोलें। कहां गया वह 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता जो हर नौजवान को मिलना था? ईमानदारी से हाथ रखकर कह दो कि आपके क्षेत्र में कितने बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। संविदाकर्मियों का नियमितीकरण, औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना, गौण मंडियां, 75 हजार नौकरियां, 53 हजार नौकरियां, ग्राम पंचायतों का विकास।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह कहूंगा कि यह बजट जिस प्रकार से आया है, इस बजट की सेहत में कहां गया वह भिक्षावृत्तिमुक्त जयपुर शहर? सभापति महोदय, एक और घोषणा हुई थी। दो मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। जयपुर में मैट्रो की डी.पी.आर. की बात हुई थी। जयपुर में फर्स्ट फेज, सैकण्ड फेज की डी.पी.आर. बनने की बात हुई थी। फर्स्ट फेज की डी.पी.आर. में आपने कहा कि 1.21 लाख यात्री ट्रेवल करेंगे। आपने रूट गलत बनाया। अधिकारियों के कहने से 2 हजार करोड़ रुपये का ब्लंडर किया। हमारे समय में भी एक छोटा ब्लंडर हुआ था, खासाकोठी की पुलिया का 35 करोड़ का हुआ, लेकिन आपके समय में दो हजार करोड़ का हुआ। दो हजार करोड़ के ब्लंडर में रूट गलत बना। आज क्या हो रहा है? एक चक्कर में मात्र 74 यात्री ही जा रहे हैं। प्रति चक्कर में केवल 12.5 प्रतिशत यात्री हैं। आज के दिन 13.67 लाख रुपये प्रतिदिन खर्चा है और एक साल का 50 करोड़ रुपये का खर्चा है। मैं इस सदन में आज मांग करता हूं, क्योंकि मैट्रो की योजना थी सब-हब्स को जोड़ना, आप इस रूट को बढ़ाकर मानसरोवर से पृथ्वीराज नगर, सांगानेर कस्बा, डिग्गी रोड तक यदि आगे ले जाते हैं, सब-हब्स को जोड़ते हैं तो जयपुर का टूरिज्म बढ़ेगा, उद्योग और व्यापार बढ़ेगा, यात्री बढेंगे। सैकण्ड फेज

(श्री अशोक लाहोटी)

का रूट, जो आपका मूल फर्स्ट फेज था, इसमें टोंक रोड को लेते हुए एयरपोर्ट, एस.एम.एस. हास्पिटल, राजस्थान यूनिवर्सिटी, एम.आई. रोड, अम्बाबाड़ी को जोड़ते हुए विश्वकर्मा तक यदि हम लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से इस मैट्रो का फायदा होगा।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं अपनी बात पूरी करूं, उससे पहले केवल चंद पंक्तियां आपके बीच में रखूंगा कि-

'सिर्फ तालियां बजाने के लिए ये कई दफा रेत के महल बना देते हैं'

और सत्ता पक्ष के लोगों से कहूंगा, मुख्य मंत्री जी को कि-

'जादूगर जी,

जादू में ही सही, सुना है, चेहरे से हाल जानने में आप माहिर हैं,

यह भी देखो कि इनके अन्दर क्या है,

कोई जैसलमेर में है, तो कोई दिल्ली में है।'

बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री सभापति: श्रीमती जाहिदा खान।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): माननीय सभापति जी, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट 2021-22 के समर्थन में अपना पक्ष रखने की अनुमति दी, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जो प्रदेश का पहला पेपरलैस बजट पेश किया है, उसके लिए उनको मुबारकबाद और धन्यवाद। कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के आमजन, किसान, जवान, गरीब, पिछड़ों के कल्याण के संकल्प के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने तीसरा बजट प्रस्तुत किया है, वह भी जनता पर बिना कोई नया बोझ डाले। जनता के हित के लिए पेश किया गया यह बजट शानदार है। पिछले वित्तीय वर्ष में कोरोना महामारी के कारण सम्पूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार धराशायी हुई, उसके बावजूद माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने कुशल वित्तीय प्रबन्धन से राज्य की जनता को इससे सकुशल बाहर निकालकर देश के सामने एक मिसाल पेश की। कोरोना को कंट्रोल करने में राजस्थान का पैटर्न पूरे देश में अपनाया गया।

(श्रीमती जाहिदा खान)

सभापति जी, सरकार ने राज्य की जनता के हित में रक्षा का संकल्प लेते हुए 'पहला सुख निरोगी काया' की अवधारणा पर काम करते हुए मुख्य मंत्री नि:शुल्क दवा योजना, मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना, निरोगी राजस्थान आदि कई योजनाएं लागू कर राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य के क्षेत्र में राहत प्रदान की है। इससे गरीब, पिछड़े, अति पिछड़े वर्ग व समाज के गरीब व्यक्तियों को लाभ मिला है। सभापति जी, इसी क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए राज्य की जनता को बीमारी की स्थिति में आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज लागू करने की घोषणा की है। इससे राज्य के प्रत्येक परिवार को केवल 850 रुपये प्रति परिवार बीमा प्रीमियम देकर 5 लाख रुपये तक की राशि का इलाज सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में कराने का अधिकार मिल जाएगा। उन्होंने जनता के प्रति संवेदनशीलता का परिचय दिया है व जनता के दु:ख दर्द में शामिल होकर, उनको मदद देने के लिए वे तत्पर रहे हैं। राजस्थान पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां पर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मेडिकल कालेज बनाये जा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में आठ जिलों में नर्सिंग महाविद्यालय संचालित हैं, शेष 25 जिला मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, यह काबिले तारीफ है। नि:शुल्क जांच का दायरा भी बढ़ाया गया है, जिससे प्रदेश की गरीब जनता को काफी राहत मिलेगी। जनता को अधिक सुविधाजनक इलाज उपलब्ध कराने के लिए मुख्य मंत्री जी ने सम्भागीय मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से पब्लिक हैल्थ कालेज की स्थापना, ट्रोमा सेन्टर व प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में माडल सी.एच.सी. की घोषणा की है, वह काबिले तारीफ है। प्रदेशवासियों की सेहत से खिलवाड़ न हो, इसके लिए 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान चलाया जा रहा है, जो कि न सिर्फ दिवाली और होली तक सीमित है, बल्कि वह लगातार चलेगा।

सभापति जी, मुख्य मंत्री जी ने जीवन रक्षक योजना, जे.आर.वाई. का गठन कर गम्भीर घायल व्यक्तियों को समय से अस्पताल पहुंचाकर, जीवन बचाने वाले व्यक्ति को पांच हजार रुपये व प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा, घायल व्यक्ति का बिना किसी पहचान व पात्रता के, चाहे वह किसी भी राज्य का हो, प्रदेश के निजी एवं राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क इलाज किया जाएगा। समर्पित सड़क सुरक्षा कोष में 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का शुक्रिया अदा करती हूं।

(श्रीमती जाहिदा खान)

सभापति जी, शिक्षा के चहुंमुखी विकास के लिए, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले वर्ष प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में इंग्लिश माध्यम से स्कूल खोले थे, क्योंकि गरीब बच्चा सपना ही देख सकता था इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का, लेकिन हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने, उनके बारे में सोचकर यह एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम जिला लेवल पर और ब्लाक स्तर पर उठाया। मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मेरे इलाके में उन्होंने दो इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल दिये। इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए, प्रदेश के जिस भी कस्बे या गांव की आबादी 5 हजार है, वहां अगले दो वर्षों में इंग्लिश मीडियम के 1,200 विद्यालय खोले जाएंगे और 600 राजकीय विद्यालयों में कृषि संकाय खोला जाएगा, 500 नये राजकीय विद्यालय खोलेंगे, 100 राजकीय विद्यालयों को अपग्रेड करने का है।

कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में डिजिटल शिक्षण और ऑनलाइन कक्षाओं के लिए राजकीय विद्यालयों, कस्तूरबा विद्यालयों में स्मार्ट टी.वी. व सैट-अप बाक्स लगाने की घोषणा की है, जो कि एक अच्छी पहल है, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का शुक्रिया अदा करती हूं।

सभापति जी, मुख्य मंत्री जी ने कोरोना के बाद युवाओं में उत्पन्न निराशा को देखते हुए, युवा शक्ति में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, आगामी दो वर्षों में 50 हजार से अधिक पदों पर भर्ती कर रोजगार देने की घोषणा की है, मैं उनको धन्यवाद देती हूं।

इसी के साथ, बेरोजगार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए परिवार वालों से पैसे लेकर यात्रा करनी पड़ती थी। इससे कई युवा बार-बार परीक्षा के लिए राशि मांगने में संकोच के कारण वंचित रह जाते थे, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने युवाओं की भावना को सम्मान देते हुए, उनकी यात्रा रोडवेज बस में मुफ्त कर उनको बड़ी राहत प्रदान की है।

माननीय सभापति जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने राज्य के बेरोजगार युवाओं के समय व धन के अनावश्यक खर्च को बचाने के लिए, एक शानदार तोहफा भर्ती प्रक्रिया को सरल, समयबद्ध एवं एकीकृत किये जाने की दृष्टि से, ऐसी पात्रता वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, समान पात्रता परीक्षा (common eligibility test) लागू करने के साथ ही अभ्यर्थियों को बार-बार दस्तावेजों के वेरिफिकेशन एवं पुलिस वेरिफिकेशन से छुटकारा दिलाने के लिए 'वन टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम' बनाये जाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती हूं।

(श्रीमती जाहिदा खान)

माननीय सभापति जी, कृषक एवं पशुपालक कल्याण के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने गांधी जी के कथन 'किसानों में भारत की आत्मा बसती है' को साकार करते हुए अगले वर्ष से कृषि बजट की शुरुआत करने की घोषणा की है, इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं।

अपने वादे को निभाते हुए सरकार ने 20 लाख 89 हजार किसानों के 8 हजार करोड़ से अधिक के ऋण माफ किये हैं व प्रदेश की गोशालाओं, पशुशालाओं को उनके घर पर ही आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर, 102 मोबाइल वैटरिनरी सेवा शुरू की है।

पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत एवं आधुनिक बनाने के लिए प्रत्येक पशु चिकित्सालयों में राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन किया जाएगा। प्रदेश के गतिशील किसानों की तरह ही, प्रगतिशील पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित किये जाएंगे। अत: प्रदेश की जनता के कल्याण व समृद्धि के लिए बजट में जो घोषणाएं की हैं, उन सभी के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का शुक्रिया अदा करती हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन के चार साथी विधायक, जो असमय ही हमारे बीच से चले गये थे, उनकी स्मृति को चिरस्थाई करने के लिए चार महाविद्यालय उनके नाम से खोले हैं, यह अपने आप में बहुत बड़ी पहल है।

माननीय सभापति जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश में सड़कों के सुनियोजित विकास के लिए, माननीय सदस्यों के माध्यम से सड़कों की रिपेयर, स्ट्रेन्थनिंग और अपग्रेडेशन एवं निर्माण हेतु प्राप्त प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से नोन-पैचेबल व मिसिंग लिंक सड़कों का कार्य कराने के लिए एक हजार करोड़ की राशि रखी है।

नगरीय निकायों में समुचित वित्तीय संसाधन न होने के कारण एक विशेष फंड का गठन किया गया। सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक नगर निगम की 30 किलोमीटर, नगर परिषद् की 20 किलोमीटर व नगरपालिका की 10 किलोमीटर मुख्य सड़कों में मेजर रिपेयर कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

प्रधानमंत्री सड़क योजना के फेज तृतीय के तहत आगामी दो वर्षों में

(श्रीमती जाहिदा खान)

शेष 2 हजार 841 किलोमीटर लम्बाई की ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के कार्य किये जाएंगे। इस पर एक हजार 425 करोड़ रुपये व्यय होंगे। प्रदेश में ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालय, जो डामर सड़कों से वंचित हैं, को डामर सड़कों से जोड़ने की घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की है, उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं।

माननीय सभापति जी, पिछले बजट में विधान सभा के निकट माननीय विधायकों के आवास बनाने की जो घोषणा की थी, अब इसी परिसर में आवासों के साथ-साथ नई दिल्ली की तरह Constitution Club की तर्ज पर Constitutional Club, Jaipur बनाना प्रस्तावित किया है। इससे पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों में legislative fraternity की भावना स्थाई रूप से बनी रहेगी जो कि एक ऐतिहासिक सोच है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): बस दो मिनट में। माननीय सभापति जी, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा 1 मई, 2021 से 'प्रशासन गांवों के संग' और 2 अक्टूबर, 2021 से 'प्रशासन शहरों के संग' अभियान चलाकर आम नागरिकों को उनके घर के नजदीक ही, नियमों का सरलीकरण कर, राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। राजस्व व अन्य विभागों से सम्बन्धित कार्यों का निस्तारण कर, आम आदमियों को राहत प्रदान की जाएगी। इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूं। एक बार फिर से आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री सभापति: श्री सुमित गोदारा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): माननीय सभापति जी, विश्व की सबसे बड़ी इकोनोमी का, बढ़ती हुई इकोनोमी का नागरिक होने का, अपने आप पर गौरव महसूस करते हुए जिस तरह देश में इकोनोमिक रिफार्म्स नरसिम्हाराव जी लेकर आये और पक्ष के लोग शायद भूल गये, उनको नरसिम्हाराव जी का नाम लेते शर्म आती है, पर वह व्यक्ति, जो देश में इकोनोमिक रिफार्म्स लेकर आये और उन रिफार्म्स को आगे वाजपेयी जी लेकर गये और अब मोदी जी लेकर जा रहे हैं और उसी का असर है कि हम देख रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास साकार होते हुए। कोवि-शील्ड, को-वैक्सीन जो भारत ने प्रोड्यूस की, पूरे विश्व ने उसका लोहा माना और जो

(श्री सुमित गोदारा)

कोविड काल में भारत ने विश्व की मदद की, कितने देशों को दवाइयां एक्सपोर्ट कीं और एक वर्ल्ड हब के रूप में, वैक्सीन के रूप में भारत बना और उस बात को जब हम सोचते हैं तो दु:ख भी होता है कि हमारे कांग्रेस के कुछ साथी, जब देश में वैक्सीन बन रही थी तो जयराम रमेश जैसे व्यक्ति बोले कि मुझे इन वैक्सींस पर विश्वास नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगा। यह इनकी सदा की शैली रही है कि इस देश के नागरिक जो काम करते हैं उस पर अविश्वास जताना, उनका मनोबल तोड़ना, उनका हौसला तोड़ना। ये गरीब का नाम देकर नारे देते रहे और ऐसी इनकी सोच है कि भारत आगे नहीं बढ़े। इनको पता है कि भारत आगे बढ़ जाएगा तो हम सत्ता पर शासन कैसे करेंगे। ये चाहते हैं कि देश गरीब रहे, देश आगे नहीं बढ़े, उसी मानसिकता से हम देख रहे हैं कि इन्हीं के नेता अभी कुछ दिन पूर्व तिरुअनंतपुरम गये और वहां पर वे भाषण में बोलते हैं कि मैं 15 साल उत्तर से एम.पी. रहा पर अब मैं जब दक्षिण में आया हूं तो मुझे जो आनन्द आ रहा है वह उत्तर में नहीं आया। क्या उत्तर के लोगों में वह बात नहीं जो दक्षिण में है? अब बताइए एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता यह बात कह रहे हैं और उत्तर-पूर्व में जाते हैं तो वे कहते हैं कि पश्चिम के लोगों में वह बात नहीं है जो उत्तर-पूर्व में बात है। क्या ऐसे व्यक्ति से हम उम्मीद कर सकते हैं, ऐसी पार्टी से उम्मीद कर सकते हैं कि वह देश को आगे लेकर जाएगी?

मोदी जी जो बात करते हैं, 'सबका साथ, सबका विकास', यह बात है, ऐसे नेता करते हैं, यह करके दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, तभी तो देखिए मोदी जी विश्व लीडर के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। इनके कांग्रेस के नेता जो बात करते हैं, उनके बारे में ओबामा जी ने जो बातें लिखीं तो उनको कोई गम्भीरता से ही नहीं लेता। वैसे इनकी खुद की पार्टी भी उनको गम्भीरता से नहीं लेती। जब ये कोरोना काल की बात करते हैं, जैसे मुख्य मंत्री जी ने सबसे ज्यादा कोरोना के ऊपर बात रखी, पर माननीय सभापति जी, जब लीडर ही आगे कोरोना काल में बाहर नहीं निकले तो हम क्या बात करेंगे। लीडर वह जो आगे लीड करे। राजस्थान के मुख्य मंत्री एक साल के कोरोना काल में बाहर नहीं गये। हर जगह हम बात कहते हैं तो कांग्रेस के साथी कहते हैं कि क्यों बोल रहे हैं? मैं कहता हूं कि क्यों नहीं बोलें, हमारे मोदी जी हर जगह गये। अमित शाह जी, नड्डा जी हर जगह गये। राजस्थान के मुख्य मंत्री जयपुर से बाहर नहीं गये। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री भी आज

(श्री सुमित गोदारा)

दो-ढाई साल होने आ रहे हैं सरकार को, बीकानेर में हमने उन्हें नहीं देखा है, जहां मेडिकल कॉलेज उत्तर भारत का सबसे बड़ा है। कहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान लेने की इनकी रुचि ही नहीं रही। तभी आप देखो, कोरोना काल में आपरेशन और इलाज सारे रोक दिये गये। 10 महीने तक इलाज नहीं हुआ। कितने लोग मारे गये, कितने मरीजों का देहांत हुआ। गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि वह मर गया, कैसे? कि उस समय कोरोना था, इलाज होता नहीं था, डॉक्टर देखते नहीं थे, सरकार ने रोक लगा रखी थी और कई कहते हैं कि भामाशाह योजना बंद कर दी। अब भामाशाह योजना को सिर्फ राजनीतिक सोच के कारण आपने बंद की। धिक्कार है ऐसी सरकार में रहने का ही। आदमी को इलाज के लिए आपने रोका, सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए। लोगों को 3-3 लाख रुपये का लाभ मिलता। मैं चिकित्सा सेवाओं से जुड़ा हुआ हूं तो नजदीक से देखता हूं कि लोगों के मन में दर्द है। सभापति महोदय, जो सत्ता पक्ष के लोग बैठे हैं, मैं उन्हें कहूंगा कि जो दर्द आपने कोरोना काल में आमजन को दिया है न, 2023 में जनता याद रख कर उसका जवाब देगी, उस कोरोना काल का और जिस तरह आपने चिकित्सा में बात रखी, मैं अपने क्षेत्र की बात रखूंगा कि हमारे वहां पी.एच.सी., सी.एच.सी. की बातें इसमें पृष्ठ 10 में रखी गयी हैं।

(15.32 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

मुख्य मंत्री जी जैसे पहले बोले पृष्ठ 5 पर। कहते हैं कि हमने 2 साल में ही जन घोषणा के आधे से अधिक वादों को पूरा किया। अब यह बजट था। बजट आया तो मैं अपने क्षेत्र में भी जा रहा था, तो पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि पढ़ें, तो यह पृष्ठ देखा तो कई लोगों ने पढ़ा तो वे सारे हंसे। वे बोले कि आधे वादे कैसे पूरे हो गये। लूणकरणसर में कहीं भी सड़क नहीं बनी, कहीं भी स्कूल नहीं खुला, जी.एस.एस. कहीं नया नहीं बना तो आधे वादे कहां के पूरे हो गये? मैंने कहा कि लूणकरणसर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है तो यहां तो इसका बजट में नाम ही नहीं आया। डूंगरगढ़ के साथ एक नाम दिया बजट में नाम तो, जो निर्दलीय विधायक थे, उनके क्षेत्रों का ही आया और वे ही मेजें थपथपा रहे थे। हमारे गंगानगर से विधायक हैं, ये खुश हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कि सही बात कह रहे हैं, क्योंकि उस बजट

(श्री सुमित गोदारा)

वाले दिन कांग्रेस के साथियों ने मेजें नहीं थपथपाईं, मेजें तो निर्दलीयों ने ही थपथपाईं, क्योंकि उन्हें बजट मिला। राजस्थान में पी.एच.सी., सी.एच.सी. सब-सेंटर्स के बारे में मुख्य मंत्री जी बोले हैं कि सब-सेंटर्स का निर्माण, अब हकीकत यह है कि पिछले ढाई साल में सब-सेंटर का कहीं निर्माण हो ही नहीं रहा है और जहां पर ए.एन.एम. की पोस्टिंग थी, हमारे शासन में अधिकतर जगह ए.एन.एम. पोस्टेड थीं। कांग्रेस की सरकार आयी और ज्यादातर सीकर, झुंझुनूं यहां क्षेत्रों में नर्सेज हैं कई सब-सेंटर्स पर तो दो-दो वहां पर हो गये और कोर्ट से स्टे दिलाकर और सरकार से मिलकर वहां पर 2-2, 3-3 नर्सें काम कर रही हैं। हमारे मरुस्थल क्षेत्र लूणकरणसर, बीकानेर में सारे के सारे, अधिकतर स्थानों पर सब-सेंटर्स की पोस्टें खाली हैं। नयी बिल्डिंग के निर्माण की कहीं आप घोषणा कर नहीं रहे हैं। बीकानेर मेडिकल कालेज इतना बड़ा है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी सेंटर के बारे में कहीं कोई घोषणा नहीं की। वैसे तो हमारा बीकानेर का बड़ा दुर्भाग्य रहा है। एक समय बीकानेर 1980 के दशक में राजस्थान में जयपुर के बाद सबसे बड़ा शहर तथा विकास में आगे था। पर क्या कहें, 1980 के बाद सब शहर आगे बढ़ गये, पर हमारा बीकानेर आज पीछे है। जब हम देखते हैं कि इस कैबिनेट में दूसरे नम्बर पर प्रोटोकोल में बीकानेर के ही मंत्री जी का नाम आता है तो हम उम्मीद करते हैं कि कुछ न कुछ काम बीकानेर में ऐतिहासिक होंगे, पर जब बजट को देखते हैं तो हमें लगता है कि बीकानेर फिर पीछे रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि मंत्री जी बीकानेर से आने वाले हैं और बीकानेर शहर, बीकानेर जिले के लिए, बीकानेर सम्भाग के लिए कुछ मुख्य मंत्री जी से लेकर आएंगे, पर इस बजट में कुछ नहीं मिला।

चिकित्सा का हाल, मेरे क्षेत्र में 2 साल पहले हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब चुनाव आये, उस समय गुसाईसर, गारबदेसर, खियरा, अर्जुनसर और कतरियासर एक करोड़ 80 लाख की शानदार पी.एच.सी. की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। 2 साल हो गये, पर अभी तक उसमें कार्य शुरू नहीं हुआ। प्रभारी मंत्री जी आये, उनको कहा कि इसको शुरू करो, तो बोले कि करेंगे। वे कहते हैं कि शिलालेख लगाने के लिए हम ढूंढ रहे हैं कि कौन हमारे लिए समय निकाल पाएगा। आज वहां पर नेशनल हाईवे पर दो मुख्य मार्ग हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। अब तो हमें लगता है, माननीय सभापति जी, इस सरकार

(श्री सुमित गोदारा)

के भरोसे तो 3 साल और निकाल देंगे। जनता को ताले ही तोड़ने पड़ेंगे तभी लोगों को इलाज मिलेगा।

स्कूलों की बात है। शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे हैं। शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि आज राजस्थान में सबसे ज्यादा अपन देखते हैं कि आईए.एस. लड़के-लड़की यहां से निकल रहे हैं। अधिकारी सेंट्रल सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज में निकल रहे हैं तो इसका मूल कारण क्या है। इसका मूल कारण, 2003 से 2008 तक जब वसुन्धरा जी ने गांवों में, पंचायतों में दसवीं की स्कूलें खोलीं और जब 2013 से 2018 आये तो 12वीं की स्कूलें खोलीं। शिक्षा मंत्री जी, नयी पंचायतें तो आपने बनायीं, पर गांव में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि नई पंचायतें बनायीं, इस बजट में घोषणा की क्या स्कूलों की? मैंने कहा कि स्कूलों की घोषणा तो हमारी वसुन्धरा जी और बी.जे.पी. सरकार ही कर सकती है। इस सरकार के भरोसे तो नयी स्कूलें नहीं होंगी। वही बात हुई, नयी स्कूलें आपने इस बजट में कहीं भी नहीं खोलीं, ग्राम पंचायतें खोल दीं। गांव में बात करते हैं कि ग्राम पंचायत का अर्थ है कि वहां पर स्कूल अवश्य खुलेगी, पर यह भावना तो बी.जे.पी. की है। कांग्रेस की यह भावना न है, न रहेगी। माननीय मंत्री जी, आपके आगे एक और शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। हमारे वहां, अभी सत्र चल रहा है बजट का, पर 2 साल पूर्व रमसा से स्कूलों में भवन का निर्माण हुआ। वहां पर अभी बजट सत्र में उनके उद्घाटन हो रहे हैं और उद्घाटन आप ही के नेता कर रहे हैं। वह गाड़ी भरी हुई है। उनके शिलालेख ले रहे हैं और लगा रहे हैं, तो लोगों ने पूछा ये तो बी.जे.पी. के राज में बने हैं, आप कैसे शिलालेख लगा रहे हैं, तो वे कहते हैं कि आगे हमारा राज तो आएगा नहीं, पहले 21 आये थे, अब और कम आएंगे। शिलालेख तो लगा लेते हैं, काम तो हम करेंगे नहीं, तो यह विश्वास उनका है।

हाउसिंग पर पृष्ठ 54 पर मुख्य मंत्री जी ने बात रखी कि हाउसिंग बोर्ड में निर्माण का कार्य राजस्थान में बहुत जगह रखा। हमारे बीकानेर से आने वाले कैबिनेट में दो नम्बर मंत्री हैं और हमें उम्मीद थी कि वे बीकानेर के लिए शिवबाड़ी आवासीय योजना, जहां लगभग 13,000 आवासों के निर्माण का प्रोजेक्ट काफी समय से लम्बित है उसकी जरूर घोषणा होगी। पर मुझे लगता है कि कैबिनेट में वह सिर्फ हाजिरी ही लगाते हैं, बीकानेर के लिए कुछ लेकर नहीं आ पा रहे हैं। शिवबाड़ी आवासीय योजना का नाम फिर नहीं आया। बीकानेर की जनता इतने लम्बे समय से उम्मीद कर रही है। सरकार ने 12-13 साल पहले भूमि अवाप्त की पर वह हाउसिंग बोर्ड की कालोनी कब आएगी?

(श्री सुमित गोदारा)

वेटरिनरी की पृष्ठ 33 पर आपने बात रखी, नये पशु चिकित्सा केन्द्रों की घोषणा। 200 पशु केंद्र व 198 पशु औषधालयों को आप कह रहे हो कि क्रमोन्नत करेंगे। कहां से करोगे, डाक्टर तो आप ले ही नहीं रहे, पोस्ट तो आप क्रिएट ही नहीं कर रहे हैं। हमारे वहां वेटरिनरी डाक्टर की पोस्ट सारी खाली पड़ी हैं और हमारा लूणकरणसर क्षेत्र राठी गायों के लिए प्रसिद्ध है। पूरे भारत में वहां डाक्टर्स के लिए कह-कहकर थक गये पर वे कहते हैं कि, साहब, डाक्टर हैं ही नहीं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): दो ही मिनट लूंगा साहब।

सड़कों की बात है। बीकानेर शहर में सड़कों का यह हाल है कि हमारा सबसे मुख्य मार्ग बीकानेर में, जिस पर मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह जी ने भी अखबार में आलेख लिखा। साठ के दशक में जगजीत सिंह जी बीकानेर में रहे थे। 2005-07 के आसपास उन्होंने लिखा कि रेलवे लाइन की वजह से बीकानेर शहर आज भी दो भागों में बंटा हुआ है। हमारे मंत्री जी कहते हैं कि वहां 600 करोड़ का रेलवे बाईपास बना है। साहब, दो करोड़ का अंडर ब्रिज ही बना दो सांखला फाटक कोटगेट में, कहते हैं कि साहब, पानी आएगा। मेट्रो खुद गयी सौ-सौ फिट नीचे, दुनिया में तकनीक आगे बढ़ गयी, पर वे 1980 में चुनाव लड़े थे, तब से वही भावना लेकर चल रहे हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): यह 2020 चल रहा है, समय बदल चुका है। हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि वह सड़क बने और अम्बेडकर सर्किल पर रेलवे अंडरपास...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। श्री अमर सिंह।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): अंत में, बस एक ही बात कहते हुए, बस एक ही बात, लास्ट।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। अंकित नहीं होगा।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर): 000

श्री सभापति: श्री अमर सिंह।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): 000

श्री सभापति: विराजिये। आप विराज जाइये। विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): 000

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री अमर सिंह (बयाना): सभापति महोदय, आज आपने बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: शर्मा जी, अभी क्या व्यवस्था दी थी, फिर वही बात।

श्री अमर सिंह (बयाना): इसमें हर चीज को ध्यान में रखा है। चाहे वह चिकित्सा का मामला हो, चाहे वह शिक्षा का मामला हो, चाहे बिजली का हो, हर चीज को ध्यान में रखा है।

श्री सभापति: आप विराजें, विराजें, माननीय सदस्य, प्लीज विराजें। मान ली आपकी बात, आप विराजें।

धरना

(राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री अमर सिंह (बयाना): इधर पश्चिम की तरफ से कुछ हवाएं चलती थीं। सभापति महोदय, यह बजट किसी रेता पर नहीं लिखा है। कहते हैं लिखा न बजट रेता पर और चले हवा मिट जाएंगी। ऐसा बजट लिख दिया है सो आजीवन काम आयेंगे। सभापति महोदय, राजस्थान की जनता सब समझदार है और ढाई साल बाद फिर कांग्रेस का बेड़ा पार है।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 25 साल से वन्य जीव अभयारण्य में खनन कार्य चल गया था। आज 25 साल बाद जो खनन कार्य वन विभाग से मुक्त हुआ है, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र में बहुत बड़ी खुशहाली है। आज मेरे क्षेत्र में बहुत बड़ी खुशहाली होते हुए हर क्षेत्र में, हर वर्ग में यह चर्चा का विषय है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत ही अच्छा बजट पेश किया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में लम्बे समय से बी.जे.पी. का शासन चलता आ रहा था। फूल के नाम से वोट मांगते थे, लेकिन काम के नाम पर जीरो था। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि कांग्रेस सरकार में कथनी-करनी में कोई फर्क नहीं होता है इसलिए 15 साल बाद कांग्रेस का खाता खुला। मेरे क्षेत्र में पी.एच.सी. हुई, पी.एच.सी. से सी.एच.सी. हुई। कालेज मिला, रीको मिला, महात्मा गांधी विद्यालय मिले, कृषि उपज मंडी, तमाम चीजें इस बजट घोषणा में हमको मिलीं। सभापति महोदय, हम सबको जानकारी है कि कोरोना महामारी से पूरा देश और प्रदेश जूझ रहा था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने

(श्री अमर सिंह)

किसी को भूखा नहीं सोने दिया। सभापति महोदय, आज हम सबको पता है कि विश्व में कोरोना फैला और चीन वुहान से चलकर दुश्मन सभी जगह डोला। सोच रहे सब ही नर नारी, और न देखा, न सुना कौनसी आ गयी बीमारी। हुकुम ने हुक्म चलाए हैं और कर्मवीर योद्धाओं ने फिर हथियार मंगाये हैं। धन्य हो कांग्रेस सरकार और कोरोना पर सबसे पहले खींच ली तलवार।

सभापति महोदय, किसानों के हाल-बेहाल, सर्दियों में, गर्मियों में कितनी परेशानी और भूख को झेल रहे हैं। मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, उन किसानों की जो मांग है, वह दिल की धड़कन है। जुल्म करके उनकी धड़कनों को बंद न करें। सभापति महोदय, साथ-साथ मैं प्रधान मंत्री मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस कोरोना महामारी में जितनी परेशानी खड़ी हुई थी, तब उन्होंने कांग्रेस सरकार को धन्यवाद दिया था।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो नगरपालिकाएं आती हैं, बयाना और रूपवास, वे भी कांग्रेस के खाते में निर्विरोध हुई थीं। मैं मांग करता हूं कि मेरी नगरपालिका बयाना, रूपवास के लिए इसी बजट सत्र में कुछ घोषणा की जाएं, जिससे कि वहां की विकास की गति बढ़े।

सभापति महोदय, मेरे स्वयं के गांव की एक सड़क है ओडीआर-47, 28/6 से 13/0 तक, यह चार किलोमीटर की सड़क है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के लोग आवागमन करते हैं, वह जर्जर पड़ी हुई है। मुझे उम्मीद विश्वास और आशा है, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसी बजट सत्र में मेरे चार किलोमीटर की सड़क का चौड़ाईकरण और नवीनीकरण होना चाहिये।

सभापति महोदय, चम्बल प्रोजेक्ट योजनाओं से मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 6-7 आकाशीय टंकी बनी हुई हैं। वे 6 साल से बनी हुई हैं, आज जर्जर स्थिति में खड़ी हुई हैं, डैमेज होने जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय जलदाय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि जिस तरीके से बंशी पहाड़पुर, जटमासी, डूमरिया, मेहमदपुरा, अन्य जगहों पर जो आकाशीय टंकी खड़ी हुई हैं, जो चम्बल प्रोजेक्ट से बनी हुई हैं, इसमें जल्द से जल्द पानी छोड़ा जाए, जिससे कि आने वाली गर्मियों में जो गरीबों, असहायों को पीने के पानी की जो समस्या आ रही है, वह न हो, क्योंकि वहां पहाड़ी क्षेत्र है। ज्यादा नहीं कहते हुए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से विधायक की अभिशंसा पर हर विधायक के लिए जो 5 करोड़ रुपये

(श्री अमर सिंह)

मिले हैं, उसको बढ़ाकर अगर 10 करोड़ कर दिये जाएं तो पूरे क्षेत्र का, पूरे राजस्थान का सड़कों के बारे में भला होगा। बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: बाबुलाल जी खराड़ी।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय सभापति महोदय, आज आपने मुझे राजस्थान के आम बजट 2021-22 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका आभार। (व्यवधान) सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी, सदन के नेता ने 24 तारीख को अपना बजट पेश किया और इस बजट में हमने पढ़ा और सुना भी। माननीय सभापति महोदय, यह पूरा का पूरा घोषणाओं का बजट है। राजस्थान सरकार ने और माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणाओं में बहुत कीर्तिमान स्थापित किये हैं। मैंने आपकी आर्थिक समीक्षा पढ़ने की कोशिश की। आर्थिक समीक्षा में जब मैंने पढ़ा तो विभागों में जिस प्रकार बजट का व्यय हुआ है, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, मेरे सामने जनजाति विभाग की आर्थिक समीक्षा है। इस बार मुझे थोड़ा संतोषप्रद इसलिए लगता है कि इस बार मंत्री जी ने प्रयास करके कुछ अच्छा करने का प्रयास किया होगा। फिर भी मुझे यह नजर आता है कि आपने जो खर्चा किया है, यह अंक तालिका है। आपने एनिकट, कुछ और काम हैं, उनमें जितना व्यय होना चाहिये, उतना पूरा व्यय नहीं कर पाये हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप दोनों का ही बोलने का नम्बर है।

श्री बाबुलाल (झाडोल): मैं थोड़ा-बहुत व्यय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे यहां खाद्य सुरक्षा में 2020-21 में 352.45 करोड़ रुपये का प्रावधान था और आपने 2020 तक 197.22 करोड़ रुपये व्यय किये हैं। इसी प्रकार आगे चलेंगे तो आपके राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन में 90.5 करोड़ का प्रावधान है और 2020 तक आपने 9.58 करोड़ रुपये खर्चा किया है। इसके आगे चलेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 319.50 करोड़ रुपये का प्रावधान है और आपने 133.31 करोड़ रुपये खर्च किया है। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे तो उद्यानिकी, जो गांव के गरीब आदमी और किसान को ऊपर उठाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसमें आपका बजट 515.27 करोड़ रुपये का था, जिसमें आपने 172.8 करोड़ रुपये खर्च किये। इससे आगे चलेंगे तो बागवानी में 90

(श्री बाबुलाल)

करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसमें से आपने 38.88 करोड़ रुपये का खर्चा किया। यह सब 2020-21 बजट का है।

इसी प्रकार आगे चलेंगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, इसके अन्तर्गत आपका प्रावधान 91.67 करोड़ रुपये था, इसमें से आपने 77.43 करोड़ रुपये खर्च किये। इस प्रकार से आपने जो व्यय किये हैं, उससे लगता है कि अभी जिस प्रकार से आपने बजट में प्रावधान किया है, आपने बजट आबंटित किया है, हमें संदेह है कि आप कितना खर्च कर पाएंगे और कितना जमीनी धरातल पर उतर पाएगा। लगता नहीं है कि पूरा का पूरा जमीनी धरातल पर उतर पाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां आपने कृषि के क्षेत्र में काफी बातें की हैं।

सिंचाई के क्षेत्र में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां सारे के सारे किसान हैं, वे खेती करते हैं। उनको अपने खेतों में पानी की आवश्यकता रहती है। नदी-नाले खूब हैं। पानी बरसता है और बरस कर गंगा जी पहुंचता है। वह पानी टिकता नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि छोटे-छोटे एनिकट-बांध होने चाहिए। छोटे-छोटे एनिकट-बांध होंगे तो पानी वहां पर रुकेगा और रुकेगा तो जमीनी पानी का स्तर भी बढ़ेगा और किसान वहां से पानी लिफ्ट करके अपने खेतों में भी ले जाएगा। वहां पर कुछ बांध हैं। सभापति महोदय जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन बांधों की स्थिति क्या है? हमारे यहां जोगीबड़ बांध, साबरमती बांध है, महाड़ी बक्शा डैम है, सड़ा में बांध है, मामेर बांध है, झाड़ोल में ओगण का बांध है। उन बांधों की नहरों की क्या स्थिति है? उनमें पांच-पांच फिट मिट्टी भरी हुई है। वह किसान वहां से पानी कैसे ले जायेगा? आपके मार्फत सरकार से मेरी मांग है कि जब बजट का बंटवारा करें तो वहां का किसान इतनी मिट्टी तो निकाल नहीं सकता है, इसलिए आप उस मिट्टी को निकलवाकर नहरों की साफ-सफाई कराएं। मामेर का बांध है और उस बांध को बनाने की मंशा यह थी कि लोगों को पानी मिलेगा। एक नहर बनी है, जिसको विभाग ने, जिन लोगों को पानी मिलना चाहिए, उस नहर को वहां तक न ले जाकर उसको डाइवर्ट करके उसको थोड़ा नीचे ले गये। अगर उसको थोड़ा-सा भी ऊपर ले जाएंगे तो नीचे जितने भी किसान हैं, उन सब लोगों को लाभ मिलेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार इस पर विचार करेगी।

हमारे यहां कुछ बांधों की मांग है। झाड़ोल के लिए मैं वर्षों से कह रहा हूं और जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं कहता हूं कि वहां जो एक बागपुरा

(श्री बाबुलाल)

में बांध है, दोनदिया बांध। वहां के लोगों की लम्बे समय से मांग है। वह बांध बनता है तो वहां दो-तीन पंचायतों को इसका लाभ मिलेगा। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी जवाब दें तो इस पर भी कोई चर्चा करें।

इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में आपने काफी चर्चा की है। सब स्वस्थ रहने चाहिए, उसके लिए योजनाएं बनायी हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां मादड़ी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने का काम किया है, उसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं। अच्छा काम है, लेकिन वहां डाक्टरों की स्थिति क्या है? डाक्टर वहां पर नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि वहां पर डाक्टरों की भर्ती हो।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री बाबुलाल (झाडोल): दूसरा, मैं बागपुरा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग करता हूं। थोपाबाड़ा में, ढया में, कोटड़ा, जूड़ा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलेंगे तो वहां के लोगों को लाभ मिलेगा। जो झाड़ोल और कोटड़ा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनको सैटेलाइट के रूप में क्रमोन्नत करेंगे तो वहां पर सारे विशेषज्ञ डाक्टरों से लोगों को लाभ मिलेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बाबुलाल (झाडोल): बोलना तो बहुत कुछ था, पर आप बोलने नहीं देते। एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। एक विषय बहुत बड़ा है कि हमारे यहां पर जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है। आपने जो सामाजिक सुरक्षा के अधिकारी ब्लाक स्तर पर लगाये थे, ब्लाक स्तर पर लगाने के बाद इनको वहां से हटाकर अलग जगह समायोजित करना चाहिए। सरकार की क्या योजना है? जनजाति क्षेत्र के लिए जो फ्लैगशिप योजना है।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री बाबुलाल (झाडोल): जो महिला हैं, असहाय हैं, जो गरीब हैं उनके कल्याण की योजना है, इसलिए उनको वहां से हटाया नहीं जाए, उनको वहीं रखा जाए। जय भारत, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र गुढ़ा जी।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, 2021-22 का जो बजट है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह का शानदार बजट पेश किया है, पिछले साल भर

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा)

में जो परिस्थितियां रही हैं कोविड की, बाकी जो-जो कारण रहे, उसके बावजूद इतना बढ़िया बजट पेश करना तो मैं जादूगर की जादूगरी मानता हूं।

मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में यदि शिक्षा के अन्दर माननीय अशोक जी गहलोत के द्वारा किया हुआ काम बाहर निकाल दें तो जिले में एक भी महाविद्यालय नहीं बचेगा। चाहे खेतड़ी के अन्दर कालेज बना, चाहे नवलगढ़ में बना, चाहे मण्डावा के अन्दर दो कालेज बने, चाहे चिड़ावा में हुआ, चाहे झुंझुनूं में, चाहे मेरे उदयपुरवाटी क्षेत्र, सारे के सारे महाविद्यालय माननीय अशोक गहलोत जी के टाइम में बने। झुंझुनूं के अन्दर एजुकेशन में, कॉलेज शिक्षा में, सामने बैठे हुए अपोजिशन के जो लोग हैं, इनसे पूछें कि आपने एक भी कालेज बनाया तो शायद इनका जवाब जीरो होगा।

इसके साथ-साथ शिक्षा के अन्दर, चाहे शेखावाटी को ले लें, पूरे राजस्थान को ले लें। मैं दिल्ली के आंकड़ों पर नहीं जाना चाह रहा। एक हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमारा नारा है, सबका विकास और सबका विनाश, पता नहीं, क्या बोल रहे थे, मेरे ज्यादा समझ में नहीं आया।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पानी के मामले में हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो हमें दिया, हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि कुम्भाराम लिफ्ट का पानी हमारे जिले में आ सकता है। कुम्भाराम लिफ्ट के पानी के समय में हमारे डा. जितेन्द्र सिंह के पास पी.एच.ई.डी. का डिपार्टमेंट था। खेतड़ी के अन्दर, हमारे झुंझुनूं और बाकी क्षेत्रों में पानी का बजट पहले आया। इसके साथ-साथ 2 हजार करोड़ रुपये सूरजगढ़ और मेरे उदयपुरवाटी को बजट में दिये। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद करता हूं।

इसके साथ-साथ, नरेगा जो है, वह हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक संजीवनी है। गरीब तबकों के लिए हमारे गांवों के अन्दर कितना बड़ा सम्बल आ रहा है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। उसमें सौ दिन के बजाय दो सौ दिन का रोजगार देने की बात कही है, उससे गांवों के अन्दर बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूं कि इससे ज्यादा शानदार काम कोई हो ही नहीं सकता है। इसके साथ-साथ यह भी व्यवस्था की गयी है कि 200 रुपये कम से कम नरेगाकर्मी को मिलें।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एक चीज, जो बीमार के लिए, घायल के लिए, जो काम मुख्य मंत्री जी ने किया है, घायल

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा)

आदमी को हास्पिटल तक पहुंचाने में 5 हजार रुपये का सम्मान देने की बात है, वह बहुत काबिल-ए-तारीफ बात है। अब उसमें कोई थोड़ा-बहुत घायल होगा, उसमें भी शायद पांच हजार रुपये दे देंगे। इसके लिए भी बात ठीक हो जाएगी। कोई कम घायल है, उसको ले जाएं तो उसको भी पांच हजार रुपये मिलेंगे या कम मिलेंगे।

(16.00 बजे)

मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारे क्षेत्र में पानी की गम्भीर समस्या है। डाक्टर जितेन्द्र सिंह जी ने तो खेतड़ी के सारे गांव पानी से जोड़ दिये थे। हमारा क्षेत्र उस टाइम पर वंचित रह गया था, उसको दोबारा किया। हमारी एक समस्या भी है। हमारे यहां खेतड़ी में जो कॉपर का प्रोजेक्ट चला, उसमें सारा पानी 50 साल तक मेरे विधान सभा क्षेत्र से गया। एक समय था, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पहाड़ी बैल्ट था, उसमें काटली नदी का बहाव क्षेत्र है और मई-जून के महीने में भी वहां 6 इंच- एक फिट के नीचे आराम से पानी निकल जाता था। आज वहां 1000 फिट तक, जल दोहन हुआ, पानी चला गया। अभी हमारे डाक्टर साहब के सारे के सारे गांव और ढाणी कुम्भाराम लिफ्ट से, इस पानी से इनको फायदा हो रहा है, सारे जुड़ गये। लेकिन अभी भी हमारे वाले पानी को बंद नहीं किया। इसकी स्थिति यह है कि हम तो वेंटिलेटर पर आ गये। उसके बावजूद भी डाक्टर साहब के जो पानी हमारा जा रहा है, इसमें स्थिति यह है कि हजार फिट तक पानी किसानों को नहीं मिल रहा है। आज भी अगर इस पर विचार करेंगे, जब आपके पास पानी नहीं था, तब हमारा पानी ले जा रहे थे। जब सारा पानी हमारा ले गये, उसके बाद अब कम से कम भगवान के लिए हमारा पानी अब छोड़ दो। हमारे अन्दर कुछ बचा नहीं है।

इसके साथ-साथ हमारे क्षेत्र के अन्दर भी, मैं बताना चाह रहा हूं, मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि ट्रोमा सेंटर हुआ, दो-दो कालेज हुए। इसके साथ सड़कों का है, चाहे मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, क्षेत्र में जो स्कूल 60 साल तक प्राथमिक विद्यालय थे, बड़े-बड़े गांवों में, हमने उनको मिडल भी किया, सैकण्डरी भी किया, उन गांवों को हायर सैकण्डरी भी हमने ही किया। मैं कहना चाह रह हूं कि मुख्य मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पानी हो, उनमें शानदार काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने बजट तो नहीं पढ़ा और

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा)
सुना भी ज्यादा नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि हैल्थ के क्षेत्र में जो काम हुआ, उसका कोई मुकाबला नहीं है। शुरू से लेकर पहले दवाई फ्री की, उसके बाद बड़ी-बड़ी जांचों के मामले में, चाहे राजधानी हो, चाहे हमारा डिवीजनल हैड क्वार्टर हो, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर हो, चाहे ब्लाक लेवल पर, हर लेवल पर, आज हमारे एक भी ऐसा राजस्व गांव नहीं है जिसके अन्दर उप स्वास्थ्य केन्द्र नहीं है। हर दूसरी पंचायत में हमारे पी.एच.सी. है, हर दूसरी पंचायत में सी.एच.सी. भी, चार-चार हमारे सी.एच.सी. हो गयीं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे बिजली का क्षेत्र हो, उसमें भी खूब काम हुआ। अब ये विपक्ष वाले कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। हम कहते हैं कि काम इन्होंने भी किया। बी.जे.पी. के राज में जो काम हुआ, मेरी जानकारी के हिसाब से लूट-खसोट थोड़ी ज्यादा हुई। लूट-खसोट में इनके मंत्रियों में कम्पीटिशन था। कालीचरण जी के पास हैल्थ था तो उसमें ठीक-ठाक काम हुआ, इकोनोमिकली। देवनानी जी ने भी अच्छा काम किया। बाकी लोगों ने भी काम के अन्दर काफी सुधार किया। आर्थिक प्रबन्धन इनका हमसे ज्यादा बढ़िया था। इनका आर्थिक प्रबन्धन, इनके मंत्रियों का बहुत ज्यादा सुन्दर था और अब रहा सवाल दिल्ली वाला मामला, बी.जे.पी. ने कुछ काम अच्छे किये हैं। आज मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूं। राम मंदिर का जो मामला है, वह सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन राम का टेंडर तो इनके पास हो ही गया। इसमें हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अयोध्या में मंदिर बन रहा है, वह बहुत सुन्दर काम है। वह देश के लिए सम्मान की बात है, लेकिन उसके चंदे का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। आर्थिक प्रबन्धन वहां नहीं घुस जाए। धारा 370 भी इन्होंने अच्छा काम किया। अभी बात कर रहे हैं, उधर लाहोटी जी कह रहे थे कि डीजल के मामले में दूसरे स्टेट से तस्करी होती है। तस्करी आपका राज रहा, तब नहीं हुई क्या? ये जो हमारे हरियाणा से, चाहे दिल्ली से तस्करी होती है, इनके राज में भी हो रही थी और अभी भी हो रही है। इसमें क्या किया जा सकता है, मेरी समझ से बाहर की बात है।

मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री के रूप में ये आर्थिक प्रबन्धन हमारा इतना बढ़िया नहीं है, न हमारे मुख्य मंत्री जी का, इनका ज्यादा बढ़िया है। जैसे किडनी के डाक्टर की नजर, चाहे लीवर खराब हो जाए, चाहे लैंस खराब हो जाए, हार्ट खराब हो जाए, उसकी नजर तो सिर्फ

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा)

किडनी पर ही रहती है। इनकी नजर सिर्फ आर्थिक प्रबन्धन पर ही रहती है। बाकी चीजों पर इनकी नजर होती नहीं है।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए क्योंकि समय भी कम है और मेरी कोई बोलने की भी तैयारी नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे बी.जे.पी. के नेता बोल रहे थे, बी.जे.पी. के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे, वह जिस तरीके से पढ़-पढ़कर बोल रहे थे, प्रदेश के नेता आगे चीफ मिनिस्टर बनेंगे और वह इस तरीके से पहली-दूसरी के बच्चे की तरह पढ़-पढ़कर, उन्होंने सभापति की तरफ एक बार भी नहीं देखा तो मुझे लगा कि यह नेतृत्व कमजोर हो रहा है। मुझे इस तरह से लगा। मैं आपको बताऊं कि कोई दो महिलाएं कहीं कन्यादान लिखाने गयी थीं। एक महिला ने एक रुपया दिया और दूसरी ने बीस दिये तो उसने बोला कितने रुपये लिखूं। एक रुपया देने वाली महिला ने कहा मेरे और पताशी के मिलाकर 21 रुपये लिख दो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इनका तो रुपया एक है, हमारा है बीस, लेकिन हम बोलने में थोड़ा-सा, मार्केटिंग इनकी बढ़िया है। इनकी मार्केटिंग का कोई मुकाबला नहीं है। इनका ख्याल है कि इनका राज दोबारा आ जाएगा। मैं बता रहा हूं कि इनकी स्थितियां किसानों के मामले में बहुत ज्यादा खराब हो गयी हैं। दूसरे मामलों में भी स्थिति, जनता भूली नहीं है।

सभापति महोदय, प्रदेश में हमारे मुख्य मंत्री जी ने शानदार काम किया है। सड़कों में अच्छा काम किया है। सभी क्षेत्रों में, मुख्य मंत्री जी ने, विशेषकर एक विकलांग के मामले में बात चलती थी, कहीं 18 साल का हो जाएगा, उसके घर में ये नहीं होना चाहिए, उस विकलांग के सारे ब्रेकर हटाकर, पेंशन भी हमने ही बढ़ाई। शुरू में बुज़ुर्गों को पेंशन भी मुख्य मंत्री जी ने दी और उसको बढ़ाया भी इन्होंने ही। दवाइयों का मामला था, जांचें भी इन्होंने कीं और फिर जांचों का दायरा भी इन्होंने ही बढ़ाया। इसके अलावा मैं जहां तक जानता हूं कि इससे बढ़िया, इन परिस्थितियों में बजट पेश नहीं किया जा सकता था। मैं फाइनेंस सेक्रेटरी से मिला तो मैंने कहा कि क्या स्थिति है? मुझे नहीं लग रहा है कि कोई कागज कहीं देकर आएं, कुछ हो तो कागज दें। उन्होंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सौ परसेंट काम होगा। पैसे की व्यवस्था कैसे हुई? यह इनकी समझ से बाहर आ रहा है। मेरे भी समझ नहीं आ रहा है। जो मैनेजमेंट बनाया, ईमानदारी की बात है कि हम सोच रहे थे कि बजट मरा हुआ ही आएगा, लेकिन ये बजट जिस तरीके का आया, सभापति महोदय, इसमें भी थोड़ी बहुत गड़बड़ है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, एक मेरे बांध का मामला है। वह 2013 में भी सी.एम. साहब बोल गये उस बांध के लिए कि मनसा माता का बांध बनना चाहिए। 2014 में भी बोल गये। अभी भी दो बार बोल गये, लेकिन वह बांध बन नहीं रहा है। इस पर थोड़ा-बहुत गड़बड़ भी है। मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे मामले को भी हमको, जब मुख्य मंत्री जी बजट पर बोलें, अधिकारियों को, बाकी लोगों को, उसका रिजल्ट आना चाहिए। जिसमें चार-चार बार बजट घोषणा हो जाए और वह काम न हो फिर +++ उसका ज्यादा मतलब निकलता नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए अब।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए तो आपका धन्यवाद, लेकिन मैं आपको मेरी एक बात कहकर, मेरी एक बात बोलकर मेरा स्थान ग्रहण करता हूं। एक व्यक्ति कभी किसी सेठ के नौकरी करता था। वह शिकारी था। उसने तय कर लिया कि मुझे तो नौकरी करनी नहीं है और सेठ अपने को कुछ कह दे, उलटा-सीधा बोल दे तो नौकरी छोड़कर चला जाए। उसके बाद में हुआ क्या, उसने यह तय कर लिया। बीच में टोक रहे हैं, सभापति महोदय।

श्री सभापति: इनका भी नम्बर लगने वाला है।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, उसने तय कर लिया कि अपने को यहां से जाना है, लेकिन सेठ अपने को, मालिक अपने को कुछ कहे तो चला जाए। मालिक को पता चल गया कि ये जाएगा तो उसने तय कर लिया कि उसको कुछ कहना नहीं है। वह फिर जो मालिक उसको आदेश दे रहा था, उससे उलटा कर रहा था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। अब उसका पेशेंस खतम हो गया तो उसने एक दिन अपने मालिक के मुंह पर थूक दिया, तो थूकते ही उसने कहा कि कैलाश तेरा थूक तो ठंडा है। फिर उसने कहा कि ऐसी की तैसी करवाकर जो गरम थूके उसको बुला लेना, मैं तो ये चला।

श्री सभापति: धन्यवाद। आप विराजिए।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, मेरी बात खतम नहीं हुई। इनको जब जाना होता है तो यह ऐसे ही बहाने। इन्होंने वाकआउट किया। क्यों गये, मेरे समझ में नहीं आया, क्यों आये, यह भी समझ नहीं आया, यह खेल क्या है। (व्यवधान) सभापति महोदय, मैं ज्यादा कुछ नहीं

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा)

जानते हुए, बजट के तो पक्ष में बोल रहा हूं, लेकिन एक चीज है, हम जीत कर तो आये थे ब.स.पा. से। पहली बार भी मैं ब.स.पा. से ही जीतकर आया था और विधायक दल का नेता भी बन गया था। फिर कांग्रेस में आ गये। फिर मेरा मन नहीं लगा। मैं वापस उधर ही चला गया। मैं दुबारा भी ब.स.पा. से ही जीतकर आया। मैं अब यहां आ गया। मेरा मन, जो भी है।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यह अपनी बातें रखने का मंच है। यूट्यूब पर सारे लोग देख रहे हैं। इस सदन में मेरे तो दस साढू और बैठे हैं। रामकेश जी, राजकुमार जी मेरे ही साढू हैं, मुरारी जी, रमेश जी, 5-6 तो हमारे और हैं ही। यह सरकार ग़रीबों की सरकार है। ग़रीबों के लिए काम करती है, दलितों के लिए काम करती है। इन सबसे बड़ी बात, सभापति महोदय, आपको एक बात बताऊं। पिछले राज में, ईमानदारी की बात है, पता नहीं इन्होंने क्या किया, हमारी शेखावाटी में 70 साल में किसी के खिलाफ कभी देशद्रोह का मुकदमा ही नहीं हुआ। इन धाराओं में हुआ ही नहीं। मेरे उदयपुरवाटी में तो, पूरे विधान सभा क्षेत्र में मात्र 6-7 हजार ही माइनोरिटी के लोग हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्कूल में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चों के खिलाफ बिना किसी बात के देशद्रोह के मुक़दमे लगा दिये। 60-60 लोगों को अन्दर डाल दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समाप्त करें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): बात मौक़े की तो अब आयी है।

श्री सभापति: समाप्त करे, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): इन्होंने जिस तरीके से, साम्प्रदायिकता फैलाई, हिन्दू-मुसलमान कर दिया।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): जातियों को लड़ा दिया, इन्होंने किसानों को लड़ा दिया।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): अब आपको बताना चाह रहा हूं। आपकी पीड़ा मेरे से मिलती जुलती है। कहीं हम बाद में बात कर लेंगे। सभापति महोदय, मेरा आपसे विशेष निवेदन है, आपने मुझे समय दिया, दिल

(श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा)

से इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं एक-दो बातें और बताना चाह रहा था।

श्री सभापति: अब बाद में करेंगे। प्लीज समाप्त करें।

श्री राजेन्द्रसिंह गुढ़ा (उदयपुरवाटी): धन्यवाद।

श्री सभापति: फूल सिंह जी।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सम्माननीय सभापति महोदय, मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मुख्य मंत्री जी ने करीब तीन घंटे का तीसरा भाषण पेश किया। पानी पी-पीकर, तालियां व मेज थपथपाईं, मगर मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व में दो बजट पेश किये। उन दो बजटों में कितनी सच्चाई है, यह मेरे से पहले वक्ताओं ने, सदस्य भाइयों ने यहां बोला। उससे लगता है कि वास्तव में इन्होंने केवल और केवल उन घोषणाओं को दुबारा यहां पढ़ा है।

(16.13 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

वह घोषणा मेरे विधान सभा में तो लागू नहीं की, इनके कहीं हुई है तो वे बताएंगे। मैं तो इतना ही बताऊंगा कि जो बेरोजगार युवा नौकरी का इंतजार कर रहे थे कि यह सरकार आएगी और हमें नौकरी लगाएगी, बेरोजगारी भत्ता देगी, मगर उनके अन्दर इन्होंने सच्चाई नहीं बताई। उनको गुमराह करके, वोट लेकर सत्ता में आ गये, आज भी वे इंतजार कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पंचायत सहायक उदयपुर ज़िले के अन्दर 1,400 कर्मचारी, आज वे इंतजार कर रहे हैं। इस सरकार ने हमसे वादा किया था कि पंचायत सहायकों को हम परमानेंट नौकरी दे देंगे, तनख्वाह बढ़ा देंगे। मगर वे 6 हजार रुपये की तनख्वाह में आज भी इंतजार कर रहे हैं। वे धरना-प्रदर्शन पर उतर रहे हैं। इनका यह वादा असत्य गया।

शिक्षा कर्मी, विद्यालय सहायक, एल.डी.सी., सब कर्मचारी परमानेंट नौकरी के इंतजार में, कि यह सरकार आएगी और हमें स्थाई नौकरी देगी, मगर 6 हजार एल.डी.सी. कर्मचारी आज भी सरकारी नौकरी के लिए, कि हमें परमानेंट करेंगे, इंतजार कर रहे हैं। वे आज धरने-प्रदर्शन पर बैठे हैं।

सभापति महोदय, नरेगा के अन्दर ग्राम पंचायत में प्रेरक लगा रखे

(श्री फूल सिंह मीणा)

थे। उनको नौकरी से हटा दिया गया है। पूरे राजस्थान के अन्दर ये रोजगार की बात कर रहे हैं और उन प्रेरकों को घर बैठा दिया, वे बेरोजगार हो गये। कोरोना महामारी में पूरा परिवार परेशान है। उनको नौकरी से निकालकर उन ग़रीबों के साथ कुठाराघात किया है। वे बेरोजगार हो गये और ये कई वादे करते हैं।

चिकित्सा में लैब टैक्नीशियन, चिकित्सा कम्प्यूटर आपरेटर की तनख्वाह बढ़ाने व स्थाई करने का इन्होंने वादा किया था। आज कम्प्यूटर आपरेटर, पूरे के पूरे कर्मचारी, धरने-प्रदर्शन पर उतारू हो गये। दो साल हो गये। दो बजटों में उन्होंने देख लिया कि कुछ नहीं किया। तीसरे बजट में उनको उम्मीद थी, लेकिन उनको निराशा मिली। इन्होंने केवल और केवल सत्ता में आने के लिए असत्य वादा किया।

पटवारियों को 3,600 की ग्रेड-पे की मांग में, इन्होंने कुछ नहीं किया। आज हमारा गरीब, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना हो, चाहे किसानों की कहीं खाते की नकल लेनी हो, पटवारी जिस पंचायत में, जहां उनकी पोस्टिंग है, वहां तो वे काम कर रहे हैं, यह सरकार दो सालों में पटवारी के इतने पद खाली होते हुए भी भर्तियों का कोई प्रावधान नहीं लाई। एक पटवारी के पास तीन-तीन मुख्यालयों का चार्ज था, जो एक्स्ट्रा चार्ज था, उसके सारे के सारे दस्तावेज तहसील और कलेक्टरों में जमा करा दिये। सरकारी नौकरी में फार्म भरने वाला, ट्राइबल एरिया का गरीब परिवार, उस बच्चे का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए भटकता फिरता है। बहुत दिनों बाद भर्ती का नम्बर आता है, वह भी जाति प्रमाण पत्र की वजह से अगर उसका नम्बर चला जाएगा, तो यह उनके साथ।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें। दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, दस मिनट दिये हैं और अभी दो मिनट हुए हैं। बीच में मत टोको, मैंने तो अभी शुरू किया है।

डी.एम.एफ.टी. का बजट दो साल तक इन्होंने कुछ नहीं दिया। पहले हमारे जिला प्रमुख को अध्यक्ष बनाया था, कलेक्टर को बना दिया। कलेक्टर के बाद प्रभारी मंत्री को बना दिया। ट्राइबल एरिया में माइनिंग का जो पैसा आता था, वह जनता विकास का इंतजार कर रही है। दो साल के अन्दर, धन के

(श्री फूल सिंह मीणा)
ऊपर सांप आरा मांडकर बैठता है, वैसे सैकड़ों करोड़ रुपये ये दबाकर बैठे थे। सभी सदस्यों ने जब डी.एम.एफ.टी. के पैसों का मुद्दा उठाया, तो हमारे प्रभारी मंत्री ने जाकर तुरत फुरत मीटिंग अटेंड की और पैसे का बंटवारा किया।

सभापति महोदय, मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन योजना, पूर्व में ट्राइबल एरिया में पानी का ग्राफ, वाटर लेवल बढ़ाने का काम किया था, हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी ने चालू किया था, उसको बंद कर दिया। अभी कह रहे थे कि हमें यह दे दिया, वह दे दिया। अभी हमारे लाहोटी साहब कह रहे थे कि नन्दी गौशाला के अन्दर इन्होंने कुछ नहीं किया।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर एक भी नन्दी गौशाला नहीं खोली।

श्री सभापति: विराजिए। श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद, सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। बहुत सीनियर लोग बोलेंगे आज। प्लीज, सहयोग करें, विराजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आज, मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट भाषण दिया था, उसके सन्दर्भ में ...(व्यवधान)

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मुझे पूरा तो करने देते, सभापति महोदय ...(व्यवधान) दो मिनट में आपने बंद करा दिया।

श्री सभापति: विराजिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): यह कैसे होगा?

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैं इस बजट को सपोर्ट करते हुए आपके सामने बजट पर अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा हूं। आज हम जब राजस्थान का बजट देखते हैं तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सेंटर का बजट किस तरीके से केन्द्रीय वित्त मंत्री ने दिया, उसको हमें समझना पड़ेगा।

(श्री रोहित बौहरा)

तब तक हम केन्द्रीय बजट को नहीं समझेंगे, जब तक कि हमारी सोच में बदलाव, जो कि ये बार-बार मेरे विपक्ष के साथी कहते हैं कि हमने दिया, सब चीज, जैसे सेंट्रल सरकार ही हमको खैरात में दे रही हो, तब तक इनको यह समझ में नहीं आएगा। यह इनको बताना चाहता हूं, आप कोई खैरात में नहीं देते हैं। यह संघीय ढांचे के अनुरूप आप हमारे को पैसा देते हैं।

श्री सभापति: इधर-इधर।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप नहीं देते हैं, अपनी पाकेट से केन्द्र सरकार हमें नहीं देती है। यह संघीय ढांचे में जो हमारे को पैसा मिलना होता है, वही पैसा आप लोग हमारे को देते हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): केन्द्रीय मंत्री ने जब अपना बजट भाषण शुरू किया तो उन्होंने बहुत बड़ी बातें कीं। उन्होंने यह कहा कि हम 34.83 लाख करोड़ का एक्सपेंडीचर स्पेंड करेंगे, जिससे कि मार्केट में कंजम्पशन की डिमांड बढ़े, इकॉनोमी ठीक तरीके से चल सके। बट, क्या होता है, हम 31 दिसम्बर का फिगर देखते हैं, 34.83 लाख करोड़ के बजट में से केन्द्रीय वित्त मंत्री ने 31 दिसम्बर तक सिर्फ 22 लाख करोड़ रुपया खर्च किया। अब आपको समझ में आता है कि जब आप राजस्थान का बजट देखते हैं तो किस तरीके से आपको देखना चाहिए। 12 लाख करोड़ रुपया सिर्फ इन तीन महीनों में खर्च करेंगे। इनके पास भी है 12 लाख करोड़ रुपया, वे खर्च करेंगे तो यह आपके बजट में आपने लिखा, जो RE में आपने बजट पेश किया, उससे भी आप कम खर्च करने वाले हो। आप उसकी डिमांड को ही रेज नहीं कर पाओगे, 34 में से आप सिर्फ 22 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे।

अब आप ग्रोथ रेट पर आइये। हम अपने आपको बता रहे हैं, पता नहीं किस इकॉनोमी की हम सोच कर रहे हैं कि we're one of the most emerging economies of the world. ग्रोथ रेट की जो बात कर रहे हैं, जब 2018-19 में, जब आपकी नई सरकार आयी, उस टाइम आपकी ग्रोथ रेट 8 परसेंट थी। 2019-20 में यह ग्रोथ रेट साढ़े चार परसेंट हो गयी। आज की डेट में नेगेटिव 9.5 परसेंट, और यह 9.5 परसेंट नहीं था, इन्होंने जो ऑफलाइन बजटिंग करके, जिस हिसाब से इन्होंने अपनी कारपोरेट कम्पनीज

(श्री रोहित बौहरा)

को लोन दिया, एफ.सी.आई. को लोन दिया, फर्टिलाइजर सब्सिडी में ये पैसा जरूर बजट में डालते थे, बट फर्टिलाइजर कम्पनीज को 4-4 साल तक इन्होंने पेमेंट नहीं किया। उन फर्टिलाइजर कम्पनीज को इन्होंने सिक करने का काम किया।

श्री सभापति: एक मिनट। (व्यवधान) आपने सरकार के संज्ञान में बात ला दी। अब अपने आसन पर जाकर बैठें। सरकार के संज्ञान में बात आ गयी। (व्यवधान) आपने कह भी दिया। सरकार के संज्ञान में आपने बात ला दी। अब आप माननीय मंत्री महोदय से व्यक्तिगत रूप से मिल करके, ...(व्यवधान)... अब आपके यहां बैठने से, तत्काल कुछ होना नहीं है। आप माननीय मंत्री महोदय से व्यक्तिश: मिल भी सकते हैं। सरकार के संज्ञान में बात आ गयी। सरकार अपने आप करेगी इसमें, जो भी कुछ कार्यवाही, तो आप माननीय अध्यक्ष महोदय से जाकर मिल लीजिये, वहां जा करके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप माननीय मंत्रीजी को यह निर्देश फरमा दें कि आप लोगों से मिल लें, पूरी बात को सुन लें और एस.पी. को और उनको निर्देश दे दें जल्दी से जल्दी कार्यवाही करने के। छोटी-सी बात है। आसन निर्देश दे दे, डिप्टी चीफ व्हिप साहब बैठे हैं, इनको ले जाकर मिला दें।

श्री सभापति: मैं माननीय मंत्री महोदय को निर्देश देता हूं कि व्यक्तिगत रूप से आपको सुन लेंगे। उनके वेश्म में जाएं, सुन लेंगे आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): डिप्टी चीफ व्हिप विराजे हैं।

एक माननीय सदस्य: प्रभारी मंत्री बैठे हैं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री, आप इनसे वार्ता करा दें इनकी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप मिला दें, डिप्टी चीफ।

श्री सभापति: बैठें, आप बैठें।

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): आप बैठें, आपकी वार्ता करा देंगे।

श्री सभापति: प्लीज, प्लीज। मकसद आपका भी वही है, मकसद मेरा भी वही है। मैं भी यही चाहता हूं दिल से, तत्काल न्याय होना चाहिए। अब आप माननीय महेन्द्रजी से मिल करके मंत्री महोदय से वहां वार्ता कर लें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में, क्योंकि यह कैश का मापदण्ड होता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: समाधान यही है न। इसका समाधान यही है कि आप मंत्री महोदय से जाकर व्यक्तिशः मिल लें। प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप मिला दें, साहब, अभी ले जाकर मिला दें आप।

श्री सभापति: अभी मिला देते हैं, अभी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): क्योंकि इस बात के लिए वास्तव में वहां 6-7 हजार आदमी धरने पर बैठे हैं।

श्री सभापति: प्लीज। आप जाकर मिल लें अभी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण पर जवाब देने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय माननीय नेता महोदय के रिप्लाई होने तक बढ़ाया गया।

अब आप जाकर आप मिल लें। माननीय सदस्य।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री है, जिससे कि आज कम से कम हमारी इंडस्ट्री में ग्रोथ का एक मापदण्ड होता है, जब एन.डी.ए. की सरकार आयी थी, तब कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री की जो रेट आफ इन्क्रीज थी, वह 10 परसेंट थी। इनकी सरकार आयी, हमने सोचा था कि मोदीजी मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और पता नहीं क्या-क्या नारे दिये,

(श्री रोहित बौहरा)

इससे लगा कि इंडस्ट्री का डवलपमेंट होगा। यह मैं आपको लास्ट मंथ के फिगर्स दिखा रहा हूं। Your Capital Goods industry is down by minus (-) 10 percent, and which is shameful for any upcoming economy. This is a factor which shows that there's no industrialization which is taking place in this Country. We are minus (-) 10 percent.

The consumer goods production, जो कि एक दूसरा मापदण्ड मैं आपको बताना चाहता हूं, कंजूमर गुड्स के प्रोडक्शन की ग्रोथ, 2017-18 में 5 परसेंट थी, it has come down to 1 percent in 2019-20 और इस साल में it is in minus (-). यह सब इकॉनोमी के आंकड़े हैं। यह इकॉनोमी किस तरीके से चल रही है। यह जो यहां पर हमारे विपक्ष के सदस्य बैठे हैं, हमारे जो 25 सांसद बैठे हैं, सिर्फ मेज थपथपाने से काम नहीं चलेगा। हकीकत दुनिया को और देश को जाननी पड़ेगी कि किस तरीके से यह सरकार चला रही है।

The rate of employment, साहब, यह एम्प्लायमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। साहब, रेट आफ एम्प्लायमेंट एक दूसरा कंसेप्ट है। The rate of employment in 2014 was 43 percent. It has come down to 38 percent. रेट आफ एम्प्लायमेंट का मतलब है, जो हर साल बच्चे, 18 साल के बच्चे नौकरी के लिए तैयार होते हैं, वह 2014 में 43 परसेंट था, आज 38 परसेंट है। मतलब हर साल आपका रेट आफ एम्प्लायमेंट जिस टाइम से यू.पी.ए. सरकार गयी है, rate of employment is coming down. यह सोचने की बात है।

इलेक्ट्रिसिटी ग्रोथ एक दूसरा माध्यम है इंडस्ट्री को नापने का कि किस तरीके से इंडस्ट्री को नापा जाता है। During the UPA's first regime, electricity growth was almost 10 percent. In 2019-20, it has come down to negative (-) 1.8 percent. That means there's no growth. अब बिजली बनाने के लिए कोई नई कम्पनियां आगे नहीं आ रही हैं। There's a degrowth of 1.8 percent. मतलब नेगेटिव ग्रोथ हो गयी है।

एक्सपोर्ट, जो कि एक कन्ट्री का माध्यम है फॉरेन एक्सचेंज लेकर आने के लिए, किसी भी कन्ट्री को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। The rate in 2017-18 was 9 percent और लास्ट ईयर, यह वन परसेंट पर आ गया और इस साल बिलकुल नेगेटिव, नोन आयल एक्सपोर्ट निकाल दें तो यह बिलकुल नेगेटिव में चली गयी। बैंक लोन्स, जो कि बैंक लोन दिये जाते हैं नई

(श्री रोहित बौहरा)

इंडस्ट्री लगाने के लिए, नये इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रियेट करने के लिए, जो कि यू.पी.ए. रिजीम के टाइम 20 परसेंट था and it has come down to 4 percent. यह एन.डी.ए. के टाइम 4 परसेंट आ गया है।

डाइरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, जिससे हमारे को यह पैसा डिवाल्व होता है स्टेट्स के अन्दर, there was an increase of 16 percent in 2017-18 and in 2019 it has come down to zero percent. मतलब जो कारपोरेट टैक्स है, और जो पर्सनल इन्कम टैक्स है, लास्ट 2 ईयर से there's no growth. यदि ग्रोथ नहीं होगी तो आप कहां से पैसा खर्च करोगे। आप नये संसाधन कहां से जुटाओगे। यह पिछली बार भी बात हुई थी। इंडिया के वन परसेंट अमीर लोग, इस कोविड काल में भी उनका प्रोफिट बढ़ा है 12 लाख करोड़ से लेकर 13 लाख करोड़, क्या यह सरकार उन पर 10 परसेंट एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगा सकती थी? आज ये एम.एस.पी. बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, आज किसानों से लड़ाई किस चीज की है, किसानों से लड़ाई उसी चीज की है कि ये एम.एस.पी. बंद करना चाहते हैं क्योंकि एफ.सी.आई. का बजट, इन्होंने आज की डेट में, पिछले साल एक लाख 40 हजार करोड़ था, इस साल 65 हजार करोड़ कर दिया। यानी, it is a shameful thing that they're doing. आप 10 परसेंट लगा देते, आपका पूरा एफ.सी.आई. का बजट उससे निकल जाता बट, वह नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि 'हम दो, हमारे दो', वह जो हमारे नेता ने एक बात की थी, वह बिलकुल यहां पर सामने आ रही है कि इसलिए नहीं किया गया कि कारपोरेट टैक्स बढ़ाते तो उन दोनों को कटता।

रियल एस्टेट, जो कि सबसे ज्यादा हम लोगों को, आप लोगों को, सब लोगों को एम्प्लायमेंट जनरेट करती है अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर के अन्दर तो यह पहली बार हुआ कि गवर्नमेंट ने जो एनबी.एफ.सी. और इन्होंने लोन दिये, वह 2018-19 में 22 लाख करोड़ रुपये के लोन दिये थे और 2019-20 में यह एक लाख करोड़ रुपये के लोन हो गये। दैट मीन्स, 21 लाख करोड़ रुपये की जो रियल एस्टेट सैक्टर को फंडिंग हो रही थी, वह खतम हो गयी। उससे क्या हुआ? हमारे बैंकों के जो एन.पी.एज. थे, सात-साढ़े सात लाख करोड़ रुपये से तेरह लाख करोड़ आपके बी.जे.पी. के टाइम में इकट्ठे हो गये, वह एन.पी.एज. हो गये। अब लोगबाग क्या करेंगे? उनसे वन टाइम सैटलमेंट की स्कीम लेंगे तो आप समझ सकते हो कि किस तरह से यह वन टाइम सैटलमेंट सरकार करती है। इसीलिए भारत सरकार के जो दूसरे इकॉनोमिस्ट हैं इस कंट्री के, उन्होंने यह कहा कि साहब, there's a twin balance sheet now. क्या हुई, साहब? यहां से तो पैसा आया नहीं। अब इन्होंने क्या किया कि

(श्री रोहित बौहरा)

एन.बी.एफ.सी. से यह फंडिंग शुरू करवा दी। एन.बी.एफ.सी. से रियल एस्टेट सैक्टर में फंडिंग शुरू हो गयी। फंडिंग शुरू होती है, रियल एस्टेट सैक्टर, eight lakh crore worth के हाउसेज बनाता है, सिर्फ आठ टाप सिटीज के अन्दर, उसमें से माल बिकता है, सिर्फ दो लाख करोड़ रुपये का। एन.बी.एफ.सीज. लास्ट ईयर 1.8 लाख करोड़ रुपये के स्ट्रेस असेट्स में आ जाती हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? केन्द्र सरकार जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी ओढ़ना नहीं चाहते हैं। जो भी बात करता है इकॉनोमी में कि यह गलत हो रहा है, उसका आप ध्यान आकर्षण दूसरी चीजों में कर देते हैं। यह आपको करना पड़ेगा। आपने नहीं किया।

आपने एन.बी.एफ.सीज. को खतम करना शुरू कर दिया। आज एन.बी.एफ.सीज. खतम हो जाएंगी तो छोटे किसान भाइयों को जो छोटे-छोटे लोन दिये जाते हैं, उससे आपको दिक्कतें आना शुरू हो जाएंगी। पता पड़ा, जो एग्रीकल्चर की 3.54 परसेंट की ग्रोथ है, वह भी डी-ग्रोथ में चली जाएगी।

अब इन्होंने एजुकेशन के बजट पर बात की। नई एजुकेशन पालिसी लेकर आये। एजुकेशन का बजट लास्ट ईयर से 6 हजार करोड़ रुपये का डाउन फाल आया। एजुकेशन, आप नई पालिसी लाने वाले हो, जिसमें आपको इन्फ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करना पड़ेगा, न्यू एजुकेशन पालिसी से, आप 6 हजार करोड़ रुपया उसका बजट डाउन कर रहे हो।

एग्रीकल्चर का जो बजट था, जो एक लाख 34 हजार करोड़ रुपये था, उसको आपने डाउन कर दिया, एक लाख 23 हजार करोड़ रुपये कर दिया और जो हमारे प्रधान मंत्रीजी की सबसे बड़ी, जिसकी ये डींगें हांकते हैं, साहब, कि साढ़े बारह लाख करोड़ किसानों को हम छह हजार रुपया महीना देंगे, उसके एक्चुअल फिगर जनवरी, 2021 तक के हैं, वह आपने सिर्फ लिमिट बढ़ा दी, अब 14.5 करोड़ किसानों को हम यह पैसा देंगे। एक्चुअल में एक फिगर आज की डेट में, जनवरी तक का यह फिगर सिर्फ 10 करोड़ किसानों को यह पैसा मिला है, जो इतनी बड़ी डींगें हांकते हैं।

आज आपने बहुत बड़ी बात कही कि, साहब, हम गैस पर सब्सिडी देते हैं, उज्ज्वला योजना हमारी बहुत बड़ी योजना है। आपको मैं यह बताना चाहता हूं कि इस बजट के अन्दर उज्ज्वला योजना स्कीम में जो गैस सब्सिडी दी जाती है, उस गैस सब्सिडी में 36 परसेंट बिल डाउन हुआ है। आपका जो रिवाइज्ड एस्टीमेट था एल.पी.जी. सब्सिडी का, 36 हजार करोड़ रुपये का पिछले साल था, इस साल 14 हजार करोड़ रुपये है, यानी 22 हजार करोड़

(श्री रोहित बौहरा)

रुपया आपने गैस सब्सिडी पर खतम कर दिया तो क्या दोगे आप किसानों को? यह आपने न्यू कनेक्शन में, एक-एक आप कनेक्शन दे देंगे, सैकण्ड कनेक्शन कोई लेने नहीं जाएगा। 819 रुपये का कौन आपसे सिलेंडर खरीदेगा? जिसकी कमाई घर में दो हजार-तीन हजार रुपये हो, वह 800 रुपये का सिलेंडर आपसे कहां से खरीदेगा?

केरोसीन पर आपने सब्सिडी जीरो कर दी इस बजट में। जो पिछले बजट में 3 हजार करोड़ रुपये थी, इस बजट में आपने केरोसीन की सब्सिडी जीरो कर दी तो इस तरीके से आपकी जो खुद की चलाई हुई स्कीम्स थीं, जहां पर आपने देखा, जैसा हमारे गुढ़ाजी ने अभी कहा था न कि मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, मार्केटिंग ऐसी करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि पता नहीं क्या ये आसमान से तारे तोड़कर ले आये। एक मार्केटिंग की और उसके बाद जैसे ही वह स्कीम थोड़ी चली तो उसको वहीं पर ही खतम कर देते हैं और फिर उसको बखानना करना शुरू कर देते हैं।

जो रोड मिनिस्ट्री का बजट था, सिर्फ यह हुआ है कि रोड मिनिस्ट्री का, वह मैं आपको एप्रीशिएट भी करता हूं कि रोड मिनिस्ट्री का बजट has been increased by 17,000 crore. जो कि एक बहुत ही अच्छा इन्होंने प्रोजेक्ट करा, बट रोड सेफ्टी के ऊपर जहां अमरीका में करीब-करीब 6 परसेंट रोड सेफ्टी पर खर्च करते हैं, जिससे एक्सीडेंट्स नहीं हों। मैं आपको ताजा फिगर देता हूं कि साढ़े चार लाख आदमी रोड पर, नेशनल हाईवेज के ऊपर इस साल साढ़े चार लाख आदमियों का एक्सीडेंट हुआ है, उसमें से डेढ़ लाख आदमी परलोक सिधार गये हैं। आज हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कम से कम इसके लिए 100 करोड़ रुपया रोड सेफ्टी पर तो दिया। आपने क्या दिया? You're not even giving 0.1%. मैं माननीय लीडर आफ अपोजिशन से यह कहूंगा कि कम से कम इसको तो एप्रीशिएट करें। आपकी सरकार ने क्या किया और हमारी सरकार ने क्या किया?

हैल्थ एण्ड फैमिली वैलफेयर पर आप बात करें। बड़ी डींगें हांकी, साहब, केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कि हमने बजट 137 परसेंट से बढ़ा दिया, बट क्या किया? 137 परसेंट से बजट नहीं बढ़ा, उसमें आपने सेनिटेशन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पर करीब-करीब आपने एक लाख करोड़ रुपये खर्च करने की बात की। एक्चुअली में जो आपका बजट था 2020-21 में, यदि आप ईयर टू ईयर और उसी मद में आप कम्पेयर करते हैं, 2020-21 में बजट 82,928

(श्री रोहित बौहरा)

करोड़ रुपये था और इस साल का बजट 73,932 करोड़ रुपये है, जबकि हम पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, इसमें से 35 हजार करोड़ रुपये मैंने वह एड नहीं किया है, that is a one time spent that we're doing. It is not in every time spent that we're doing और आपने 10 हजार करोड़ रुपये का एक नया फंड किया कि हैल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर पर हम खर्च करेंगे। पूर कंट्री में 10 हजार करोड़ रुपये? यह ऊंट के मुंह में जीरा है, वह भी पांच साल में। Not in one year. सिर्फ मेज थपथपाने से काम नहीं होता है, जब तक आप उस बजट को ऐनलाइज्ड नहीं करो, जब तक आपको यह ही पता नहीं पड़ेगा कि आपने क्या किया? एल.पी.जी. सब्सिडी आपने खतम कर दी, वह मैंने बता दिया।

डिफेंस बजट, डिफेंस बजट का total outlay on new arms and ammunitions is only 11%. टोटल बजट का सिर्फ आप 11 परसेंट खर्च करोगे इसके ऊपर। आप इस पर खर्च करोगे new arms and ammunitions पर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह विधान सभा है, लोक सभा नहीं है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, एक सैकण्ड। मैं आपको बोल चुका। देखिए, साहब, यह डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं राजस्थान के बजट पर भी आ रहा हूं, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं। आप बीच में मत बोलो।

श्री सभापति: कृपया, शांत रहें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप चिढ़ो मत। आपके मोदीजी की बुराई हो रही है तो उससे चिढ़िये मत। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी बात को जारी रखें। माननीय सदस्य, आप उनको इन्वाइट मत कीजिए, आप अपनी बात को जारी रखें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं?

श्री सभापति: प्लीज, कोई नहीं डिस्टर्ब करेगा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सर, बजट एलोकेशन पी.डी.एस. में, पी.डी.एस. में लास्ट ईयर बजट एलोकेशन इन्होंने साढ़े चार लाख करोड़ रुपये किया, क्योंकि भारत कोविड से परेशान था, लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। प्रधान मंत्रीजी ने पूरा देश 12 घंटे के अन्दर लॉक कर दिया, लोगों को पैदल चलना पड़ा। हमारी सरकार इतनी अच्छी सरकार थी कि जिससे हमने

(श्री रोहित बौहरा)

अपने 27 किलोमीटर, मैं अपने जिले की बात करता हूं कि 27 किलोमीटर की बैल्ट में हमने एक-एक लोगों को खाना खिलाया, उनके लिए बसें लगाईं और उनको गंतव्य तक छोड़ा। इनकी सरकारों ने तो यू.पी. और एम.पी. में लोगों को लेने के लिए मना कर दिया और हमारे बोर्डर सील कर दिये। किसकी बात कर रहे हैं? काहे की बात कर रहे हैं अपन? पी.डी.एस. का बजट इस साल आधा कर दिया है। यदि वापस पेंडेमिक में कुछ हो गया तो क्या होगा? एग्जेक्टली आधा कर दिया है। साढ़े चार लाख करोड़ रुपये का बजट था और इस साल ढाई लाख करोड़ रुपये का बजट पी.डी.एस. का कर दिया। आई.सी.डी.एस. का बजट आपने कम कर दिया। किस चीज पर बोलेंगे? रूरल डवलपमेंट का 60 हजार करोड़ रुपये से आपने बजट कम दिया। आपने किया क्या है?

एक चीज और कर दी है, साहब, इन्होंने। एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरिस्ट 100 बोरी यूरिया ले सकता था। आप जाओ बाजार से, 100 बोरी यूरिया आप ले सकते थे। जनवरी, 2015 को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का एक फरमान निकलता है कि अब किसी भी आदमी को हम 100 बोरी यूरिया नहीं देंगे, हम सिर्फ 50 बोरी ही यूरिया देंगे। यानी आधा कर दिया। क्या यह एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं? हमारे जो किसान भाई बैठे हैं, हमारे 200 किसान भाइयों ने आत्मदाह कर लिया इन लोगों की सरकार की नाइंसाफी से। तीन ऐसे लॉ जो कोई किसान नहीं चाहता, वह ऐसे तीन लॉ लेकर आ गये। फिर आप देखो साहब, कुछ भी नहीं हो रहा है।

आप यह देखिए कि फिस्कल डेफिसिट में जो इन्होंने चोरी की, आज का फिस्कल डेफिसिट इस देश का 7.6 परसेंट है। दर्शाया क्या गया? 9.5 परसेंट, वह क्यों दर्शाया गया 9.5 परसेंट? क्योंकि इन्होंने पांच साल से फर्टिलाइजर सब्सिडी का पैसा रोक रखा था, उसका पैसा दिया। इन्होंने एफ.सी.आई. का ढाई लाख करोड़ राइट-आफ कराया उस फिस्कल डैफिसिट से। इन्होंने सोचा अभी अच्छा टाइम है, अभी कोई ध्यान नहीं देगा, कुछ भी कर लो और यह काम चलता रहे। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूं कि किस तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

आप चिंता नहीं करें, मैं राजस्थान पर भी आ रहा हूं। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कंजम्पशन के लिए यह ऐसी कोई भी स्कीम लेकर नहीं आये। न तो एम.एस.एम.ई. के लिए ये ऐसी कोई स्कीम लाये कि उनको छूट

(श्री रोहित बौहरा)

मिलेगी। हमारे अजमेर से विद्वान एम.एल.ए. साहब थे, हमने 50 करोड़ रुपये 10 हजार यूनिट्स का कहा तो उन्होंने कहा कि 5 हजार हैं। मैं उनकी गणित को ठीक करना चाहूंगा कि वह 50 हजार रुपये पर-यूनिट है। At least we have given them something. आपने तो वह भी नहीं किया है। आपकी सेंट्रल सरकार ने एम.एस.एम.ई. के लिए क्या किया? इंटरेस्ट ले लिया। आपने कहा इंटरेस्ट पर सब्सिडी देंगे, वह भी नहीं दी। लोगों ने जो इंटरेस्ट की पूरी रकम है, वह जमा करायी है। आपने तो सिर्फ उनको 6 महीने डिले से लिया। आपने सिर्फ एक यह आर्डर निकाला कि 2 प्रतिशत जो एक्स्ट्रा लेंगे, वह नहीं लेंगे। बाकी 11 प्रतिशत पर किसी का लोन है तो आपने 11 प्रतिशत ही लिया है। आपने कोई रियायत नहीं दी, किसी को कोई भीख नहीं दी। जो आपने शुरू में कहा कि हम 2 लाख करोड़ रुपये इंडस्ट्री को दे रहे हैं, कौनसी इंडस्ट्री के पास 2 लाख करोड़ रुपया है। आपने किसी इंडस्ट्रीज के लिए कुछ नहीं किया। यह पहली बार है कि राजस्थान सरकार ने, जयपुर से आने वाले सब विधायक चाहते थे कि जेम्स एण्ड ज्वेलरी को रिप्स में जोड़ा जाए, तो रिप्स में जोड़ा गया। जेम्स एण्ड ज्वेलरी को रिप्स में जोड़ा। आपने रिजार्ट्स, होटल्स, जो कि मेन टूरिज्म इंडस्ट्री है राजस्थान की, उसको रिप्स से जोड़ा। यह इसी बजट में हुआ है और यह किसी दूसरे वाले बजट में नहीं हुआ है।

अब अनादर सैक्टर, जो कि इनको बात करनी चाहिए थी और जो आज बड़ी दयनीय हालत में है। होटल, टूरिज्म के लिए केन्द्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने न तो कोई सब्सिडी के रूप में, किसी भी रूप में उन लोगों की मदद नहीं की। उन लोगों के जो बैंकिंग लोन थे, उसमें भी कोई मदद नहीं की। उनके लोन एन.पी.ए. होते जा रहे हैं, उसमें भी कुछ नहीं किया। सिर्फ बातें की, बातों के अलावा कुछ नहीं किया। राजस्थान में यह पहली बार हुआ है कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने टूरिज्म के लिए 100 करोड़ के बजट को 500 करोड़ रुपये किया और वह इसलिए किया कि कम से कम टूरिज्म इंडस्ट्री को वापस उठा सकें और वापस उनमें गति ला सकें। Disinvestment, यह पहली बार ऐसा हुआ है, in the history of India. जब अटल बिहारी जी थे, तो इस मिनिस्टरी का नाम कहलाता था डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टरी, यह पहली बार हुआ है जहां कि फाइनेंस मिनिस्टर ने यह डिसइन्वेस्टमेंट वर्ड यूज नहीं किया है। They've used the word privatization. डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में बहुत अन्तर है। आज

(श्री रोहित बौहरा)

एल.आई.सी. को डिसइन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यह एल.आई.सी. का प्राइवेटाइज कर रहे हैं। आज एल.आई.सी. नहीं होती तो यस बैंक आज खड़ी नहीं होती। ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं जहां पर एलआई.सी. को दूसरी कम्पनियों को आक्सीजन जैसे यूज किया है। ऑक्सीजन जैसे यूज किया है तो कम से कम उन लोगों को वापस पटरी पर लाने का काम एल.आई.सी. ने किया है। हम आज एल.आई.सी. को बेच देंगे। प्राइवेटाइज कर देंगे। डिसइन्वेस्ट नहीं करें। प्राइवेटाइज कर देंगे तो क्या हाल होगा, कामन आदमी तो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर वह कहां जाएगा?

एक और बात इन्होंने जी.डी.पी. में कही। जी.डी.पी. में इन लोगों ने कहा कि इस साल का जो जी.डी.पी. है, वह साढ़े 14 प्रतिशत से बढ़ेगा। एक्चुअल बढ़ेगा, वह सिर्फ 5 प्रतिशत से बढ़ेगा। You're already down by 9.5 percent. 9.5 percent को आप जीरो पर लेकर जाओगे, फिर 14 प्रतिशत बढ़ाओगे तो एक्चुअली बढ़ा क्या है? बढ़ा तो सिर्फ 5 प्रतिशत है, which would be one of the lowest. 2019-20 में आपने साढ़े चार प्रतिशत की ग्रोथ की थी। इस टाइम कोविड के बाद, जबकि इकॉनोमी को वापस अच्छी तरह से चलना चाहिए था, but it will only increase by 5 percent.

अब मैं थोड़ा राजस्थान के बजट पर बोलना चाहूंगा। काफी माननीय सदस्य वेट कर रहे होंगे कि राजस्थान बजट पर बोलें। राजस्थान की जी.एस.डी.पी. जो कांट्रेक्ट हुई कोविड के टाइम में, it was contracted by 6.6 percent जबकि देश की जी.डी.पी. कांट्रेक्ट हुई 7.6 प्रतिशत। हम फिर भी एक प्रतिशत बैटर हैं। हम अपने आपको कम्पेयर करें एक्चुअल जी.डी.पी. से और यदि हम आपकी जी.डी.पी. से, जो पेपर्स में आपने दी है, साढ़े 9 प्रतिशत से हम आपको कम्पेयर करते हैं तो we're better than Central Government. हम कम से कम तीन प्रतिशत उनसे ऊपर हैं। The revenue deficit, जो हमारा इस साल का रेवेन्यू डेफिसिट था, वह हमारा 1.9 प्रतिशत है and which is 8 percent of GSDP, 2021-22 का, जो कि, last year it was 4.36 percent. उसके बहुत सारे रीजंस थे। उसके रीजंस यह थे कि आज आपने हमारे को जी.एस.टी. का पैसा नहीं दिया। आपने 30 प्रतिशत, जो आप हमें डिवाल्व करते थे, वह आपने रोक लिया। आपने बहुत चालाकी से एक काम और किया। इतना चालाकी से यह काम किया है कि 2017 में पैट्रोल और डीजल पर टैक्स था 9.48 प्रतिशत और फिर सैस लगाया

(श्री रोहित बौहरा)

12 प्रतिशत, टोटल 21.48 प्रतिशत पर-लीटर का फर्क पड़ता था। 2021 में टैक्स कर दिया 1.4 प्रतिशत और सैस कर दिया 31.5 प्रतिशत। सैस 31.5 प्रतिशत इसलिए किया, जिससे कि केन्द्र राज्य को पैसा नहीं दे सके। जब केन्द्र राज्य को पैसा नहीं देगा तो पैसा कहां जाएगा? There's an increase of 56 to 98 percent. इसी तरह से आपने डीजल में किया। अप्रैल, 2017 में टोटल 17.33 था, इसमें टैक्स 11.33 और सैस 6 रुपये था। अब आपने टैक्स तो कर दिया 1.8 प्रतिशत और 30 रुपये आपने कर दिया सैस का, जिससे कि आपको स्टेट्स को पैसा नहीं देना पड़े। इस साल पैट्रोल और डीजल पर करीब-करीब 3 लाख 60 हजार करोड़ का पैसा केन्द्र के पास आएगा और राज्यों को डिवाल्व कितना होगा, 20 हजार करोड़। यानी किस तरह से आप संघीय ढांचे पर प्रहार कर रहे हैं। आज ही एन.के. सिंह साहब की रिपोर्ट है, the cess cannot increase according to 15th Finance Commission. The cess cannot go upto 19.9 percent. It should be limited to 18.4 percent. यह तो आपके पन्द्रहवें वित्त कमीशन के एन.के. सिंहजी ने आज रिपोर्ट दी है। आज पेपर में उनका इंटरव्यू आया है। आपने चोरी-छिपे पीछे से यह कर लिया, जिससे कि स्टेट्स को हम पैसा नहीं दे सकें। थोड़े दिन बाद आप ऐसी स्थिति कर देंगे कि लैण्ड लाक स्टेट्स सिर्फ सेंट्रल के पास बचेगी, सी वाली सब स्टेट्स आपसे अलग हो जाएंगी, क्योंकि इसी तरह से आप हमारे रेवेन्यू पर कुठाराघात करते रहे तो हमारे लोग क्या करेंगे? किसी न किसी दिन हम लोगों को अपनी आवाज सेंटर के खिलाफ उठानी पड़ेगी कि आप हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। आज इस बजट के अन्दर पहली बार हुआ है। मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट दिया, 33 लाख आदमियों को हजार रुपये दिये जा रहे हैं, the reason to give one thousand rupees is to increase the consumption in the economy. किसी तरह से कंजम्पशन इन्क्रीज होगा, कंजम्पशन इन्क्रीज होगा तो इकॉनोमी चलेगी। एम्प्लायमेंट के लिए हमने 5 लाख लोगों को 50 हजार रुपये क्रेडिट कार्ड के रूप में दिये हैं। इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं और 10 हजार एम.एस. एम.ई. यूनिट्स को 50 हजार करोड़ रुपये क्यों दे रहे हो? आप इसीलिए दे रहे हो कि किसी तरह से एम्प्लायमेंट जनरेट हो, किसी तरह से एम.एस.एम.ई. यूनिट्स वापस रिवाइव हों और राजस्थान की इकॉनोमी ठीक तरीके से चले। सेंटर चाहे हमारी कोई मदद करे या न करे, लेकिन फिर भी हम तरीके से कम से कम स्टेट को तो हम ऊपर लेकर आयें।

यह भी पहली बार हुआ है कि स्टार्ट-अप के ऊपर सीड मनी आप दे

(श्री रोहित बौहरा)

रहे हो। 5 लाख रुपये की सीड मनी दे रहे हो। यह बजट भाषण में से ही बता रहा हूं। आज किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोई स्टार्ट-अप को अप्रूव करके पांच लाख रुपया कोई स्टेट गवर्नमेंट दे देगी जिससे कि वह अपना बिजनस, जो अनएम्प्लायड यूथ है, उसके माता-पिता के पास बैंक में गिरवी रखकर लोन लेने के लिए जमीन नहीं है, उसको इंटरेस्ट फ्री आप प्रोजेक्ट एप्रूव करते हो और उसको सब्सिडी के रूप में 5 लाख रुपये देते हो। यह आप भी कर सकते थे, आपको किसने मना किया।

हमने पहली बार स्टूडेंट्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर उनके स्कूल में खोले, आपने क्यों नहीं खोले, क्योंकि आपकी ऐसी सोच ही नहीं है। राजस्थान के अन्दर पहली बार ऐसा हुआ है।

100 दिन नरेगा से 200 दिन नरेगा कर दिये जहां poorest of the poor रहते हैं राजस्थान में। आपको किसने मना किया था? पिछली बार भी जब हमारे 24 विधायक थे, तब भी उन्होंने यह डिमांड की थी कि 100 दिन नरेगा से लेकर उसको आप 200 दिन कर दो, पर आपकी सरकार ने नहीं सुना, न आपकी सेन्टर की सरकार ने सुना। कोविड टाइम में इसी विधान सभा में हम लोगों ने यह रेज किया था कि आपके 25 एम.पी. हैं, कम से कम उनसे कहिये। साहब, आपके यहां तो 25 एम.पीज. की आवाज ही नहीं खुलती है, बोल ही नहीं सकते हैं, ऐसा लगता है कि वे मुंह पर पट्टी बांधकर संसद में बैठते हैं, यानी it is such a shameful thing. पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है कि एक एम.पी. नहीं बोलता है, राजस्थान की एक आवाज नहीं उठाता है। ई.आर.सी.पी. पर, हमारे यहां से चार एम.पी. हैं, किसी ने ई.आर.सी.पी. पर आवाज उठाई? बोलना ही नहीं जानते हैं न। आगे कौन बोले, उन दो के सामने कोई बोल ही नहीं सकता, सबकी चुप्पी रहती है। it’s shameful.

अगले दो साल में एम्प्लायमेंट के लिए 50 हजार लोगों, यंगस्टर्स को हम नौकरी देने का वायदा कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि पिछली नौकरियों में कोर्ट-कचहरियों में अड़चनें आयी हैं पर जब तक हमारा टाइम रहेगा, हम सोचते हैं कि हमने जो कमिटमेंट किये हैं, हम वे कमिटमेंट पूरे करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बिलकुल सही हों, गलतियां हम से भी हो सकती हैं, we’re all human beings. सबसे गलती हो सकती है और कोर्ट-कचहरी में कोई भी जा सकता है, कोर्ट को भी यह देखना पड़ेगा कि किस तरह से इनको नहीं रोका जाए।

(श्री रोहित बौहरा)

पहली बार हुआ कि डी.एल.सी. रेट, रियल एस्टेट सैक्टर को किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, आपने डी.एल.सी. दरें 10 परसेंट डिक्रीज की हैं। वे क्यों की हैं, वे इसलिए की हैं, जिससे कि कम से कम जो रियल एस्टेट का बाजार बैठा हुआ है वह बाजार उठे, लोगों की रजिस्ट्रियां हों। हमने वन परसेंट और 0.5 परसेंट उन लोगों के लिए कर दिया, ई.डब्ल्यू.एस. हाउसिंग पर कर दिया और जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए कर दिया। साहब, यह पहली बार बजट में हो रहा है, we're spending 10 percent more in the Budget in 2021 as compared to the last year. Fiscal deficit is also decreasing from 6.12 percent of R.E. to 3.9 percent, that's in the FRBM limit.

हमारे सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही थी कि हम एफ.आर.बी.एम. लिमिट में नहीं हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर एफ.आर.बी.एम. की लिमिट न सिर्फ इस प्रदेश ने तोड़ी है, देश के केन्द्रीय मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी तोड़ी। एफ.आर.बी.एम. लिमिट में वे थे, वह उन्होंने भी तोड़ी है तो हमने तोड़ दी तो ऐसा हमने कोई गुनाह नहीं कर दिया। हमें कोविड से लड़ाई लड़नी थी, तो हमें बाजार से पैसा लेना पड़ा, क्योंकि रेवेन्यू कम आई। आपको खुद को पता है, सब लोगों को पता है कि ऑलमोस्ट तीन महीने तक बाजार बंद रहा तो रेवेन्यू कहां से आती? यह समझना तो चाहिए न। एक जना बोलता है कि अंधेरे में भी कुछ निकाल लाओ। उनसे पूछो कि जब सब बंद होगा तो वे क्या निकाल लायेंगे, रेवेन्यू निकालकर, कोई चोरी करके कहीं से रेवेन्यू थोड़ी ले आयेंगे।

साहब, इस बार पहली बार हुआ है क्रिएशन जो हमारा कैपिटल आउट-ले है, which has increased by 28 percent. पहली बार हो रहा है कि 28 परसेंट का इनक्रीज राजस्थान में कैपिटल आउट-ले पर किया जा रहा है। हम 3,130 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा वाटर सप्लाई स्कीम्स पर खर्च करेंगे, 1,643 करोड़ रुपये रोड्स एंड ब्रिजेज पर एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, इर्रिगेशन पर 1,467 करोड रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं और हैल्थ सेक्टर में, पहली बार मुख्य मंत्री जी की सोच है, हैल्थ सेक्टर में 1,804 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। यह आपके सामने है। पहली बार हुआ है कि एसएम.एस. हास्पिटल को, जो उनकी सोच है कि वे एम्स से भी बैटर फैसिलिटीज देना चाहते हैं, जो एम्स में फैसिलिटी नहीं होंगी, उनकी सोच है कि अगले दो साल में वे सब आर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह जितनी नई-नई इकाइयां खोल सकते हैं, उतना

(श्री रोहित बौहरा)

खोलकर एस.एम.एस. को एक्सपेंशन करने की बात कर रहे हैं। एस.एम.एस. हास्पिटल के लिए एक ऐसा टाइम आ जाएगा, जब हमें इस प्रदेश से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सोच हमारे मुख्य मंत्री जी की है और इसी सोच के साथ एस.एम.एस. हास्पिटल के लिए हमारा पांच साल का पूरा प्लान है।

साहब, पहली बार हो रहा है कि आउटस्टेंडिंग लायबिलिटी, जो 2021-22 में 38.2 परसेंट हुई है, which is lower than the revised estimate. जो लास्ट ईयर का रिवाइज्ड एस्टीमेट था, वह 42.7 परसेंट का था और इस बार यह 38.2 परसेंट हो गयी।

अब मैं मुख्य मंत्री जी का अपने जिले की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमें एक कालीतीर योजना दी। कालीतीर योजना, पहले यह ई.आर.सी.पी. का पार्ट होना था, पर हम सब विधायक मिले, हमने उनसे अपनी बात की कि ई.आर.सी.पी. को अपन धौलपुर से ही क्यों नहीं शुरू करते हैं। ई.आर.सी.पी. ईस्टर्न राजस्थान के लिए जीवनदायिनी होगी। आगे आने वाले हमारे जो बच्चे होंगे, वे यह सोचेंगे कि किस तरीके से हमारे बुजुर्ग हमारे लिए यह कर गये थे, यदि केन्द्र सरकार इस पर ध्यान दे। मेरी तो आप सब लोगों से विनती है कि आपके जो 25 एम.पीज. हैं, सबसे ई.आर.सी.पी. के लिए लैटर लिखवाइये कि ई.आर.सी.पी. यदि आपने नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया है तो कम से कम उसको ई.आर.सी.पी. को आप लेकर तो आएं। पहली बार हो रहा है कि कालीतीर योजना से हम चम्बल से पानी लिफ्ट कर रहे हैं, जो पानी बे आफ बंगाल में चला जाता था, जो बिलकुल वेस्ट हो जाता था, उसको हम लिफ्ट करके हमारे आंगई बांध में लाकर बसेड़ी के सौ गांव, बाड़ी की सिटी, धौलपुर और राजाखेड़ा, सब में पानी आएगा, जिससे एक तो जनरल वाटर टेबल, पानी ऊपर हो जाएगा और जो हमारे कुओं में पानी 500-500 फिट नीचे चला गया है, जहां आलरेडी हमारे एनिकट बने हुए हैं, करीब दस एनिकट बने हुए हैं, उसमें हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने हमें ऐसी स्कीम दी है, जिससे कि हमारे जिले के किसान इससे बहुत ज्यादा खुश हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि एन्वायर्नमेंट क्लीयरेंस करके उसको हम इस साल करवाना शुरू कर दें, जिससे ई.आर.सी.पी. की शुरुआत कम से कम राजस्थान में तो हो जाए। मैं सोचता हूं, उसके लिए मुख्य मंत्री जी का

(श्री रोहित बौहरा)

धन्यवाद दे रहा हूं कि धौलपुर जिले से ई.आर.सी.पी. की हमारी योजना चालू हो जाएगी।

बड़ी हास्यास्पद बात, साहब, एक चीज और देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग है। शेयर आफ सेंट्रल टैक्सेज, हमारे सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि हमारा जो शेयर आफ सेंट्रल टैक्सेज है, 2020-21 में 46 हजार 886 करोड़ था और इस साल वह घट कर 40 हजार 107 करोड़ हो गया। यह क्यों हुआ? यह एस.जी.एस.टी. और उन पर नहीं हुआ है। आप पूरा बजट अच्छी तरह से पढ़ा करिये। यह एस.जी.एस.टी. की वजह से नहीं हुआ है। यह जो आपने सैस लगाया है, यह उसकी वजह से हुआ है कि राजस्थान को 6 हजार करोड़ कब मिलेंगे। इस केन्द्रीय सरकार की वजह से राजस्थान को 6 हजार करोड़ रुपये कम मिलेंगे। जो हमारा ग्रांट का पैसा था, कोई आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, जो हमारा ग्रांट का पैसा था, उसको आपने इस वाले बजट में नहीं डाला। हमें क्या कहा गया कि आप लोन लीजिए। जो हमारा 2022 तक जी.एस.टी. का कम्पनसेशन का 14 परसेंट सब स्टेट्स को देना था, वह लोन लीजिए। वहां तक भी बात ठीक थी, पर लोन लेने के बाद भी तो हमारा ग्रांट का पैसा बचा हुआ है आप वह क्यों नहीं देने को तैयार हैं? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वह देना है, आपने वह बजट डाक्यूमेंट में ही नहीं डाला है। पहली बार हुआ है कि बजट डाक्यूमेंट में वह अमाउंट ही नहीं आया है। (व्यवधान) आप बाद में मेरे को जवाब दे दीजिएगा, अभी तो बैठ जाइये।

एजुकेशन में पहली बार हुआ है राजस्थान में, एजुकेशन में 19.1 परसेंट हमारा जो बजट है, वह बढ़ा है। एज कम्पेयर पूरे देश में हम 15.8 परसेंट एजुकेशन पर खर्च करते हैं, राजस्थान में पहली बार 19.1 परसेंट हम खर्च कर रहे हैं। इसी तरह हैल्थ सेक्टर में पूरे देश में जो हम 30 स्टेट्स का फिगर लेते हैं, वह 5.5 परसेंट है but we're spending 7 percent. इसी तरह से पावर सैक्टर में हम 8.4 परसेंट खर्च कर रहे हैं as compared to the Indian average of 4.3 percent. हमने अपना रोड एण्ड ब्रिजेज पर, as compared to the last year, our budget has increased by 64 percent. रूरल डवलपमेंट में 3 परसेंट से हमने अपना बजट बढ़ाया है, as compared to the last year.

एस.जी.एस.टी., आज जो बात कर रहे थे, कई माननीय सदस्यों ने

(श्री रोहित बौहरा)

बात की कि एस.जी.एस.टी. का पैसा था, एस.जी.एस.टी. की ग्रोथ, क्योंकि पूरे जी.एस.टी. की ग्रोथ होती है उसी का पार्ट एस.जी.एस.टी. होती है। यदि आल ओवर इंडिया ग्रोथ होगी, राजस्थान में जैसे ही कोरोना खतम हुआ था, राजस्थान पहली या दूसरी स्टेट थी, जहां एस.जी.एस.टी. का फिगर 16 परसेंट से बढ़ा था। एवरेज में 16 परसेंट, बिकाज हम कंज्यूमिंग स्टेट हो गये हैं। हमारे यहां मैन्युफैक्चरिंग कम होती है, इसलिए हम कंज्यूमिंग स्टेट हैं और जी.एस.टी. का मॉडल यही है, जो कंज्यूम करेगा, उसी को पैसा ज्यादा मिलेगा।

(17.00 बजे)

बजट में मैं एक बात और मुख्य मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि हमें यह करना चाहिए कि अभी जल जीवन मिशन में हमारे यहां जितने पाइप्स के यूनिट्स हैं, जैसे यू.पी. ने किया, हरियाणा ने किया, उड़ीसा ने किया, इन सब ने एक आर्डर निकाल दिया, एक फरमान जारी कर दिया है कि जल जीवन मिशन के जितने पाइप्स हैं, वे लोकल ही खरीदे जाएंगे। उसी स्टेट की इंडस्ट्री से खरीदे जाएंगे। हम भी यह कर सकते हैं। आज जल जीवन मिशन में हम 8 हजार करोड़ रुपये खर्च करते हैं। उससे 18 परसेंट एस.जी.एस.टी. आता है तो वह हमारे पास ही आता है। हमारी स्टेट के पास ही आता है and we're saving that much amount of money. मेरी मुख्य मंत्री जी से गुजारिश रहेगी कि जब भी बजट घोषणा करें या जब भी फाइनेन्स एप्रोप्रिएशन बिल लेकर के आ रहे हैं तो हमें यह करना चाहिए, the income is going to come to Rajasthan. यू.पी. की सरकार ने कर दिया। हरियाणा की सरकार ने कर दिया। उड़ीसा की सरकार ने कर दिया तो राजस्थान में क्यों नहीं कर सकते? इससे हमारी इंडस्ट्री बढ़ेगी। हमें पैसा ज्यादा मिलेगा। राजस्थान को एस.जी.एस.टी. का पैसा ज्यादा मिलेगा। यह हमें करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, एक चीज और कह रहा हूं कि एस.जी.एस.टी. में करीब-करीब 57 परसेंट का इन्क्रीज बजट के अन्दर इन्वेसेज कर रहे हैं। वैट में करीब 19 परसेंट का, एक्साइज ड्यूटी में हम करीब-करीब 15 परसेंट का बजट इन्क्रीज कर रहे हैं। व्हीकल और स्टैम्प ड्यूटी में, सब जगह इन्क्रीज आ रहा है।

आज मुख्य मंत्री महोदय ने जो फूड सेफ्टी डायरेक्टरेट खोलने की

(श्री रोहित बौहरा)

बात की है, शुद्ध के लिए युद्ध में आप लोगों ने पहले बहुत बोला था। मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया कि यह जो फूड सिक्योरिटी वाला डायरेक्टरेट खोलने की बात की है, इसमें हम एक लॉ भी लेकर के आ रहे हैं कि जो भी एडल्ट्रेशन करे, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। यह बजट के अन्दर मुख्य मंत्री जी का बहुत अच्छा प्रस्ताव था।

इसी तरह से मैंने आपको एस.एम.एस. के बारे में भी बोला कि किस तरह से सोच चल रही है कि एस.एम.एस. में सब फैकल्टी हो जाएं। So, SMS should be like AIIMS of Jaipur, जहां पर सब फैसेलिटी हो जाएं। मुख्य मंत्री जी ने काफी फैसेलिटीज अनाउंस की हैं। टाइम कम है, तो एक-एक चीज मैं नहीं कहूंगा। एक-एक चीज पर नहीं बोलना चाहूंगा।

एक जो रिप्स वाली बात मैं आपको कह रहा था, यह पहली बार हुआ है, आल ओवर इंडिया सूरत और जयपुर 2 ही ऐसी सिटीज हैं, जहां जैम्स एंड ज्वैलरी का सबसे बड़ा ट्रेड है। मुख्य मंत्री महोदय ने जैम्स को रिप्स से जोड़ना शुरू किया है। जो भी इंट्रेस्ट की सब्सिडी हमारे ज्वैलर भाइयों को मिलेगी, वह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आगे के इन्वेस्टमेंट के लिए भी सराहनीय कदम है। यदि यह होगा तो पता पड़ेगा कि जैम्स एण्ड ज्वैलरी में बाहर की कम्पनीज भी आकर के राजस्थान में इनवेस्ट करेंगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): इसी तरह से आपने रिसोर्ट, टूरिज्म वगैरह में भी यह चीज दी है। यह एक बहुत अच्छा स्टेप है, and it's a step in the right direction. मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैंने अभी आपसे कहा था, मैं आपके सामने ही रिपीट कर दूं। जल जीवन शक्ति मिशन में यू.पी. ने, उड़ीसा ने, गुजरात ने जितनी भी लोकल इंडस्ट्री है, वहीं से पाइप खरीदने का अपने टेंडर्स में डाला है। उससे उनके स्टेट की कमाई हो रही है। उनकी इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। मैं आपसे विनती करता हूं और यह राजस्थान के हित में है। आपको एस.जी.एस.टी. ज्यादा मिलेगा। हमारा जितना जल जीवन शक्ति का पाइप हम खरीदें, वह राजस्थान की इंडस्ट्री से खरीदें जिससे हमें एस.जी.एस.टी. मिल सके और हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ हो सके।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मेरा एक बार पुन: मुख्य मंत्री जी को

(श्री रोहित बौहरा)

कालीतीर योजना के लिए धन्यवाद। उन्होंने मुझे कालेज दिया उसके लिए, इन सब चीजों के लिए पुन: एक बार धन्यवाद। राम राम सा। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती शोभा चौहान।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट 2021-22 पर सदन के सामने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।

माननीय सभापति महोदय, आज यहां बजट के पहलुओं पर विचार चल रहा है। जिस तरह से युवाओं को 50 हजार नौकरियों का प्रलोभन देकर लुभाने का कार्य किया गया है, क्योंकि सरकार भर्तियों की घोषणा हर साल करती है परन्तु पूरा नहीं करती है। परीक्षा तिथि की घोषणा होते ही विद्यार्थी तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन जैसे ही परीक्षा का परिणाम नजदीक आता है तो वैकेंसीज स्थगित कर दी जाती हैं। ऐसा एक बार नहीं अनेकों बार हो चुका है। उदाहरण पटवारी भर्ती परीक्षा का है।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर मेरे विधान सभा क्षेत्र में लोग गंदा, बदबूदार पानी पीने को मजबूर हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत के पश्चिमी क्षेत्र में न कोई नदी है और न ही भू-जल स्तर है। यहां पर पेयजल उपलब्ध कराने के लिए घोषणा विगत बजट में की गयी थी। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं कि सरकार इसे कब पूरा करेगी?

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की जनता ग्रामीण क्षेत्रों में बेरा और ढाणियों में निवास करती है। पेयजल हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ज्यादातर आबादी वहां मगरा क्षेत्र में निवास करती है। मगरा क्षेत्र पहाड़ी इलाका है, जहां पर ट्यूबवैल और कुओं का महत्व नहीं है। मुझे खेद है कि सरकार ने मगरा क्षेत्र में लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं। इस बार बजट में सरकार ने ट्यूबवैल, हैंडपम्प की हर विधान सभा क्षेत्र में घोषणा की परन्तु जल संरक्षण नीति की कोई बात सामने नहीं आयी। भूजल स्तर के सुधार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। पानी में लगातार गिरता जल स्तर एक चिंता का विषय है, जिसका बजट में कोई सरोकार नहीं दिखता है।

माननीय सभापति महोदय, सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र में बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है, जिससे कि अक्षय ऊर्जा की सम्भावनाएं बढ़ें।

(श्रीमती शोभा चौहान)

सोजत में 8 सोलर पम्प हैं। बोरवैल सरकार द्वारा कराये गये, लेकिन आज तक विगत 2 सालों में बोरवैल में सोलर पम्प सैट तक नहीं लगे हैं। क्या सरकार की यह सारी योजना है?

मैं कहना चाहती हूं कि कई जगहों पर नन्दीशाला स्थापित करना जरूरी है, लेकिन इस ओर सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। इस तरह से यह असत्य घोषणाएं दिखाई दे रही हैं।

सरकार ने बजट 2019 में बिन्दु संख्या 39 के द्वारा ग्राम पंचायतों में विकास पथ उपलब्ध कराने के लिए बोला था, लेकिन जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ग्राम पंचायतों के विकास के नाम पर एक पत्थर ही नहीं लगा। मुझे इससे बड़ा दु:ख होता है। यह ग्रामीण क्षेत्रों के प्रति बहुत ही गहरे दु:ख की बात है।

इसी बजट में बिन्दु संख्या 73 में जोधपुर में दांतीवाड़ा जलाशय से सोजत क्षेत्र की 10 ग्राम पंचायतों को जोड़ना था। उक्त योजना से जनता को जल पिलाना तो दूर, अभी तक उसका श्रीगणेश भी नहीं हुआ है।

चिकित्सा के क्षेत्र में भी क्लिनिक खोलकर प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा उपलब्ध कराने का वादा किया गया था। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूं कि अगर क्लिनिक शुरू हो गये तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में क्यों नहीं दिख रहे हैं। सरकार ने कहां स्थापित कराये हैं, कृपया यह बताएं। मैने विभिन्न पत्रों के माध्यम से भी सरकार को अवगत कराया है कि सोजत तहसील में बगड़ी, बीलावास में दानदाताओं द्वारा उपलब्ध भवन हैं। विधान सभा के प्रश्न में भी बताया है, लेकिन आज तक वहां न तो किसी प्रकार की चिकित्सा उपलब्ध कराई गयी है और न ही वहां कोई स्टाफ या ए.एन.एम. तक है। क्या इससे 'पहला सुख निरोगी काया' की अवधारणा सरकार द्वारा स्थापित होती दिख रही है? ट्रोमा सेंटर पिछले से पहले बजट में पास हुआ था, लेकिन धरातल पर अभी तक उसका कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके बाद शिक्षा पर बोलना चाहती हूं। मेरे यहां महाविद्यालय की घोषणा की गयी, लेकिन स्नातक से स्नातकोत्तर नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में सोजत महाविद्यालय के क्रमोन्नति की आवश्यकता है। इसमें सरकार निरंकुश है क्या? विद्यार्थियों को उचित शिक्षा दिलाने हेतु कटिबद्ध है? ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के

(श्रीमती शोभा चौहान)

लिए बाहर जाना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगी कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। उच्च शिक्षा पर कृपया विचार करे।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहूंगी कि किसानों को फसलों का मुआवजा नहीं दिया जाता। जहां खेत हैं, वहां पर मेहन्दी ज्यादा बताई जाती है। उस वजह से गरीब किसान को फसलों को मुआवजा नहीं मिलता है। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करते हुए यह आग्रह करूंगी कि मेरी बातों पर विचार करें और प्रदेश की जनता को सरकार से जो अपेक्षाएं हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए कार्य करें, ताकि प्रदेश की जनता का भला हो। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, इस देश का सौभाग्य है कि आजादी के बाद हमको लोकतंत्र मिला और लोकतंत्र में जनता जिसको भी खजाने की चाबी देती है, अपने गाढ़े पसीने की कमाई की चाबी देती है। पैसा न तो बी.जे.पी. का है और न ही कांग्रेस का है, न किसी प्रधान मंत्री का है, न किसी मुख्य मंत्री का है, न यहां पर मंत्री बैठे हैं उनका है। हिन्दुस्तान की 135 करोड़ जनता के खून पसीने का पैसा है और उस पैसे का उपयोग करने के लिए मतदान के द्वारा अधिकार दिया जाता है, उसके कारण से आपके हाथ में यह चाबी आती है। इस राजस्थान में आपने 52 बार बजट पेश किया, कितनी बार, एक, दो नहीं, 52 बार। 18 बार बजट पेश करने का हमको भी मौका मिला।

मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि मैं आपके 52 साल और हमारे 18 साल को एक ताखड़ी में रखकर आपको तौलकर बताऊं कि वास्तव में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि चाहे वह राजस्थान हो या कोई अन्य राज्य हो, चाहे केन्द्र सरकार हो, उसको अपना बजट बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि गांव, गरीब, किसान को ठीक प्रकार से जीवन चलाने में सहायता मिले। पैसे का लीकेज नहीं हो और सदुपयोग किस प्रकार से हो, उसके बारे में हम सब लोग जिम्मेदार हैं।

इसके लिए आपने देखा होगा कि बजट को बनाते समय एफ.आर.बी.एम. एक्ट एक कानून के तहत हमको कुछ लिमिट में बांधता है, हमको ही नहीं, बाकी सारे राज्यों को भी बांधता है, केन्द्र को भी बांधता है,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि एफआर.बी.एम. एक्ट की धारा 6(क) कहती है कि राज्य सरकार, वित्तीय वर्ष 2011-12 में उनका आग्रह था कि आपका रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एक तरह से प्लस में आए। दो बार ऐसी स्थिति राजस्थान की बनी, जब हमारा रेवेन्यू रिसीट प्लस में आया, लेकिन उसके बाद में घाटा, घाटा, घाटा ही हो रहा है। आप जो बजट पेश कर रहे हो, मैं कह रहा हूं कि आप इन घोषणाओं की ताली भले ही बजा सकते हो, लेकिन जेब में पैसे नहीं होंगे तो आप उसको जमीन पर लाओगे कैसे, जमीन पर लाने के लिए पैसा तो चाहिए। अब वह पैसा आपके पास है या नहीं है, यह आपका बजट उसको शो करता है। देखिए जब वर्ष 2018-19 का बजट हमने रखा था, उस समय राजस्व घाटा था 28,900 करोड़, आपने जब आपका सम्भाला तो मैं सोचता हूं कि इतने योग्य अधिकारी आपके पास बैठे हैं, अगर इन बातों को गहराई से उत्तर दें तो ठीक है, हम अपना भाषण करते हैं, आप अपना रिकार्ड करा देना, हम अपना रिकार्ड करा देंगे और राजस्थान की जनता की उन घोषणाओं पर दे ताली, दे ताली, जैसा आप सब लोगों ने दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ताली आखिर निकलेगी कहां से? वर्ष 2019-20 में आपका बजट घाटा जितना आपने सोचा, उससे बढ़कर 36,371 करोड़ रुपये एक्चुअल हुआ है। वर्ष 2019-20 का बजट का जो घाटा हुआ है, वह 36,371 करोड़ रुपये हुआ है। वर्ष 2020-21 में जो घाटा आपने सोचा था, उससे भी, अभी तक 41,721 करोड़ पर तो पहुंच गया है और जिस दिन, 31 मार्च का दिन आएगा, उस दिन यह घाटा और बढकर 50 हजार करोड़ रुपये से ऊपर बढ़कर डैफिनेट जाएगा। इस घाटे की पूर्ति कैसे होगी और इस एफ.आर.बी.एम. एक्ट का क्या होगा, इस बारे में अगर जवाब दें तो अच्छी बात है, पर मैं सोचता हूं कि इस बात का जवाब कोई नहीं देगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से आपने देखा होगा कि राजकोषीय घाटा, एक्ट का 6(ख) यह कहता है, 14वें वित्त आयोग ने राजकोषीय घाटे को जी.एस.डी.पी. से तीन प्रतिशत लाने के लिए, हम सब लोग एक तरह से पाबंद हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वर्ष 2018-19 का साल अंत हुआ, उसमें हुआ 3.60; वर्ष 2019-20 में 3.77 हुआ; अभी वर्ष 2020-21 में आपका घाटा जा रहा है 6.8 प्रतिशत और जब यह 31 मार्च को होगा तो इसमें और बढ़ोतरी होगी। उसके बाद में आपने जो वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया है, बड़ी होशियारी से, बड़ी चतुराई से इसको आपने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एफ.आर.बी.एम. एक्ट में लाने के लिए 3.98 को रखा है, मेरी गारंटी है कि जब यह साल समाप्त होगा 2022 का, 2023 के मार्च में यह घाटा 5 प्रतिशत से ऊपर सौ परसेंट जाएगा। अगर दुबारा बजट रखेंगे और मैं यहां उपस्थित रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में हम इस एक्ट की अवहेलना करके जिस प्रकार से राज्य के लोगों को केवल यह दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि यह हो रहा है। हो कहां से रहा है, जो घाटे का काम है, राज्य सरकार के उधार और अन्य दायित्व, आप देखिए, 6(ग) कहता है कि जी.एस.डी.पी. के 35 प्रतिशत से अधिक कर्जा नहीं ले सकते। यह आपको एक गाइड लाइन डाली हुई है कि आपका कर्जा आपकी जी.एस.डी.पी. से 35 परसेंट तक जाएगा, लेकिन आपने देखा कि 2018-19 में तो था यह 33.5, अपनी सीमा में था, वर्ष 2020-21 में, अभी तो समाप्त होगा, 42.72 प्रतिशत इसमें आपका पहुंच गया। ये आंकड़े मैंने नहीं बनाए हैं। मैं अपने मन से नहीं उठाकर लाया हूं। मैं सोचता हूं कि इस पर विचार करना चाहिए। बजाओ ताली, बजाओ ताली, पैसे जेब में आएंगे तो ही तो खर्च करोगे, खर्च करोगे कहां से? केवल और केवल, मैं सोचता हूं कि हम सब लोग केवल अपने-अपने तर्कों के आधार पर पक्ष और विपक्ष में अपनी बातें कहकर चले जाते हैं। वास्तव में इस बजट को देखने की कोशिश करो कि हम कहां जा रहे हैं और हमारी स्थिति क्या बन रही है? वर्ष 2021-22 में, अभी जो है, इसमें हमारा दायित्व आ रहा है, 38.15 प्रतिशत अनुमानित आ रहा है और जब इस साल का एंड होगा तो 45 प्रतिशत तक यह पहुंच जाएगा। मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार का हमें अपना दायित्व जी.एस.डी.पी. के अन्तर्गत रखना है, उसमें नहीं रख पा रहे हैं। राज्य सरकार पर उधार और अन्य दायित्व, जब तक आप अपने सारे रिकार्ड को नहीं देखोगे कि वास्तव में हम जो करने जा रहे हैं, उसका कहां से मिलेगा और कैसे होगा तो राज्य सरकार का उधार और दायित्व वर्ष 2013-14 में जब आपने हमें सरकार दी थी, तब 1,29,910 करोड़ रुपये का कर्जा आपका था, जो हमें मिला। हमने वापस जब आपको वर्ष 2018-19 में दी तो 3,08,000 करोड़ का कर्जा हुआ। आपने इन दो सालों में क्या कमाल किया है। वर्ष 2019-20 में आपका कर्जा पहुंच गया 3,52,701 करोड़ और उसके बाद वर्ष 2020-21 जो चल रहा है, अभी तक का कर्जा जो आपने अपने आंकड़ों में दिखाया है 4,09,095 करोड़ रुपये और वर्ष 2021-22 का जो आपने एस्टीमेट बताया है, वह बताया है, 4,57,129 करोड़ रुपये का घाटा तो आज बता रहे हो, जैसा आपने पहले घाटा बढ़ाया और उस समय भी आपने कहा था कि हमें 33 हजार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करोड़ का घाटा रहेगा, वह 41 हजार करोड़ तक पहुंच गया और वैसे ही यह दिखा रहे हो, 4,57,129 करोड़ रुपये का, इसमें जो आपने आंकड़े दिये हैं उसमें घाटा है राजस्थान का इस साल में, इस घाटे में आप यह सब कमाल करोगे कैसे? बजाओ ताली, यह तो बहुत अच्छा लगता है, पर बजाओ ताली, कहां से आएगा पैसा? मैं आपको गांरटी से बताऊं कि आप केवल और केवल घोषणा करके, क्योंकि आप लोगों का एक स्वभाव बन गया कि काम करो या न करो, पर बजाओ ताली। दस दिन में कर्जा माफ, बजाओ ताली; 3,500 रुपया मिलेगा, बजाओ ताली; बिजली का दाम नहीं बढ़ेगा, बजाओ ताली; संविदा वाले नौकरी लग जाएंगे, बजाओ ताली, बहुत अच्छी बात है।

(17.15 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपको बताता हूं कि राजस्थान की हालत को आप किस सीमा तक ले जा रहे हो, इसको कंट्रोल करने का सोचने का भी मानस बनाओ। केवल और केवल सब्जबाज से नहीं चलेगा। अगर यह स्थिति रही तो हम दिवालिया राजस्थान बनने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। मैं आपको सावधान करना चाह रहा हूं। वर्ष 2013-14 में प्रति व्यक्ति जो हमारा कर्जा था, वह 18,200 रुपया प्रति व्यक्ति था। आज की तारीख में आपका यह जो बजट पेश हुआ है, राजस्थान का प्रति व्यक्ति कर्जा पहुंच रहा है 50 हजार से ऊपर। यह जो आप राजस्थान को जिस रूप में ले जा रहे हो, उसके बारे में जब तक आप और आपके सारे अधिकारी बैठकर विचार नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार की स्थिति से आप राजस्थान को बाहर नहीं निकाल सकोगे। मैं सोचता हूं कि यह जो कर राजस्व है आपका यह कर राजस्व वर्ष 2019-20 में, मैं इसलिए बता रहा हूं कि इन आंकड़ों पर आप और आपकी मानिटरिंग टीम निगाह डाले, केवल अधिकारी बनाकर दें तथा हम उसको पढ़ दें और खुश हो जाएं तो बहुत अच्छी बात नहीं है। आपका कर राजस्व, वह वर्ष 2019-20 में जो एस्टीमेट आपने किया कि हमको इतना मिलेगा, वह आपने कहा कि 1,18,204 करोड़ रुपये हमने अनुमानित किया और आपको एक्चुअल मिला कितना, साल का अंत होने के बाद मिला कितना, आपको मिला है केवल 95,294 करोड़ रुपया, जिसको आपने सोचा 1.18 लाख करोड़, उसकी जगह आपने कमाया कितना, वह 95,294 करोड़ रुपया कमाया, इसका मतलब जितना आपने सोचा, उसमें से 22,910 करोड़ रुपये की आपकी राजस्व वसूली

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं हो पाई, जो आपको करनी थी और जो आपका आंकड़ा बता रहा था कि हम इतना पैसा वसूल करेंगे, उसकी जगह आप 22,910 करोड़ रुपये वसूल नहीं कर पाये। मैं सोचता हूं कि 20 प्रतिशत, जितना वसूल करना था, उसका आपका बाकी रह गया।

इसी तरह से कर राजस्व में आपने एस्टीमेट किया था 19 हजार 124 करोड़ रुपया, उसकी जगह आप 15 हजार 714 करोड़ वसूल कर पाये। इसका मतलब 3 हजार 409 करोड़ आप इसमें वसूल नहीं कर पाये। मैं अभी हमारे राजाखेड़ा से आने वाले विद्वान साथी का पूरा भाषण सुन रहा था। उन्हें आप लोक सभा में भेजें, बहुत अच्छी तरह से वे आपका वहां प्रतिनिधित्व कर सकेंगे। राजस्थान के बजट में तो 'मेरे यहां खोला, मेरे यहां खोला, बजाओ ताली', पर आपकी जेब में कितना पैसा है, यह भी बताते तो ज्यादा अच्छा लगता। यह जो आपने देखा न, केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान 2019-20 में जो आपने एस्टीमेट किया था, वह 26 हजार 676 करोड़ आपने उस बजट के समय रखा था। एक्चुअल में आपको साल के अंत में मिला, यह जो बजट का वास्तविक है, 2019-20 का, वह 29 हजार 105 करोड़ रुपया है। इसका मतलब जितना सोचा, उससे 109 परसेंट आपको केन्द्र से पैसा मिला, फिर आप कहते हैं कि हमें पैसा नहीं मिला। अब यह आंकड़ा तो मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है। जो लेखे आपने हमें दिये हैं, जिनसे आपने हिसाब बनाया, उन्हीं से मैं पढ़ रहा हूं।

इसी तरह से आपने देखा होगा, 2020-21 में भी, यह तो मैंने 2019 -20 का बताया, कर राजस्व में आपने एक लाख 23 हजार 915 करोड़ के बारे में, पहले एक लाख 18 हजार था, इसे बढ़ाकर आपने एक लाख 23 हजार करोड़ किया, लेकिन अभी तक आपका, यह जो आपका 2020-21 का बना है, जो आपका आर.ई. बना, वह एक लाख एक हजार 776 करोड़ बना, क्योंकि एक्चुअल तो अब आएगा। आपने 2021-22 में वापस बढ़ा करके लोगों को खुश करने के लिए कि 'यह भी होगा, वह भी होगा', इसलिए आंकड़ों का एडजस्टमेंट तो किया, कैसे पैसा कहां से क्या होगा, कब हिसाब-किताब मिलाने का, तो आपने, इस बार 2021-22 में एक लाख 30 हजार 156 करोड़ रुपया इस कर राजस्व में हमें मिलेगा। इसमें भी आपने अपने बजट में कहा है कि अनुदान जो मिलेगा, वह 29 हजार 892 करोड़, जो आपने 2020-21 की बी.ई. में माना था, वह आपकी आर.ई. में 30 हजार 486 करोड़ आपने अनुमानित किया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वर्ष 2021-22 का जो आपने बी.ई. बनाया, उसमें आपने अनुमानित, जो आपका रिकार्ड्स के आधार पर आ रहा है, वह है 36 हजार 475 करोड़ रुपया। इसका मतलब आपको निरन्तर केन्द्र से मिलने वाले अनुदान में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी आपका यह रिकॉर्ड दिखा रहा है। फिर आप कैसे कहते हैं कि हमें पैसे कम मिल रहे हैं? यह कहकर आप अपनी बात को कैसे सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

राजस्व प्राप्ति के बाद आपने राजस्व व्यय में भी जो सोचा था कि हम एक लाख 64 हजार खर्च करेंगे, उसकी जगह आप 2019-20 में जो खर्च कर पाये, वह एक लाख 40 हजार करोड़ है। इसका मतलब 23 हजार 890 करोड़ रुपया आपने जो अनुमान लगाया, वह पैसा चूंकि आपके पास आया ही नहीं तो खर्च होने का सवाल ही कहां पैदा होता है। इसीलिए राजस्व घाटा जो आपने एस्टीमेट किया, आपने कहा था कि 2019-20 में होगा 27 हजार करोड़ रुपया, वह आपका 28 हजार करोड़ रुपया एस्टीमेटेड हो गया।

इसी तरह से आपने, 2019-20 में जो एक्चुअल राजस्व घाटा था, यह जो मैंने अभी आंकड़ा बताया, यह 36,371 करोड़ हो गया, जिसको आपने 27 हजार करोड़ एस्टीमेटेड किया। 27 हजार करोड़ आपने एस्टीमेट किया, एक्चुअल में आपको 36 हजार 371 करोड़ रुपया राजस्व घाटा हो गया। इसका मतलब जो सोचा, उससे 134 परसेंट, एक तरह से, आपके घाटे का अनुमान उससे ऊपर चला गया।

राजस्व प्राप्ति के बारे में भी, अब आप पता नहीं क्या आंकड़ों की कलाकारी करते हैं कि 2019-20 का यह जो मार्च गया अभी, उसमें आपने एक लाख 40 हजार 113 करोड़ खर्च किया था। अबकी बार आप कह रहे हैं, 2 लाख 8 हजार 80 करोड़ रुपया हम व्यय करेंगे। कहां से करेंगे? जब आप पिछली बार का एक लाख 40 हजार करोड़ ही कर पाये तो आप यह 58 हजार करोड़ रुपया कहां से लाकर खर्च करेंगे? केवल और केवल आंकड़ेबाजी के अलावा इसमें तो और कुछ दिखता नहीं है। राजस्व घाटा जो आपने 2020-21 में एस्टीमेट किया था, वह कितना किया था? सदन के नेता महोदय, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं, आप इन विद्वान अधिकारियों से इसके बारे में अता-पता करने की कोशिश करें। इन्होंने जब आपको कागज बनाकर दिया और पिछला भाषण जब आपने पढ़ा था, उस भाषण में आपने हमें बताया था कि हमारा राजस्व घाटा 12 हजार 345 करोड़ होगा। जैसे अभी बजट पेश कर रहे हैं, वैसे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ही उस समय जो बजट पेश किया, तब 12 हजार 345 करोड़ रुपया बताया था, लेकिन जो आपकी एक्चुअल आर.ई. में आया और अभी मैंने पढ़ा है, वह 41 हजार 721 करोड़ तो हो गया। यह तो रिवाइज्ड एस्टीमेट में आ गया कि हमें इतना राजस्व घाटा होगा। समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह का हिसाब-किताब मिला करके जनता को कब तक झांसा देंगे। हकीकत बतानी चाहिए। जो हमारे पास है, उतना खर्च करेंगे। इतना उधार लेकर दिवालिया बनने से तो कोई फायदा नहीं। लोगों को बताएं जरूर। आपको आगे बताऊंगा कि आपने क्या-क्या झुन्झुना पकड़ाया और कैसे-कैसे उसकी दुर्गति हुई है। लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि राजस्थान की सरकार इस प्रकार से जनता को गुमराह करके अपना काम पूरा करने का प्रयास कर रही है। यह मैं आपको आगे बताने का प्रयास करूंगा।

व्यय की स्थिति भी वैसी ही है, 2019-20 के जैसी। अब मैं बताता हूं सामाजिक सेवा, जिसके लिए आप बड़ा आग्रह करते हैं कि सामाजिक सेवा में हम ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके आंकड़े बताते हैं, वे बिलकुल उलटा बताते हैं। आपने सामाजिक सेवाओं में जो पैसा रखा है, वह 84 हजार 815 करोड़ रुपया रखा है, लेकिन आप खर्च केवल 73 हजार 800 करोड़ कर पाये। इसका मतलब सामाजिक सेवा में जो पिछली बार का बजट फाइनल होकर आ गया, उसमें 11 हजार 12 करोड़ रुपये का कम खर्चा किया है। वे जो तालियां पीटीं, वे काम जमीन पर नहीं आये, वह यह फिगर बताता है कि जिसके लिए आपने प्रोविजन तो किया था, लेकिन उस प्रोविजन को आप प्राप्त नहीं कर पाये। उसे आप एडजस्ट नहीं कर पाये।

इसी तरह से आर्थिक सेवा, जिसमें आपकी कृषि आ गयी, बाकी सब आ गया, इसमें आपने सोचा था कि 66 हजार 603 करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे और वास्तव में आपका 60 हजार करोड़ रुपया, मतलब 5 हजार 852 करोड़ रुपया बाकी रह गया। आर्थिक सेवाओं में आपका जो पिछला बजट पूरा हो गया, उसमें अभी के बजट का तो 31 मार्च को अकाउंट होगा, उसके बाद में आएगा, लेकिन उसमें कम खर्च हुआ।

इसी तरह से आपने देखा, सकल राजकोषीय घाटा, यह आपने सोचा था 2019-20 में, सकल राजकोषीय घाटा 32,678 करोड़ और उसकी जगह एक्चुअल हुआ 37,654 करोड़ रुपया। इसका मतलब आपका उसमें भी बढ़ा है। यह राज्य का जो कर्ज भार है, मैं तो विनम्र प्रार्थना करता हूं, यह कर्जा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपकी सेहत को बता रहा है कि आप किन हालात में चल रहे हैं। कर्जा भार 2019-20 में जो एस्टीमेटेड सोचा था, वह 3 लाख 39 हजार 368 करोड़ रुपये का सोचा था, लेकिन आपका 3 लाख 52 हजार 701 करोड़ रुपया हो गया। इसका मतलब 103 परसेंट जो आपने अनुमानित घाटा अपने बजट में रखकर लोगों को जिसके लिए आश्वस्त किया था, उसका यह घाटा बढ़ा है।

इसी तरह से आपने देखा होगा 2020-21 का, यह मैंने 2019-20 का पढ़ा है, सामाजिक सेवाएं, आपने अनुमान किया था कि हम 85 हजार 753 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। अभी मैं आपको जो दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, हमारे पास आर.ई. में आया है, खर्चा आपका 87 हजार 365 करोड़ रुपया बढ़ा है। अगली बार जो आपने बजट बनाया है, उसमें आपने 99 हजार 244 करोड़ रुपया रखा है। आएगा कहां से? कैसे इसकी पूर्ति होगी? केवल उधार लो, घी पीयो और मस्त रहो। अगर यही रास्ता अपनाना है तो आपकी इच्छा है। मैं सोचता हूं कि राज्य का जो कर भार है, आज की तारीख में 2020-21 में आपने 3 लाख 75 हजार 353 करोड़ माना था, वह आपका, अभी जो आर.ई. बनी है, उसमें 4 लाख 57 हजार 129 करोड़ रुपया हो गया है। यह मैं जैसा आपको कह रहा हूं कि यह 5 लाख करोड़ रुपये के कर्जे के रूप में कन्वर्ट होगा, जब आपका यह बजट पूरा होगा।

फिर आपने इस आर्थिक सेवा में भी वैसे के वैसे 2020-21 में भी किया है। ग्राम विकास, जिसके लिए आप बहुत कहते हो कि हम तो ग्राम विकास के लिए समर्पित हैं, ग्राम विकास की स्थिति आपको बताता हूं तो 13 हजार 948 करोड़ रुपये का 2019-20 में सोचा था और आप 12 हजार 604 करोड़ रुपये खर्च कर पाये। इसका मतलब माइनस एक हजार 343 करोड़, जो आपने ग्राम विकास में एस्टीमेटेड किया था उसमें आप खर्चा नहीं कर पाये।

इसी तरह से ऊर्जा में 2,980 करोड़ रुपया, आपने जो सोचा था, उससे भी आपका कम खर्चा हुआ। आर्थिक सेवाओं पर भी आपका 4 हजार 127 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ। इसी तरह से पूंजीगत व्यय में भी, जिससे असेट बनता है, उस असेट बनाने की दृष्टि से भी आपका ऊर्जा में 405 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ, बाढ़ नियंत्रण में 560 करोड़ रुपया कम खर्च हुआ। परिवहन मंत्री जी, आपके परिवहन में भी 297 करोड़ रुपया, जिससे असेट बनता है, उसमें आप खर्च नहीं कर पाये और आर्थिक सेवा में 1,725 करोड़ रुपया आपका खर्च नहीं हुआ। सामाजिक सेवाओं के बारे में भी इसी प्रकार से है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

केन्द्रीय योजनाओं से सम्बन्धित, आप बार-बार एक ही बात कहते हैं, मैं सोचता हूं कि कमी रह गयी, उसको निकालें, वह कोई बात नहीं, लेकिन केन्द्र से पैसा नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, कहते हो। किसी से पैसा लेना हो, छोटे बच्चे को भी जब किताब पढ़ाने लगते हैं तो बच्चे का हौसला बढ़ाते हैं कि शाबास यह बहुत अच्छा लिखा, तब तो वह लिखेगा, पर आप उसके ऊपर भाटे फेंको और फिर कहो कि हमें नहीं देता, हमें नहीं देता, यह क्या तरीका है? जबकि आपका रिकार्ड यह बता रहा है कि केन्द्र ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी।

मैं आपको बताता हूं, कृषि और सम्बन्धित सेवा में आपने 2020-21 में 734 करोड़ रुपये का अनुमान सोचा और उसकी जगह आपको 761 करोड़ रुपया सहायता इसी आर.ई. में मिल चुका है। अभी आप अगली बार का जो सोच रहे हो, अगर आप यह पैसा नहीं सोचे हो तो यह बजट गलत बनाया है क्या, आप सोच रहे हो कि हमको कृषि और उसकी सम्बन्धित सेवा में 855 करोड़ रुपया केन्द्र की सहायता का मिलेगा। कहीं न कहीं कोई इंडिकेशन होगा तभी तो यह फिगर आपने लिखा होगा, मन से नहीं लिखा होगा न?

इसी तरह से ग्रामीण विकास, जिसके बारे में आप और हम सब चिन्तित रहते हैं, ग्रामीण विकास पर 2020-21 का जो एक तरह से अनुमान था वह 1,539 करोड़ था और आप लोगों ने कितना खर्च किया है? आर.ई. में कितना है? यह फिगर या तो कहीं करेक्ट नहीं है तो आपके अधिकारी बैठे हैं, थोड़ा करेक्ट कर देना, पर जो मेरे पास आंकड़े हैं, उसमें केवल और केवल 392 करोड़ रुपया खर्च कर पाये। 1,539 करोड़ में से आप केवल 392 करोड़ रुपये खर्च कर पाये। अबकी बार आपने वापस, बजाओ ताली और रख दिया, 1,600 करोड़ रुपया खर्च हो गया। पहले हालत तो देखो, या तो आपकी खर्च करने की सीमा नहीं है, या जो आपको यू.सी. देनी थी, वह यू.सी. समय पर नहीं देने के कारण से आपको पैसा समय पर नहीं मिला। उसके कारण से आपके खर्चे बुक नहीं हुए।

इसी तरह से पंचायती राज, जो आप और हम सब बहुत गुण गाते हैं न, आपने देखा होगा कि अनुमान था 4,726 करोड़ और खर्च उससे अधिक 4,903 करोड़ रुपया हुआ। अब आप इसको एकदम घटा रहे हो। क्या समझदारी है, इसको थोड़ा-सा बताना, जब आप जवाब दो। अबकी बार आपने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इस अनुमान को घटाकर केवल 3,352 करोड़ ही क्यों रखा? जब आप इस साल का आर.ई. 4,903 करोड़ रुपया मान रहे हो, तो फिर अबकी बार का जो बजट एस्टीमेट आपने बनाया 2021-22 का, यह 3,352 करोड़ का ही क्यों बना? किस कारण से आपने यह सोचा कि इस पंचायती राज में हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी? कहां आपको बजट में कमी लगी, जिसके कारण से यह फिगर आपने इसमें लिखा है?

अब आप यह कहते हो न कि हमको जो सड़क में सहायता राशि मिली है, राज्य सरकार को जो पैसा मिला न, आप बार-बार कहते हो, पर मैं सोचता हूं कि आप आंकड़ों को देखो। पिछली बार आपने सोचा था कि 630 करोड़ रुपया हमको केन्द्र से सहायता के रूप में मिलेगा, लेकिन जब आप 2020-21 की आर.ई. में गये तो आप 360 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाये। इसका मतलब या तो आपने इसकी यू.सी. देकर, जो बाकी किश्तें केन्द्र से लेनी थीं, वे आप नहीं ले पाये और 360 करोड़ की भी यू.सी. अभी तक गयी है तो आपने 840 करोड़ रुपया एस्टीमेट कर दिया। जब आपने इस बार केवल 360 करोड़ रुपये की यू.सी. भेजी है और आपके पास बजट 630 करोड़ था, तो फिर यह 840 करोड़ का बजट मांगना, यह भी समझ के बाहर की बात है। यह क्या हो रहा है, मैं सोचता हूं कि इसको आप थोड़ा सा देखें। 1,495 करोड़ रुपये का आपका अनुमान था और जो संशोधित अनुमान बना, वह सार्वजनिक निर्माण विभाग में केवल और केवल 610 करोड़ का ही बना। आपके पास पैसा 1,495 करोड़, मतलब 1,500 था और उसमें से केवल 610 करोड़ रुपया अभी तक ले पाये। अगली बार वापस बजट आपने 1,640 करोड़ रखा, इसका मतलब केन्द्र से आपको जिन योजनाओं के तहत पैसा मिलना है, वह तो आपको मिलने का आंकड़ा बता रहा है, लेकिन आप उस पैसे को ले नहीं पाये, क्योंकि आपने समय पर उसकी पूर्ति करके जो रिकार्ड भेजना था, उसमें कमी रही। इसीलिए तो आप अगले साल का बजट वापस 1,640 करोड़ का बना रहे हो।

माध्यमिक शिक्षा में 708 करोड़ रुपया सोचा था, उसकी जगह आपका अधिक खर्चा हुआ और 993 करोड़ हुआ। अब जब आपका एक बार 993 करोड़ रुपया खर्च हो गया तो अगली साल आप एस्टीमेट 776 करोड़ क्यों कर रहे हैं? घटाकर किस कारण से हो रहा है, इसको समझाने की कोशिश करें। ऐसे ही प्रारम्भिक शिक्षा में भी है। मैं सोचता हूं कि परिवार कल्याण, बाल विकास संस्थाएं, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, मतलब एक तरह से आपको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जितना पैसा एलोकेट हुआ, पैसा भी आप समय पर खर्च कर केन्द्र से वापस नहीं ले पाये।

अब मैं आपको आपकी सरकार का कार्य दिखाता हूं। थोड़ा ध्यान से देखना और अधिकारी भी नोट करें कि यह हो क्या रहा है। आयुर्वेद विभाग, मैं आज आपको कह सकता हूं कि इस कोविड में अगर सबसे ज्यादा लोगों की जान बचाने वाला कोई विभाग है तो वह आयुर्वेद विभाग है, जिसने आपको और मुझे बचाया। उसकी नीम गिलोय ने हमको पूर्णतया आश्वस्त किया, उसकी अश्वगंधा ने हमको पूर्णतया आश्वस्त किया, लेकिन इस आयुर्वेद विभाग के बारे में हमारा देखने का नजरिया इस प्रकार का है, जो मैं आपको दिखाता हूं। आयुर्वेद विभाग में 2019-20 में वास्तविक व्यय 111 करोड़ हुआ था, आपने 2020-21 में अनुमान रखा कि 99 करोड़ रुपये खर्च करेंगे और एक्चुअल में अब तक जो खर्च हुआ, संशोधित अनुमान में, वह केवल और केवल 65 करोड़ ही खर्च कर पाये हो। अब अगले साल का जो रिवाइज्ड एस्टीमेट बनाया 2021-22 का, वह वापस 114 करोड़ का बनाया है, क्योंकि 111 करोड़ वहां था और इसको कुछ तो बढ़ाकर बनाएंगे, तो 114 करोड़ बना दिया। इसका मतलब आपको कहीं न कहीं से कुछ न कुछ सोर्सेज तो दिखते होंगे, जिसके कारण से हम इस आयुर्वेद में 114 करोड़ खर्च कर पाएंगे।

अब मैं आपको उच्च शिक्षा के बारे में बताता हूं। आपको मेरे इस ट्राइबल एरिया से कोई अगर नाराजगी हो तो क्षमा चाहता हूं, ऐसा मत करो। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने मेरी स्वयं की यूनिवर्सिटी, हर एम.एल.ए. चाहता है कि मेरे यहां हो, मेरे यहां हो, जिसको आपने राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कहा, इस यूनिवर्सिटी को मैंने गोविन्द गुरू के नाम से उस ट्राइबल एरिया में शिफ्ट करने के लिए कहा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मेरे यहां यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी तो चलेगा, पर ट्राइबल क्षेत्र में अगर एक यूनिवर्सिटी डवलप होगी तो मेरे उस क्षेत्र के बच्चों को भी आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा, लेकिन आपने इस बजट में क्या कमाल किया, जो मैं आपको बताता हूं। आपने 2019-20 में जो वास्तविक खर्चा उस यूनिवर्सिटी के लिए किया, वह 4 करोड़ 29 लाख खर्च किया था। उसके बाद 2020-21 में अनुमान बनाया था, वह 4 करोड़ 71 लाख का बनाया। संशोधित जब हुआ, मतलब खर्चा कितना हुआ उस यूनिवर्सिटी में? मेरे उस एरिया के आने वाले सभी आदिवासी विधायक महोदय, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि थोड़ा अपने और अपने क्षेत्र के बारे में गहराई से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

समझो या पढ़ो। जो बजट इनके पास था उसमें केवल और केवल इस सरकार ने एक लाख 71 हजार रुपया खर्च किया है। इस साल बजट का एलोकेशन, केवल एक हैड खुला रहे, इसलिए इन्होंने हैड खुला रखने के लिए 3 हजार रुपये का प्रोविजन कर रखा है, ताकि हैड बन्द नहीं हो जाए। यह गोविन्द गुरु विश्वविद्यालय की तस्वीर है।

उसके बाद आप देखो, भीमराव, भीमराव, आप और हम सब करते हैं। जब यह यूनिवर्सिटी शुरू हुई तो प्रारम्भिक हैड में तो एक टोकन मनी रखी थी, लेकिन उसके बाद आपने 4 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रोविजन रखा था, पिछले साल खर्च होने का, इस पर खर्चा किया और आपने अबकी बार के बजट में रखा है, एक करोड़ 2 लाख रुपया, घटा क्यों है ये, क्या इस यूनिवर्सिटी में आवश्यकता कम पड़ गयी या कुछ हो गया? ऐसे ही ब्रज विश्वविद्यालय है। ये जो सब विश्वविद्यालय खुले हैं न, इस ब्रज विश्वविद्यालय की भी ऐसी ही दशा बनाई है आपने, पहले साल में, 2019-20 में, 4 करोड़ 33 लाख, फिर आपका 2020-21 में 4 करोड़, फिर उसके बाद आपने जो संशोधित अनुमान, इसका मतलब 4 करोड़ आपके पास था, उसमें भी जब आप 2020-21 में आर.ई. में गये तो आपने केवल और केवल टोकन मनी 3 हजार रुपया उसमें दिखाया है और इस बार भी आपने फिर से टोकन 3 हजार दिखाया है। यह तो आपके विद्वान अधिकारी ही बता पाएंगे कि यह बजट किस तरह से बनाया।

महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, जिसके बजट में आपने पिछली बार 2020-21 में 5 करोड़ 95 लाख रुपया रखा था, संशोधित अनुमान में भी वही 5 करोड़ 95 लाख रहा, इस बार केवल और केवल एक हजार रुपया रखा, ताकि हैड खुला रहे, कहीं हैड बंद नहीं हो जाए, यह समझ से परे की बात है।

महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय की भी ऐसी ही दशा बनाकर रखी है। मैं सोचता हूं कि यह केवल झुनझुना बजाने के लिए बजाओ ताली, खोल दिये विश्वविद्यालय, पर चलेंगे या बंद होंगे, इसका कोई अता-पता है किसी को?

इसी तरह से आपने देखा होगा कि नगरीय विकास के लिए भी, उसमें भी ऐसी ही गति बनाई। अभी 2021-22 का जो आपने एस्टीमेट पेश किया है न, यह केवल और केवल 26 लाख रुपया रखा है इसके लिए और यह जो पंचायती राज विभाग, जयपुर के लिए है, इस बार आपने देखा कि बजट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

एस्टीमेट जो 2020-21 का बनाया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप ये बनाते कैसे हो और इसको कम ज्यादा करने की ऐसी क्या कलाकारी है कि आप तुरन्त फिगर को इधर से उधर ले जाते हो। आपने पंचायती राज के लिए रखा था 7 हजार 722 करोड़ रुपया, उसकी जगह आपने 10 हजार 123 करोड़ रुपया, इसका जो रिवाइज्ड एस्टीमेट है, जो आपका 2 हजार 700 करोड़ था, वह आपका 101 करोड़ हो गया और अब आप वापस घटाकर इसको एक तरह से 87 करोड़ रुपया कर रहे हो, यह समझ के बाहर है, यह क्या हो रहा है?

पर्यटन विभाग की तो ऐसी दुर्गति, भाषण में सब कहते हैं, राजस्थान में पर्याप्त पर्यटन की गुंजाइश, पर जब बजट का नाम आता है, तब सबके कान-मुंह सिकुड़ जाते हैं। कैसे विकास होगा, कैसे होगा? इसकी दुर्गति आपने करके रखी है। इस बार पर्यटन विकास, जयपुर के लिए आपने बजट रखा एक करोड़ 25 लाख, पर्यटन के लिए जो बजट आपका है, जो 11 करोड़ था पिछली बार, वह 11 करोड़ 25 लाख की जगह, अब की बार आपने एक करोड़ 25 लाख कुछ रुपये रखा है।

मिड-डे मील, कम से कम आप और हम सब कहते हैं, उन बच्चों को कम से कम अच्छा खाना मिले, उस प्रोविजन को भी आप एक तरह से घटाते चले जा रहे हो। मैं सोचता हूं कि पिछली बार जो आपने 2019-20 में रखा, वह 1,324 रखा, इस समय केवल एक हजार 40 रखा तो इस मिड-डे मील में भी हमने घटाया।

अब यह जो आप कई बार कहते हैं न कि वित्त आयोग के कारण से हमको घाटा हो रहा है, नहीं हो रहा है, भाई। मैं सोचता हूं कि 14वें वित्त आयोग को आप पढ़ो, 14वें वित्त आयोग से और अभी 15वां वित्त आयोग चालू हो गया, 2020 तक 14वां समाप्त हो गया, अभी अपना 15वां शुरू हुआ, एक-एक साल का अभी वे एस्टीमेट हमको दे रहे हैं। 100 रुपये में, जो 14वें वित्त आयोग में हमको मिलता था राजस्थान का शेयर, वह 2 रुपया 31 पैसा मिलता था, अब 15वें वित्त आयोग में, जो हमारे लिए अलोकेशन हुआ है, वह 2 रुपया 45 पैसा, इसका मतलब 14 पैसे पहले से आपको ज्यादा मिलेगा, तो यह जब लाख-करोड़ों में पैसा बनता है तो निश्चित रूप से हमको पैसा अधिक मिलेगा लेकिन हम उसके बारे में नहीं कहना चाहते हैं।

अब मैं आपको थोड़ा सा, मुख्य मंत्री जी चले गये हैं, पर सभी अधिकारी बैठे हैं। मैं समझना चाहता हूं कि ये तमाशा क्या है? मैं समझना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चाहता हूं इस बात को कि आपने बच्चों को नौकरी देने के लिए, जो ताली बजाई, बजाओ ताली, बजाओ ताली। अब मैं बताता हूं आपकी ताली, आप देखिए कि यह जो आपका 2019-20 का बजट, जो भाषण आपने दिया, वैसे तो आपके घोषणा पत्र में लिखा था, हम 5 लाख नौकरी देंगे, ठीक है चलो। आपने पहले साल में घोषणा की थी, 74 हजार 594 लोगों को नौकरी देंगे और वह भी अलग-अलग डिपार्टमेंट, आप चाहें तो मैं नाम पढ़ता हूं। आपने कहा कि हम राजस्व में देंगे 4 हजार 646, कृषि में देंगे 4 हजार, शिक्षा में देंगे 21 हजार, सहकारिता में देंगे 750, सूचना प्रौद्योगिकी में 800, चिकित्सा में देंगे 15 हजार, उच्च शिक्षा में देंगे एक हजार, कौशल रोजगार में देंगे 1,500, वन में देंगे 1,474, गृह विभाग में देंगे 4 हजार, ऊर्जा में देंगे 9 हजार, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में देंगे 1,400, पी.डब्ल्यू.डी. में देंगे 1,341 और जल संसाधन विभाग में 2 हजार देंगे। फिर आपने कहा, ग्रामीण विकास में देंगे 5 हजार 160, परिवहन में देंगे 104, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता में देंगे 250, महिला सशक्तीकरण में 300, चिकित्सा शिक्षा में 269 देंगे। ये मिलाकर के आपके 75 हजार 594 टोटल पद होते हैं।

अभी हम 2021-22 में आ गये। यह तो 2019-20 का बजट है, जो समाप्त हो गया है। आपने कहा कि बस अब हम कमाल कर देंगे। अब आपका दूसरा बजट बताता हूं, आपने 2020-21 में फिर कमाल किया। 2020-21 में आपने फिर कहा कि हम 53 हजार 181 लोगों को नौकरी देंगे। कितनी, 53 हजार 181, वह भी आपने अलग-अलग हैड में दिया, किसमें कितनी देंगे, उसका मैंने टोटल लिखा है। अभी आपने 24 तारीख को जो तीसरे साल का बजट पढ़ा था, तो उस दिन आपने घोषणा की थी कि राजस्थान में 52 हजार 350, सबने कहा मजा आ गया, कमाल हो जाएगा और सब मिलाकर, एक लाख 80 हजार 125 बच्चों को सरकारी नौकरी की घोषणा हुई है, हुए कितने हैं? मेरी चुनौती है, जवाब देते समय, केवल और केवल आपकी इस भर्ती में से केवल 13 हजार बच्चे नौकरी पर लगे हैं, केवल 13 हजार। पिछली भर्ती में कुछ बच्चे जो नौकरी लगे हैं, उसको मत गिनना, पहले सालों की चलती हुई भर्ती से जो बच्चों को नौकरी मिली, उसको नहीं, जो आपके तीन बजट की घोषणा हुई है। मेरा आंकड़ा अगर गलत है तो कृपया करके इसको करेक्ट कर देना। कैलकुलेशन जो मैंने निकाली है, केवल और केवल 13 हजार बच्चों को, इस नौकरी में से जो एक लाख 80 हजार की नौकरी, आपने इन तीन बजटों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
में घोषणा की, उनकी स्थिति है। अब इसका कारण क्या है? परीक्षा ही नहीं हुई, वनपाल की, वन रक्षक की 1,124 की परीक्षा नहीं, व्याख्याता की 918 की परीक्षा की नहीं, कृषि पर्यवेक्षक 822 की परीक्षा नहीं, सब-इंस्पेक्टर 759 की परीक्षा नहीं, स्टेनोग्राफर 1,211 की परीक्षा नहीं। फिर, भर्तियों का अंतिम परिणाम बाकी है, परीक्षा हो गयी, लेकिन अभी उनका रिजल्ट आना बाकी है। लाइब्रेरियन की 700 की, टैक्नीशियन की 1,110 की, सहायक रेडियोग्राफर की 1,058 की। इन पदों की परीक्षाएं कोर्ट में लम्बित हैं, कोर्ट में स्टे है, कई बार चाहते हैं न, जब जेब में पैसे नहीं होते तो जा तू तो एक बार टिका दे तो कम से कम लटका तो रहेगा, वैसे ही लटके हुए बच्चे हैं। यह जो आर.ए.एस. का अभी जो कल-परसों कोर्ट का फैसला हुआ है, उसके कारण से रास्ता निकले। कांस्टेबल भर्ती, जो 5 हजार 500 की हमने की और उसमें मैरिट बनाते समय हमने जिला मैरिट बना दी। कोर्ट ने कहा, यह नहीं हो सकता है। स्टेट की मैरिट बनेगी, उसके कारण से वह अटक गयी, जिलेवार मैरिट क्यों बना दी?

इस तरह से आपने देखा, इन पदों की परीक्षा, भर्ती के पदों में कटौती आपने कर दी और उसके कारण से लोग कोर्ट में चले गये कि आपने एक बार अनाउंस किया, भर्ती शुरू कर दी, फिर उसके बाद पद क्यों कम कर दिये। उसमें स्कूल व्याख्याताओं के, जो आपने 14 प्रतिशत ई.डब्ल्यू.एस. को आरक्षण दिया, पद तो बढ़ाये नहीं और उसमें से ही आरक्षण दिया तो उन्होंने इसको चुनौती दे दी कि जब विज्ञापन जारी हुआ, तब यह नहीं था। उसके कारण से यह भर्ती रुक गयी।

फिर आप देखिये, बजट 2019-20, मुख्य मंत्री जी महोदय, आपने जो घोषणाएं कीं, आपको याद दिला रहा हूं कि उनकी दुर्गति हुई है। अब तक जमीन पर नहीं उतरी हैं। अगर उतरी हों तो ये अधिकारी बैठे हैं, मुझे करेक्ट कर देना। आपने कहा था, पैरा संख्या 34 पर, जो 2019-20 का आपका बजट है, 100 करोड़ रुपया, आगामी चार वर्षों में 500 से अधिक आबादी के डामर सड़क से वंचित 109 गांवों को सड़क से जोड़ा जाएगा। अभी तक तो नहीं जुड़े हैं, जुड़े हैं तो संख्या बता देना। फिर, आपने कहा पेज संख्या 46, 500 करोड़, 600 नये ट्रांसफार्मर स्थापित किये जाएंगे। आगामी तीन वर्षों में, अगर 2-4 भी कहीं लगे हों तो उस जगह का नाम बता देना कि ये ट्रांसफार्मर आपने कहा, लगाने शुरू किये हैं। फिर, उसके बाद आपका पेज 77, 50 करोड़, मुख्य

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, जिसमें 10 करोड़ तक के ॠण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अब तक नहीं दिया गया। मेरे शहर उदयपुर में आपने यह सोचा कि चलो इसको भी कुछ दो, तो 2019-20 में 50 करोड़ की घोषणा की थी। किसके लिए की? यातायात सुविधा के लिए। इन अधिकारियों से पूछना कि एक फूटी कौड़ी भी लगी है क्या? उस 50 करोड़ में से 2019-20 के बजट में से एक फूटी कौड़ी भी लगी है तो उस जगह का नाम बता दें। फिर आपने कहा 130 करोड़ का जोधपुर में, आपके ही विधान सभा क्षेत्र में जोधपुर में कैंसर रोगियों के उपचार हेतु लीनियर एक्सीलरेटर मशीन आएगी। अभी तक तो आयी नहीं। फिर आपने कहा, 50 करोड़ रुपये महात्मा गांधी संस्थान की स्थापना, भव्य गांधी दर्शन म्यूजियम, अभी तक तो बना नहीं। फिर आपने कहा, उसी में 118 पेज नम्बर पर कि 1,000 करोड़ रुपये प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी महिला सशक्तीकरण निधि, अभी तक तो जमीन पर नहीं आयी है। फिर उसके बाद आपने कहा, 1,581 करोड़ रुपये पेज नम्बर 124 सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय शुद्धीकरण योजना, अभी तक तो जमीन पर नहीं आयी। फिर आपने कहा 174 पेज पर, 26 करोड़ रुपये, सौ नये अग्निशमन वाहन आएंगे। वह अमेरिका से आ रहे होंगे, कहीं रास्ते में रुक गये होंगे। फिर आपने, देखो क्या कमाल है, वास्तव में इसी तरह से 2020-21 में, सच में जिस विभाग की भी ये घोषणाएं हैं, विभाग के मंत्री की और उनकी आपके द्वारा निरन्तर बजट घोषणा की पालना की जब तक मानिटरिंग नहीं होती है, तब तक अधिकारी को कोई होश हवास नहीं, कइयों के तो अब मार्च में टेंडर चल रहे हैं। कइयों के टेंडर अब फिर से हुए हैं। अब यह आपका 2020 -21 का बजट है। 100 करोड़ रुपये, किसके लिए? अभी जो आपने घोषणा की है न निरोगी राजस्थान कोष, यह आपने 2020-21 में भी किया था न? यही घोषणा थी? यही घोषणा थी पेज नम्बर 11 पर 2020-21 में कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया और अभी आपने 2021-22 के बजट में फिर 10 करोड़ का बजट रख दिया है। इसको पढ़ना आप, 100 करोड़ था, वह 10 करोड़ आ गया। फिर पेज 28 पर 2020-21 में 28 करोड़ रुपये, एस.एम.एस. हास्पिटल में नया आई.पी.डी. भवन बनेगा, अभी तो बना नहीं। फिर आपने कहा, बता देना कोई टेंडर वगैरह लग गया होगा तो दिखा देना तारीख, कोई बात नहीं। इसी तरह से 2020-21 में एस.एम.एस. में डी.एस.ए. मशीन स्थापित की जाएगी 10 करोड़ की, अभी तक नहीं खरीदी। अजमेर और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय की स्थापना, हो गई क्या? नहीं हुई।

अब यह बजट तो यह बता रहा है, जो मुझे कह रहा है कि आपने 49 लाख 82 हजार की एक सैंक्शन निकाली है। यही सही है, आपका जो बजट था 18 करोड़ का, उसके अगेंस्ट में अभी आपने फाइल पर, जो मेरे पास रिकार्ड है, आपके पास है तो बता देना, जो बजट में आपने लिखा है, 49.82 लाख रुपये का आपने प्रावधान रखा है। सीकर में 50 शैयाओं का आयुष चिकित्सालय बन गया? सीकर वालों देख लेना। कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर में एक नया डेयरी प्रौद्योगिकी, कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो आपकी घोषणा पर ताली बजा रहे हो न, एक निगाह पीछे भी डाल दो। जिस पर आपने पहले ताली बजाई न, उसकी क्या हालत हुई है, उसको देख लिया करो। फिर सौ करोड़ रुपये, नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन, ये आपने 2021-22 के 122 पैरे में भी, पुन: संरक्षण कोष के तहत सम्भाग मुख्यालयों पर समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से की जायेगी। 2020-21 में तो सौ करोड़ से आप बना रहे हो और अब आपने कहा कि स्वयंसेवी संस्थाएं बनाएंगी। फिर आपने जयपुर में सौ शैयाओं का, नहीं बना। पर्यटन विकास कोष का गठन किया आपने सौ करोड़ रुपये का, कितना, सौ करोड़ रुपये का, 2020-21 में गठन नहीं हुआ। 2021-2022 के बजट में पैरा संख्या 209 में आपने फिर कलाकारी की, पांच सौ करोड़ रुपये के कोष की पुन: घोषणा करता हूं। वह सौ का तो हो गया दफन और अब पांच सौ की घोषणा को लगाओ ताली, पांच सौ की हो रही है, लगाओ ताली। क्या बात है।

सड़क सुरक्षा, मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि बजट को वापस पढ़ने की कोशिश करो। आपने कहा सौ करोड़ रुपया, 2020-21 में आपने घोषणा की थी कि सड़क सुरक्षा कोष का गठन होगा। ठीक है न, अब आपने क्या किया, इस कोष का गठन 2017 में, कब, 2017 में ही हो चुका है। पुलिस चालान से जितना पैसा आता है, वह इसी में जमा होता है। यह कोई नया फंड नहीं बना। फिर आपने लिखा कि 9 जिलों में टाउनहाल का निर्माण होगा 30 करोड़ रुपये का। टाउनहाल निर्माण का काम अभी तक तो कहीं आया नहीं जमीन पर। मैं सोचता हूं कि एक आपने दिया था सड़क सुरक्षा का, वही मैं बता रहा था कि आपने जो भाषण 2020-21 में दिया था कि राजस्थान में 10,500 लोग सड़क दुर्घटना से मरते हैं और इसलिए इनकी सुरक्षा करने के लिए

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपको काम करना है। फिर 2021-22 में वही, वहां आपने कहा 10,500, अबकी बार आपने कहा दस हजार लोग मर जाते हैं तो उनके लिए तो कुछ न कुछ होना ही चाहिए, तो एक पैरा फिर बना दिया। फिर उसके बाद 2021 के बजट में आपने फिर बनाया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि केवल और केवल लोगों को यह बताने के लिए कि हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं।

2020-21 में बजट भाषण का पैरा संख्या 56, पण्डित जवाहर लाल नेहरू के नाम से सौ करोड़ रुपये में बाल संरक्षण कोष के गठन की घोषणा करता हूं। इसके अन्तर्गत बच्चों की तस्करी, बाल मजदूरी जैसी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने का कार्य भी किया जायेगा। 2020-21 की घोषणा की पूर्ति तो नहीं हुई और पुनः घोषणा हो गयी।

अभी 2021-22 के बजट में आपने क्या किया, पैरा संख्या 122, मैं आप सबको ही बता रहा हूं कि भगवान के लिए पक्ष हो या विपक्ष हो, कम से कम एक निगाह डाल लेना चाहिए कि वास्तव में हम कहां खड़े हैं। पैरा संख्या 122, बच्चों में नशे की प्रवृत्ति रोकने तथा उन्हें ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए नेहरू बाल संरक्षण कोष के तहत जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर सम्भाग मुख्यालयों पर समेकित बाल पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना स्वयंसेवी संस्थाओं से चरणबद्ध रूप से किया जाना प्रस्तावित है। चरण कब आएंगे और पूरा कब होगा, ईश्वर जाने।

फिर आपने कहा, बजट 2019-20 के पैरा 92 में उदयपुर शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में, आपने उदयपुर के 2020-21 के भाषण में, पूछना आपके इन अधिकारियों को कि उदयपुर से जयसमन्द से पानी लाने के लिए 251 करोड़ रुपये की घोषणा की थी। पाइप लाइन बदलेगी, पाइप लाइन तो छोड़ो, उसका कहीं एक पत्थर लगा हो या कुछ आगे बढ़ा हो तो वह फाइल दिखा देना कि उसमें आपने क्या किया है। अभी बजट भाषण में पैरा संख्या 162 में फिर उदयपुर को आपने कृत-कृत किया और आपने लिखा कि उदयपुर में यातायात की सुगम व्यवस्था, वे पचास करोड़ जो पहले पड़े थे, वे और अभी जो आपने बताया, प्रताप नगर फोर लेन पर और ये सब मिला करके 150 करोड़ रुपये, भगवान के लिए, ये तो मेरे यू.आई.टी. के बजट में पढ़ आना जो 4 तारीख पहले पेश हो गया, उसमें यह सारा प्रोविजन है कि नहीं है। आपने यू.आई.टी. के बजट को ही हमारे खाते में दिखाकर उदयपुर वालों को ताली बजाने के लिए 150 करोड़ की यहां घोषणा की क्या?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बजट 2019-20 पैरा, मैं सोचता हूं कि यह मेरे पास एक नहीं, मेरे पास अनेक हैं। मैं आपको और दिखाता हूं कि वास्तव में आपकी इन घोषणाओं का होता क्या है। अभी आपने देखा कि गौशालाओं के बारे में आपने बहुत कहा कि हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं। मैंने आपकी सारी प्रगति रिपोर्ट देखी है, इस प्रगति रिपोर्ट में 2016-17 से ही 90 दिन का पैसा इन गोशालाओं को, जो पंजीकृत हैं, इनको मिल रहा है। पहले 122, फिर 180, फिर 176, फिर 2018-19 में 207 करोड़ रुपये मिले। जब आप आये न, उसके बाद तो केवल और केवल अप्रैल, मई और जून की एक किश्त आपने जरूर भेजी है। उसके बाद अभी आपका कोई पैसा नहीं गया है। आपने इस बजट में लिखा है कि 295 करोड़ रुपये का आबंटन किया है, लेकिन वह जमीन पर गया नहीं है, यह मैं आपको कह रहा हूं।

इसी तरह से पैरा, ये जो गायें पकड़ी जाती हैं या बैल पकड़े जाते हैं, इनको बूचड़खाने में जाने से बचाने का हमने एक प्रोविजन कर रखा है। उसमें भी आपने लगभग दो करोड़ रुपये 2015-16 से ही रखे हुए हैं और हमारे टाइम पर लास्ट 6,863 ऐसे अवैध जो जा रहे थे, उनको बचाया। आपने अभी 2019-20 में केवल 2,123 ऐसे जानवरों को बचा करके उनको गौशाला में भेजा है। अबकी बार तो आपने, कोरोना आ गया था, उनको भी, इसलिए केवल 625 जानवर, केवल और केवल इस वध से बचने के लिए आपने उनको भेजा है।

(18.00 बजे)

मैं सोचता हूं कि आपने रजिस्ट्री में छूट दी। 10 परसेंट आपने डी.एल.सी. कम की। महिलाओं ने क्या गुनाह किया था, महिला के नाम से रजिस्ट्री होगी, वसुन्धरा जी ने एक परसेंट स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी थी। अब आपके इस कानून से वह एक परसेंट भी उस महिला का खतम हो गया है। अगर आपका मन हो तो इस पर विचार कर लेना।

बिजली कम्पनी की जो दशा है, उस पर सीरियसली विचार करो। पक्ष और विपक्ष अपनी-अपनी बात कहेंगे, लेकिन इन सब लोगों को सम्भालो। ये हमारी जेब काट रहे हैं और उसके बाद भी दिवालिया हो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, बहुत दुःखी मन से कह रहा हूं कि सच में जब मेरे भी घर का बिल आता है, मैं जयपुर से उदयपुर जाता हूं और अगर मेरे डिब्बे में पड़ा रहता है तो मैं पहले उस बिल के नीचे का आंकड़ा पढ़ता हूं। मैं राम धर्म से कह रहा हूं, नाम बाद में पढ़ता हूं, मेरे पड़ोसी का भी डाल गया हो तो भी मुझे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पता नहीं, पर उसको देखते ही मुझे भय लगता है कि किस तरह से यह हो रहा है। जब हमने आपको राज सौंपा था, तब यह बिजली कम्पनियां केवल और केवल 15 हजार करोड़ के घाटे में थीं या नहीं थीं। आपने जब 2013 में वापस राज हमको सुपुर्द किया, तब ये बिजली कम्पनियां 28 हजार करोड़ के घाटे में हुईं। उसके बाद आपने देखा होगा कि वसुन्धरा जी ने उदय योजना का केन्द्र सरकार से लाभ लेकर 62,421 करोड़ रुपया जमा कराकर इस दिवालिया कम्पनी को फिर से बिजली देने के लायक बनाया था और आज की तारीख में मैं फिर कह रहा हूं, आपके जवाब के समय जवाब देना, यह बिजली कम्पनी आज की तारीख में 80,500 करोड़ से अधिक के घाटे में वापस चली गयी है, यह है हमारी व्यवस्था। आपने जो पैसे बढ़ाये हैं, किसी बड़े आदमी पर बढ़ाते तो कोई दु:ख नहीं होता, लेकिन मुझे इस बात का दु:ख है कि जो आदमी केवल 50 यूनिट जलाता है, मतलब एक बल्ब उसके घर में होगा, उस आदमी को भी 4,350 रुपये का सालाना बिल जाता है। हर महीने उसको 1,500 रुपये का बिल जा रहा है, क्या वह दे सकता है? मैं सोचता हूं इस पर विचार करना चाहिये। 100-150 यूनिट तक में अगर कुछ घाटा भी पड़े तो कम से कम उस गरीब को मदद के लिए कोई न कोई रास्ता हमको निकालना चाहिये। 51 से 150 यूनिट तक में जो अभी आपका बिल जाता है, बिजली विभाग विभिन्न पैसे जोड़कर भेजता है, वह 14,940 का जाता है। 150 यूनिट तक जो बिजली जलाए और बाकी का तो 59 हजार और पता नहीं कितना है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो बिजली हम 1.15 रुपये से लेकर 1.80 रुपये में खरीदते हैं और राजस्थान के इन छोटे कंज्यूमर्स को हम 12 और 13 रुपया यूनिट के हिसाब से दे रहे हैं, यह कहां का न्याय है। ऐसा कोई व्यापारी ही नहीं कर सकता कि जो इस प्रकार का मुनाफा कमाए। एक यूनिट 4.15 रुपया और 4.80 रुपये में आप खरीदते हो और आप बेच रहे हो, 8 रुपये से लेकर 12-13 रुपया यूनिट के हिसाब से लोगों के पास पहुंच रही है, यह कोई न्याय नहीं है। मैं सोचता हूं कि इन सब प्रान्तों में, चाहे वह हरियाणा लो, दिल्ली लो, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, इन सब में अधिक से अधिक पंजाब में 7.72 रुपया प्रति यूनिट और हमारे यहां 13.31 प्रति यूनिट रुपया के हिसाब से जा रहा है। इसका मतलब कहीं न कहीं सिस्टम को सुधारे बिना कंज्यूमर को और किसान को नहीं बचा सकते।

आप जल जीवन मिशन की बात करते हो, मैं सोचता हूं कि केन्द्र

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सरकार की यह मंशा है कि कम से कम जहां हो सके, टोंटी से सब लोगों को अच्छा पानी मिले। इसके लिए योजना बनाई और यह कहा कि 2024 तक सब लोगों को आप टोंटी से पानी दो। जो पैसा हमको देना है, वह पूरा बजट हम देंगे और राजस्थान में एक करोड़ 10 लाख परिवार, जो आपकी उस लिस्ट में सलेक्ट हुए हैं, जिनको जल जीवन मिशन के तहत में टोंटी का कनेक्शन देना है। आपने 01.04.2020 तक पूरे राजस्थान में 12 लाख 76 हजार कनेक्शन दे रखे हैं। अभी आपने इस योजना के आने के बाद 23.02.2021 तक कनेक्शन दिये हैं, उन 12 लाख 76 हजार को भी जोड़ लो तो भी आपने 17 लाख 32 हजार कनेक्शन दिये, इसका मतलब केवल और केवल 5 लाख के बराबर आपने नये कनेक्शन दिये। पैसा आपके पास था, 2021-22 के बजट में आपने 2,522 करोड़ रुपया रखा है, सरकार के पास पिछले साल का प्रारम्भिक शेष 995 करोड़ रुपया बचा था। भारत सरकार के द्वारा आपको 630 करोड़ रुपये की एक किस्त और मिल गयी। आपने अभी तक केवल 536 करोड़ रुपया खर्च किया है, मतलब 33 प्रतिशत। पैसा आपके पास होने के बाद भी आप इस पैसे को बुक नहीं कर पाये और आज की तारीख में आपके पास 1,088 करोड़ रुपया इस फंड में आया हुआ पैसा बचा है।

महाविद्यालय मंत्री जी, घोषणा करना तो बहुत आसान है, करो, कोई चिंता नहीं है, पर मैं बहुत विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आपने इन दो बजटों में और अभी तीसरे बजट में 88 कालेज तो पहले खोल दिये, 31 कालेज अभी आप खोल रहे हो। मुझे आप इसमें लाइन खींचकर बता देना कि यह जब 88 कालेज हमने खोले, इसमें कितने स्टाफ के लिए आपने कितना पैसा रखा हुआ था। बिल्डिंग के लिए पैसा रखा था तो बता देना, नहीं रखा तो जीरो लगा देना। उसको चलाने के लिए जो खर्चा आता है, उसका कोई हैड खोलकर पैसा रखा हो तो बताना। केवल और केवल लोगों को यह बताने के लिए कि आपके यहां कालेज, कोई प्राइमरी स्कूल में चल रहा है, कोई सामुदायिक केन्द्र में चल रहा है, कोई कहां चल रहा है। कालेज है या मजाक है? राजस्थान में सरकारी स्कूल का कोई मिडल स्कूल भी देखो न तो मैं जिस एम.बी. कालेज में पढ़ा, उसकी जितनी लम्बाई है, आज की तारीख में उस मिडल स्कूल की बिल्डिंग की इतनी बड़ी लम्बाई है। उन कालेजों को आप इस तरह चलाकर उन बच्चों को क्या देना चाहते हो, इसके बारे में आप विचार करो।

मंत्री महोदय, मेरी बात को नोट करना, यह जो 11 सरकारी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अभियांत्रिकी महाविद्यालय हैं, वर्तमान बजट में इनके लिए कोई वित्तीय प्रावधान नहीं है और सात महीने से वहां के स्टाफ को एक नये पैसे का वेतन नहीं मिल रहा है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आखिर जो नौकरीपेशा आदमी है, वह अपने बच्चों को कैसे पालेगा। अगर गलत हो तो बता देना।

यह मैट्रो का जो हाथी आपने बांधा है, वह भी आपने सारे नियमों की अवहेलना करके बांधा है। दुर्भाग्य यह है कि जो आपने ट्रैफिक लोड दिखाया है वह योजना को स्वीकृत करने के लिए कुछ और दिखाया और हकीकत कुछ और आयी। अब तक 3,100 करोड़ रुपया उस पर खर्च हो गया, लेकिन ट्रैफिक लोड जो सामान्यत: उसको मिलना चाहिये, वह उसको नहीं मिल रहा है। कोरोना को छोड़ दो, कोरोना के पहले की मैं आपको बताता हूं। पहले भी हमारे यहां प्रतिदिन 19 हजार का लोड आ रहा था और हमें हर महीने का केवल 9 प्रतिशत रेवेन्यू आ रहा है। हमने 35 करोड़ रुपये सालाना का घोड़ा इस राजस्थान पर बांधा है, जिसका उपयोग नहीं हो रहा। कारण यह है कि ट्रैफिक लोड लेने के लिए आपको निश्चित रूप से उस स्थान तक बढ़ाना होगा जो टोंक रोड को कवर करे, सांगानेर को कवर करे, तब जाकर फिजिबल होगा, बाकी यह फिजिबल नहीं होगा। आपने एक मन ही बना लिया। मैं सोचता हूं कि आप इसके बारे में जरूर विचार करना। इसका कारण क्या है कि सभी जगह इसमें केन्द्र सरकार से सहयोग राशि मिली, भारत सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाकर काम कर रहे हैं। हम लोग नहीं कर रहे हैं और इसके कारण से केन्द्र सरकार से हमें जो पैसा मिलना चाहिये, वह हमको नहीं मिल रहा है।

कर्मचारियों से सम्बन्धित मैं आपको कहना चाहता हूं। आपने डीसी. सामंत साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई हुई है। वह कमेटी उनकी वेतन विसंगतियों एवं जो बाकी परेशानियां हैं, उनको निपटायेगी। उन्होंने 2019 में आपको रिपोर्ट सुपुर्द कर दी। वह रिपोर्ट आपके पास है। अभी वह कहां पड़ी है, अलमारी में है तो सम्भालो, धूल झाड़ो। अगर करने की मंशा हो तो करो, नहीं तो वापस दफ्तर दाखिल करो, कम से कम खबर तो पड़े।

मैं सोचता हूं कि पेंशनर के जीवन में मेडिकल उस उम्र में सबसे बड़ी आवश्यकता है, लेकिन उसको साल-साल भर का मेडिकल बिल का पेमेंट नहीं हो रहा है। या तो आपने आपकी ट्रैजरी को मौखिक बता रखा है कि इनके बिल पास नहीं करना। यदि नहीं बता रखा है तो आप उदयपुर जिले के पैंडिंग

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)
बिल देख लेना कि आज की तारीख में कितने लोगों का, कितने समय का पैंडिंग बिल है, आपको समझ में आ जाएगा।

अब यह जे.ई.एन., ए.ई.एन. की भर्ती है, यह पहली बार चमत्कार हो रहा है कि इसके राजस्थान के बाहर सेंटर लगाये हैं। ऐसा क्या हो गया है? नकल हो जाएगी, नकल करने वाला जितना गिरोह पकड़ा है, वे राजस्थान के नहीं हैं, उन सबके तार बाहर हैं और आप इन बच्चों को कहां-कहां भेज रहे हो, दिल्ली में 6 सेंटर, पंजाब में 2, गुजरात में 6, महाराष्ट्र में 3 और मध्य प्रदेश में 6. क्या है, किस कारण से ऐसा हुआ? क्या हमारे यहां जो आर.पी.एस.सी. कराता था, वह योग्य नहीं है, करा नहीं सकता है? अब तक तो ऐसी कोई समस्या नहीं आयी, पर आपको समस्या आयी।

अब मैं आपको एक नमूना बताता हूं। नाराज मत होना, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी आपने चार गर्ल्स कालेज खोलने की घोषणा की, जो हमारे साथी दिवंगत हो गये, उनके क्षेत्रों में। या तो मुझे भी कालेज खुलवाने के लिए दिवंगत होना पड़ेगा, यही लगता है। राजस्थान में 196 और लोग हैं। इस समय मार्च के महीने में आप कालेज कौनसे बजट के हैड में खोलेंगे और कौनसी क्लास शुरू होगी? खाली कोहनी पर गुड़ लगाकर वोटों का धंधा करने के लिए खोलते हो? या जो एम.एल.ए. स्वर्गवासी हो गये, उनको यह समाचार पहुंचाने के लिए कि आप तो नहीं रहे, पर आपका नाम हम स्थायी रूप से यहां रखेंगे। मैं आपकी भावना का तो स्वागत करता हूं, पर ये बेमौसम बारिश ठीक नहीं लगती है। यह बेमौसम बारिश है, ऐसा लगता है।

मंत्री महोदय, आपका मैं एक चिट्ठा लाया हूं। अभी आपने, जो चार बाई-इलेक्शंस हैं, अध्यक्ष महोदय, बहुत ही विनम्र भाव से कह रहा हूं कि इन्होंने उन चारों विधान सभा क्षेत्रों में पोस्टें भरने के लिए हमारे गांव से और आदिवासी क्षेत्रों से निकाल-निकालकर सब को पोस्टिंग दी है, वल्लभनगर और राजसमन्द में। क्या बात है? इतने दिनों तक तो वल्लभनगर और राजसमन्द याद नहीं आता था। पोस्टिंग के लिए क्या उनके मरने का इंतजार कर रहे थे? यह क्या नक्शा है? बाकी लोगों को डाक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल वोट की खेती पकाने के लिए जनता को इस प्रकार से भ्रमित करने का काम करते हो। मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि बजट की एक सैंक्टिटी, बजट का प्रोविजन कहां से आएगा? कितना आएगा? पैसा जेब में है? उधार लाएंगे तो कहां से लाएंगे? इतनी घोषणाओं का अम्बार लगा दिया। किताबें भर गयी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हैं, लेकिन 2019-20 से लेकर सारा चिट्ठा बताता है कि आपके पुराने बजट भी पूरे नहीं हुए हैं। यह भी केवल और केवल मेरा दावा है और अगर जिंदा रखा और दोबारा बजट के समय अगर यहां मौजूद रहा तो मैं आपकी कलई खोलकर रखूंगा। यह केवल और केवल झुनझुना पकड़ाने का काम आपने किया है। बजट के सारे सेंटीमेंट को खतम कर दिया। जनता के द्वारा गाढ़ी कमाई का पैसा आपको और मुझको जनता के चुनाव के बाद मिलता है। हम केवल ट्रस्टी और मुनीम हैं, हम उसके मालिक नहीं हैं। हम कोई भिखमंगे को नहीं दे रहे हैं। हम अपने मालिक को दे रहे हैं, जिसने खजाना भरकर आपको और मुझे दिया है, लेकिन हमें उसका दर्द नहीं होता है। हम इस तरह से लोगों को एक तरह से मूर्ख बनाकर, कोई व्यवस्था नाम की चीज नहीं। ढाई साल में आप एक चीज को भी पूरा कर पाये हो तो मेरा दावा है।

आपने एक राइडर लगाया हुआ है कि केवल एक लाख 8 हजार बच्चों को ही बेरोजगारी भत्ता मिलेगा जबकि आपके एम्प्लायमेंट एक्सचेंज में 15 लाख बच्चे रजिस्टर्ड हैं, तो फिर घोषणा क्यों की थी? या तो रोजगार देंगे या तुम्हें भत्ता देंगे, यह किस बात का उदाहरण बताता है? यह इसी बात का उदाहरण बताता है। मैं सोचता हूं कि लोगों को खुश करने के लिए आपने आंकड़ेबाजी तो जरूर की, लेकिन धरातल पर ये आंकड़े न आप ला सकते हो, न आपके अधिकारी ला सकते हैं। ये जितनी योजनाएं बनी हैं, वे सब केन्द्र सरकार के सहयोग से बन रही हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि इन योजनाओं को अलग करके अपनी जेब से खर्च किया हो तो वह बताना। धन्यवाद।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): बजाओ ताली, बजाओ ताली, और बजाओ। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के हितों की रक्षा के लिए ताली बज रही है। यह राजस्थान के विकास के लिए ताली बज रही है। राजस्थान के उज्ज्वल भविष्य के लिए ताली बज रही है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पक्ष-विपक्ष के साथियों ने जो पिछले चार दिनों से विचार प्रकट किये, उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि खुलकर अपनी बात रखी। जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं कि जो भावना प्रकट की गयी, उसका विश्लेषण किया जाएगा और उसके आधार पर जो सम्भव होगा, हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे।

मैं, नेता प्रतिपक्ष और इनके तमाम वरिष्ठ नेताओं का भी आभार

(श्री अशोक गहलोत)

व्यक्त करता हूं कि जब 24 तारीख को बजट पेश किया गया तो आपके पास कहने को कुछ नहीं था। इसलिए कई लोग तो मुंह छिपाकर प्रेस से बिना मिले चले गये। और तो और, चिंता प्रकट कर रहे हैं, अभी हमारे नेता, प्रतिपक्ष अपने पूरे भाषण में चिंता प्रकट कर रहे थे और बाद में गुस्सा होकर बोलने लग गये, भावुक होकर बोलने लग गये कि पता नहीं क्या होगा? बजट पूरा हो अथवा नहीं हो, मैं कहना चाहता हूं कि नहीं हो, कमी रहे तो आपका आलोचना करने का अधिकार है। 2019-20 की आलोचना अभी तक कर रहे हो, जबकि 2020-21 जा रहा है, 2021-22 आ रहा है। 2019-20 की आलोचना करने के लिए आपने पूरे डाकूमेंट तैयार कर रखे हैं। आपने मीडिया के अन्दर आलोचना करने का माहौल बनाया है। मैं पूछना चाहता हूं। मैं तो आप सबका आभारी हूं कि आपने वह चिंता प्रकट की, जो कि हमें करनी चाहिए कि हमने बजट पेश किया, उसका क्या होगा? यह चिंता सरकार को करनी चाहिए, मुख्य मंत्री को करनी चाहिए, मंत्रिमंडल को करनी चाहिए और हमारे तमाम साथियों को करनी चाहिए। वह चिंता पूरा विपक्ष कर रहा है। चिंता आपको करनी है या मुझे करनी है? कमी रहे, आप आलोचना करो, कोई दिक्कत नहीं है।

जगलरी के हमेशा आरोप लगते हैं, सरकार पर लगते हैं। आंकड़ों के आधार पर बाजीगरी की जा रही है, पर अभी मैंने देखा कि बाजीगरी तो हमारे नेता, प्रतिपक्ष कर रहे थे। विभागों के आंकड़े बता रहे थे। विश्वविद्यालय के कितने पैसे रखे गये? बड़ा गर्व से कह रहे थे कि हमने राजीव गांधी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर गुरु गोविन्द, बहुत अच्छा किया, हमने एतराज भी नहीं किया। दो करोड़ और पांच करोड़ रखे गये, जो स्वायत्तशासी संस्थाएं बनती हैं, धीरे-धीरे प्रगति करती हैं, टाइम लगता है, पर आपने अच्छा काम नहीं किया। अगर आपके कहने से तत्कालीन मुख्य मंत्री ने स्थान बदल दिया, उदयपुर से बांसवाड़ा, तो गर्व करने की बात नहीं है। जान-बूझकर हमने उदयपुर रखा था। कर्नल बैंसला जब मुझसे मिलने आते थे, कालेज की बात थी, बयाना के अन्दर खोलने की बात थी। उनके समाज के लोग गांव में खुलवाना चाहते थे। उन्होंने मुझ से कहा कि मेरी कौम के लोग समझते नहीं, अगर कालेज बयाना में खुलेगा तो वहां पर गुर्जर समाज के साथ और भी जातियों के बच्चे पढ़ेंगे और आपस में विचारों का आदान-प्रदान होगा, संस्कारों और परम्पराओं का होगा तो हमारा गुर्जर समाज, जो कि पिछड़ा हुआ समाज है, उनकी बच्चियों को भी एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। अगर आदिवासी क्षेत्र के

(श्री अशोक गहलोत)

बच्चे उदयपुर आकर पढ़ते हैं तो आपको क्या तकलीफ थी? आपकी क्षत्रिय कौम के बच्चे साथ पढ़ते। आपस में मिलते-जुलते, उनका एक्सपोजर होता और वे ज्यादा प्रगति कर सकते थे। पता नहीं, आपकी सोच है, आपको मुबारक हो।

मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें। जो हमने कहा है, वह पहले भी करके दिखाया है और अब भी दिखायेंगे। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने कोरोना के बावजूद भी जिस प्रकार का मैनेजमेंट किया है, जो आपके सामने बजट पेश किया है। मैं उम्मीद करता था कि कोरोना के प्रबंधन को लेकर आप उसको एप्रिशिएट करेंगे, वेलकम करेंगे। हमारे नेता, प्रतिपक्ष इस बारे में एक शब्द भी बोले, जबकि उस वक्त सबकी जान और सांसें अटकी हुई थीं, पता नहीं क्या होगा? जिंदगी का क्या होगा? वह वक्त भी हमने देखा। भूलना नहीं चाहिए, वह वक्त भी हमने देखा है। राजस्थान ही नहीं, पूरा देश व दुनिया चिंतित थी, तब भी शानदार प्रबंधन किया है। मैं समझता हूं कि उसमें मैंने आप सब का इन्वॉल्वमेंट रखा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट पेश करते ही मैंने दोपहर को सीधा मुख्य सचिव को फोन किया कि तमाम विभागों को निर्देश दें कि जो बजट के प्रस्ताव हैं, उनको श्रेणीबद्ध करें, जिससे कि जल्दी से मानिटरिंग शुरू कर सके। अगर आपकी भावना यह है कि बजट टाइम बाउंड कैसे इम्प्लीमेंट हो तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं उस काम में उसी दिन से लग गया हूं जिस दिन से हम लोगों ने बजट पेश किया और विभागों के अन्दर आर्डर निकल चुके हैं। पूरे श्रेणीबद्ध किये जा रहे हैं और मानिटरिंग हम लोग खुद करेंगे। और तो और हमने टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स, स्टांप्स एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत संशोधित प्रावधानों को भी लागू कर दिया है, जो हमने बजट के अन्दर घोषणा की थी। हमने सबका, कर्मचारियों का, आपका जो भी पैसा रोक रखा था, एक हजार 600 करोड़ रुपया, डैफर कर दिया था, उसको भी रिलीज कर दिया। इसके मायने हैं, यह संदेश देने के लिए कि सरकार मैनेजमेंट करेगी, चाहे केन्द्र से इमदाद मिले, कम मिले, ज्यादा मिले, आप बार-बार जो कहते हैं कि केन्द्र सरकार को आप लोग बुरा-भला कहते हो, फिर उम्मीद करते हैं कि वह आपकी इमदाद करे। हम बुरा-भला कभी नहीं कहते। हम तो यह कहते हैं कि जो संविधान में लिखा हुआ है, खाली उसको आप लागू कर दो। क्या वह कहने का हमारा अधिकार नहीं है? संविधान के अन्दर लिखा हुआ है कि फाइनेंस

(श्री अशोक गहलोत)

कमीशन बनेंगे, रिकमंडेशन करेंगे, उसके आधार पर रेवेन्यू का डिविजन होगा, केन्द्रीय करों का डिविजन होगा। जी.एस.टी. आएगी तो जी.एस.टी. का डिविजन होगा। अगर वह हम मांगते हैं और नहीं मिलता है तो क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम उसके बारे में बात करें? यह मेरे समझ के परे है। बार-बार आपकी यह सोच कि जैसे हम लोग कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कोई बात कह रहे हैं, हमारा अधिकार है, हम मांग रहे हैं और दे रहे हैं तो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। किसी भी पार्टी की सरकार हो, केन्द्र सरकार को देना ही पड़ता है। जो कानून के अन्तर्गत प्रोविजन है, वह मांग रहे हैं पर जिस रूप में केन्द्र सरकार जगलरी कर रही है, वह अफसोसजनक है। किस प्रकार से 14^{th} फाइनेंस कमीशन ने कहा कि 32 परसेंट से केन्द्रीय करों के हिस्से बढ़ेगे, 42 परसेंट जाएंगे। अच्छे मंतव्य से कहा होगा। केन्द्र सरकार को करना पड़ा, 32 से 42 परसेंट परन्तु साथ में जितनी स्कीमें थीं, उन तमाम स्कीमों को उन्होंने, जो सी.एस.एस. होती हैं, सेंट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम, उन सबको उन्होंने तोड़-मरोड़ दिया। उनका जो रेशो था 90:10 का, 80:20 का, 60:40 का, 100:0 का, वह तमाम उन्होंने तोड़-मरोड़ कर के 50 परसेंट पर लेकर आ गये। जब बीमा में आप आयुष्मान भारत का नाम लेते हैं कि प्रधान मंत्री ने बड़ी योजना लागू कर दी, 60:40 का रेशो है, आज 39:61 हो गया है क्योंकि कैप लगा दी है कि आप इससे ज्यादा प्रीमियम नहीं दे सकते हैं। अब हमने घोषणा की है, उसका भी आपने स्वागत नहीं किया। कुछ तो, कम से कम दो-तीन घोषणाओं का स्वागत आपको भी करना चाहिए था। हमने कहा 'यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज' मिलेगा। पूरे प्रदेशवासियों का बीमा किया जाएगा। क्या हमारी यह स्कीम भी आपको पसंद नहीं आयी? आपने हमारी किसी स्कीम का एक शब्द नहीं बोला कि हां, ये आपने अच्छा काम किया, हम इसका स्वागत करते हैं। इसके कारण अब मालूम है आपको कि क्या होगा? अध्यक्ष महोदय, 10 परसेंट केन्द्र सरकार का सिर्फ और 90 परसेंट, करीब-करीब पूरा पैसा, स्टेट गवर्नमेंट देगी। सबका बीमा करके देगी, यह मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हमने जो, अभी मैंने कहा आपको फाइनेंशियली क्राइसिस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कोरोना आ गया तो होना स्वाभाविक है, पूरे देश में, चाहे केन्द्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, उनके सामने क्राइसिस है, इसमें कोई दो राय नहीं परन्तु इसके बावजूद भी

(श्री अशोक गहलोत)

हमारे यहां जो मैनेजमेंट किया जा रहा है, वह शानदार है। आपकी सरकार की तुलना में बहुत शानदार है। यह अभी आपको मैं बताना चाहूंगा।

जिस रूप में अभी कई साथियों ने कहा कि 31 दिसम्बर तक, जब कोरोना काल था तो तमाम लॉकडाउन था, फैक्ट्रियां बंद, उद्योग-धंधे बंद, सब कुछ बंद था। तब भी यह कहा गया 60 परसेंट, शायद उप नेता ने कहा होगा, आपकी पार्टी के और भी कुछ साथियों ने कहा, 31 दिसम्बर तक 60 परसेंट पैसा ही खर्च हुआ। शायद आपने कहा हो, ठीक है। मैं कहना चाहूंगा कि 31 दिसम्बर तक 60 परसेंट नहीं हुआ है, 62.15 परसेंट खर्चा हुआ है, नम्बर एक और आपको मैं कहना चाहूंगा कि 62.15 परसेंट तो हुआ ही है, लेकिन आपके वक्त में और हमारे वक्त में बहुत फर्क है। हमारे वक्त में 62 भी हुआ पहले, 65 भी हुआ था पिछली बार सरकार थी तब, आपके वक्त में तो 46 परसेंट, 2014-15 में, 50.72 परसेंट 2015-16 में। जब उदय योजना आयी, जिसका जिक्र आपने किया, 63.45 इसलिए हुआ कि उदय योजना का पैसा जब सरकार ने अपने ऊपर ओढ़ लिया। बिजली कम नहीं हुई, जिसका जिक्र आप कर रहे थे अभी, तब जाकर आपका 31 दिसम्बर तक 63.45 परसेंट हुआ है। बाकी फिर आप आ गये दिसम्बर तक 49.50, बताइए आप, 49.50, और जो चुनाव का वर्ष था, तब आप 60.14 आये, अब बताइए, आज फिर कोरोना के बावजूद भी हम लोगों ने इतनी स्कीमें लांच की हैं। कालेज को लेकर आप लोगों ने खूब कमेंट किये। सब विभागों के अन्दर खर्चे हुए। ये आंकड़े गलत हैं। ये आंकड़े गलत बनाये गये हैं, जो आपको दिये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो हालात हैं देश के अन्दर, हमें सोचना पड़ेगा कि उसके बावजूद भी फिस्कल पैरामीटर, जो हमारे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि यह तो स्वाभाविक है कि जब कोरोना आया है, जब रेवेन्यू के सोर्सेज बंद हो गये हैं तो आपका डेफिसिट बढ़ना तो लाजिमी है चाहे फिस्कल डेफिसिट हो, चाहे रेवेन्यू डेफिसिट हो। उसके बावजूद भी 2020-21 के अन्दर हमने जो बी.ई. प्रस्तुत की थी, बजट एस्टीमेट, वह 2.99 के थे। अभी जब संशोधित बजट पेश किया है, उसके अन्दर 6.12 है। बढ़ गया है क्योंकि कोरोना के कारण से, जो स्थिति बनी है चारों ओर से, ऊपर से केन्द्र सरकार की जो योजनाएं थीं, जो उनकी सोच है, जिसके कारण जो इमदाद मिल सकती थी, नहीं मिली तो 6.12 है। परन्तु आप केन्द्र सरकार की स्थिति देखिए, उनका तो रेवेन्यू डेफिसिट 2.7 परसेंट था, केन्द्र का बजट के अन्दर एस्टीमेट वह 7.5 परसेंट

(श्री अशोक गहलोत)

हो गया रेवेन्यू का, केन्द्र का और फिस्कल डेफिसिट 3.5 परसेंट था, सीधा 9.5 चला गया, तो कुछ तो किया होगा हम लोगों ने वित्तीय प्रबन्धन, तब जाकर यह स्थिति बनी। यह आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रिजुडिस होकर आज आपने अपनी बातें कही हैं, प्रिजुडिस होकर कही हैं। आपको खाली बोलना था, अटैक करना था, आंकड़े बताने थे, उस ढंग से आपने कहा। आप नेता, प्रतिपक्ष के हिसाब से अगर बोलते तो आप हमारा विश्लेषण करते। कुछ एप्रिशिएट करते, कुछ आलोचना करते, कमियां बताते। हम तो खुश होते हैं। ठाकुर सुहाती बात पर हम खुश नहीं होते हैं। हम जब खुश होते हैं, चाहे हमारा कोई साथी भी आता है तो मैं कहता हूं कि आप सही बात कहो, तब मुझे खुशी होगी। इसलिए जिस रूप में आपने भावना प्रकट की, आप बताइए, बजट पेश किया हमने 2020-21 का 2 लाख 25 हजार 764 करोड़ का, रिसीट बताई है हम लोगों ने और एक्सपेंडिचर 2 लाख 25 हजार 731 करोड़ की, हमने अभी रिवाइज्ड एस्टीमेट दिया है आपको, फिर ये पैसा कहां जाएगा? पैसा पड़ा रहेगा ट्रेजरी के अन्दर। यहां खर्च नहीं किया, यहां खर्च नहीं किया, आप बताते हैं तो ये क्या है? केवल एस्टीमेट, लगभग 30 करोड़ का फर्क। 2021-22 के अन्दर 2 लाख 50 हजार 832 करोड़ का हमने अभी एस्टीमेट प्रस्तुत किया। पिछला बजट था 2 लाख 25 हजार 764 करोड़ का, अब किया 2 लाख 50 हजार 832 करोड़ का, ऐसे ही कर दिया बिना एस्टीमेट के!

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो फिस्कल डेफिसिट है, उसके अन्दर आप देखिए, जब आपकी सरकार 2004-05 और 2008-09 तक होती है तब जी.डी.पी. का 3 प्रतिशत होना चाहिए, आपके वक्त में 3.10 था, 3 परसेंट से बढ़ गया। 2009-10 से 2013-14 तक हमारी सरकार आयी, तो हम उसको नीचे लेकर आये, 2.08 परसेंट। अब बता दीजिए, ये तो वही आंकड़े हैं, जो सही आंकड़े भारत सरकार भी देखती है, सी.ए.जी. भी देखती है। फिर आपकी सरकार आ गयी, 2014-15 से 2018-19 तक, आप बताइये, सीधा 5.05 परसेंट चला गया। ये आंकड़े गलत हैं? यह पैरामीटर है, उससे पता चलता है। किस राज्य में क्या स्थिति बनी, वह बताते हैं, ये आंकड़े वे हैं।

अभी 2019-20 में जब हमारी सरकार आयी है, पूरी मशक्कत करनी पड़ रही है, किस प्रकार से हम लोग वापस मैनेजमेंट करें, जिससे जो हालात आप बनाकर गये हो, उनको ठीक कर सकें। आज जिस प्रकार केन्द्र सरकार व्यवहार कर रही है, हमारे 2020-21 के बजट में, बिना कोई कारण के, 14

(श्री अशोक गहलोत)

हजार करोड़ की कटौती कर दी है सैन्ट्रल टैक्सेज के अन्दर। जी.एस.टी. के अन्दर साढ़े पांच हजार करोड़ कह दिया कि यह एक्ट आफ गॉड है। कोरोना किसी के हाथ में नहीं था, इसलिए यह कटौती हम लोग करेंगे। एक्ट आफ गॉड तो है, पर आपके पास तो कई विकल्प हैं, राज्यों के पास क्या है? राज्यों के पास कुछ विकल्प नहीं है। एक्साइज हो गया, माइनिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया और क्या विकल्प होता है। क्या केन्द्र सरकार को कटौती करनी चाहिए थी?

आपको मालूम ही है कि लोन लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। 4 हजार 600 करोड़ रुपये लोन की हमें परमिशन मिली, वह लोन हमने लिया। 2021-22 के अन्दर भी हमें पहले ही कह दिया गया कि 12 हजार की कटौती होगी सैन्ट्रल टैक्सेज के अन्दर, जी.एस.टी., पता नहीं क्या-क्या होगा। इस प्रकार के हालात में, जो कुछ भी स्थितियां हैं, जिसका मैंने अभी थोडी देर पहले आपके सामने जिक्र किया, कि किस प्रकार से वह सी.एस.एस. की योजनाओं को, किस प्रकार से।

मैंने शायद पहले ही हाउस को बताया कि जिस प्रकार पैट्रोल-डीजल के अन्दर 15 दिन से लगातार भाव बढ़ते जा रहे हैं, केन्द्र सरकार ने कमी नहीं रखी। रोज के रोज भाव बढ़ते गये। एक्साइज ड्यूटी वह बढ़ाती है, बदनाम राज्य सरकारें होती हैं। मैंने उस दिन आपको बताया कि एक्साइज ड्यूटी 9.48 रुपये को नीचे लेकर आ गये 1.4 रुपये पर। अब मैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष से पूछना चाहूंगा कि जिसमें राज्यों का हिस्सा होता है पूरे देश के अन्दर, एक्साइज ड्यूटी कहलाती है मेन एक्साइज ड्यूटी, उसमें 9 रुपये 48 पैसे था, उसको एक रुपये 40 पैसे प्रति लीटर लेकर आ गये। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाई, वह 6 रुपये, 11 रुपये लेकर आ गये। एडिशनल ड्यूटी लगाई, 6 रुपये लगाई, 18 रुपये लेकर आ गये। इसी प्रकार से डीजल के अन्दर 11 रुपये 33 पैसे, जिसका हिस्सा सभी राज्यों को मिलता है, वह आ गये एक रुपये 80 पैसे, इसको कहते हैं डिविजिबल पूल। डीजल के अन्दर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जीरो थी, 8 रुपये लेकर आ गये। एडिशनल एक्साइज ड्यूटी 6 रुपये थी, 18 रुपये कर दी। आप बताइये हमने दो रुपये, दो परसेंट, फिर भी सबकी भावनाओं का आदर करते हुए उसको कम किया, एक हजार करोड़ रुपये का उस समय रेवेन्यू लॉस हुआ, तब भी किया क्योंकि पूरे देश और प्रदेश के अन्दर जिस प्रकार आग लगी हुई थी, पैट्रोल-डीजल की रेट को लेकर सब लोग चिंतित थे। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया, मैं वापस रिपीट नहीं करना चाहता।

(श्री अशोक गहलोत)

इन्होंने सब स्कीमों की धज्जियां उड़ा दीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 100 परसेंट पैसा मिलता था, 40-60 कर दिया। समेकित महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम 100 परसेंट मिलता था, 40-60 कर दिया। राज्य स्वास्थ्य मिशन 25 राज्य का और 75 केन्द्र का था, 40-60 कर दिया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 25-75 था, 50-50 कर दिया। मरुस्थलीय क्षेत्र में सिंचाई निर्माण 10 स्टेट का, 90 केन्द्र का था, 40-60 कर दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 25-75 था, उसको 40-60 कर दिया। प्रोजेक्ट टाइगर 15-85 था, 40-60 कर दिया। समेकित बाल विकास सेवाएं 10 स्टेट का और 90 केन्द्र का था, 40-60 कर दिया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जीरो था राज्य का, 100 परसेंट केन्द्र का, 40-60 कर दिया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जो देश को यू.पी.ए. गवर्नमेंट, सोनिया गांधी और डाक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है, इसमें केन्द्र का 100 परसेंट था। अब 40-60 कर दिया। वह भी अभी सब को मिल नहीं रहा था, हम लोगों ने कोरोना काल में लगभग 400 करोड़ रुपये खर्च किये। एक्स्ट्रा हम लोगों ने इमदाद करने की कोशिश की।

14th फाइनेंस कमीशन की भावनाओं की धज्जियां उडाने वाली केन्द्र सरकार, 32 से 42 पाइंट फाइनेंशियल डिवोल्यूशन किया, यह पैरामीटर चेंज करके उसको बराबर कर दिया, कोई फायदा नहीं मिला।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस रूप में हमने एक के बाद एक फ़ैसले किये हैं, उसके कारण आज हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में भी हम चिंता कर रहे हैं। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, मैं कहना चाहूंगा कि जो रिसोर्सेज नहीं हैं, कुछ कदम उठाने के प्रयास किये। आपसे शेयर करना चाहता हूं। राज्य में राजस्व बढ़ाने के लिए कर वृद्धि के स्थान पर कर प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाएगा। अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए राहत प्रदान कर टैक्स बेस को इन्क्रीज करना प्राथमिकता में, एमनेस्टी स्कीम वगैरह हमने शुरू कर दी है। डी.एल.सी. रेट कम की है। टैक्स रेवेन्यू में एक ओर वृद्धि होगी, इन फ़ैसलों से इंडस्ट्री, व्यवसायी को ग्रोथ करने का अवसर मिलेगा।

माइनिंग व ट्यूरिज्म के क्षेत्र में भी हम लोग थ्रस्ट एरिया बना रहे हैं, जिससे कि इस एरिया को डवलप करने की और ज्यादा सम्भावना बढ़ेगी। आपने तो ट्यूरिज्म सैक्टर के लिए, सब लोग कहते हैं कि राजस्थान इसके लिए सिरमौर है। आपने कहा 500 करोड़ रुपये दिये। आपने यह नहीं कहा कि

(श्री अशोक गहलोत)

आजादी के बाद सबसे अधिक प्रोविजन किया है 500 करोड़ का, इस बार किया है।

टैक्स कवरेज को बढ़ाएंगे, टैक्स इवेजन के लिए कड़ी कार्यवाही की जाएगी। Centre of Excellence and Revenue Analytics संस्था का गठन किया गया है। मुखबिर योजना को हमने 50 हजार से एक लाख रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की है। कुछ कदम उठाए, हम चाहते हैं कि इसका लाभ सबको मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस रूप में नेता, प्रतिपक्ष महोदय, जो कुछ भी अपने विचार प्रकट किये, उसमें यह नहीं कहा कि आप लोगों ने चुनाव के पहले अचानक ही घोषणा कर दी किसानों के लिए, 10 हजार रुपये प्रतिवर्ष देने का, 832 रुपये। आचार संहिता लागू होने वाली थी अगले दिन, आज घोषित कर दिया आपने। पैसे का कोई प्रोविजन नहीं दिया, उसके ऊपर जिक्र नहीं करोगे। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बाकायदा प्रोविजन पैसे का किया। हमने प्रोविजन करके 832 की जगह 1000 रुपये किसान को और 10 हजार की जगह 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष मिलेगा। अब अगर खुशी में ताली बजाते हैं, आपको तकलीफ क्यों होती है, बता दीजिए मुझे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हिटलर तक बात आ गयी, हिटलर तक। बताइये आप, हम हिटलर हैं? हम लोग हिटलर हैं? बताइये। हिटलर शाही कहां चल रही है, राजस्थान में चल रही है कि दिल्ली में चल रही है? बताइये आप। बहुत अफसोस की बात है कि आपको हिटलर याद आ गया। चूंकि आपकी सोच पहले वह नहीं थी, जो अब आपकी सोच बन गयी है। संगत का असर तो पड़ता ही पड़ता है। संगत का असर है, उप नेता, प्रतिपक्ष, वह संगत का असर हो गया दस साल के अन्दर। आप हिटलर की बात करने लग गये। किस पार्टी से आप आये हो पहले सदन के अन्दर, उस पार्टी की विचारधारा यह थी क्या, जो किसानों की पार्टी थी। उसकी विचारधारा थी हिटलरवाद की!

आज हिटलरवाद का देश के अन्दर तांडव हो रहा है। आज इन्कम टैक्स, ई.डी., सी.बी.आई. जुडिशियरी, इलेक्शन कमीशन, कोई बाकी बच गया है क्या? कोई बाकी बचा हुआ है? अचानक नोटबंदी, नोटबंदी हो गयी। रात को

(श्री अशोक गहलोत)
8 बजे, भाइयों और बहनों, रात के 12 बजे पांच सौ और हजार रुपये के नोट बंद। बताइये आप। बर्बाद हो गये काम-धंधे, लोगों के व्यापार ठप हो गये। कोई सुनने वाला नहीं।

जी.एस.टी. बिना तैयारी के लागू कर दी। पांच स्लेब बना दिये, एक स्लेब बनाना था। रात को 12 बजे पार्लियामेंट के अन्दर, जब आजादी मिली थी उस वक्त में रात को 12 बजे आजादी का जश्न मनाया गया था सैंट्रल हॉल के अन्दर, उसी ढंग से जी.एस.टी. का जश्न मनाया गया। आज लोगों की दुर्गति हो रही है। कोई सोचने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं।

किसानों के काले कानून बन गये। कोई परवाह नहीं। किसानों के तीन कानून बन गये। ठण्ड में बैठे हुए हैं। उसमें तो आप लोग भी किसान वर्ग से आते हो। आप लोग देखो, क्या हो रहा है। क्या आप लोग आवाज नहीं उठा सकते, समझा नहीं सकते क्या? क्या हो रहा है, पर हो रहा है। कोई कहने वाला नहीं।

आंदोलनजीवी, पता नहीं कौन-कौन जीवी हैं। हमारे माननीय सदस्य, जो आमेर से आते हैं, उन्होंने आन्दोलनजीवी को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। हम तो कहेंगे कि आप चिरंजीवी हो। हम चिरंजीवी कहेंगे आपको। हम आन्दोलनजीवी नहीं कहेंगे। हम तो शुभकामनाएं करते हैं आपके आगे बढ़ने की।

जिस रूप में, जब प्रधान मंत्री मोदीजी बने थे, दुनिया भर के अन्दर स्वागत हो रहे थे। तब भी मैंने कहा था कि मोदीजी, यह स्वागत आपका हो रहा है, इसलिए कि 70 साल में जो कुछ भी, जहां सूई नहीं बनती थी देश के अन्दर, आज पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें क्या नहीं हैं देश के अन्दर। साइंस में, टैक्नोलोजी के अन्दर क्या नहीं है। आज कहां के कहां हम पहुंच गये, इसलिए आपका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। न्यूयार्क में स्क्वायर पर कितना बड़ा, 'मोदी-मोदी' के नारे लगते थे। आज उसी अमरीका के अन्दर, मैं पढ़ रहा था कल, वहां का एक अख़बार निकलता है, बहुत ही पापुलर अख़बार है, द् वाशिंगटन पोस्ट। क्योंकि आपके पत्रकार, आपके एक्टिविस्ट, आपके जो लोग हैं, जिस प्रकार से वे लोगों को जेल में डाल रहे हैं।

सुनने की कोशिश करो। नेता, प्रतिपक्ष महोदय, सुनने की ताकत रखो। हमने आपकी पूरी स्पीच को सुना। सुनने का माद्दा रखना पड़ता है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम कहा था आपको, विवेक से काम होता है।

(श्री अशोक गहलोत)

उन्होंने क्या कहा है। जिन मोदीजी के सब जगह स्वागत हुए थे, वह मोदीजी के बारे में, उनकी गवर्नमेंट के बारे में क्या कहा, आप लोग सुनिये।

कोई भी सरकार, जो 22 वर्षीय जलवायु तथा पशु अधिकारों के लिए लड़ने वाली एक्टिविस्ट के विरुद्ध गूगल डॉक के आधार पर देशद्रोह का आरोप लगा दे तो ऐसी सरकार को हम लोकतंत्र के रूप में वर्णित नहीं कर सकते। दुर्भाग्य है, क्या हालत है।

इसलिए इस महीने नरेन्द्र मोदी सरकार के भारतीय प्रशासन द्वारा दिशा रवि की गिरफ्तारी एक चेतावनी की घंटी होनी चाहिए। क्या विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की डींग हांकने वाला देश आज भी इस उपाधि को डिजर्व करता है, डेमोक्रेसी की उपाधि को? 10 दिन पहले पुलिस ने दिशा रवि के बंगलौर स्थित घर पर छापा मारा। उसे मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से रिहा कर दिया गया। उसका अपराध यह था कि उसने ग्रेटा थन्बर्ग तथा गूगल डॉक के सहयोग से भारतीय किसानों के आंदोलन को समर्थन देने हेतु रास्ते सुझाए थे, अरेस्ट। कितने पत्रकार अरेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली के अन्दर, बंगलौर के अन्दर। यह डेमोक्रेसी है? इसके लिए पुलिस ने उस पर राजद्रोह का आरोप लगाया। यह एक ऐसा अपराध है, जिसकी सज़ा के तौर पर वर्षों जेल काटनी पड़ती है तथा राज्य के विरुद्ध घृणा फैलाने का षड्यंत्र भी इस अपराध के तहत आता है। दिशा रवि ने न्यायालय में घोषणा करते हुए कहा कि यदि किसानों के आंदोलन को पूरी दुनिया में हाईलाइट करना राजद्रोह है तो मेरा जेल में रहना ही ठीक है। उस 22 साल की बच्ची की आप सोच देखिये। दिशा रवि के मुकदमे के बारे में चिंताजनक बात यह है कि यह मुकदमा मोदी सरकार की अभिव्यक्ति की आजादी के दमन तथा अन्य लोकतांत्रिक उल्लंघन के कृत्यों के एक बड़ी योजना का हिस्सा है। पिछले महीने नई दिल्ली में किसानों के आंदोलन का कवरेज करने वाले अनेक पत्रकारों को भी आपराधिक मुकदमों का सामना करना पड़ा।

सुन लीजिये, ऊपर बैठने वालों, यह आपके लिए है। आप राजस्थान के अन्दर सुरक्षित हैं, क्योंकि राजस्थान सरकार आपकी है।

किसानों के प्रदर्शन से जुड़े हजारों लोगों के ट्विटर खातों को ब्लाक करने के लिए सरकार ने ट्विटर पर भी दबाव डाला है। भारत की मुख्यधारा की मीडिया को भी धमकाकर स्वयं की सेंसरशिप लागू करने के लिए कहा गया है।

(श्री अशोक गहलोत)

कृषि सुधार हेतु बनाये गये कानूनों का किसान विरोध कर रहे हैं। मानकों के प्रति मोदी सरकार बेपरवाही तथा अवज्ञा का यह कृषि कानून गवाह है। कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कृषि सुधार आवश्यक हैं तथा इन्हें बहुत पहले ही कर दिया जाना चाहिए था, किन्तु मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने इन कानूनों को संसद में अर्थपूर्ण बहस किये बिना ही थोप दिया है।

वह कृषि कानून का पक्ष ले रहा है। वह लिख रहा है। वे नहीं लिख रहे हैं, जो कृषि कानून के खिलाफ बोल रहे हैं। किसानों के साथ बैठे हैं, वे नहीं बोल रहे हैं। वह अख़बार बोल रहा है, जो किसानों के कानून का पक्ष ले रहा है। वह कह रहा है पूरी बात, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूं।

इन कानूनों पर राज्यसभा में मत विभाजन की भी अनुमति नहीं दी गयी। विवादास्पद नागरिकता कानून को अपनाते समय तथा जम्मू-कश्मीर की स्वायत्ता रिवोक करते समय भी ऐसी युक्तियां अपनाई गयीं। इन दोनों ही मामलों में जब भारी विरोध प्रदर्शन हुआ तो उसका मुकाबला करने के लिए राजद्रोह के आरोप लगाये गये, सेंसरशिप लगाई गयी तथा इंटरनेट बंद कर दिया गया।

वाशिंगटन पोस्ट के पत्रकार जे. स्लेटर तथा निहा मसीह ने हाल ही में खबर दी है कि कुछ भारतीय विश्लेषक मोदी सरकार के दमन तथा नागरिकों की आजादी को निलम्बित करने की तुलना करते हैं, 1970 के दशक में तत्कालीन प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी के आपातकाल से कर रहे हैं। मोदी भी इस देश को विदेशी षड्यंत्रों के टार्गेट के रूप में चित्रित कर रहे हैं।

हाल ही में संसद में दिये गये भाषण में उन्होंने कहा कि भारत को विदेशी विनाशकारी विचारधारा, एफ.डी.आई.-फॉरेन डेस्ट्रेक्टिव आइडोलॉजी से सुरक्षित रखने की आवश्यता है। मोदीजी कह रहे हैं।

थन्बर्ग के साथ सम्बन्ध रखने के कारण दिशा रवि पर मुकदमा चलाना इसी गलत विचारधारा का विचार है। अब आप बताइये, क्या-क्या आप लोगों ने सोचा होगा।

सौभाग्यवश भारत की कुछ संस्थाएं अब विरोध और असहमति व्यक्त करने लगी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले माह कृषि कानूनों के क्रियान्वयन को निलम्बित कर दिया। जिस न्यायाधीश ने दिशा रवि को बरी किया, उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि राजद्रोह के अपराध को सरकारों के घायल और

(श्री अशोक गहलोत)

झूठे अभिमान की मदद के लिए आहूत नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश ने आगे कहा कि एक जागरूक एवं अपनी बात को दृढ़तापूर्वक कहने वाला नागरिक स्वस्थ और वाइब्रेंट लोकतंत्र का निर्विवाद प्रतीक होता है। भारतीय समाज निश्चय ही बहुत विशाल बना हुआ है। सवाल यह है कि यह निर्णय श्री मोदी के निरंकुशता तथा तानाशाही की तरफ झुकाव को रोकने के लिए पर्याप्त है? आप बताइये, क्या-क्या हो रहा है देश के अन्दर, आप लोग किस दिशा में चल पड़े हैं। वह भी देखना पड़ेगा।

कहां तो राजीव गांधीजी एंटी डिफेक्शन बिल लेकर आये थे, आया राम गया राम नहीं हो। आपको मालूम है कि उस वक्त में क्या स्थिति बनी हुई थी और कहां उसके बाद में नये रास्ते निकाल दिये? अटल बिहारी वाजपेयीजी ने तो दो कदम और आगे बढ़कर अपने जमाने के अन्दर उस कानून को और स्ट्रांग बनाया। एक तिहाई से दो तिहाई बहुमत से ही एंटी डिफेक्शन हो सकता है। आपने गली निकाल ली और गली निकाल ली। हॉर्स ट्रेडिंग आराम से, हॉर्स ट्रेडिंग। कमाल है? गली निकालने में माहिर हो आप लोग। आपके नेता लोग बहुत ही माहिर हैं। हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई तो चुनाव पोस्टपोन राज्य सभा के। कमाल है? हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हुई? दो चुनाव, मैंने हिन्दुस्तान में कभी नहीं सुना आजादी के बाद में, मेरे ख्याल से कटारियाजी बहुत वरिष्ठ नेता हैं। कैलाश मेघवालजी बैठे हुए हैं। दो सीटें खाली हैं राज्य सभा की, चुनाव एक साथ होते हैं। जीतने के लिए दो सीटों की भी अलग-अलग डेट रख दी, दोनों सीट जीत गयी बी.जे.पी. गुजरात के अन्दर। क्या कहोगे इसको आप? यह स्थिति है देश के अन्दर और आप में से जो लोग शरीक थे, अमित शाह का साथ देने वाले यहां पर बैठे हैं, मुझे मालूम है कि कौन-कौन हैं वे, जानते हैं हम लोग। साथ मत दिया करो। मैंने साथ नहीं दिया। दो बार आपकी पार्टी के लोगों ने भैरोंसिंहजी शेखावत की सरकार गिराने का प्रयास किया था। हमने कहा कि नहीं, हम इन बातों में नहीं पड़ते हैं। आपकी पार्टी के ही लोग थे। याद है आपको? चोखी ढाणी में ले गये थे सबको। खड़ा किया पुलिस वालों को बीच में। असेम्बली के एक तरफ आप और एक तरफ वे, कोई वोट इधर से उधर नहीं चला जाए, वह टाइम भी था आपका। हमने सरकार बचाने का प्रयास किया था। वह, जिंदगी में मुख्य मंत्री बनने के लिए वैल्यू-बेस्ड राजनीति करनी पड़ती है, ऐसे ही मुख्य मंत्री नहीं बनता है। अगर आप वैल्यू-बेस्ड राजनीति नहीं करोगे, उम्मीदवार बन जाओगे

(श्री अशोक गहलोत)

मुख्य मंत्री के, चाहे केन्द्र में बैठे हुए नेता हैं या यहां पर बैठे हुए नेता हैं एक नहीं बन पाओगे, यह ध्यान रखना आप। वही बनेगा जो वैल्यू-बेस्ड राजनीति करेगा।

क्या-क्या नहीं कर रहे थे आप? यह तो कैलाश मेघवाल का भला हो कि उन्होंने टाइमली स्टेटमेंट दे दिया कि यह परम्परा राजस्थान में नहीं है। लोगों के अन्दर उसका असर पडा है। आपके अधिकांश नेता, कई लोगों को खूब कोशिश की पोरबंदर ले जाने की। दो-दो हवाई जहाज खड़े थे यहां पर। हवाई जहाज खाली वापस गये। एक हवाई जहाज मुश्किल से गया था। क्या बेइज्जती हुई बताओ आपकी? क्या बेइज्जती हुई? इधर क्या देखते हो भाई, मेरी तरफ देखो न आप, आप तो वरिष्ठ नेता हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। आप भी सुनें। (व्यवधान)

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि हम लोगों की तरफ से जो वादे किये गये हैं बजट के अन्दर, उनको पूरा किया जाएगा और यह भी मैं कह सकता हूं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा होगा और जिस रूप में हमने बजट पेश किया है और जो घोषणाएं की हैं वे राजस्थान के हितों को देखते हुए हम लोगों ने की हैं।

कॉलेज के बारे में पता नहीं, शिक्षा विभाग में आप रहे हुए हैं नेता, प्रतिपक्ष। टीचर रहे हुए हैं माननीय नेता, प्रतिपक्ष। आप तो टीचर थे मेरे ख्याल से आर.एस.एस. में जाने के पहले। आपको तो मालूम है कि शिक्षा का क्या महत्व होता है। उसके बाद में आप यह आलोचना कर रहे हो कि कालेज कैसे खोल दिया आपने? राजस्थान के अन्दर 88 में से 87 कालेज चालू हो चुके हैं, और तो और आपने किरण माहेश्वरी की कालेज खोलने पर आब्जेक्शन कर दिया। अब तो वह दुनिया में नहीं हैं, अब तो कम से कम पूर्वाग्रह छोड़ो उनके प्रति। क्या आप लोगों ने, इतना बड़ा दिल रखो। कमाल कर दिया? चार कालेज खोले हमने, दिल से मैंने कहा, किसी ने मांग नहीं की थी और आपने यह कह दिया कि अपने-अपने, खुद का एग्जाम्प्ल दे दिया। आप चिरायु हो। लम्बी उम्र आपको भगवान दे और आपने कहा कि अगली बार अगर मैं रहा यहां तो, आप रहोगे, रहना चाहिए आपको।

मैं दूसरी बात करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हो कि

(श्री अशोक गहलोत)

भैरोंसिंह शेखावत साहब ने भी आपकी ही तरह एक बार कहा था कि मैं जीते-जी कांग्रेस को सत्ता के अन्दर नहीं आने दूंगा और मैं प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष था। मैंने यह कहा कि शेखावत साहब, आपके जीते-जी सरकार कांग्रेस की आएगी। भगवान आपको लम्बी उम्र दे, आप हमारे शासन को देखो। सरकार बनी, मैं मुख्य मंत्री बना और मैंने शेखावत साहब को याद दिलाया वह जुमला, यह मेरी भावना थी। आज मैं फिर कहता हूं आपको कि भगवान आपको लम्बी उम्र दे। आप दिल में कोई बात रखते नहीं हो, जुबान पर लाते हो। गुस्सा करते हो तो वह भी खतम कर देते हो। वह खतम मत करो, मेरी खाली एक ही प्रार्थना है आपसे। अपनी बात जम कर कहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो-जो बातें आपने कही हैं, मैं खुद इसका विश्लेषण करवाऊंगा मेरे अधिकारियों के साथ बैठकर।

मैं नेता, प्रतिपक्ष के सुझावों को बहुत गम्भीरता से लेता हूं। वे हमारे हित में हैं, सरकार के हित में हैं। आप ही नहीं बल्कि जितने भी माननीय सदस्य हैं, उन तमाम लोगों के जो भी सुझाव आये हैं, उनको हम लोग बहुत ही गम्भीरता से लेंगे और हम यह चाहेंगे कि अधिक से अधिक काम आपको करके दिखाएं। सम्भव नहीं होता सब काम तो पर पता नहीं क्यों आपने चार कालेज, गर्ल्स कालेज, वह भी गर्ल्स कालेज, उसके लिए आपका यह कमेंट मुझे मेरी समझ के परे है कि क्यों आपने यह कमेंट किया है, यह मैं नहीं समझ सकता, पर मैं यह उम्मीद करता हूं कि आप हमारी और एज ए वित्त मंत्री मेरी भावना समझेंगे। नेता, सदन के रूप में समझेंगे कि हमने जानबूझकर चार जो माननीय सदस्य चले गये अचानक ही, जिनके जाने का वक्त अभी नहीं था, बहुत आघात लगा था हम सबको, आपको भी लगा, सबको लगा होगा, इसलिए मैंने चलाकर चार कालेजों की घोषणा की है। गर्ल्स कालेज हैं। मैं यह नहीं समझता कि पक्ष-विपक्ष इसमें कोई एतराज कर सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं कुछ घोषणाएं इस मौके पर जो हमारे कई साथी हैं, बोलना तो बहुत कुछ था, क्योंकि केन्द्र सरकार ने जिस प्रकार से भेद किया हमारे साथ में, बीस लाख करोड़ रुपये का पैकेज घोषित कर दिया। 10 परसेंट जी.डी.पी. का बता दिया, जबकि वह 1.2 परसेंट था और पूरा लोन बेस था। कोई राज्यों को इमदाद नहीं की, कोई इंडस्ट्री को नहीं की, कोई व्यापार को नहीं की। अगर परचेजिंग पावर बढ़ती लोगों की तो इकोनॉमी

(श्री अशोक गहलोत)

की स्थिति ज्यादा मजबूत बनती, उसके बजाय खाली लोन बेसिस पर पूरा पैकेज दे दिया। मैं यह समझता हूं कि उसका खामियाजा अभी तक भी पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। कई राज्यों में सरकारें बोलती नहीं हैं, क्योंकि वहां पर सरकारें बी.जे.पी. की हैं, पर वित्तीय रूप से सब दु:खी हैं। मैं यह उम्मीद करता हूं कि अगली बार भारत सरकार इस पर विचार करेगी कि किस प्रकार से हम लोग, राज्यों के अन्दर जिस प्रकार से हमने असली लड़ाई लड़ी है, कोरोना के अन्दर तो लड़ाई राज्यों ने लड़ी थी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य ज्यादातर तो पक्ष के हैं, बहुत कम विपक्ष के आते हैं। हो सकता है कि उस पर व्हिप जारी हो, वह आपकी मर्जी है। हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जो सुझाव आएंगे, हम उनके काम करेंगे कि वह अपने क्षेत्र का मतलब, राजस्थान का विकास चाहते हैं।

वैर-भरतपुर, खुड़ी बड़ी, लक्ष्मणगढ़-सीकर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे। एक सैकण्ड, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह माफी चाहता हूं, मैं वापस शुरू कर रहा हूं।

चिकित्सा स्वास्थ्य के बारे में प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए मैं घोषणा करता हूं कि एलोपैथिक चिकित्सा संस्थान से वंचित बांसड़ी कला व प्रेमसिंहपुरा (दांतारामगढ़) सीकर सहित 784 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाएगी।

दुहार, चौगान (थानागाजी), बीघोता (राजगढ़), चतरपुरा (बानसूर)-अलवर, संगतपुरा, मन्नीवाली (सादुलशहर)-श्रीगंगानगर, घाटमीका (कामां)-भरतपुर, सिंघाना (डीडवाना)-नागौर, नैनों की ढाणी, नांदड़ी (मण्डोर), घंटियाली-जोधपुर, गोविंदपुरा (खंडेला)-सीकर, चौरू (उनियारा) टोंक, चांचोड़ी (सुमेरपुर)-पाली एवं मेहराना (भादरा)-हनुमानगढ़ के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाएगा।

नाथद्वारा-राजसमन्द में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाएगा।

जाणुन्दा, जावड़ (मारवाड़ जंक्शन)-पाली, बाड़ी-जोड़ी (विराटनगर)-जयपुर, फरड़ौद (जायल)-नागौर, चाबा (शेरगढ़)-जोधपुर, तिगांवा (कोटकासिम)-अलवर, खरेरी (वैर)-भरतपुर व खुड़ी बड़ी, (लक्ष्मणगढ़)-सीकर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

(19.00 बजे)

जजावर (नैनवां) बूंदी, भियाड़ (शिव), चवा-बाड़मेर, जलूथर (नगर), सिनसिनी- भरतपुर, बलारा (लक्ष्मणगढ़)-सीकर, मानपुर (सिकराय), आभानेरी (बांदीकुई), नांगल राजावतान-दौसा, केरू (लूणी), तेना (शेरगढ़)-जोधपुर, 61 एफ ब्लाक, श्रीकरणपुर, बींझबायला ब्लाक पदमपुर-श्रीगंगानगर, झिझिनियाली-जैसलमेर, रेनवाल मांजी व माधोराजपुरा-जयपुर, रेवतड़ा-जालौर व बड़ोदिया (बागीदौरा)-बांसवाड़ा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाएगा।

किशनपोल-जयपुर में सैटेलाइट अस्पताल बनाया जाएगा। लालसोट-दौसा, बस्सी, जमवारामगढ़ व फागी-जयपुर एवं लक्ष्मणगढ़-सीकर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उप-जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा।

उप-जिला चिकित्सालय सलूम्बर-उदयपुर को जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनोहरपुर (शाहपुरा)-जयपुर में बैड क्षमता 50 से बढ़ाकर 75 व अरांई (किशनगढ़)-अजमेर में बैड क्षमता 30 से बढ़ाकर 50 तथा जिला चिकित्सालय-धौलपुर की बैड क्षमता में 100 बैड की वृद्धि की जाएगी।

बगड़िया अस्पताल (सुजानगढ़)-चूरू में आई.सी.यू. विकसित किया जाएगा।

कुम्हेर-भरतपुर में नर्सिंग कालेज की स्थापना की जाएगी।

जोधपुर के मथुरादास माथुर अस्पताल में ट्रोमा सेंटर की सुविधा बढ़ाने के लिए न्यूरो सर्जरी की एक और यूनिट तथा महात्मा गांधी अस्पताल में आर्थो स्पाइन यूनिट खोली जाएगी।

शिक्षा विभाग में कृषि संकाय की मांग को दृष्टिगत रखते हुए 600 राजकीय विद्यालयों में कृषि संकाय खोले जाने की घोषणा की गयी है। इसी क्रम में अब माननीय सदस्यों ने विज्ञान संकाय खोलने के लिए ज्ञापन दिये हैं। उनकी भावनाओं के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर अंग्रेजी मीडियम के 200 राजकीय विद्यालयों में विज्ञान संकाय खोले जाना प्रस्तावित है।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सेवा की ढाणी, शाहपुरा-जयपुर को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने एवं आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के लिए विभिन्न महाविद्यालयों में सुदृढ़ीकरण एवं भवन निर्माण के लिए आगामी वर्ष में 100 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

प्रदेश में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने एवं युवाओं को रोजगारोन्मुखी शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्य विषय के साथ-साथ अन्य विषयों के सलेक्टेड कोर्सेज का विकल्प लिये जाने की व्यवस्था आवश्यक है।

किसी आर्किटेक्ट का कोर्स करने वाले अथवा म्यूजिक में डिग्री करने वाले को इनसे सम्बन्धित अपडेटेड कम्प्यूटर सोफ्टवेयर का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस में काम करने वाले युवाओं को बिहेवरियल साइंसेज का ज्ञान होना आवश्यक है। इस प्रकार मिक्स प्रोजेक्ट्स सब्जेक्ट्स के साथ अध्ययन करने की सुविधा और व्यवस्था को क्रेडिट बेस्ड प्रणाली कहते हैं। आगामी वर्ष से चरणबद्ध रूप से प्रदेश में उच्च शिक्षा में क्रेडिट बेस प्रणाली लागू किया जाना प्रस्तावित है।

राज्य के आटोनोमस इंजीनियरिंग कालेजेज की शैक्षणिक गुणवत्ता बनाये रखने की दृष्टि से भरतपुर, धौलपुर, करौली, झालावाड़, बारां व भीलवाड़ा इंजीनियरिंग कालेजेज को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा तथा अजमेर व बीकानेर महिला इंजीनियरिंग कालेज को तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर का, बांसवाड़ा स्थित इंजीनियरिंग कालेज को गोविन्द गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाड़ा का एवं बाड़मेर इंजीनियरिंग कालेज को प्रस्तावित एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर का संघटक कालेज बनाते हुए वित्तीय संसाधनों का प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही बाड़मेर इंजीनियरिंग कालेज में पैट्रोलियम संकाय खोला जाएगा।

डीडवाना, नागौर में कन्या महाविद्यालय खोला जाएगा।

डीग व कुम्हेर-भरतपुर में खेल स्टेडियम बनाये जाने प्रस्तावित हैं।

किसानों को उनके द्वारा उत्पादित फल-सब्जियों का उचित मूल्य दिलाने, तत्काल मंडी उपलब्ध कराने तथा उपभोक्ता को सीधी सप्लाई सुनिश्चित किये जाने के लिए मैं किसान ई-मंडी की स्थापना की घोषणा करता हूं।

किसानों को जैविक पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा में राजस्थान स्टेट सीड एण्ड आर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के उप-केन्द्र खोले जाएंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

साथ ही एकल कृषकों को जैविक खेती प्रमाणीकरण शुल्क में 75 प्रतिशत की छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

मण्डावा-झुन्झुनूं, भुसावर (वैर) भरतपुर, चांदगोठी (सादुलपुर)-चूरू व बायतू-बाड़मेर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

बामनवास-सवाईमाधोपुर, रैणी-अलवर में कृषि उपज मण्डी की स्थापना की जाएगी। साथ ही खण्डार-सवाई माधोपुर में फल-सब्जी मण्डी खोली जाएगी।

600 पशु चिकित्सा उप-केन्द्रों में तीन करोड़ की लागत से आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएंगी।

जैसलमेर जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ की स्थापना की जाएगी।

बेघर व्यक्तियों को स्वावलम्बी व आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके पुनर्वास हेतु बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति, 2021 लायी जाएगी।

वाल्मीकि समाज के बच्चों एवं युवाओं को प्रगति एवं उचित अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से शिक्षा एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिलाये जाने के लिए 20 करोड़ रुपये राशि का वाल्मीकि कोष बनाये जाने की घोषणा करता हूं।

राजकीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु छात्र-छात्राओं की पात्रता की सीमा बढ़ाकर परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक की जाएगी तथा जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी, जो लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं, को भी यह सुविधा उपलब्ध होगी।

प्रदेश के अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को दी जाने वाली प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना से वंचित रहे पात्र अभ्यर्थियों को भी छात्रवृत्ति दिया जाना प्रस्तावित है।

राज्य के विद्यालयों, जिनमें कक्षा 6 से 8 में, 10 से अधिक विद्यार्थी अल्पसंख्यक भाषा में अध्ययन करने के इच्छुक होंगे, उन विद्यालयों के अल्पसंख्यक तृतीय भाषा (संस्कृत, उर्दू, सिंधी, गुजराती, पंजाबी) के अतिरिक्त शिक्षक लगाये जाएंगे।

नगर-भरतपुर में अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास एवं गडरा रोड (शिव) -बाड़मेर में अल्पसंख्यक छात्रावास खोला जाएगा।

जनजाति क्षेत्रीय विकास में राजकीय विद्यालयों में सहरिया क्षेत्र के

(श्री अशोक गहलोत)
छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति, यूनिफार्म इत्यादि का सीधा लाभ देने के लिए डी.बी.टी. के द्वारा कक्षा 1 से 5 तक वर्तमान में देय राशि को 3-4 गुना बढ़ाकर एक हजार रुपये व कक्षा 6 से 12 तक वर्तमान में देय राशि को बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये प्रतिवर्ष दिया जाना प्रस्तावित है।

कुसुम योजना के अन्तर्गत TSP क्षेत्र में सोलर ऊर्जा से कृषि हेतु जनजाति समुदाय के कृषकों को बिना किसी हिस्सा राशि के (सम्पूर्ण खर्च सरकार द्वारा वहन करते हुए) सोलर कनेक्शन उपलब्ध करवाया जाएगा।

वागड़ की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण देने हेतु सागवाड़ा-डूंगरपुर में 5 करोड़ रुपये की लागत से वागड़ सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण करवाया जाएगा।

खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए आगामी वर्ष में 5,500 कत्तिनों एवं 300 बुनकरों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। साथ ही, प्रशिक्षण अवधि में कत्तिनों एवं बुनकरों को क्रमश: 300 एवं 500 रुपये प्रतिदिन स्टाइपेंड दिया जाएगा। इनमें से 500 कत्तिनों को अम्बर चरखे तथा 300 बुनकरों को लूम वितरित किये जाएंगे। 10 हजार कत्तिनों एवं बुनकरों को इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना में ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा दी जाएगी।

इलेक्ट्रोनिक्स एवं अन्य टॉय्ज तथा स्पोर्ट्स गुड्स को विदेश से आयात करने के बजाय राज्य में ही बनाने की प्रबल सम्भावना है। अत: इन क्षेत्रों को RIPS-2019 के Thrust Sector में सम्मिलित किया जाएगा।

RIPS-2019 के अन्तर्गत Plug and Play Office Complex में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए पात्र निवेश को 10 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ रुपये किया जाएगा।

RIPS-2019 के अन्तर्गत वर्तमान में पर्यटन एवं स्टार्ट-अप MSME इकाइयों को ही जिला स्तर पर आवेदन करने का प्रावधान है। अब यह सुविधा समस्त सर्विस सैक्टर की MSME इकाइयों को दी जाएगी।

राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं सहकारी विकास निगम को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु वर्ष 2013-14 से पूर्व के ऋणों के लिए एमनेस्टी योजना लायी जाएगी, जिसमें ऋणों के एकमुश्त भुगतान पर दण्डनीय ब्याज व सामान्य ब्याज माफी के साथ मूल राशि पर भी छूट दी जाएगी। इसी क्रम में निगम को 20 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान भी दिया जाएगा। साथ ही, SC, ST, OBC, Minority Corporation को सुदृढ़ किया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

तूंगा (बस्सी)-जयपुर, जावाल-सिरोही एवं खेड़ली (कठूमर)-अलवर में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किये जाएंगे।

भिवाड़ी इंडस्ट्रियल क्षेत्र और मारवाड़ इंडस्ट्रियल एरिया के अनुरूप औद्योगीकरण की सम्भावना को देखते हुए जयपुर-बस्सी-दौसा के मध्य उचित जगह पर दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेस-वे के निकट रीको द्वारा नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

प्रदेश के हर जिला मुख्यालय पर स्किल टैस्टिंग व कैरियर काउंसलिंग सैंटर्स स्थापित किये जाएंगे, जिससे उद्योगों की मांग के अनुरूप ट्रेंड एवं स्किल्ड मैनपावर उपलब्ध हो सकेंगे।

राज्य की प्रत्येक नगरपालिका में एक, नगर परिषद् में तीन व नगर निकाय में 5 ओपन जिम स्थानीय पार्कों में स्थापित किये जाएंगे। इस पर लगभग 15 करोड़ रुपये का व्यय होना सम्भावित है।

कोविड में लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020-21 में आर्थिक-सामाजिक गतिविधियां बाधित हुईं। इस कारण वर्ष 2020-21 के लिए घोषित पांच हजार डेयरी बूथों में से लगभग एक हजार 500 बूथ ही स्थापित हो पाये हैं। हम इस कार्य को आगामी वर्ष में पूर्ण करते हुए और आगे ले जाएंगे। इस प्रकार, आगामी वर्ष में 5 हजार नये डेयरी बूथों का आबंटन सुनिश्चित किया जाएगा।

जयपुर में चारदीवारी क्षेत्र में सीवर लाइन व अन्य कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

सांगोद-कोटा में 2 करोड़ रुपये की लागत से River Front विकसित किया जाएगा।

फतेहपुर-सीकरी में सिटी नेचर पार्क का निर्माण करवाया जाएगा।

बागीदौरा-बांसवाड़ा में झैर एवं जीवाखूटा एनिकट से पेयजल हेतु 2 करोड़ रुपये की लागत से डी.पी.आर. तैयार करवायी जाएगी। साथ ही, हरिदेव जोशी कैनाल में नवीन साइफन का निर्माण करवाया जाएगा।

भादरा के 14, नोहर के 14 तथा तारानगर के दो गांव, जो वर्तमान में बारानी हैं, इनको सिद्धमुख नहर व साहवा लिफ्ट कैनाल से सिंचित कर नहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने की डी.पी.आर. बनाने की घोषणा की गयी थी। यद्यपि इस क्षेत्र के लिए कैनाल से पानी उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त वाटर एलाउंस नहीं इंगित किया गया है, परन्तु क्षेत्र की समस्या को देखते हुए पुन्न फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया जाना प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

सुरपुरा बांध-जोधपुर के डूब क्षेत्र में अधिक वर्षा से फसलों को होने वाले नुकसान की रोकथाम के लिए 21 करोड़ की लागत से चैनल निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

देवास तृतीय एवं चतुर्थ से उदयपुर शहर में पेयजल तथा मानसी वाकल तृतीय एवं चतुर्थ से उदयपुर शहर एवं सिरोही जिले को पेयजल हेतु एवं जवाई बांध के पुनर्भरण हेतु फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनायी जाएगी।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के नेछवा (लक्ष्मणगढ़), सीकर में ए.ईएन. आफिस एवं कामां, भरतपुर में एक्स.ईएन. आफिस खोले जाएंगे।

प्रदेश में विभिन्न सड़कों के निर्माण, रिपेयर एवं डामरीकरण के कार्य कराये जाएंगे, जो इस प्रकार हैं:-

समद का पार, गोरालिया फांटा से खड़ीन तक (शिव)-बाड़मेर की 30 किलोमीटर तक की सड़क का मेजर रिपेयर कार्य कराया जाएगा।

टोडाभीम-करौली में 15 करोड़ रुपये की लागत से बाईपास बनाया जाएगा।

बस्सी-जयपुर क्षेत्र के अन्तर्गत राजमार्ग संख्या-2 (दौसा-तूंगा-चाकसू से नागौर) के 19 किलोमीटर रोड का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण किया जाएगा।

खजूरी (बिछीवाड़ा)-डूंगरपुर में रतनपुर से माखरेड़ा सड़क पर पुलिया मरम्मत तथा मालमाथा कालकी माता से काला पाणा गुजरात सीमा तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाएंगे।

बैलवा राणा जी से सिद्धों का थान, बम्बोर से चामूं (शेरगढ़)-जोधपुर तक की सड़क का डामरीकरण किया जाएगा।

बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र में सम्पर्क सड़क टाडावडला से उंकाला, कलिंजरा से वलुंडा वसुनी सीमा तक व मुंदडी हमीरपुरा से सूरजकुण्ड तक डामरीकरण, सड़क का निर्माण कार्य तथा सम्पर्क सड़क चनावला पुल निर्माण का कार्य कराया जाएगा।

राज्य राजमार्ग-87ए गोडू-बज्जू-कोलायत-मोखा खालसा में 50 किलोमीटर सड़क का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण व चौड़ाईकरण का कार्य कराया जाएगा।

महंगी से दूधली मोड़ (एन.एच. 21) वाया भावनी, भावनीखुर्द, सायपुर, आंधी, श्रीराम नगर, बिरासना, गांवली, नेवर, मकसूनपुरा, चावण्डिया सड़क पर निर्माण कराया जाएगा।

(श्री अशोक गहलोत)

चम्बल नदी, सोने का गुर्जा (सेवरपाली) बाड़ी-धौलपुर पुल निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय विधायकगणों से सड़कों के निर्माण, रिपेयर व डामरीकरण आदि के बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होते जा रहे हैं। इन प्रस्तावों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग को परीक्षण कर एस्टीमेट बनाने हेतु निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं।

हनुमानगढ़-गंगानगर जिले में प्रसारण तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 329 करोड़ की लागत से 400 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन हनुमानगढ़ में स्थापित किया जाएगा।

भाडखा-हरियाली-बाड़मेर में 33 के.वी. का जी.एस.एस. स्थापित किया जाएगा।

प्रतापगढ़ (थानागाजी)-अलवर, रोल (जायल)-नागौर, हरसौली-अलवर, जमवारामगढ़-जयपुर में ए.ईएन. आफिस (विद्युत) खोले जाएंगे।

खाजूवाला-बीकानेर व कामां-भरतपुर में उप जिला परिवहन कार्यालय खोले जाएंगे।

प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण व इससे सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, मानिटरिंग हेतु स्वायत्त शासन विभाग के अन्तर्गत एन्वायर्नमेंटल मैनेजमेंट सेल का गठन किया जाएगा।

प्रदेश में उद्योग, होटल, अस्पताल, खान आदि की स्थापना एवं संचालन हेतु कन्सेंट एवं अथोराइजेशन शीघ्र तथा सुगमता से उपलब्ध कराने की दृष्टि से सिरोही, राजसमन्द, झुन्झुनूं, जैसलमेर, बांसवाड़ा, झालावाड़, नागौर, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, बूंदी जिलों में राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल के दस नये क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे।

राज्य में वनों की सुरक्षा एवं विकास हेतु वृक्षारोपण तथा अग्रिम मृदा कार्यों के लिए आगामी दो वर्षों में 150 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

मनरेगा योजना के अकुशल श्रमिक परिवारों को अपने औजारों- गैंती, फावड़ा, तगारी आदि की मरम्मत के लिए प्रत्येक 50 दिन का रोजगार पूरा करने पर आगामी वर्ष 50 रुपये की सहायता दी जाएगी। इसमें लगभग 30 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

रामदेवरा-जैसलमेर के विकास हेतु एवं सौंदर्यीकरण हेतु दो करोड़ रुपये के प्रावधान प्रस्तावित है।

राज्य की कला एवं शिल्प को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने के उद्देश्य से जवाहर कला केन्द्र में विशेषज्ञ कलाकारों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाएंगे।

बायो-टैक्नोलोजी व पब्लिक हैल्थ की पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को रोजगार हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं में इन विषयों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि के अन्य विषयों के समान दर्जा दिया जाएगा।

बांदनवाड़ा-अजमेर व आगोलाई (बालेसर)-जोधपुर में उप तहसील कार्यालय खोले जाएंगे। तूंगा (बस्सी)-जयपुर, सुहागपुरा, दलोट-प्रतापगढ़, कुराबड़ (गिर्वा), नयागांव (खेरवाड़ा)-उदयपुर सम-जैसलमेर व नेछवा (लक्ष्मणगढ़)-सीकर की उप तहसील को तहसील कार्यालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।

सीकरी (नगर)-भरतपुर व भीण्डर-उदयपुर में उपखण्ड कार्यालय खोले जाएंगे।

शहीद स्मारक, डाबला (डीडवाना)-नागौर के विकास हेतु 50 लाख रुपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है।

टोकर (सेमारी), सागवाड़ा, (बाबलवाड़ा) खेरवाड़ा-उदयपुर एवं मौथली चौराहा-डूंगरपुर में नवीन पुलिस चौकियां खोली जाएंगी। जयसिंहपुरा खोर-जयपुर में नया पुलिस थाना एवं सुजानगढ़-चूरू में सदर पुलिस थाना खोला जाएगा। साथ ही पुलिस चौकी, डीग-भरतपुर को क्रमोन्नत कर पुलिस थाना बनाया जाएगा।

बस्सी-जयपुर व नवलगढ़-सीकर पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, ए.डी.जे. कोर्ट खोले जाएंगे।

टोडारायसिंह-टोंक के सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही लोहावट व बाप-जोधपुर, लखनपुर-भरतपुर एवं बीदासर-चूरू में सिविल न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाएंगे।

प्रदेश में आगामी वर्ष में 200 से अधिक अधिवक्ताओं को नोटेरी

(श्री अशोक गहलोत)

पब्लिक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। साथ ही नोटेरी पब्लिक के 500 नये पद स्वीकृत करने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये जाएंगे।

राज्य के अधिस्वीकृत पत्रकारों को वर्तमान में देय मेडिक्लेम पालिसी की राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करते हुए यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज में शामिल किया जाएगा।

वर्तमान में सीनियर जर्नलिस्ट्स के लिए 10 हजार प्रतिमाह पेंशन के प्रावधान हैं, इसको बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति माह किया जाना प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 05 मार्च 2021 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.16 बजे शुक्रवार, दिनांक 05 मार्च 2021 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

धौलपुर में संचालित फैक्टरियों को विकसित करने की कार्ययोजना

180. श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला धौलपुर में कुल कितनी फैक्ट्रियां हैं? क्या सरकार उनको विकसित करने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कितनी फैक्ट्री बन्द हैं व कितनी सुचारु रूप से संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) धौलपुर जिले में कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत कुल 58 पंजीकृत कारखाने संचालित हैं। उनको विकसित करने की दृष्टि से उद्योग विभाग द्वारा सम्पूर्ण राज्य में औद्योगिक विकास एवं निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार की निम्नलिखित योजनाएं संचालित हैं:-

1. राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019;
2. राजस्थान सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उदयम (स्थापना और प्रवर्तन का सुदृढ़ीकरण अधिनियम 2019); व
3. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 2019.

उक्त योजनाओं के माध्यम से उदयमी उद्योग की स्थापना हेतु सहायता/सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं।

(2) धौलपुर जिले में 58 फैक्ट्री बन्द हैं और 58 सुचारु रूप से संचालित हैं।

बन्द कारखानों की सूची परिशिष्ट “क” पर एवं सुचारु रूप से संचालित कारखानों की सूची परिशिष्ट “ख” पर संलग्न है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

दौसा में अल्पसंख्यक छात्रावास का भवन निर्माण

185. श्री मुरारी लाल (दौसा): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) प्रदेश में अल्पसंख्यकों हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र दौसा में वर्ष 2017 से 2020 तक उक्त संचालित योजनाओं में से किस-किस योजना में कितने-कितने अल्पसंख्यक वर्ग के लोग लाभान्वित हुए? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में अल्पसंख्यकों के छात्रावास के लिए भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अल्पसंख्यक के छात्रावास हेतु आबंटित भूमि पर छात्रावास भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा राशि आबंटित की गई है? यदि हां, तो कितनी व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1). प्रदेश में अल्पसंख्यकों हेतु विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

<u>केन्द्र प्रवर्तित योजना :-</u>

1- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना।

2- छात्रवृत्ति योजना

1. पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति।
2. मैरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति।
3. प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा)।

3- अल्पसंख्यक संस्थाओं में अवसंरचनात्मक विकास की योजना (IDMI)

4- नया सवेरा।

5- नई रोशनी।

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

6- सीखो और कमाओ योजना।

<u>राज्य प्रवर्तित योजना :-</u>

1 अनुप्रति योजना।

2 अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन योजना।

3 कौशल विकास प्रशिक्षण योजना।

4 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मान्यता।

5. मदरसा शिक्षा योजना:-

1. आदर्श मदरसा योजना।
2. जनसहभागिता योजना।
3. मदरसा आधुनिकीकरण योजना।
4. मदरसा सुविधा अनुदान।
5. विद्‌यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना

6 आर.एम.एफ.डी.सी.सी. के द्‌वारा संचालित योजनाएं -

1. <u>ऋण योजना</u>:-

1. व्यवसायिक ऋण योजना
2. शिक्षा ऋण योजना
3. लघु ऋण योजना (स्वयं सहायता समूह ऋण योजना)
4. विरासत योजना
5. बैंकों के माध्यम से ऋण की 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना

2. <u>प्रोत्साहन परियोजनाएं</u>

1. कौशल से कुशलता योजना
2. महिला समृद्धि योजना
3. बाजार सहायता योजना

योजनाओं का संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र दौसा में वर्ष 2017 से 2020 तक उक्त संचालित योजनाओं में लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट '2', '3', '4', '5', '6', '7' पर संलग्न है।

(3) जी हां। दौसा तहसील के ग्राम-दौसा कलां के खसरा नं. 3265

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

से अल्पसंख्यक बालिकाओं हेतु रकबा 0.30 हैक्टेयर तथा अल्पसंख्यक बालकों हेतु 0.30 हैक्टेयर भूमि छात्रावास भवन निर्माण हेतु दिनांक 26.06.2013 को आबंटित की गई। आबंटन आदेश की प्रति परिशिष्ट "8" पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। उपलब्ध बजट प्रावधानों के अनुसार चरणबद्ध तरीके से छात्रावासों का निर्माण किया जा रहा है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

आशा सहयोगिनियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की कार्ययोजना

186. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आशा सहयोगिनियों द्वारा विगत कई दिनों से राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, दो विभागों के स्थान पर एक विभाग में कार्य करने एवं मानदेय राशि बढ़ाने के संबंध में अपनी मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की मांगों पर विचार कर इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, मानदेय राशि बढ़ाने व एक ही विभाग का दायित्व सौपने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। आशा सहयोगिनियों द्वारा कार्य का बहिष्कार किया गया था, परन्तु वर्तमान में आशा सहयोगिनियां कार्य बहिष्कार पर नहीं हैं।

आशा सहयोगिनियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने, मानदेय वृद्धि एवं एक ही विभाग में किये जाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही निम्नानुसार है:-

1. **आशा सहयोगिनियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के सम्बन्ध में**- यह मानदेय आधारित स्वैच्छिक सेवा पद है। आशा सहयोगिनी स्वैच्छिक सेवा भावना से समुदाय में कार्य करने वाली स्थानीय महिला होती है। इन पर राज्य सेवा के कार्मिकों की भांति सेवा नियम लागू नहीं है और न ही श्रमिकों के बराबर इनके कार्य के घंटे तय होते हैं। मानदेय कार्य समय के उपरान्त ये किसी भी प्रकार के निजी कार्य हेतु स्वतंत्र रहती हैं।

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

2. **आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि-** आई.सी.डी.एस. की ओर से आशा सहयोगिनी को प्रतिमाह नियत मानदेय राशि 2,700/- रु. का भुगतान किया जा रहा है। 01.08.2019 से 2,500 रुपये से बढ़ाकर 2,700 रुपये प्रतिमाह किया गया है, जो पूर्णतया 100 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय है तथा इसके अतिरिक्त चिकित्सा विभाग से कार्य आधारित भुगतान भी दिया जा रहा है। इसकी प्रति परिशिष्ट 'अ' पर अवलोकनीय है। इस सम्बन्ध में कार्य आधारित भुगतान बढ़ाने हेतु माननीय मुख्य मंत्री द्वारा भारत सरकार को पत्र लिखा गया है, जिसकी प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। आशा सहयोगिनियों का मानदेय वृद्धि बजट की उपलब्धता पर कर दिया जायेगा।

3. **आशा सहयोगिनियों को एक ही विभाग में किये जाने के सम्बन्ध में-** आंगनबाड़ी केन्द्र के लाभार्थी एवं चिकित्सा विभाग के लाभार्थी समान होने के कारण आशा सहयोगिनियों को मानदेय आई.सी.डी.एस. विभाग द्वारा एवं इन्सेंटिव चिकित्सा विभाग द्वारा दिया जा रहा है। आशा सहयोगिनियों को एक ही विभाग में रखे जाने के संबंध में पत्रावली प्रक्रियाधीन है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

डूंगरपुर में वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टों के लम्बित आवेदन

187. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला डूंगरपुर में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत कितने सामुदायिक दावों के लिए आवेदन लम्बित हैं? उनकी वर्तमान स्थिति क्या है? ब्लाकवार एवं नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वन क्षेत्र में स्थित प्राचीन देव-डेरों के लिए पट्टा, पहुंच सड़क व दो गांवों को जोड़ने के लिए अभियान चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायत डोजा में प्राचीन भेड़माता मंदिर तक जाने व उक्त मंदिर के लिए सामुदायिक पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजकुमार रोत)

(4) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर में विभागीय आयुक्त द्वारा सामुदायिक दावे सर्वे करवा कर पट्टा जारी करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करवाने का आदेश दिया गया था? यदि हां, तो वर्तमान में उक्त सामुदायिक पट्टों की क्या स्थिति है? उक्त पट्टे कब तक जारी करवा दिये जायेंगे? यदि नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जिला स्तरीय कमेटी में किसी भी प्रकार के सामुदायिक दावे लम्बित नहीं हैं परन्तु ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति बिछीवाड़ा में 17 एवं आसपुर में 11 सामुदायिक कुल 28 दावे लंबित हैं। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में वन विभाग के अन्दर प्राचीन देव-डेरों के लिए पट्टा, पहुंच सड़क व दो गांवों को जोड़ने से सम्बन्धित कोई भी प्रस्ताव जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के पास विचाराधीन नहीं हैं।

(3) ग्राम पंचायत डोजा में भेड़माता मंदिर तक आने-जाने के लिए सामुदायिक दावा प्रस्तुत होता है तो उस पर यथाशीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(4) आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा समय-समय पर वनाधिकार पट्टे जारी करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। वर्तमान में जिला डूंगरपुर में समस्त दावों का निस्तारण किया जा चुका है। किसी भी तरह का दावा लम्बित नहीं है परन्तु ब्लाक स्तर पर पंचायत समिति बिछीवाड़ा में 17 एवं आसपुर में 11 सामुदायिक, कुल 28 दावे लम्बित हैं, जिन्हें शीघ्र ही निस्तारण कर लिया जाएगा।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

बानसूर के श्रमिकों को देय सुविधाएं

188. श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के श्रमिकों को श्रमिक कार्ड जारी किये जाने के प्रावधान हैं? उक्त कार्डधारी को क्या-क्या सुविधाएं एवं लाभ देय हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बानसूर में विगत 5 वर्षों में कितने श्रमिक कार्ड

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

जारी किए गये तथा उक्त अवधि में कार्डधारियों को क्या-क्या सुविधाएं, लाभ दिये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में उक्त विधान सभा क्षेत्र में श्रमिक कार्ड जारी किये जाने हेतु कितने आवेदन लम्बित हैं एवं क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार श्रमिक कार्ड हेतु लम्बित आवेदनों के निस्तारण की कोई समय सीमा निर्धारित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों का पंजीयन किये जाने का प्रावधान है। मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु 13 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

(2) विगत 5 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र बानसूर में 14,366 श्रमिकों का पंजीयन किया गया तथा उक्त अवधि में लाभान्वित हिताधिकारियों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बानसूर में श्रमिक कार्ड जारी किये जाने हेतु 3,889 आवेदन लम्बित हैं।

मुख्यत: आवेदन लम्बित रहने के निम्न कारण हैं:-

निर्माण श्रमिकों द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना।

अस्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करना।

वांछित दस्तावेजों को आनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं करना उपयुक्त समय में हिताधिकारी द्वारा आक्षेपपूर्ति नहीं किये जाने के इत्यादि कारण हैं।

(4) मंडल में प्राप्त आवेदनों के विभाग में उपलब्ध सीमित संसाधनों का उच्चतम प्रयोग करते हुए यथाशीघ्र निस्तारण के प्रयास किये जा रहे हैं। आवेदनों का नियमित निस्तारण 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धान्त पर वरीयता से निरन्तर किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

संस्कृत शिक्षा के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति

189. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि संस्कृत शिक्षा में कर्मचारियों की पदोन्नति में काउन्सलिंग नहीं की जाती है जबकि सामान्य शिक्षा विभाग में काउन्सलिग की जाती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद पर केवल संस्कृत विषय अध्यापक को ही नियुक्त किया जाता है? यदि हां तो अन्य विषय के अध्यापकों को नियुक्त क्यों नहीं किया जाता? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि संस्कृत शिक्षा के अधिकांश उच्च प्राथ., प्रवेशिका, वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष के पद आबंटित नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही कि संस्कृत शिक्षा में विगत 5 वर्षो से अब तक शारीरिक शिक्षकों, पुस्तकालय शिक्षकों की नियुक्तियां एवं पदोन्नति प्रदान नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) संस्कृत शिक्षा विभाग में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनोपरान्त कर्मचारियों का पदस्थापन किया जाता है। संस्कृत शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति में काउन्सलिंग का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) संस्कृत शिक्षा विभाग अन्तर्गत आदेश क्रमांक प.24(34)शिक्षा-6/2015, दिनांक 09.08.2016 द्वारा जारी मानदण्डानुसार संस्कृत शिक्षा में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम 01 प्रधानाध्यापक (व.अ. संस्कृत II ग्रेड) नियुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-'1' पर संलग्न है।

(3) संस्कृत शिक्षा में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक III ग्रेड के 120 पद एवं पुस्तकालयाध्यक्ष III ग्रेड के 81 पद स्वीकृत हैं। शेष विद्यालयों में नवीन पदों के लिए बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण शारीरिक शिक्षक व पुस्तकालयाध्यक्ष के पद आबंटित नहीं हुए।

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

(4) संस्कृत शिक्षा में सीधी भर्ती अंश से शारीरिक शिक्षक III ग्रेड के 60 पद, पुस्तकालयाध्यक्ष III ग्रेड के 31 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा हेतु अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है। कर्मचारी चयन बोर्ड के स्तर पर विज्ञप्ति जारी किया जाना शेष है जिनसे इन रिक्त पदों पर नियुक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड II के पदों में 50 प्रतिशत पदोन्नति एवं 50 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान है। कुल 26 पद स्वीकृत हैं, जिनमें पूर्व में ही पदोन्नति अंश के 20 पदों पर पदोन्नत कार्मिक कार्यरत हैं।

पुस्तकालयाध्यक्ष के पदोन्नति का कोई प्रावधान नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बगरू में सी.एस.आर. से विकास कार्य

183. श्रीमती गंगा देवी (बगरू): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बगरू में स्थित औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा, रामचन्द्रपुरा, बगरू रीको, छितरोली क्षेत्र की जनता की मूलभूत सुविधाएं व जन कल्याण के कार्य करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो सी.एस.आर. फण्ड का उपयोग कर कौन-कौनसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

रीको द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) फण्ड के उपयोग हेतु विधान सभा क्षेत्र बगरू में स्थित औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा, रामचन्द्रपुरा, बगरू रीको, छितरोली क्षेत्र से संबंधित कोई प्रस्ताव वर्तमान में नहीं है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) सम्बन्धी नियम, अधिनियम कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लागू किये गये हैं, जिनके अनुसार सी.एस.आर. के दायरे में आने वाली कम्पनियों को उनके विगत 3 वर्षों में अर्जित शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत कम्पनी की सी.एस.आर. समिति द्वारा निर्धारित नीति अनुसार ही शेड्यूल VII में सम्मिलित गतिविधियों पर ही व्यय किये जाने का प्रावधान है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार को सी.एस.आर. मद की राशि की मानिटरिंग एवं समीक्षा हेतु अधिकार प्राप्त नहीं हैं एवं न ही राज्य सरकार का नियंत्रण है तथा बिन्दु संख्या 21 के अनुसार कम्पनी को राज्य सरकार के चाहेनुसार उनके सी.एस.आर. कार्यक्रमों/योजनाओं को अनुमोदित कराने और लागू कराने का भी प्रावधान नहीं है। राज्य सरकार कम्पनियों को सी.एस.आर. गतिविधियों हेतु प्रेरित कर सकती है। FAQ"s की प्रति परिशिष्ट- 1 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

फलौदी में औद्योगिक विकास की कार्ययोजना

184. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री पब्बाराम)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा छोटे व्यापारियों व घरेलू और लघु उद्योगों हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) फलौदी में उद्योगों के विकास के लिए सरकार की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को स्वयं का व्यवसाय अथवा उद्योग स्थापित करने हेतु उद्योग विभाग तथा राजस्थान वित्त निगम के माध्यम से निम्नांकित 3 रोजगार मूलक योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

उद्योग विभाग:

1. मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की इस योजना अन्तर्गत नवीन उद्यम अथवा पूर्व स्थापित उद्यम के विविधीकरण/विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण हेतु अधिकतम 10 करोड़ रु. तक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सेवा/व्यापार/विनिर्माण उद्यम स्थापनार्थ प्रदत्त ऋण प्रकरणों में योजना के नियमानुसार 5 से 8 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान का लाभ प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु www.sso.rajasthan.gov.in पर लॉग-इन करके मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के आइकन पर लॉग-इन करके आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
2. उक्त योजना के अतिरिक्त विभाग द्वारा भारत सरकार द्वारा प्रायोजित योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम संचालित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना अन्तर्गत नवीन इकाइयों के स्थापनार्थ 25 लाख रुपये तक का ऋण विनिर्माण उद्यम एवं 10 लाख रुपये तक का ऋण सेवा उद्यम हेतु बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर 15 से 35 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। योजनान्तर्गत आवेदन करने हेतु संधारित पी.एम.ई.जी.पी. ई-पोर्टल www.kviconline.gov.in पर लॉग-इन करके आवेदन कर सकते हैं।

राजस्थान वित्त निगम:-

राजस्थान वित्त निगम द्वारा लघु उद्योगों हेतु युवा उद्यमिता

(उद्योग मंत्री)

प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही है। उक्त योजना में आसान शर्तों पर उद्यमियों को ऋण प्रदान किया जाता है। योजनान्तर्गत माह फरवरी, 2021 तक 496 इकाइयों को 502.60 करोड रु. के ऋण स्वीकृत किये गये हैं।

(2) फलौदी में भी उदयोगों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 इत्यादि योजनाएं चल रही हैं। साथ ही रीको द्वारा जिला उद्योग केन्द्र, फलौदी के कार्यक्षेत्र में स्थित समस्त उप खण्डों पर औद्योगिक क्षेत्र बनाने की कार्ययोजना है।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत व्यापार क्षेत्र में एक करोड़ तथा सेवा व विनिर्माण क्षेत्र में दस करोड़ तक के उद्योगों को देय ऋण पर पांच से आठ प्रतिशत ब्याज अनुदान देने का प्रावधान है। जिला उद्योग केन्द्र, फलौदी द्वारा दिसम्बर, 2019 में योजना प्रारम्भ होने के पश्चात् इस योजना के अन्तर्गत 1,467 लाख की विभिन्न परियोजनाओं के ऋण पर 60 उद्यमियों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में नवीन उद्यम की स्थापना के लिए 25 लाख तक के विनिर्माण एवं 10 लाख तक के सेवा क्षेत्र में ऋण पर 15 से 35 प्रतिशत तक परियोजना लागत का अनुदान देने का प्रावधान है। चालू वित्तीय वर्ष में 36 लाख के मार्जिन मनी के लक्ष्य के विरुद्ध 54 लाख की मार्जिन मनी अब तक वितरित की जा चुकी है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 के अन्तर्गत विद्युत भार, मण्डी शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, संपरिवर्तन शुल्क, विनियोजन अनुदान, राज्य कर आदि में छूट का प्रावधान है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, फलौदी द्वारा 6 पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं, जिनमें इकाइयों का कुल निवेश 720.52 लाख है।

फलौदी क्षेत्र में राजस्थान वित्त निगम द्वारा युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना कार्यरत है।

कुम्भकारी कला को बढ़ाने की कार्ययोजना

185. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री मदन प्रजापत)

(1) सरकार द्वारा परम्परागत कुम्भकारी कला को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

(2) क्या सरकार कुंभकारों को प्रशिक्षित करने, परम्परागत कुटीर उद्योग के उत्पादनों का आधुनिकीकरण कर हाट बाजार आदि हेतु जिला बाड़मेर में प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर रोजगार उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) परम्परागत कुम्भकारी कला को बढ़ावा देने हेतु शिल्प एवं माटी कला बोर्ड गठित है। बोर्ड गठन से सम्बन्धित रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र व मेमोरेण्डम आफ एसोसिएशन की प्रति परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2019 में परम्परागत कुम्भकारी कला के उद्यमी लाभ हेतु पात्र हैं तथा योजना में अंकित प्रावधानों के अनुसार परिलाभ देय है। योजना की प्रति परिशिष्ट '2' पर संलग्न है।

राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत कुम्भकारी कला के दस्तकार एवं उद्यम भी ऋण एवं ब्याज अनुदान हेतु पात्र हैं।

(2) कुम्भकारों को प्रशिक्षित करने तथा परम्परागत कुटीर उद्योग के उत्पादनों का आधुनिकीकरण कर बाड़मेर जिले में प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

टैक्सटाइल, रक्षा व उड्डयन क्षेत्र में निवेश की योजना

186. श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने प्रदेश में टैक्सटाइल, रक्षा व उड्डयन क्षेत्र में निवेश के लिए एक औद्योगिक ग्रुप से एम.ओ.यू. किया है? यदि हां, तो किस ग्रुप से एवं क्या? एम. ओ. यू. का संक्षिप्त विवरण एवं एम. ओ.यू. की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार ने उक्त ग्रुप को क्या-क्या सुविधाएं एवं कितनी-कितनी भूमि कहां-कहां किस-किस दर पर देने का निर्णय लिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रमेश चन्द मीना)

(3) क्या सरकार की उक्त निवेश से कोई रोजगार सृजन की भी योजना है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उद्योग विभाग राजस्थान सरकार एवं एस.बी.पी. इन्टरनेशनल ग्रुप के मध्य दिनांक 02.09.2020 को पश्चिमी राजस्थान में रक्षा, उड्डन एवं टैक्सटाइल परियोजना स्थापित किये जाने हेतु समझौता पत्र (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित किया गया था।

उक्त परियोजना में हवाई जहाजों का रख रखाव, मरम्मत व पूर्ण निरीक्षण (एम.आर.ओ.) की सुविधा एविएशन फ्लाइंग एकेडमी, ट्रेनिंग एकेडमी तथा टैक्सटाइल परियोजना सम्मिलित है।

परियोजना में 4,000 करोड़ रु. का निवेश व 4,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। एम.ओ.यू. का संक्षिप्त विवरण तथा एम.ओ.यू. की प्रति अनुसंलग्नक- '1' पर संलग्न है।

(2) टैक्सटाइल परियोजना हेतु निवेशक द्वारा राजस्थान के पश्चिमी जिलों में भूमि चिन्हीकरण किया जा रहा है।

उक्त परियोजना हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण बी.आई.पी. द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में कोई भूमि निश्चित नहीं की गयी है।

(3) हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के अनुसार परियोजना में 4,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाना प्रस्तावित है। एम.ओ.यू. की प्रति अनुसंलग्नक-1 पर सलंग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.पी.एच.सी.ई. कार्यक्रम हेतु बजट का आबंटन

187. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि एन.पी.सी.डी.सी.एस. एवं एन.पी.एच.सी.ई. कार्यक्रम में विभिन्न उपकरणों व सामग्री के क्रय हेतु वर्ष 2015-16, 2016-17 में जिला श्रीगंगानगर, बीकानेर एवं भीलवाड़ा में बजट आबंटित किया गया था? यदि हां, तो कितना? उक्त बजट के व्यय का विवरण मेज पर रखें।

(2) उक्त बजट मद में क्रय किये गये समस्त उपकरणों को उचित संस्थान पर स्थापित करने के प्रमाण पत्र एवं उपकरणों की वर्तमान स्थिति व उपयोगिता का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। एन.पी.सी.डी.सी.एस. कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न उपकरणों व सामग्री के क्रय हेतु वर्ष 2015-16, 2016-17 में जिला श्रीगंगानगर, बीकानेर एवं भीलवाड़ा में आबंटित बजट, उक्त बजट के व्यय के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि रुपये में)

जिला	**वर्ष 2015-16 में आबंटित राशि**	**वर्ष 2016-17 में आबंटित राशि**	**व्यय राशि**
श्रीगंगानगर	24,79,000	2,00,000	42,01,795
बीकानेर	20,29,000	3,00,000	29,89,755
भीलवाड़ा	29,29,000	12,00,000	1,03,09,062

नोट- वर्ष 2015-16 से पूर्व में उपलब्ध बजट से भी क्रय किया गया है, इसलिए व्यय राशि अधिक है।

एन.पी.एच.सी.ई. कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न उपकरणों व सामग्री के क्रय हेतु वर्ष 2015-16, 2016-17 में जिला श्रीगंगानगर, बीकानेर एवं भीलवाड़ा में बजट आबंटित नहीं हुआ है। उक्त जिलों में वर्ष 2015-16 व 2016-17 में क्रय किये गये उपकरण एवं सामग्री में व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

जिला	**व्यय राशि (रुपये में)**
श्रीगंगानगर	71,43,889.66
बीकानेर	35,43,878
भीलवाड़ा	52,10,919

नोट- वर्ष 2015-16 से पूर्व में उपलब्ध बजट से उपकरण एवं सामग्री क्रय की गयी।

(2) एन.पी.सी.डी.सी.एस. कार्यक्रम के बजट मद में क्रय किये गये समस्त उपकरणों को उचित स्थान पर स्थापित करने के प्रमाण पत्र एवं उपकरणों की वर्तमान स्थिति व उपयोगिता का प्रमाण पत्र जिला श्रीगंगानगर का परिशिष्ट- 'अ', बीकानेर का परिशिष्ट- 'ब' एवं भीलवाड़ा का परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

एन.पी.एच.सी.ई. कार्यक्रम के बजट मद में क्रय किये गये समस्त उपकरणों को उचित स्थान पर स्थापित करने के प्रमाण पत्र एवं उपकरणों की वर्तमान स्थिति व उपयोगिता का प्रमाण पत्र जिला श्रीगंगानगर का परिशिष्ट द, बीकानेर का परिशिष्ट-'य' एवं भीलवाड़ा का परिशिष्ट-'र' पर संलग्न है।

(प्रमाण-पत्र पुस्तकालय में रखे गये)

फुलेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में नये राजकीय आवासों का निर्माण

188. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्टॉफ हेतु वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने स्टाफ क्वार्टर कब से निर्मित हैं व उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त कस्बे में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने राजकीय आवासों की आवश्यकता है? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय के स्टाफ हेतु नये राजकीय आवासों का निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के फुलेरा कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र परिसर में स्टाफ क्वार्टरों का विवरण निम्नानुसार है:-

श्रेणी	क्वार्टरों की संख्या	निर्माण वर्ष	स्थिति
चिकित्सक	2	2011-12	रहने योग्य
नर्सिंग स्टाफ	4	2011-12	रहने योग्य

(2) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नवीन भवन निर्माण के साथ 2 चिकित्सक, 2 नर्सिंग स्टाफ एवं एक वार्ड बाय

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

हेतु राजकीय आवास प्रस्तावित किये जाते हैं। वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलेरा में कुल 6 आवास निर्मित हैं।

(3) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फुलेरा के स्टाफ हेतु नये राजकीय आवासों का निर्माण आगामी वित्तीय वर्षों में भूमि एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर करवाये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री जांच एवं दवा योजना में लैब टैक्नीशियनों के पदों का सृजन

189. श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

प्रदेश में मुख्यमंत्री जांच एवं दवा योजना कब लागू की गई? उक्त योजना में क्या लैब टैक्नीशियन के पदों का सृजन किया गया है? यदि नहीं, तो सरकार स्टाफिंग पैटर्न 2008 को खतम कर 2013 को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रदेश में मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना 7 अप्रैल, 2013 से चरणबद्ध रूप से तथा मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर, 2011 से लागू की गई।

जी हां। इस योजना में लैब टैक्नीशियन के पद सृजित किये गये हैं।

मुख्यमंत्री नि:शुल्क जांच योजना के मद्देनजर चिकित्सालयों में रोगियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए स्टाफिंग पैटर्न, 2008 के अनुसार पद स्वीकृति के नोर्म्स में वर्तमान आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने पर विचार किया जायेगा।

सागवाड़ा में कोरोना पीड़ितों पर व्यय राशि

190. श्री रामप्रसाद (सागवाड़ा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में कितने लोग कोरोना से संक्रमित हुए? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन से चिकित्सालयों में कोरोना

(श्री रामप्रसाद)

संक्रमितों का इलाज किया गया और किन-किन स्थानों पर क्वारंटाइन किया गया? प्रति मरीज कोरोना संक्रमितों पर कितना व्यय हु आ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों पर कुल कितनी राशि का व्यय किया गया? चिकित्सालय वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में कोरोना संक्रमण के दौर में कोरोना संक्रमित रोगियों की माहवार सूचना निम्नानुसार है:-

माह	**कुल रोगी**
मार्च, 2020	0
अप्रेल, 2020	0
मई, 2020	157
जून, 2020	46
जुलाई, 2020	65
अगस्त, 2020	379
सितम्बर, 2020	481
अक्टूबर, 2020	183
नवम्बर, 2020	199
दिसम्बर, 2020	462
जनवरी, 2021	87
फरवरी, 2021	36
योग	**2095**

(2) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, कोविड केयर सेन्टर, माणकपुरा एवं जे.आर. नर्सिंग इन्स्टीट्यूट सागवाड़ा में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों का इलाज किया गया। विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में 24 केन्द्रों पर क्वारंटाइन किया गया था, जिसकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

क्षेत्र में कुल 2,095 कोरोना संक्रमितों में से होम आइसोलेशन की

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

संख्या 1,414 रही, जिनका प्रति मरीज इलाज का खर्च 227.36 रुपये रहा, 350 कोरोना संक्रमितों का इलाज विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा अन्तर्गत चिकित्सालयों में किया गया, जिन पर दिनांक 26.02.2021 तक प्रति मरीज खर्च 5057/- रुपये किया गया एवं शेष 331 कोरोना संक्रमितों का इलाज सागवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के बाहर अन्य स्थानों पर हुआ।

(3) विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में कोरोना संक्रमितों के भोजन पर व्यय निम्नानुसार है:-

चिकित्सालय का नाम	**व्यय राशि रुपये लाखों में**
पण्डित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय, सागवाड़ा	0.21
कोविड केयर सेन्टर माणकपुरा, सागवाड़ा	8.97
कोविड केयर सेन्टर जे.आर. नर्सिंग इन्स्टीट्यूट, सागवाड़ा	2.40

इसके अतिरिक्त निम्नानुसार सामग्री सेन्टरलाइज क्रय कर वितरित की गयी हैं:-

सामग्री का नाम	**व्यय राशि रुपये लाखों में**
हैण्ड सेनेटाइजर	0.54
ट्रिपल लेयर मास्क	0.87
थर्मल स्केनर गन	1.05
परिवहन	1.31
दवाइयां, उपकरण एवं अन्य	2.35

(सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर में खेल मैदान बनाने की योजना

191. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षों में जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर में यू.जी. विद्यार्थी की सीटों में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती अनिता भदेल)

(2) क्या उक्त सीटों के अनुपात में गर्ल्स एवं बाय्ज हास्टल में आवास की सुविधा बढ़ाई गई है? यदि हां, तो कब-कब व कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यू.जी. विद्यार्थियों के लिए हास्टल में मैस की सुविधा उपलब्ध है?

(4) क्या मेडिकल स्टूडेन्ट के लिए खेलकूद हेतु कोई इण्डोर अथवा आउटडोर मैदान उपलब्ध है? यदि हां, तो कहां ओर कौन-कौन से खेल मैदान उपलब्ध हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विगत पांच वर्षो में वर्ष 2019-20 में 50 तथा वर्ष 2020-21 में 50 सीट जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर में यू.जी. विद्यार्थी की सीटों की वृद्धि हुई है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सीटों में हुई वृद्धि के कारण अतिरिक्त शिक्षणरत छात्र एवं छात्राओं को उपलब्ध यू.जी., पी.जी. एवं इन्टर्न हास्टल में समायोजित किया गया है तथा 60 कक्ष क्षमता के पी.जी. गर्ल्स हास्टल का निर्माण कार्य दिनांक 20.12.2020 को प्रारम्भ किया गया है। सिविल कार्य प्रगति पर है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। खेल का मैदान जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर के परिसर में स्थित है। जिम, टेबिल टेनिस के लिए इण्डोर तथा बैडमिन्टन एवं वालीबाल के लिए आउटडोर मैदान है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

स्पिनफैड के कनिष्ठ लिपिक संवर्ग के कार्मिकों का समायोजन

192. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) स्पिनफैड के कनिष्ठ लिपिक संवर्ग के कार्मिकों के नाम, जिनका समायोजन प्रमुख शासन सचिव द्वारा अनुमोदित स्वीकृत पत्रावली के पैरा संख्या 234/एन. दिनांक 13.11.2019 के क्रम में किया जाना आज दिनांक तक शेष है?

(2) प्रमुख शासन सचिव द्वारा अनुमोदित पैरा 234/एन. के क्रम में उन कनिष्ठ लिपिकों के नाम जिन्हें नियुक्ति दिनांक 27.12.1993 से ही नियमित रूप से कनिष्ठ लिपिक पद का सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान दिया जाना है?

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

(3) प्रमुख शासन सचिव के पैरा 234/एन. के अनुमोदनोपरांत तथा विशेषाधिकारी की टिप्पणी के अनुसरण में कनिष्ठ लिपिक पद की निर्धारित वेतन श्रृंखला नियुक्ति दिनांक 27.12.1993 से दिये जाने एवं समायोजन के आदेश कब तक जारी कर दिये जाएंगे?

उत्तर

(1) स्पिनफैड के कनिष्ठ लिपिक संवर्ग के कार्मिक श्री अटल बिहारी भारद्वाज के समायोजन के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग द्वारा स्पिनफैड की पत्रावली के पैरा 234/एन के तहत दिये गये निर्देशों की पालना में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग के पैरा 234/एन के अनुमोदनोपरांत तथा विशेषाधिकारी की टिप्पणी के अनुसरण में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जालौर में किसानों के बीमा क्लेम

193. श्री छगनसिंह (आहोर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में वर्ष 2018 में रबी फसलों को नुकसान हुआ है? यदि हां, तो उसका संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा कितने किसानों को क्लेम दिया गया व कितने किसानों का शेष है? कुल राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला जालौर में वर्ष 2018-19 व 2019-20 तक किसानों के बीमा क्लेम की क्या स्थिति रही? पंचायत समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

सहकारी समितियों में चुनाव कराने की कार्ययोजना

194. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में वर्तमान में किस-किस श्रेणी की कितनी-कितनी सहकारी संस्थाएं कार्यरत हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बलजीत यादव)

(2) उक्त संस्थाओं के अंतिम चुनाव कब-कब हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिन संस्थाओं के चुनाव नहीं हुए हैं उनके चुनाव कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्तमान में पंजीकृत सहकारी समितियों का श्रेणीवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 व नियम, 2003 एवं सम्बन्धित संस्थाओं के उपनियमानुसार करवाये जाते हैं। सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन एक सतत प्रक्रिया है। इस परिप्रेक्ष्य में राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 45(1) के अन्तर्गत प्रदेश में जिन सहकारी सोसाइटियों के निर्वाचन राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा करवाये गये हैं, उनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

उक्त के अतिरिक्त शेष सहकारी समितियों द्वारा स्वयं के स्तर से निर्वाचन सम्पन्न करवाये जाते हैं।

(3) जी हां। सहकारी संस्थाओं का निर्वाचन एक सतत प्रक्रिया है। मानव संसाधन की उपलब्धता, सहकारी संस्था के प्रकार, कार्यक्षेत्र, सदस्य संख्या व उनके उपनियमों के परिप्रेक्ष्य में शेष सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन शीघ्र ही करवाये जाएंगे। वर्तमान में माह जनवरी, 2021 से मार्च, 2021 तक कुल 6,850 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का निर्वाचन प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर में मदरसा पैराटीचर्स का नियमन

195. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में संचालित मदरसों में कितने पैराटीचर कार्यरत हैं तथा इन्हें कितना-कितना मानदेय, वेतन दिया जा रहा है? श्रीगंगानगर जिले की मदरसेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संतोष)

(2) क्या यह सही है कि मदरसों में कार्यरत पैराटीचर्स में से कुछ पैराटीचर्स को सरकार द्वारा नियमित कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त जिले में किन-किन पैराटीचर्स को कब-कब नियमित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष रहे पैराटीचर्स को नियमित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राजस्थान मदरसा बोर्ड से पंजीकृत मदरसों में कुल 5,686 पैराटीचर्स कार्यरत हैं तथा इन्हें न्यूनतम 8,742/- रुपये एवं अधिकतम 10,896/- रुपये मानदेय दिया जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले की मदरसेवार सूची परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जी हां। मदरसों में कार्यरत पैराटीचर्स में से कुछ पैराटीचर्स को सरकार द्वारा प्रबोधक पद पर नियमित कर दिया गया है। श्रीगंगानगर जिले में कार्यरत किसी भी पैराटीचर को नियमित नहीं किया गया है।

(3) मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश क्रमांक प.5(1) मम/2019 दिनांक 01.01.2019 द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्याओं के निवारण हेतु डा. बुलाकी दास कल्ला, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग की अध्यक्षता में मंत्रीस्तरीय समिति का गठन किया गया है। मदरसा शिक्षा सहयोगियों के सम्बन्ध में चाही गई सूचना मंत्रीस्तरीय समिति को प्रेषित की जा चुकी है। प्रकरण उक्त समिति के समक्ष विचाराधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

ओसियां में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की योजना

196. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र ओसियां के सभी गांवों में आबादी के अनुसार आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त गांवों की आबादी को ध्यान में रखते हुए नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र ओसियां के अन्तर्गत संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति के समय उपलब्ध आबादी के अनुसार ही खोले गये थे। वर्तमान में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक है।

भारत सरकार के स्तर पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्थिति में भारत सरकार के निर्देशानुसार नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

आदर्श नगर में राजश्री योजना के लाभार्थी

197. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में विगत तीन वर्षों में राजश्री योजनान्तर्गत कितनी बालिकाओं को कितनी-कितनी राशि से लाभान्वित किया गया है? वर्षवार नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में महिला एवं बालकों के कल्याण एवं उत्थान हेतु किस-किस योजना में कितना-कितना बजट आबंटित किया गया एवं किस-किस योजना पर कितना-कितना व्यय हुआ है? वर्षवार योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र आदर्श नगर में विगत तीन वर्षों में राजश्री योजनान्तर्गत निम्नानुसार बालिकाओं को लाभान्वित किया गया हैः-

क्र.सं.	**वर्ष**	**बालिकाओं की संख्या**	**व्यय राशि**
1.	2017-18	13	32 हजार 5 सौ
2.	2018-19	85	2 लाख 12 हजार 5 सौ
3.	2019-20	19	47 हजार 5 सौ

विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु बजट सम्पूर्ण जिले को आबंटित किया जाता है। विधान सभा क्षेत्रवार बजट आबंटन नहीं किया जाता है। विगत दो वर्षों में महिला एवं बालकों के कल्याण एवं उत्थान हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में व्यय हुई राशि का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मकराना में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

198. श्री रूपा राम (मकराना): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में महिला एवं बाल विकास की अनेक प्रकार की योजनाएं संचालित की जाती हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी व उनका संचालन किस प्रकार किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मकराना में आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं? यदि हां, तो कितने, कहां-कहां पर, कब से एवं उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितनी आशा सहयोगिनियां एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं? उक्त कितने पद रिक्त चल रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है? यदि हां, तो कब से? उक्त कार्यालय का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार आंगनबाड़ी में कार्यरत आशा सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन दो विभाग संचालित हैं, जो क्रमश: महिला अधिकारिता एवं समेकित बाल विकास सेवाएं हैं।

महिला अधिकारिता विभाग द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के उत्थान, सशक्तीकरण, स्वावलम्बन, शिक्षण, कौशल, सामर्थ्य एवं सुरक्षा हेतु विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिनका विवरण एवं संचालन की स्थिति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

समेकित बाल विकास सेवाएं द्वारा गर्भवती, धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं एवं 06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, संदर्भ एवं रेफरल सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिनका विवरण एवं संचालन की स्थिति परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मकराना में 246 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

13 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं, जिनमें 234 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व 13 मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, 231 सहायिका एवं 212 आशा सहयोगिनियां कार्यरत हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं आशा सहयोगिनी के कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट स पर संलग्न है।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मकराना में बाल विकास परियोजना अधिकारी, मकराना का पद 2019 से रिक्त चल रहा है। उक्त बाल विकास परियोजना अधिकारी का चार्ज अन्य अधिकारी को दिया जाकर परियोजना का कार्य सुचारु रूप से संचालित किया जा रहा है। आदेश की प्रति परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(4) आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि बजट की उपलब्धता पर कर दी जाएगी।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

जमवारामगढ़ में माडा योजना के लम्बित प्रस्ताव

199. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विगत तीन वर्षों के दौरान किन-किन गांवों में माडा योजनान्तर्गत क्या-क्या प्रस्ताव कब-कब प्राप्त हुए? उक्त प्रस्तावों में से कितने स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के लम्बित प्रस्तावों की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में विगत तीन वर्षों के दौरान माडा योजनान्तर्गत के हैण्डपम्प निर्माण, सामुदायिक भवन, आश्रम छात्रावास मरम्मत कार्य, सिंगल ट्यूबवैल निर्माण अन्तर्गत राशि 174.65 लाख रु के 47 कार्यों के प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए। इसकी सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। इन प्रस्तावों पर नियमानुसार परीक्षण करा बजट की उपलब्धता के आधार पर 29 कार्यों की राशि 66.65 लाख रु. की स्वीकृति जारी की गयी। स्वीकृत कार्यो की ग्रामवार सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(2) लम्बित प्रस्ताव के सम्बन्ध में बजट की उपलब्धता, कार्य की

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

उपादेयता व क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्राथमिकता का निर्धारण कर स्वीकृति जारी की जाती है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

गोगुन्दा के मां-बाड़ी केन्द्र के भवन निर्माण

200. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कुल कितनी मां-बाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं? प्रत्येक का स्थानवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत मां-बाड़ी केन्द्रों में से कितनों के भवन बन चुके हैं तथा कितनों के भवन निर्माण शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कुल 75 मां-बाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में कुल 75 मां-बाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं, जिनमें से 40 मां-बाड़ी केन्द्रों के भवन बन चुके हैं एवं 35 के भवन निर्माण बकाया हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर में बंधुआ श्रम अवमुक्ति प्रमाण-पत्र

201. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जिला प्रशासन जयपुर के अन्तर्गत कितने उप खण्ड मजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) कहां-कहां पर कार्यरत हैं? विभिन्न एस.डी.एम. के समक्ष 01 जनवरी, 2021 तक कितने बच्चों को बंधुआ श्रम उन्मूलन कानून, 1976 के तहत अग्रिम कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया गया? सम्बन्धित एस.डी.एम. द्वारा की गयी कार्यवाही का माहवार बच्चों के नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बालकों में कितने बच्चों को बंधुआ श्रम उन्मूलन कानून, 1976 के तहत बंधुआ श्रमिक मानते हुए बच्चों को बंधुआ श्रम अवमुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये? सम्बन्धित एस.डी.एम. के द्वारा लिये गये बयान तथा जारी किये गये प्रमाण पत्र का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) जिन बाल श्रमिकों को बंधुआ श्रमिक नहीं माना गया, उनके क्या कारण रहे? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला प्रशासन जयपुर के अन्तर्गत 15 उप खण्ड मजिस्ट्रेट कार्यरत हैं। (सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है)

विभिन्न एस.डी.एम के समक्ष 1 जनवरी, 2019 से 1 जनवरी, 2021 तक 470 बच्चों को बंधक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत बंधक श्रमिक मानते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया।

संबंधित एस.डी.एम. द्वारा की गयी कार्यवाही का, बच्चों के नाम व पता सहित, माहवार विवरण (परिशिष्ट-2) संलग्न है।

(2) सम्बन्धित एस.डी.एम. द्वारा बन्धक श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के तहत 466 बच्चों को बंधक श्रमिक मानते हुए बच्चों को बंधक श्रम अवमुक्ति प्रमाण पत्र जारी किये गये। सम्बन्धित एस.डी.एम. के द्वारा लिये गये बयान (परिशिष्ट-3 अ) तथा जारी किये गये प्रमाण पत्रों की प्रतियां (परिशिष्ट-3 ब) पर संलग्न है।

(3) बाल श्रमिकों को उनके बयानों के आधार पर बंधक श्रमिक नहीं माना गया। (परिशिष्ट-4)

(सूचियां, विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

कोरोना काल में पंजीकृत श्रमिकों को देय सुविधाएं

202. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान प्रदेश के श्रमिकों को किन-किन योजनाओं में क्या-क्या सुविधाएं दी गई? पंजीकृत श्रमिकों को कितनी- कितनी आर्थिक सहायता कब-कब दी गई? जिला चित्तौड़गढ़ में कितने पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी गई? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की भेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे पंजीकृत श्रमिकों, जिनके बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं थे अथवा आधार से लिंक नहीं थे, उन्हें राशि नकद भुगतान किया जाना था? यदि हां, तो ऐसे कितने पंजीकृत श्रमिकों को नकद भुगतान किया गया? जिला चित्तौड़गढ़ के विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यो में नियोजित श्रमिकों का पंजीयन किये जाने का प्रावधान है।

1. ऐसे निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के मध्य हो,
2. पिछले 12 माह में न्यूनतम 90 दिन या इससे अधिक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में नियोजित रहा है,
3. पंजीयन हेतु आवेदन मण्डल द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा,
4. प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज एवं रुपये 25 पंजीयन शुल्क के संलग्न किये जाएंगे,
5. आयु प्रमाण-पत्र एवं नियोजक अथवा ठेकेदार का प्रमाण-पत्र, कि आवेदक एक निर्माण श्रमिक है,
6. जहां पर प्राधिकृत अधिकारी संतुष्ट है कि आवेदनकर्ता शर्तों की पूर्ति करता है, ऐसा निर्माण श्रमिक हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

(2) पंजीयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में पंजीयन आवेदन कहीं से भी स्वयं अथवा ई-मित्र से किया जा सकता है। फीफो पद्धति से आवेदनों का निस्तारण किया जाता है अर्थात् वरीयतानुसार पंजीयन आवेदनों का निस्तारण होता है। श्रमिकों की सुविधा के लिए एकमुश्त 5 वर्ष के लिए अंशदान जमा कराने की सुविधा दी गयी है। आवेदनों की स्थिति अब श्रमिक कभी भी मोबाइल एप के जरिये प्राप्त कर सकता है।

(3) मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रम कार्ड बनाने की प्रक्रियाओं का सरलीकरण

203. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री सुरेश टाक)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाए जाने की व्यवस्था लागू हैं? यदि हां, तो श्रमिक कार्ड बनाए जाने के प्रावधानों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में श्रमिक कार्ड बनाए जाने में कई जटिलताएं हैं? यदि हां, तो उक्त के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को विभाग की विभिन्न योजनांतर्गत कई लाभ देय हैं? यदि हां, तो योजनाओं सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

मोटर गैराज में नाकारा गाड़ियों की नीलामी

204. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या स्टेट मोटर गैराज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश के मोटर गैराज में वर्तमान में कुल कितनी गाड़ियां हैं? क्रियाशील सफारी गाड़ियां कितनी हैं, कितनी उपयोग में ली जा रही हैं तथा कितनी नाकारा गैराज में पड़ी हुई है? उक्त गाड़ियों को चलाने के लिए कितने ड्राइवर हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार नाकारा गाड़ियों की नीलामी व नयी गाड़ियां खरीदने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान में मोटर गैराज में वर्तमान में कुल 245 गाड़ियां हैं, क्रियाशील सफारी गाड़ियां कुल 89 हैं। सभी सफारी गाड़ियां उपयोग में ली जा रही है। वर्तमान में कोई सफारी गाड़ी गैराज में नाकारा नहीं है। वर्तमान में मोटर गैराज में 290 ड्राइवर कार्यरत हैं। (परिशिष्ट-अ)

(2) जी हां। नाकारा गाड़ियों की नीलामी वर्ष में दो बार की जाती है। गत नीलामी नवम्बर-दिसम्बर, 2020 में की गई थी। वर्तमान में 22 फरवरी, 2021 से 10 मार्च, 2021 तक नीलामी कार्यवाही की जा रही है।

राज्य सरकार द्वारा नाकारा योग्य वाहनों के रिप्लेसमेन्ट में नये वाहन क्रय की स्वीकृति दी जाती है।

(राज्य मंत्री, स्टेट मोटर गैराज)

बजट की उपलब्धता के अनुसार नवीन वाहनों के क्रय के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

माण्डलगढ़ के संस्कृत विद्यालयों में रिक्त पद

205. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में वर्तमान में आठ संस्कृत विद्यालय संचालित हैं? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं तथा कितने पदों पर कार्यरत हैं व कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में वर्तमान में संचालित 08 राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। वरिष्ठ अध्यापक के विभिन्न विषयों के राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित 718 पदों के विरुद्ध चयनित 708 अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये। 10 अभ्यर्थियों की अभिस्तावना आयोग से प्राप्त की जानी शेष है। आयोग से अभिस्तावना प्राप्त होने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। उक्त नियुक्त अभ्यर्थियों में से कार्यारम्भ नहीं करने वालों के स्थान पर प्रतीक्षा सूची से 280 अभ्यर्थियों की अभिस्तावना आयोग से प्राप्त हुई है, नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

वरिष्ठ अध्यापक 177 पदों की स्वीकृति प्राप्त, परन्तु उक्त 718 पदों की भर्ती पूर्ण होने के पश्चात् भर्ती की जायेगी।

प्राध्यापक विद्यालय के विभिन्न विषयों के 286 पदों के क्रम में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 264 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी कर काउंसलिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष 22 पदों की भर्ती परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। परिणाम आना शेष है।

प्रधानाध्यापक प्रवेशिका के 83 पदों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर पर विज्ञप्ति जारी किये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

शारीरिक शिक्षक III ग्रेड के 60 पद, पुस्तकालयाध्यक्ष III ग्रेड के 31 पदों पर प्रतियोगी परीक्षा हेतु अर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी है। कर्मचारी चयन बोर्ड के स्तर पर विज्ञप्ति जारी किया जाना शेष है।

अध्यापक लेवल-I एवं लेवल-II के 226 पदों को भरने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। रीट परीक्षा-2021 के आयोजन उपरान्त विभागीय स्तर से विज्ञापन जारी कर भर्ती की जायेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

जयपुर के जगद्गुरू रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षकों को देय परिलाभ

206. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): क्या संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जगद्गुरू रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं? कितने पद भरे हुए हैं व कितने पद रिक्त हैं? विभागवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विश्वविद्यालय में शिक्षकों को दिये जाने वाले परिलाभ क्या प्रत्येक शिक्षक को दिये जा चुके हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसे परिलाभ कब-कब किन-किन शिक्षकों को दिये गये? किन-किन शिक्षकों के कौन-कौनसे परिलाभ कब से बकाया हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्कृत विश्वविद्यालय के कितने शिक्षकों का कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सी.ए.एस.) कब से बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विश्वविद्यालय के शिक्षकों को सी.ए.एस. का लाभ देने पर विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर में शिक्षकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

(राज्य मंत्री, संस्कृत शिक्षा)

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	प्रोफेसर	06	00	06
2.	रीडर	12	04	08
3.	सहायक आचार्य	26	17	09
	योग	**44**	**21**	**23**

विभागवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के शिक्षकों को परिलाभ दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) वर्तमान में जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के 24 शिक्षकों का कैरियर एडवांसमेंट (सी.ए.एस.) स्कीम बकाया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. 06 शिक्षकों का वर्ष 2016 से सी.ए.एस. के अन्तर्गत 6000 से 7000 ए.जी.पी. बकाया है।
2. 10 शिक्षकों का वर्ष 2016 से सी.ए.एस. के अन्तर्गत 7000 से 8000 ए.जी.पी. बकाया है।
3. 08 शिक्षकों का वर्ष 2011 से सी.ए.एस. के अन्तर्गत 9000 से 10000 ए.जी.पी. बकाया है।

(4) जी हां। जगद्गुरू रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर के शिक्षकों को कैरियर एडवान्समेंट स्कीम (सी.ए.एस.) के तहत परिलाभ प्रदान करने हेतु वित्त विभाग द्वारा चाही गई सूचना शीघ्र भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। समुचित सूचना प्राप्त होने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं, जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

राजस्व रिकार्ड में रावणा राजपूत जाति को अलग-अलग नामों से दर्ज न करके रावणा राजपूत से दर्जकरण

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि आजादी के 73 वर्ष बाद भी सामन्तवादी विचारों वाले वर्ग द्वारा वर्तमान में दर्ज अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जाति रावणा राजपूत को राजस्व रिकार्ड में रावणा राजपूत, दरोगा, हजूरी वजीर आदि जातिगत शब्दावली से दर्ज किया गया है जबकि रावणा राजपूत जाति सदियों से मेहनतकश, खेतिहर एवं कुशल दस्तकार जाति रही है, जिसका सभ्य समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

अतः राजस्व रिकार्ड में रावणा राजपूत जाति के लिए दरोगा, हजूरी वजीर के स्थान पर एक ही शब्द रावणा राजपूत दर्ज कर रावणा राजपूत समाज को अशोभनीय शब्दावली से मुक्त कर व सम्मानजनक शब्द प्रदान कर राहत प्रदान कराएं।

मनीषा पंवार

(जोधपुर)

डूंगरपुर के सेवारत व्याख्याताओं के अन्य जिलों हेतु कार्यव्यवस्थार्थ आदेशों का निरस्तीकरण

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि आदिवासी बहुल जिला डूंगरपुर में स्थित राजकीय श्री भोगीलाल पण्ड्या महाविद्यालय, कन्या कालीबाई कलासुआ महाविद्यालय व राजकीय महाविद्यालय, सीमलवाड़ा है। यहां पर नियुक्त व्याख्याता अन्य जिलों में नियम के विरुद्ध जाकर कार्य व्यवस्थार्थ लगे हुए हैं। जिले में सृजित पदों में से 40 प्रतिशत पद पर ही व्याख्याता लगे हुए हैं। इसमें से भी पूरे जिले से लगभग 15 व्याख्याता अपनी राजनीतिक पहुंच बनाकर अपने गृह जिले में कार्य व्यवस्थार्थ लगे हुए हैं। इसकी वजह से जिले में उच्च शिक्षा की स्थिति दयनीय है। कई व्याख्याता तो

प्रथम नियुक्ति के एक माह के भीतर ही कार्य व्यवस्थार्थ अन्य अपने नजदीकी व गृह जिलों में चले गये हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि आदिवासी छात्र/छात्राओं के साथ अन्याय करके यह किस प्रकार की न्याय व्यवस्था हो रही है।

पिछले विधान सभा सत्र में भी उक्त मांग उठी थी, तब विभाग ने आनन-फानन में आदेश (क्रमांक: एफ 1(01)HRD/स्था/आकाशि/2020/पार्ट/584, दिनांक 22.07.2020 की सारे कार्य व्यवस्थार्थ आदेश निरस्त किये, लेकिन कुछ समय बाद विभाग ने सदन को आईना दिखाते हुए कार्य व्यवस्थार्थ आदेश वापस यथावत कर दिये।

अतः श्रीमान से मेरा अनुरोध है कि आदिवासी इलाके के छात्र/छात्राओं के हित में कार्य व्यवस्थार्थ व्याख्याताओं के आदेश तत्काल निरस्त करवाये जायें और सदन में बात रखने के बाद भी नियमों को ताक में रखकर, आदेश को निरस्त नहीं करना सदन की तौहीन है और आदिवासी छात्र/छात्राओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि समस्त कार्य व्यवस्थार्थ व्याख्याताओं के आदेश तत्काल निरस्त कराएं।

राजकुमार रोत

(चौरासी)

किशनगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कहीं पर भी राजकीय कन्या महाविद्यालय वर्तमान में संचालित नहीं है, जिसके कारण से क्षेत्र की बच्चियों को अध्ययन करने के लिए अजमेर या जयपुर जाना पड़ता है। इससे गरीब वर्ग की छात्राएं अत्यधिक व्यय के कारण से पढ़ाई से वंचित रह जाती हैं, क्योंकि उनके परिजन भी इतने सक्षम नहीं होते कि उन्हें उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेज पाये। इसके अलावा कोई परिजन अगर सक्षम होते हैं तो भी ये बाहर पढ़ाई करने के लिए बच्चियों को भेजना उचित नहीं समझते हैं, जिसके कारण से भी ये उच्च अध्ययन नहीं कर पातीं।

इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि किशनगढ़ में यू.जी.सी. सहायता से एक महिला छात्रावास निर्मित हो रखा है, जो लगभग सात वर्षों से रिक्त है

और कॉलेज प्रशासन के बार-बार प्रयास करने के उपरांत भी छात्राओं ने छात्रावास में प्रवेश नहीं लिया है तथा देखरेख के अभाव में इस छात्रावास की दुर्दशा भी हो रही है। इस छात्रावास के नजदीक ही महाविद्यालय का पुराना कार्यालय भवन हैं, जो भी विगत 20 वर्षों से अधिक समय से रिक्त है तथा महाविद्यालय के पास ही महाविद्यालय के आवास भी बने हुए हैं, जो भी तीन वर्षों से रिक्त हैं। इन सब भवनों को देखते हुए अगर यहां पर महाविद्यालय खोला जाता है तो इन भवनों में संचालित किया जा सकता है, जिससे भवन के निर्माण की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में महाविद्यालय में महिला छात्रावास के उपयोग हेतु दिनांक 07.10.2020 को बैठक आयोजित की गई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि यदि इस भवन में राज्य सरकार द्वारा राजकीय कन्या महाविद्यालय खोला जाता है तो भवन का समुचित उपयोग भी हो सकेगा और सरकार का खर्चा भी बचेगा।

इसके अलावा राजकीय आर. के. पाटनी महाविद्यालय में करीब 1,800 छात्राएं अध्ययनरत हैं और छात्राओं के अभिभावक भी छात्राओं के लिए अलग से सरकारी कन्या महाविद्यालय खोले जाने हेतु लगातार मांग कर रहे हैं।

अतः इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु राजकीय कन्या महाविद्यालय की इसी बजट में घोषणा कर क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करें।

धन्यवाद।

सुरेश टाक

(किशनगढ़)

पंचशील नगर (अजमेर) के राजकीय शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि अजमेर के जे.एल.एन. चिकित्सालय में इलाज के लिए प्रतिदिन सम्पूर्ण सम्भाग से बड़ी संख्या में मरीज आते हैं। वहां पर लगने वाली लम्बी कतारों से क्षेत्रवासियों को राहत दिलाने के लिए विगत भा.ज.पा. सरकार ने पंचशील नगर में लगभग 5 करोड़ की राशि से राजकीय शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कराया था।

उक्त स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में चिकित्सकों के बैठने, मरीजों को भर्ती करने, जांचों हेतु प्रयोगशाला, एक्स-रे, सोनोग्राफी, आपरेशन थियेटर व अन्य चिकित्सीय सेवाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्माण करवाये गये, परन्तु खेदजनक स्थिति है कि वहां पर अभी तक विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं हो सकी है। वहां पर मात्र फिजीशियन व स्त्री रोग विशेषज्ञ कार्यरत हैं, परन्तु लैब टेक्निशियन व रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से न तो रक्त, मल-मूत्र संबंधी कोई जांच हो पाती है और न ही एक्स-रे व सोनोग्राफी हो सकती है।

उक्त स्वास्थ्य केन्द्र में शिशु रोग विशेषज्ञ, डेन्टिस्ट, चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत हैं, परन्तु रिक्त हैं। जनरल सर्जन, अस्थि रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट जैसे महत्वपूर्ण पद वहां पर स्वीकृत ही नहीं हैं। वर्तमान में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र, जिसके निर्माण पर बड़ी राशि खर्च की गयी, वहां पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के समान ही सेवाएं उपलब्ध है। उक्त स्वास्थ्य केन्द्र क्षेत्रवासियों को जरूरी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने में पूर्णतः असफल सिद्ध हो रहा है तथा उन्हें इलाज के लिए अभी भी जे.एल.एन. चिकित्सालय ही जाना पड़ता है।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि राजकीय शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचशील नगर, अजमेर में विशेषज्ञ चिकित्सक, लैब टेक्निशियन सहित आवश्यक पदों पर शीघ्र नियुक्ति कराते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार कराये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कराकर क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान कराएं।

वासुदेव देवनानी
(अजमेर उत्तर)

लूणकरणसर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नये भवनों में संचालन

महोदय,

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दवारा राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गुसाईसर; राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कतरियासर राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र गारबदेसर राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र, खींयेरा, राजकीय स्वास्थ्य केंद्र, अर्जुनसर में 1 करोड़ 85 लाख की लागत से भवन निर्माण कार्य स्वीकृत हुए थे व निर्माण कार्य भी

पूर्ण हुए लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन इन आधुनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का लाभ अभी तक आमजन को नहीं मिल सका है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अभी तक पुराने भवन में ही संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें पर्याप्त सुविधा के अभाव में लोगों को उचित चिकित्सा सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं और साथ ही नये भवनों में लगे हुए उपकरण भी इस्तेमाल के अभाव में खराब हो रहे हैं तथा भवन भी खराब हो रहे हैं।

मेरे द्वारा इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को खोलने हेतु अनेक बार तत्कालीन जिला प्रभारी मंत्री महोदय, जिला प्रशासन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को कोरोना महामारी में आमजन को लाभ देने हेतु प्रारम्भ करने का आग्रह किया गया पर बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ राजनैतिक मानसिकता के कारण वर्तमान सरकार द्वारा आज तक ये चिकित्सा सेवाएं सुलभ नहीं की गयीं। स्वास्थ्य सेवाओं में गम्भीर लापरवाही इससे प्रतीत होती है कि इन स्वास्थ्य केन्द्रों में से दो अर्जुनसर व गुसाईसर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित हैं तथा दुर्घटना व ट्रोमा की परिस्थिति में मानव जीवन बचाने में महती भूमिका निभाते हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को ताले में बंद न करके आमजन के लिए तुरन्त प्रभाव से प्रारम्भ कर चिकित्सा सेवाओं को सुलभ कराएं तथा बिना भेदभाव के आदरणीय प्रधान मंत्रीजी के विचार सबका साथ, सबका विकास को साकार करे।

सुमित गोदारा
(लूणकरणसर)

श्रीनगर (नसीराबाद) से अजमेर की सड़क का नवीनीकरण व चौड़ाईकरण का लम्बित कार्य

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के श्रीनगर से अजमेर रोड, जो राज्य राजमार्ग संख्या 101, जो अजमेर जिले को टोंक जिले से जोड़ता है, यह राजमार्ग अजमेर- श्रीनगर-अंराई लाम्बा हरिसिंह होते हुए अजमेर जिले को टोंक जिले से जोड़ता है। उक्त सड़क मार्ग के श्रीनगर से अजमेर 15 किमी. तक के हिस्से में घाटी होने के कारण एवं वन विभाग की भूमि होने के कारण इसका नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण का कार्य लंबित है। वन विभाग द्वारा उक्त मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने पर आपत्ति लगा दी

गयी है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग को अनापत्ति हेतु बार-बार निवेदन करने पर भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जा रहा है, जिससे कार्य अटका हुआ है। श्रीनगर के आसपास के ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय ट्रांसपोर्ट का होने के कारण उनका अजमेर आवागमन इसी सड़क मार्ग द्वारा होता है। इस सड़क मार्ग की चौड़ाई कम होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। श्रीनगर के छात्र भी उच्च शिक्षा हेतु निजी साधनों से अजमेर जाते हैं। उन्हें भी दुर्घटना का डर बना रहता है। सड़क के दोनों तरफ की पटरी नहीं है एवं सड़क भी एक लेन की है।

अतः माननीय मंत्री महोदय जी का व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा इस सड़क मार्ग के नवीनीकरण हेतु वन विभाग को निर्देशित कर अनापत्ति जारी कराएं, ताकि अजमेर से श्रीनगर 15 किमी. राजमार्ग की चौड़ाई बढ़ायी जा सके एवं टोंक जाने का रास्ता सुगम हो सके।

धन्यवाद।

रामस्वरूप लाम्बा

(नसीराबाद)

"राज किसान साथी" पोर्टल पर पंजीकृत आवेदनों के अनुसार अनुदान उपलब्ध करवाना

महोदय,

निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को कृषि यंत्र/उपकरण क्रय करने हेतु कृषि विभाग के माध्यम से अनुदान दिया जाता है, जिसमें प्रत्येक जिले के हिसाब से लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। प्रतिवर्ष निर्धारित किये जाने वाले लक्ष्यों से कहीं अधिक संख्या में किसानों द्वारा, ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से "राज किसान साथी" पोर्टल पर आवेदन प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में जिन किसानों को यंत्र खरीदना बहुत आवश्यक होता है, वे अनुदान हेतु कृषि विभाग द्वारा जारी की जाने वाली प्रशासनिक स्वीकृति का इन्तजार नहीं कर पाते हैं और यंत्र/उपकरण क्रय कर लेते हैं। बिना प्रशासनिक स्वीकृति के यंत्र क्रय कर लेने के कारण उन किसानों को अनुदान नहीं मिल पाता है और अगर प्रशासनिक स्वीकृति का इन्तजार करते है तो राज्य सरकार द्वारा जिलों को आबंटित लक्ष्यों के अनुरूप उनका नम्बर कई वर्षों तक नहीं आ पाता है। उदाहरण के लिए हमारे जालौर जिले हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21

में कुल 57 लक्ष्य निर्धारित किये गये, परन्तु कृषि सहायक निदेशक, कार्यालय भीनमाल में वर्ष 2019-20 से करीब 700 आवेदन लम्बित चल रहे हैं। इससे जरूरतमंद किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि विभाग के "राज किसान साथी" पोर्टल पर पंजीकृत आवेदनों को ही लक्ष्य मानकर किसानों को कृषि यंत्र/उपकरणों की खरीद हेतु प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी करवाकर अनुदान राशि उपलब्ध करवाई जाये।

धन्यवाद।

नारायण सिंह देवल

(रानीवाड़ा)

रोहट से जालौर वाया आहोर सड़क खराब होने के बावजूद टोल वसूली

महोदय,

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर में, रोहट से जालौर वाया आहोर BOT रोड है, जो 50 किमी. की सड़क है, जोकि पूरी तरह से सड़क बिखरी हुई है व खड्डे पड़े हुए हैं। उसके बावजूद भी तीन-तीन जगह टोल वसूला जा रहा है। कई बार इसका ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना व विभिन्न संगठनों द्वारा चीफ इंजीनियर को भी ज्ञापन देकर इस मामले से अवगत करवाया लेकिन एक प्रकार से चौथ वसूली जैसी बू आ रही है। इसका नवीनीकरण का समय अगस्त, 2020 को पूरा हुआ। फिर भी कभी पेचवर्क नहीं करवाया गया। जब वहां की जनता आवाज उठाती है, तो उसको कई तरह से दबाया जाता है। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को भी इसके बारे में बार-बार अवगत करवाया गया। उन्होंने भी सड़क खराब होने को स्वीकारा, लेकिन नवीनीकरण के मामले में चुप्पी साध ली। मान्यवर जी, इस मामले को गम्भीरता से लेते हुए इस BOT रोड का नवीनीकरण तुरन्त करवायें और जो तीन जगह पर अवैध टोल वसूली हो रही है उसकी भी जांच करके जनता को राहत दिलाएं।

अतः आपसे निवेदन है कि सड़क खराब होने के बावजूद टोल वसूलने

से आम जनता को हो रही परेशानी को ध्यान में रखते हुए विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत है।

छगनसिंह

(आहोर)

सलूम्बर में सड़कों का निर्माण

महोदय,

प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में निम्नलिखित सड़क निर्माण कराने के सम्बन्ध में निवेदन है,

1. सड़क मय पुलिया निर्माण खैराड़ से वाजुआ, बुज भागल, टोल नाका ईश्वर दास तक 7 किमी.।
2. सड़क मय पुलिया निर्माण माकडसीमा से सराडी 5 किलोमीटर।
3. सड़क निर्माण सेमाल से उथरदा 5 किलोमीटर।
4. सड़क निर्माण वासा से सेमाल 5 किलोमीटर।
5. सड़क मय पुलिया निर्माण नईझर से कराकली 8 किमी.
6. सड़क निर्माण नईझर से रोडदा 7 किलोमीटर।
7. सड़क मय पुलिया निर्माण रोडदेश्वर से जटकुआ होते हुए माकड़ सीमा तक 5 किमी.।
8. सड़क निर्माण अदवास से चांद घाटी तक 3 किमी.।
9. सड़क निर्माण भारियां से ऊपला भारियां 3 किमी.।
10. सड़क निर्माण वेलवडी से वेलुआ 3 किमी.।
11. सड़क निर्माण जावद सेमाल सड़क से थोरी तक 2 किमी।
12. सड़क निर्माण नैवातलाई से रेला 3 किमी।
13. सड़क निर्माण डाकपलटा घाटी से बड़ी घामदर 3 किमी.।
14. सड़क निर्माण केवड़ा स्कूल से घई तक 3 किमी।
15. सड़क निर्माण नठारा बड़ा चौराहा से घोटा पानी 10.50 किमी.।
16. सड़क निर्माण मण्डास से कलात 5 किमी.।
17. सड़क निर्माण मण्डास से राता खेत 5 किमी.।
18. सड़क निर्माण बलुआ से हरघाटा 4.50 किमी।
19. सड़क निर्माण झाडोल से पहाड़ी 3 किमी.।

20. सड़क निर्माण झाड़ोल से ढाणी मेलाणा 3 किमी.।
21. सड़क कानवाडा से गोपशन बावजी 2 किमी.।
22. सड़क निर्माण डाकन बावड़ी से सैपुर 3 किमी.।
23. सड़क निर्माण निमच से उषापाणा 3 किमी.।
24. पुलिया निर्माण झामरी नदी पर गुडेल से लालावत का गुड़ा।
25. पुलिया निर्माण गोमती नदी पर कोटा से कांट।
26. पुलिया निर्माण गोमती नदी पर बड़गांव से भोईवाडी।
27. पुलिया निर्माण टीडी नदी पर धावंडिया से कलिला।

अमृतलाल मीणा

(सलूम्बर)

बहरोड़ के राजकीय चिकित्सालय का जिला अस्पताल में क्रमोन्नयन

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरे बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में बहरोड़ कस्बा मुख्य हाईवे एनएच-8 पर स्थित है, जिसकी जनसंख्या लगभग तीस हजार है। बहरोड़ के आसपास ग्रामीण आबादी रहती है, जो अपना इलाज कराने के लिए बहरोड़ के राजकीय चिकित्सालय में आती है और वहां पर सुविधाएं कम होने से उनको या तो अलवर जाना पड़ता है या दिल्ली अथवा जयपुर में जाकर इलाज करवाना पड़ता है। इतनी दूर जाकर इलाज करवाने में असमर्थ होने से गरीब लोग इलाज नहीं करवा पाते हैं और मौत का शिकार हो जाते हैं।

महोदय, बहरोड़ कस्बे में जो चिकित्सालय है, वहां पर प्रतिदिन 1,200-1,300 का आउटडोर रहता है तथा इन्डोर पेशेंट भी बहुतायत में रहते हैं। इसके अलावा महीने में लगभग 400 प्रसव भी होते हैं। मेरा यह भी निवेदन है कि अगर उक्त चिकित्सालय को जिला अस्पताल घोषित कर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं तो क्षेत्र की जनता को बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही 400 से अधिक प्रसव भी प्रतिमाह होते हैं, जिसके कारण यहां पर MCH Centre भी खोलने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

अतः इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन है कि बहरोड़ के अस्पताल को जिला अस्पताल में

क्रमोन्नत करने तथा अलग से MCH Centre खोलने की भी इसी वित्तीय वर्ष में घोषणा करने की कृपा करें।

बलजीत यादव

(बहरोड़)

सोजत की क्षतिग्रस्त सड़कें

महोदय,

विधान सभा की प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र सोजत की सड़कों की बदहाल स्थिति पर दिलाना चाहती हूं कि क्षेत्र में मुख्य सम्पर्क सड़कों के साथ ही गांवों को जोड़ने वाली सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। सरकारी तंत्र के आला अधिकारियों को बार-बार अवगत करवाने के बावजूद एक ही उत्तर मिलता है कि सरकार पिछले दो वर्षों से बजट नहीं भेज रही है। साथ ही कई गांव ढाणियां ऐसे हैं, जहां आजादी से आज दिनांक तक नियमों/वित्त उपलब्ध नहीं है जैसे कई कारणों को बताकर ग्रेवल सड़कें भी नहीं बनी है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि क्षेत्र की बदहाल सड़कों के लिए निरंकुश अफसरशाही के खिलाफ कार्यवाही करें एवं क्षेत्र की आम जनता को सड़कें बनाकर राहत दिलाने की कृपा करें। इसी आशा के साथ विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत है।

शोभा चौहान

(सोजत)

गगवाना, बालाहेडी एवं टुडियाना ग्राम पंचायतों का महुवा पंचायत समिति में सम्मिलन

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महुवा की ग्राम पंचायत गगवाना, बालाहेडी और टुडियाना पंचायत समिति महुवा से मात्र 0-5 किलोमीटर दूरी पर हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी इन ग्राम पंचायतों के लोगों का महुवा आना-जाना रहता है। इन ग्राम पंचायतों का उप खण्ड कार्यालय भी महुवा है और पुलिस थाना भी महुवा लगता है। ऐसी परिस्थितियों में इन तीनों ग्राम पंचायतों को महुवा पंचायत समिति में जोड़ना नितान्त आवश्यक है।

साथ ही अभी दौसा जिले में सम्पन्न हुए पंचायती राज चुनावों में सरपंच चुनावों में इन तीनों ग्राम पंचायतों के नागरिकों द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया है। अगर उक्त तीनों ग्राम पंचायतों को पंचायत समिति महुवा में नहीं जोड़ा जाता है तो इन ग्राम पंचायतों के निवासियों ने भविष्य में होने वाले चुनावों का भी बहिष्कार करने की ठान रखी है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनावों का बहिष्कार करना गम्भीर कारण बन सकता है। मैं मेरे क्षेत्र के नागरिकों की जन भावनाओं का आदर करते हुए उक्त तीनों ग्राम पंचायतों को महुवा पंचायत समिति में जोड़ने की मांग करता हूं।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि ग्राम पंचायत गगवाना, बालाहेडी व टुडियाना को पंचायत समिति महुवा में जोड़ने के आदेश प्रदान करें। साथ ही मण्डावर में नई पंचायत समिति बनाने का श्रम करें।

ओमप्रकाश हुड़ला

(महुवा)

जाजोलाई की तलाई (आमेर) व आसपास के क्षेत्रों का सड़कों से सम्पर्क

महोदय,

प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र आमेर का वार्ड नम्बर 3, जो हाल ही में पुनर्गठन के पश्चात् जयपुर नगर निगम, हैरिटेज क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, जिसमें स्थित जाजोलाई की तलाई में लगभग 10,000 व्यक्तियों की आबादी है। जयपुर शहर से सटे हुए इस इलाके की हालत यह है कि यहां पर सड़क के नाम पर रेत एवं गड्ढे हैं। यहां वाहन तो क्या, पैदल चलना भी मुश्किल है। बरसात के समय पानी का बहाव क्षेत्र भी इसी रास्ते से होकर के गुजरता है, जिससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

उक्त क्षेत्र में सड़क बनाने के नाम पर कई बार सर्वे हो चुका, लेकिन 70 साल की आजादी के बाद आज तक भी जाजोलाई की तलाई से बागड़ियों की ढाणी, पीपली वाली ढाणी, पटेलों की ढाणी, भौम्या जी के मंदिर तक वाया पीली की तलाई, जिसमें दस हजार की आबादी है, आज भी सड़क सुविधा से वंचित है। एक ओर जहां घर-घर को सड़क से जोड़ने की सरकार योजनाएं बना रही है, वहीं दूसरी ओर जाजोलाई की तलाई एवं इसके आस-पास की ये

ढाणियां सड़क सुविधाओं से वंचित हैं। इस सम्बन्ध में नगर निगम को स्थानीय जनता द्वारा समय-समय पर अवगत भी कराया जाता रहा है, किन्तु अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

अतः मेरा राज्य सरकार से आग्रह है कि आमजन हित को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सड़क का निर्माण कराया जाये। यह विषय अविलम्बनीय लोक महत्व का है। अतः मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

सतीश पूनियां

(आमेर)

अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का समान अनुपात में विभाजन

महोदय,

प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत के राजपत्र में अनुसूचित जातियां व अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1956 दिनांक 05.11.1956 की तीसरी अनुसूची के भाग-11 राजस्थान में भील, भील मीना, मीना, डामोर, गरासिया समेत लगभग 20-25 जातियों को सूचीबद्ध किया गया है। सरकार ने सभी जातियों के समुचित उत्थान के लिए समान रूप से आरक्षण की व्यवस्था की है परन्तु अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का एकतरफा रूप से सम्पूर्ण हिस्से का लाभ केवल मीना/मीणा जाति के लोगों द्वारा लिया जा रहा है और इस समूह में शामिल अन्य जातियां आरक्षण के प्रति जनजागरूकता एवं शिक्षा के अभाव में आरक्षण का लाभ लेने से वंचित हो रही हैं। राज्य सरकार द्वारा टी.एस.पी. क्षेत्र से बाहर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर सिरोही, पाली, जोधपुर आदि जिलों के भील समुदाय के परिवारों की शिक्षा एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए कमेटी गठित करने एवं उक्त जिलों के छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए जोधपुर में हॉस्टल एवं कोचिंग इन्स्टीट्यूट खोलने हेतु की गई घोषणा को राज्य के सभी जिलों में समान रूप से लागू की जानी चाहिए, जिससे इस गरीब आदिवासी जाति के छात्रों को उचित शिक्षा प्राप्त हो सके और उनका सामाजिक जीवन ऊंचा उठ सके।

सरकारी भर्तियों में अनुसूचित जनजाति समूह की अन्य जातियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु अनुसूचित जनजाति को दिये गये मूल 12%

आरक्षण का समान रूप से विभाजन किया जाये तथा राज्य सरकार की विभिन्न भर्तियों में आदिवासी भील समाज सहित अन्य समाज के छात्रों को मीणा समाज की अपेक्षा विशेष छूट प्रदान की जाए।

अनुसचित जाति की तर्ज पर इस समूह में वर्णित आदिवासी भील समाज सहित सभी समाजों को विद्युत कनेक्शन दिये जाएं। मेवाड़ भील कोर एम.बी.सी. की तर्ज पर हाड़ौती भील कोर का गठन किया जाए ताकि स्थानीय युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिल सके।

इस सम्बन्ध में आदिवासी समाज द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष भी अभ्यर्थना प्रस्तुत की थी। जिस पर वार्ता करने के आयोग द्वारा 08.02.2019 को बैठक निर्धारित की गयी, परन्तु उक्त बैठक में मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार शामिल नहीं हुए।

अतः माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अनुसूचित जनजाति समूह में सम्मिलित आदिवासी भील समाज एवं अन्य जातियों के आरक्षण हितों की रक्षा करने के लिए आरक्षण को समान रूप से विभाजित कर प्रत्येक जाति के हिस्से को संरक्षित करने एवं आरक्षण के प्रति जनजागृति लाने हेतु ठोस कदम उठाने की कृपा करें ताकि सभी को आरक्षण का समान रूप से उचित फायदा मिल सके।

कन्हैयालाल
(मालपुरा)

अलवर में महिला पोलीटेक्निक कालेज की स्थापना

महोदय

प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि अलवर जिला, जो कि एन.सी.आर. के अन्तर्गत आता है, उक्त जिला दिल्ली/एन.सी.आर. के निकट होने के कारण यहां संचालित उद्योगों में इंजीनियरिंग शाखाओं में छात्राओं के लिए रोजगार की मांग लगातार बढ़ रही है। इस जिले में वर्तमान में कोई भी सरकारी/निजी महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय नहीं होने के कारण उक्त जिले की निवासरत छात्राओं को अलवर से बाहर शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना पड़ता है। आज की 21वीं सदी में तकनीकी शिक्षा में छात्राओं के स्वर्णिम भविष्य हेतु यहां महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना अति आवश्यक है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि अलवर जिले में महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय खोलने की अति कृपा करें।

सफिया जुबेर

(रामगढ़)

संविदा कर्मियों की वेतनवृद्धि व स्थायीकरण के नियम

महोदय,

प्रक्रिया के नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत संविदा कर्मी, शिक्षा पैरा टीचर, मदरसा पैरा टीचर, 2013 की भर्ती से वंचित ANM, मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा एवं जांच योजना के तहत लगे मिशन विंग मैन आपरेटर, पंचायत सहायक का मानदेय बहुत अल्प है, जिसकी वजह से इनका भरण पोषण होना मुश्किल है। अभी मुख्य मंत्री जी ने बजट में मानदेय सम्बन्धी कमेटी बनायी है, मंत्रिमण्डल की कमेटी की कई बैठकें हो गयी हैं, उसके उपरांत भी अभी तक संविदा कर्मियों के स्थायीकरण, वेतन वृद्धि व सेवा नियमों का निर्णय नहीं हुआ है। सभी संविदाकर्मी अल्प वेतन भोगी हैं. जिसकी वजह से उनका घर का खर्च भी मुश्किल से चल पाता है और कार्य भी पूरा करवाया जाता है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि संविदाकर्मियों के लिए सेवा नियम बनाएं एवं वेतन वृद्धि की जाए, जिससे उनकी मूलभूत सुविधाएं पूरी हो सकें।

पदमाराम

(चौहटन)